गुरूवार, 12 मार्च, 1981

21 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंक 19, गुरुवार, 12 मार्च, 1981/21 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			1–19
*तारांकित प्रश्न संख्या 331 से 334, 337, 339, और 346			
प्रश्नों के लिखित उत्तर :			19–140
तारांकित प्रश्न संख्या 330, 335, 336, 338, 348 से 344 और 347 से 351			
अतारांकित प्रश्न संख्या 3201 से 3224, 3226 से 3276 और 3279 से 3369			
ध्यानाकर्षण सूचनाओं आदि के बारे में			140–143
सभा पटल पर रखे गये पत्र			143–146
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति :			146
(1) 5वें प्रतिवेदन सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश			
(2) 5वां प्रतिवेदन			
नियम 377 के अधीन मामले :			146–155
(एक)	हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने की आवश्यकता श्री सत्य गोपाल मिश्र	146–147	
(दो)	रतलाम, मध्य प्रदेश में पैट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना करने की आवश्यकता श्री दिलीपसिंह भूरिया	147	
(तीन)	उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में बस दुर्घटनाओं में हताहत लोगों को राहत देने की आवश्यकता श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	148	
(चार)	गोरखपुर के लिए प्रतिदिन इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवाएं चालू करने और गोरखपुर हवाई अड्डे का विस्तार करने की आवश्यकता श्री महावीर प्रसाद	148	

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(पांच) मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की आवश्यकता

श्री जार्ज फर्नांडीस 149

(छः) उत्तर प्रदेश के हिन्दी दैनिक "भारत" के प्रबन्धकों द्वारा पालेकर पंचाट को लागू न किया जाना

श्री आर० एन० राकेश 149–150

(सात) उच्च-शक्ति रेल इंजनों का भारत द्वारा आयात किये जाने के बारे में विश्व-बैंक के दल द्वारा दिया गया कथित सुझाव

प्रो० मधु दण्डवते 150–151

(आठ) पश्चिम-बंगाल में बेलन आटा मिलों की कठिनाइयां

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय 151–155

सामान्य बजट, 1981-82 (सामान्य चर्चा) : 155–268

श्री पी० वी० जी० राजू 155–161

श्री राम जेठमलानी 161–168

श्री मोहन लाल सुखाड़िया 168–172

श्रीमती विद्या चेन्नुपति 172–175

श्री सुनील मैत्रा 175–181

श्री के० लकप्पा 181–186

श्री जेवियर अराकल 187–189

श्री छांगुर राम 189–191

श्री वी० आर० नहाटा 191–195

श्री काजी जलील अब्बासी 195–198

श्री राजेश कुमार सिंह 198–201

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 201–204

श्री दिग्विजय सिंह 205–208

श्री जी० एम० बनातवाला 208–212

श्री एन० डेनिस 212–114

श्री राम प्यारे पनिका 214–218

श्री एन० सुन्दर राजन 218—219

विषय	पृष्ठ
श्री सन्तोष मोहन देव	220–223
श्री बालासाहिब बिखे पाटिल	223–227
श्री लक्ष्मण मलिक	227–229
आचार्य भगवान देव	229–233
श्री उत्तम भाई एच० पटेल	233–235
श्रीमती ऊषा वर्मा	236–237
श्री आर० एन० राकेश	237–239
श्री लक्ष्मण कर्मा	239–242
श्री जयराम वर्मा	242–246
श्री समीनुद्दीन	246–248
श्री गिरधारी लाल व्यास	248–253
श्री एस० बी० सिदनाल	253–257
श्री जयपाल सिंह कश्यप	257–260
श्री ओस्कर फर्नान्डीस	260–262
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	262–266
श्री पी० नामग्याल	266–268

सभा के कार्य के बारे में घोषणा 219–235

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—जारी 235–236

लोक सभा

गुरुवार, 12 मार्च, 1981/21 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खरीदे जाने वाले तथा निर्माण किए जाने वाले पोतों की संख्या

331. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री बी० वी० देसाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपेक्षित पोतों का निर्माण भारत में नहीं किया जाएगा और विदेशों से खरीद करना आवश्यक होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पोतों की खरीद करने के लिए विदेशों से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो कितने पोत खरीदे जाएंगे; और

(घ) भारत में कितने पोतों का निर्माण किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) छठी योजना के अवधि में देश में जहाजों की जरूरत का कुछ भाग देशी विनिर्माताओं द्वारा पूरा किया जाएगा, और शेष जहाज बाहर से खरीदने पड़ेंगे।

(ख) यह काम मूलतः जहाजी कंपनियां करती हैं। ये कंपनियां जहाज की खरीद के लिए लिखा-पढ़ी करती हैं और लेन-देन तय हो जाने के बाद सरकार से मंजूरी के लिए अनुरोध करती हैं।

(ग) और (घ) छठी पंच वर्षीय योजना में, 2.5 मिलियन जी० आर० टी० के जहाजों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसमें से, 0,7 मिलियन जी० आर० टी० के० जहाज भारतीय शिपयार्डों में बनाए जाने की संभावना है। बाकी के जहाज विदेश से खरीदने पड़ेंगे।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 2.5 मिलियन जी० आर० टी० के जहाजों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसमें से केवल 0.7 मिलियन जी० आर० टी० के जहाज की देश में बनाए जाने की संभावना है। बाकी के जहाज

विदेश से खरीदने पड़ेंगे। इस संबंध में हमारी सरकार ने जिन देशों से संपर्क किया है, उनके नाम क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सरकार द्वारा संपर्क करने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, जहाजी कम्पनियां न केवल भारतीय शिपयार्डों से ही संपर्क करती हैं अपितु विदेशी शिपयार्डों से भी संपर्क करती हैं। भारतीय शिपयार्डों की जितनी निर्माण क्षमता है, उतनी सीमा तक जहाजी कंपनियां इनसे जहाज खरीदेंगीं, यदि वे विचारार्थ कार्यक्रम के अनुसार और अधिक जहाज खरीदना चाहेंगी, इन जहाजी कंपनियों को विदेशी जहाज कंपनियों से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। ये कंपनियां अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से पुराने जहाज भी खरीद सकती हैं। यह जहाजी कंपनियों के वाणिज्यिक निर्णयों पर निर्भर करता है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी माननीय प्रधान मंत्री तथा नौवहन और परिवहन मंत्री आस्थगित भुगतान के आधार पर जहाजों को खरीदने के संबंध में जापान की सरकार से सौदा के बारे में बातचीत करने के लिए जल्दी ही जापान की यात्रा पर जाने वाले हैं, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय प्रधान मंत्री के दौरे के बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन जापान तथा दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने का मेरा कार्यक्रम है जहां मैं इन देशों की शिपयार्डों से विचार-विमर्श करूंगा कि क्या ये कंपनियां येन मुद्रा में उधार देने की शर्त पर हमारे देश को जहाज सप्लाई करने को तैयार हैं। क्योंकि इनके द्वारा हमारे देश को उधार दिये जाने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। विचार-विमर्श के पश्चात् मैं वापस आकर इस पर कार्यवाही करूंगा तथा निर्णय लूंगा।

श्री बी० वी० देसाई : भारतीय जहाज कंपनियों को एक मुश्त प्रोत्साहन देने का प्रश्न वर्ष 1977 से विचाराधीन है। वर्ष 1977 में एक उप-समिति गठित की गई थी। इसके पश्चात् एक अन्य उप-समिति गठित की गई थी। इसके पश्चात् एक अन्य उप-समिति का गठन किया गया था। इन समितियों ने शिपयार्डों को 33 तथा 37 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया था। परन्तु तीन मंत्रालयों —नौवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय— के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। एक मंत्रालय का यह विचार था कि.....

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि कोई प्रश्न पूछा जाये।

श्री बी० वी० देसाई : माननीय मंत्री महोदय को सारांश में कुछ जानकारी देना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न का अर्थ पूरक जानकारी देना नहीं है।

श्री बी० वी० देसाई : वस्तुतः रक्षा मंत्रालय चाहता था कि उसे केवल 5 प्रतिशत राज-सहायता दी जाये जबकि नौवहन मंत्रालय ने 25 प्रतिशत का सुझाव दिया था। इस विवाद को देखते हुए देशी निर्माण की क्षमता अवरुद्ध हुई है। अतएव, छठी पंचवर्षीय योजना में इतना अधिक अन्तर बरकरार रहा है तथा अब हमें विदेशी जहाजों की खरीद करनी पड़ रही है। विवाद के

कारण देशी शिपयार्ड जहाज-मालिकों की मांग को पूरा नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, जहाजों का आयात अपरिहार्य हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी सहायता कीजिए अन्यथा मुझे इसे यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा।

श्री बी० वी० देसाई : माननीय मंत्री महोदय ने एक नई नीति की घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बी० वी० देसाई : यह केवल एक ही पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी. नहीं।

श्री बी० वी० देसाई : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस देश में एक न्यायक नौवहन नीति लागू की जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मूल्य निर्धारण नीति का उल्लेख करते समय माननीय सदस्य का कहना था कि मेरे मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच कुछ वाद-विवाद था। इस अवसर पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच कभी भी किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद नहीं था। जहां तक मूल्य निर्धारण नीति का संबंध है, हमने निर्णय कर लिया है। इस स्वीकृति मूल्य सूत्र (फार्मूले) के अनुसार 20 प्रतिशत तक की लागत का भुगतान भारत सरकार करेगी, 10 प्रतिशत तक की लागत का भुगतान जहाज मालिक करेंगे तथा 7½ प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि का भुगतान जहाज मालिकों द्वारा किया जायेगा। इस बात को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा हमने पहले ही यह निर्णय ले लिया है।

जहां तक शिपयार्ड की क्षमता का संबंध है, मैं माननीय सदस्य महोदय से सहमत हूं कि शिपयार्डों की वर्तमान क्षमता सीमित है। हमारे देश में चार शिपयार्ड हैं जिनमें से दो, यथा, कोचिन शिपयार्ड तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड मेरे मंत्रालय के अधीन हैं जबकि मझगांव डॉक्स तथा गार्डन रीच वर्कशाप रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। इन शिपयार्डों की निर्माण क्षमता तो है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। भारतीय शिपयार्डों के पास 1986-87 तक की अवधि के लिए पर्याप्त आदेश हैं। अतएव उनके पास आदेशों की कमी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा ख्याल है कि मंत्री महोदय का कहना यह था कि जहाज खरीदने के इच्छुक निजी जहाज मालिक विदेशी शिपयार्डों से सीधे बातचीत करते हैं तथा भारत सरकार इस बातचीत के बीच में मध्यस्थ नहीं बनतीं। मैं जानना चाहता हूं कि जहाज मालिकों तथा विदेशी शिपयार्डों के बीच जो मूल्य निर्धारित किये जाते हैं, उन मूल्यों की क्या सरकार द्वारा किसी प्रकार की संवीक्षा तथा जांच की जाती है ? मैं यह प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निजी जहाज मालिकों को नौवहन विकास निधि से बहुत अधिक मात्रा में धनराशि की अदायगी की जाती है। अतएव, मूल्यों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। विदेशों से जहाज खरीदने के लिए निजी जहाज मालिकों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौवहन विकास निधि से कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक एक जहाज के मूल्य निर्धारण का संबंध है, माननीय सदस्य ने कहा है कि निजी जहाज मालिक विदेशी जहाज मालिकों अथवा शिपयार्डों से बातचीत करते हैं तथा पुराने जहाज खरीदते हैं। हमारे पास जहाजों के मूल्य निर्धारण की एक निर्धारित प्रक्रिया है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के मूल्य-निर्धारक मूल्य-निर्धारण संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा उस पर कार्यवाही करने के पश्चात् महानिदेशक, नौवहन, एस० डी० एफ० सी० को इसके संबंध में सिफारिशें करेगा, जो कि उन सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् जहाजों को खरीदने के लिए धन का प्रावधान किये जाने संबंधी निर्णय लेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भूतकाल में अपनाई गई नीति का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं छठी योजना की मूल्य नीति का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौवहन विकास निधि से कुल कितनी धनराशि दी गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त भूतकाल के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान के बारे में नहीं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि माननीय सदस्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाज-कंपनियों को दिये गये ऋणों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें एक पृथक प्रश्न पूछना चाहिए। उसके उत्तर में मैं उन्हें तब जानकारी दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि नौवहन तथा रेलवे द्वारा कुछ वस्तुओं की ढुलाई में निकट का संबंध है, इसलिए भाड़े इत्यादि के निर्धारण को छोड़कर जहाजों की खरीद तथा मांग तय करने संबंधी समूचे मामले को हम केवल निजी कंपनियों पर ही नहीं छोड़ सकते। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार भी पर्याप्त संख्या में समुद्री जहाज उपलब्ध कराये जाने का निर्णय कर रही है। क्या सरकार इस बात का निर्णय लेने में पहल करेगी कि कितने जहाजों की आवश्यकता पड़ेगी तथा कितने जहाजों की खरीद करनी पड़ेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं छठी पंचवर्षीय योजना के अपने कार्यक्रम के बारे में पहले ही बता चुका हूं। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमारा कार्यक्रम 2.5 मिलियन टन के अतिरिक्त जहाजों की खरीद का प्रस्ताव है तथा मैं यह बात बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2.5 मिलियन टन में से अधिकांश जहाजों की खरीद सरकारी कंपनियों, यथा, भारतीय जहाजरानी निगम तथा मुगल लाईन्स लिमिटेड की द्वारा की जायेगी। अभी मैंने इस बात का निर्णय करना है कि इसमें से कितना प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखना है। परन्तु जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, इसमें हम निजी क्षेत्र को प्रभावशाली भूमिका अदा नहीं करने देंगे।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, उसे सुनकर मैं बहुत खुश हूं। जहां तक राष्ट्रीय परिवहन नीति का संबंध है, हमें परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय रखना है। इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को बहुत अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा नहीं करने दी जायेगी। मेरा

प्रश्न यह है। राज्य सरकारें नौवहन के इस कार्य क्षेत्र में अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर रही हैं। केरल सरकार तथा तमिलनाडु सरकार भी (व्यवधान)····· नौवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए थे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है उसके संदर्भ में राज्य सरकारों के जहाजरानी निगमों द्वारा जहाजों की खरीद के प्रति केन्द्र सरकार का क्या रवैया है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, जहां तक राज्य सरकार के प्रति नीति का संबंध है, हम सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तथा यदि राज्य सरकार भी इस क्षेत्र में आना चाहती है तो हम उसे निरुत्साहित नहीं कर सकते क्योंकि कुछ राज्य सरकारें इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। मेरा विचार है कि कर्नाटक सरकार के पास कुछ जहाज हैं तथा मैं यह नहीं जानता कि क्या तमिलनाडु सरकार ने पहले ही कुछ जहाज खरीद लिए हैं, केरल सरकार के पास भी कुछ जहाज हैं। जब निजी पार्टियां इस क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं तो हम राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में कार्य करने से कैसे रोक सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न 332 पूछा जाये—श्री सिदनाल।

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, मेरा एक सुझाव है। आप प्रश्न संख्या 339 तथा 346 को इसके साथ जोड़ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपका क्या विचार है ? क्या आप इनका पृथक-पृथक उत्तर देना चाहेंगे ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं यह कहना चाह रहा था कि·····(व्यवधान) क्या आप मुझे कुछ कहने की अनुमति देंगे ?

मेरा विचार था कि प्रश्न संख्या 339 तथा 346 का उत्तर एक साथ दिया जा सकता है। परन्तु जहां तक प्रश्न संख्या 332 का संबंध है, वह केवल दुभाषियों इत्यादि से संबंधित है। अतएव, मैं प्रश्न संख्या 332 का उत्तर पृथक से देने की सोच रहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उत्तर पृथक से दे सकते हैं। आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 332 पूछा जायेगा। श्री सिदनाल।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए कर्मचारी

*332. **श्री एस० बी० सिदनाल : श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के संचालन के लिये विदेशों से आने वाले दुभाषियों, अनुवादकों, टाइपिस्टों और कार्यालय कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) भारतीय कर्मचारियों को, जिन्होंने ऐसे सम्मेलनों में पहले संतोषजनक सेवा की थी, अवसर न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भविष्य के लिए ऐसे कोई प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) विदेशों से बुलाए गए कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

दुभाषिए	54
अनुवादक	48
पुनरीक्षक	24
भाषाई टाइपिस्ट	54
समन्वय स्टाफ	8
मुख्य समन्वयक	1
कुल	189

(ख) 108.1 लाख रुपये ।

(ग) आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले कर्मचारी भारत में ही तलाश करने की कोशिश की गई थी । लेकिन इस आकार-प्रकार के सम्मेलन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त दुभाषिए और अनुवादक इत्यादि भारत में उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) और (ङ) सम्मेलन कार्य में विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय संगठनों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे भावी सम्मेलनों के लिए बहुभाषी दुभाषियों, अनुवादकों और भाषाई टाइपिस्टों तथा अन्य कर्मचारियों का एक वर्ग तैयार करें ।

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या सरकार के समक्ष ऐसे सम्मेलन के लिये अपेक्षित दुभाषियों एवं कर्मचारियों के भावी प्रशिक्षण के लिये संस्थायें गठित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री पी० शिवशंकर : यह सुझाव निस्संदेह विचारणीय है । लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है । जैसा कि मैंने प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में बताया है । सम्मेलन-कार्य में विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय संगठनों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे अनुवादकों और दुभाषियों का एक वर्ग (काडार) तैयार करें ।

श्री एस० बी० सिदनाल : यदि ऐसा है तो उम्मीदवारों को इस प्रकार छांटने का क्या आधार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० शिवशंकर : यह प्रश्न अतिश्योक्तिपूर्ण है ।

श्री आर० के० महालगी : लगभग 190 दुभाषियों, अनुवादकों आदि पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिये गये हैं । क्या मैं पूछ सकता हूं कि बहुभाषी दुभाषियों, अनुवादकों, आदि का वर्ग (काडर) तैयार करने के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, पिछले 33 वर्षों के दौरान क्या प्रयास किये गये हैं, क्योंकि ऐसे अनेकों सम्मेलन भारत में होते रहते हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : यह एक बहुत भारी काम है । सभा की सूचना के लिये, मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिए इस सम्पूर्ण कार्य को कर पाना कठिन है और विशेषतः इन चारों भाषाओं, अर्थात् फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश और अरबी में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप दुभाषियों एवं अनुवादकों की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल है । कोई भी मुल्क इस सम्पूर्ण कार्य को नहीं कर सकता है ।

नाडियाड-कापडवंज-मोडासा बड़ी लाइन

*333. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले से ही स्वीकृत नाडियाड-कापडवंज-मोडासा बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य या तो रोक दिया गया अथवा धीमा कर दिया गया है जिससे परियोजना पर काम कर रहे हजारों मजदूर नवम्बर, 1980 से रोजगार से वंचित हो गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि को दूसरी परियोजना में लगा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो दूसरी परियोजना को इसकी धनराशि दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) 1980-81 में उपर्युक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संसाधनों की उपलब्धता की अत्यन्त तंगी और जिन चालू योजनाओं के काम में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी, उनमें तेजी लाने की आवश्यकता के कारण इस परियोजना के काम में काफी प्रगति नहीं हो सकी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 1981-82 में इस निर्माण कार्य पर 11 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है । मार्च, 1981 तक कुल 1.86 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : यह विशिष्ट रेलवे लाइन ऐसे पिछड़े क्षेत्र में बिछाई जानी थी जिससे उस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलती । इस परियोजना को रद्द करके, सरकार ने उस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों के काम करने के अवसर छीन लिये हैं । इतना ही नहीं बल्कि जो उस क्षेत्र में विकास हो सकता था वह भी रुक गया है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को बंद करने के क्या कारण हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : फिलहाल यह परियोजना रोक दी गई है और जैसा कि मैंने बताया है कि क्योंकि धन की तंगी के कारण इसकी प्रगति में तेजी नहीं आ पाई । फिर भी, इस पर कार्य हो रहा है । 9 प्रमुख पुलों में से, 2 पुल तो लगभग तैयार ही हैं और 4-5 छोटे पुल भी

तैयार होने वाले हैं। काम तेजी से तो नहीं चल रहा है लेकिन काम चल रहा है जितने भी मजदूर वहां उपलब्ध हैं उनका उपयोग किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जिस तरह पेसैंजर गाड़ी चलती है उस तरह, न कि एक्सप्रेस गाड़ी की तरह।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : जो परियोजना चल रही हो, उस पर धीमा कार्य करने और कोई नई परियोजना शुरू करने के बजाय यह बेहतर है कि जो कोई भी कार्य हाथ में लिया जाये उसे पहले पूरा लिया जाय और तब दूसरा कार्य शुरू किया जाये।

श्री मल्लिकार्जुन : हम चाहते तो यही हैं कि चालू परियोजनाओं को पहले पूरा किया जाय। लेकिन साथ ही साथ हमें नये काम भी शुरू करने ही पड़ते हैं क्योंकि विभिन्न लोगों द्वारा इस की मांग की जाती रहती है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि संसाधनों की कमी के कारण यह काम नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से संसाधनों की कमी हो रही है और जहां-जहां रेलवे लाइनों का काम चल रहा है, संसाधनों की कमी क्या उनके बीच में नहीं आती है या सिर्फ इसके लिए ही संसाधन नहीं मिलते ? कौन-कौन से संसाधन नहीं मिलते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

रेल मन्त्री श्री केदार पांडे : फण्ड्स की तो कमी है। जब हमने छठी पांच साला योजना की बात की तो हमने 11 हजार करोड़ रुपये की मांग की लेकिन हमें मिला 5 हजार 1 सौ करोड़ रुपये। हमने बजट में इसके लिए 11 लाख रुपये रखे हैं। मैं समझता हूं कि यह रकम कम है। अभी तक इस पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च हुए हैं। जब माननीय दंडवते जी रेल मंत्री थे तो उस समय 1978-79 के बजट को मैंने देखा है और समझा है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करना चाहिए क्योंकि इस पर हमारे इतने रुपये खर्च हो चुके हैं और यह बेकवर्ड एरिया है। जब सप्लीमेंटरी बजट आयेगा तो उस पर मैं कुछ विचार करूंगा। (व्यवधान) काम तो शुरू है। काम को और अब हम आगे बढ़ायेंगे।

विश्वविद्यालय के छात्रों को रेल यात्रा में रियायत दिया जाना

*334. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महानगरों में स्थित ग्रंथालयों का उपयोग करने के लिए राज्यों के विश्वविद्यालयों के छात्रों को रेल यात्रा में रियायत देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) शोध कार्य करने वाले छात्र जब शोध कार्य के सिलसिले में यात्रा करते हैं, तो उन्हें रेल यात्रा में रियायत दी जाती है।

श्री सुशील भट्टाचार्य : जहां तक छात्रों को रेल रियायत देने का संबंध है व्यावसायिक प्रशिक्षण के छात्रों के लिये कोई आयु-सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण के

छात्रों के इस वर्ग में डि० लिट् शामिल नहीं हैं अर्थात् लायब्रेरी साइन्स, बी० एड०, बी० फिल० और एम० फिल के छात्रों को कोई रियायत नहीं दी जाती, जबकि इन छात्रों को कोई स्टाइपंड अथवा छात्रवृत्ति अथवा प्रतिनियुक्ति सुविधा भी नहीं मिलती और ये अपने ही खर्च से अध्ययन करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन छात्रों के लिये आयु-सीमा के बंधन को हटाने पर विचार करेगी।

श्री मल्लिकार्जुन : विश्वविद्यालय अथवा विद्यालय ही छात्रों को प्रवेश देते हैं। आयु से हमारा कोई संबंध नहीं है। आयु सीमा से भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। यह विषय विश्व-विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं का है।

श्री सुशील भट्टाचार्य : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न छात्रों के शैक्षणिक दौरों के बारे में है। आपको मालूम है कि विभिन्न रेलवे में इस बारे में अलग-अलग नियम हैं। दक्षिण-पूर्व रेलवे ऐसी रियायतें आंशिक रूप से देती है अर्थात् एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। लेकिन पूर्व रेलवे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिये ऐसी रियायतें देती है। इसलिये उसमें विसंगतियां हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे रेलवे को इस बारे में कोई निदेश देंगे ताकि छात्र सारे देश में समान रूप से इस शैक्षणिक दौरे की सुविधा प्राप्त कर सकें।

श्री मल्लिकार्जुन शुरू-शुरू में, हमें छात्रों को रियायतें देने में कठिनाई का अनुभव हुआ। जब छात्रों ने यात्रा शुरू करने के स्टेशन से एक जोन से दूसरे जोन तक अपनी वापसी के लिए रियायत की मांग की तो उसमें कुछ कठिनाई पेश आई। कभी-कभी इस मांग को दूसरे जोन ने नहीं माना। अब हमने इस कठिनाई को दूर करने के लिये स्पष्ट मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या ये रियायतें कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी दी जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप छात्रों में भेद क्यों कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : महोदय, कृषि अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं इसमें फर्क नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि आप एक छात्र को पुस्तकालय जाने के लिए एक वर्ष में कितनी बार रेल रियायतें देते हो ?

श्री मल्लिकार्जुन : छात्रों को, चाहे वे कृषि के हों अथवा चिकित्सा क्षेत्र के, इन्जीनियरी के हों अथवा मानव विज्ञान के क्षेत्र के, सामान्यतः अपनी छुट्टियों के दौरान इस सुविधा का उपयोग करने की इजाजत है।

छात्रों द्वारा यह रियायत कई बार उपयोग की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुन, संसदीय कार्य के छात्रों के बारे में क्या ख्याल है।

अगला प्रश्न।

न्यू बोंगाई गांव-गोहाटी लाइन का बदला जाना

*337. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: न्यू बोंगाई

मांव तथा गोहाटी के बीच छोटी लाइन को बदलने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जनवरी, 1981 के अन्त तक न्यू बोंगाई गांव से गोहाटी तक समानान्तर बड़ी लाइन के विस्तार से संबंधित काम की समग्र वास्तविक प्रगति 44 प्रतिशत हुई है ।

श्री चिरंजो लाल शर्मा : मेरा प्रश्न छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में था और जो उत्तर आपने दिया वह यह है :—

> "जनवरी 1981 के अन्त तक न्यू बोंगाई गांव से गोहाटी तक समानान्तर बड़ी लाइन के विस्तार से संबंधित काम की समग्र वास्तविक प्रगति 44 प्रतिशत हुई है ।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उसी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा सकता है तो समानान्तर बड़ी लाइन की क्या आवश्यकता है क्योंकि उत्तर में यह बताया गया है कि "समानान्तर बड़ी लाइन के विस्तार··· ।" छोटी लाइन को हटाकर बड़ी लाइन क्यों नहीं बिछाते ?

श्री मल्लिकार्जुन : न्यू बोंगाई गांव से रांगिया तक एक नैरो गाज लाइन है । तकनीकी रूप से हमने यह महसूस किया कि इस समय लाइनों को बदलना बुद्धिमानी नहीं है । इसलिये हमने न्यू बोलाइगांव से रांगिया और रांगिया से गोहाटी तक समानान्तर लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है । कुछ समय के बाद, इस नैरो गेज पर भी उस लिंकेज पद्धति के कारण जिसकी इस समय अनिवार्य रूप से आवश्यकता है, कार्य शुरू किया जायेगा ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं इस लाइन की कुल लम्बाई जानना चाहता हूं और दूसरे छोटी लाइन और बड़ी लाइन के बीच प्रति किलोमीटर लागत तथा इन दोनों लाइनों की गति में अन्तर के बारे में भी जानना चाहता हूं ।

श्री मल्लिकार्जुन : न्यू बोंगाई गांव से गोहाटी तक की कुल लम्बाई 163 किलो मीटर है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। मैं छोटी लाइन और बड़ी लाइन के निर्माण की प्रति किलो मीटर कुल लागत तथा दोनों लाइनों की गति में अन्तर के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री मल्लिकार्जुन : अब बड़ी लाइन के निर्माण की प्रति किलो मीटर लागत 22 लाख रुपया है और इसमें मूल्यों में वृद्धि के कारण, वृद्धि की संभावना रहती है । बदलने की लागत प्रति किलो मीटर 16-17 लाख रुपये आती है ।

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस लाइन के पूरा होने की निर्धारित तारीख 1981 थी और अब इसकी निर्धारित तारीख कौन सी है क्योंकि मैं यह समझता हूं कि असम समस्या के कारण, इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । इस बात को देखते हुए, इस लाइन के पूरा होने की वर्तमान निर्धारित तिथि क्या है ?

श्री मल्लिकार्जुन : दिसम्बर 1981 तक, न्यू बोंगाई गांव और रांगिया के बीच 100 किलोमीटर लाइन पूरी हो जाएगी और 1982 के मध्य तक शेष कार्य भी पूरा हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । मि० अशोक गहलोत । उपस्थित नहीं है ।

अगला प्रश्न । मि० के० पी० सिंह देव···

श्री के० पी० सिंह देव : प्रश्न संख्या 339.

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, क्या आप प्रश्न संख्या 346 को भी इसके साथ ले रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इसे ले लेते हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है; यह मिला दिया गया है ।

गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन

*339. श्री के० पी० सिंह देव : श्री पी० के० कोडियन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के क्या परिणाम निकले;

(ख) गुट-निरपेक्ष देशों के संगठन को बल प्रदान करने में सम्मेलन कहां तक सहायक रहा है; और

(ग) उसमें अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया की समस्याओं तथा ईरान-इराक संघर्ष तथा हिन्द महासागर के बारे में क्या-क्या समाधान बताये गये ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 9 से 13 फरवरी, 1981 तक नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन आम सहमति से एक घोषणा स्वीकार करने में सफल हुआ ।

कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति हुई, जिनमें दूसरी बातों के साथ-साथ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका और नीति, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा; तनाव शैथिल्य; निरस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद की समाप्ति; हिन्द महासागर, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण-पश्चिम एशिया और दक्षिम-पूर्व एशिया में हालात; ईरान-इराक संघर्ष; भूमध्य सागर और यूरोप तथा लातीनी अमेरिका; अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की समीक्षा; नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना; आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में गुट-निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों के बीच अधिक सहयोग और सूचना तथा जन संपर्क माध्यमों के क्षेत्रों में गुट-निरपेक्ष देशों के बीच अधिक सहयोग शामिल है । नई दिल्ली घोषणा की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ख) अधिकांश गुट-निरपेक्ष देशों ने आमतौर पर यह माना है कि नई दिल्ली के सम्मेलन से गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन की एकता और एक जुटता को सुदृढ़ करने में मदद मिली है ।

(ग) जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है इस घोषणा में दूसरी बातों के अलावा, "अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता और उसके गुट-निरपेक्ष दर्जे के आधार पर वहां से विदेशी सेनाएं हटाने तथा दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का सख्ती से पालन करते हुए किसी राजनैतिक समाधान की तत्काल मांग की गई है।"

इस घोषणा में कम्पूचिया के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ विदेश मन्त्रियों का यह दृढ़ विश्वास भी प्रकट किया गया कि "एक ऐसे व्यापक राजनैतिक समाधान के माध्यम से इस तनाव को तत्काल खत्म करने की जरूरत है, जिसमें सभी विदेशी सेनाओं की वापसी की व्यवस्था हो और इस प्रकार इस क्षेत्र के सभी राज्यों की जिनमें कम्पूचिया भी शामिल है, प्रभुसत्ता, आजादी और प्रादेशिक अखण्डता के पूर्ण सम्मान का सुनिश्चय हो सके।" इस घोषणा में इस क्षेत्र के सभी राज्यों से यह भी आग्रह किया गया कि "वे आपस में बातचीत करें, ताकि उनके मतभेद दूर हो सकें, क्षेत्र में स्थायी शान्ति और स्थिरता कायम हो तथा बाहरी शक्तियां उनके मामलों में हस्तक्षेप न कर सकें और उन्हें हस्तक्षेप करने की धमकियां भी न दे सकें।"

ईरान-इराक संघर्ष के बारे में नई दिल्ली घोषणा में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के विभिन्न सिद्धान्तों को दोहराया गया और उन पर जोर दिया गया, जिनमें दूसरों के इलाकों को प्राप्त न करने, उन पर शक्ति का प्रयोग कर कब्जा न करने और इस प्रकार हासिल किए गए क्षेत्रों को लौटाने, आक्रमण न करने; सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति सम्मान दिखाने; दूसरे राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों के शान्तिपूर्ण हल के सिद्धान्त शामिल हैं। "मंत्रियों ने क्यूबा, भारत, जाम्बिया के विदेश मंत्रियों और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के राजनैतिक विभाग के अध्यक्ष से यह अनुरोध किया कि वे ऐसी हर मुमकिन कोशिश करें जिससे कि उपर्युक्त सिद्धान्तों के कार्यान्वयन की दिशा में योगदान मिल सके। चारों मंत्रियों ने 9 और 10 मार्च को जेनेवा में इस बारे में सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए बातचीत की।"

हिन्द महासागर के बारे में इस घोषणा में दूसरी बातों के साथ-साथ "मौजूदा विदेशी अड्डों, सैनिक संस्थानों, संभार तंत्रीय प्रदाय सुविधाओं, नाभिकीय तथा महा विनाशकारी हथियारों के वितरण और नये अड्डों की सुविधाओं की तलाश पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और किसी ऐसी कार्रवाई के खतरों से आगाह किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों को हस्तक्षेप करने या मौजूद रहने का कोई बहाना मिल सकता हो। गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए रखने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, 1981 में श्रीलंका में होने वाले हिन्द महासागर सम्मेलन की सफलता के लिए कार्य करने के वास्ते अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की।

ईरान-इराक युद्ध समाप्त करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा प्रयास

***346. श्री माधवराव सिंधिया : श्री मूलचन्द डागा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष देशों ने नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में ईरान-इराक युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई नया प्रस्ताव शुरू करने का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार द्वारा क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई; और

(ग) इस युद्ध में अन्तर्ग्रस्त दोनों देशों तथा सम्मेलन का सामान्य रुख क्या था ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया, इस संदर्भ में गुट-निरपेक्ष आंदोलन के कुछ सिद्धान्तों को दोहराया गया, और इन सिद्धान्तों पर अमल की दिशा में सहयोग देने के लिए चार देशों का दल संगठित किया गया।

क्यूबा और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ मिलकर भारत ने इराकी और ईरानी प्रतिनिधि मंडलों को परस्पर स्वीकार्य ऐसे सिद्धान्त तय करने पर सहमत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिनके आधार पर उनके वर्तमान संघर्ष को निपटाया जा सके। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इराक और ईरान के बीच इस बारे में भी सहमति हुई कि क्यूबा, भारत, जाम्बिया के विदेश मंत्रियों और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के राजनीतिक विभाग के अध्यक्ष को शामिल करके एक दल गठित किया जाए और इन सिद्धान्तों को लागू करने की दिशा में हर सम्भव प्रयत्न करे।

(ग) ईराक और इरान तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों ने, इस निर्णय का अनुमोदन किया।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव को अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से संबद्ध बहुत पेचीदा और जटिल मामले पर सर्वसम्मति घोषणा स्वीकार करवाने के सराहनीय प्रयास तथा गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बधाई देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर बड़ी शक्तियों ने, विशेषकर अमरीका, सोवियत रूस, चीन तथा अन्य शक्तियों, ने जो हिन्द महासागर में दक्षिण-पूर्व एशिया में और दक्षिण-पश्चिम एशिया में रुचि ले रही है, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की ?

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमान्, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट देशों का संबंध है, हालांकि उनकी स्पष्ट प्रतिक्रियाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं, हम समझते हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं उक्त घोषणाओं के विरुद्ध नहीं हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं और क्या कह सकता हूं ? उन्होंने सामान्यत यह पूछा था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं अभी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। कुछ देशों ने डियागो गार्शिया में तथा अन्य स्थानों पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं तथा वे सैनिक अड्डे बना रहे हैं। मैं जानना चाहता था कि क्या कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन देशों ने अभी तक अनुकूल रवैया नहीं अपनाया है।

श्री पी० शिवशंकर : अब उन्होंने डियागो गार्शिया के बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछा है। हमने जो घोषणा की है जिसमें हिन्द महासागर के शांति क्षेत्र बनाए रखने पर बल दिया गया है। यह स्वाभाविक है कि जो देश इसमें अंतर्ग्रस्त हैं वे कुछ चिन्तित होंगे। लेकिन, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हम उन्हें निश्चिन्त करने के लिए अधिक कुछ नहीं कह सकते। जहां तक गुट-निरपेक्ष देशों का संबंध है, वे एक मत हो गए हैं जो घोषणा से स्पष्ट है। जहां तक उनके दृष्टि-कोण का संबंध है वह हिन्द महासागर के संदर्भ में स्पष्ट है।

श्री के० पी० सिंह देव : मेरा दूसरा प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना दूसरा प्रश्न नहीं पूछा है।

यह आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है।

श्री के० पी० सिंह देव : इस तथ्य को देखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। हाल ही में एक समाचार छपा था कि भारत ने महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति की है जिसके द्वारा यहां महत्वपूर्ण खनिज तथा धातुएं भारतीय आर्थिक क्षेत्र में समुद्र तल में पिण्ड के रूप में पाए गए हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने से संबद्ध गुट-निरपेक्ष देशों की 1971 की घोषणा को बड़ी ताकतों ने हवा में उड़ा दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजनीतिक साधनों के अलावा सरकार हमारे आर्थिक हितों तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक समुद्र तल पर खनिज पदार्थों के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी विकास का संबंध है, यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि हमारी प्रौद्योगिकी उन्नत हुई है। विश्व में थोड़े ही देश ऐसे हैं, जैसे, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस और जापान, जिन्होंने खनिज स्रोतों के दोहन के विषय में अपनी प्रौद्योगिकी का विकास किया है। जहां तक हमारे देश में हुए विकास का संबंध है, हम अपने आर्थिक हितों की यथासंभव सुरक्षा करेंगे, चाहे समुद्र-विधि सम्मेलन (ला ऑफद सी फान्फ्रेंस) में या इससे बाहर। निस्सदेह, समुद्र तल पर खनिजों के शांतिपूर्ण दोहन में बाधा डालने के लिए कुछ गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन, इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि समुद्र-विधि सम्मेलन अभी चल रहा है। जहां तक भारत का संबंध है, वह समुद्री क्षेत्र में अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए, जिनके लिए वह हकदार है, कोई कसर बाकी नहीं रखेगा।

श्री पी० के० कोडियन : महोदय, गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में जो विषय चर्चा के लिए सामने आये थे उनमें से अधिकतर विषयों पर सर्व सम्मति होने के आधार पर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की एकता और अखंडता बनी रही है तथा और मजबूत हुई है। यही उत्तर माननीय मंत्री द्वारा दिया गया है। क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न मामलों पर आम सहमति बनाने के कारण भारत ने हिन्द महासागर के मामले पर, हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डो को समाप्त करने के मामले तथा कम्पुचिया के प्रश्न पर अपनी स्थिति को भी दृढता से सामने नहीं रखा? श्रीमन्, मेरे विचार में प्रारूप घोषणा में डिएगो गार्शिया का विशेष उल्लेख था जिसे हटा दिया गया था। अंतिम घोषणा में इसका कतई कोई उल्लेख नहीं था।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसे सम्मेलन में दिए गये ठोस निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ? मैं विशेषकर हिन्द महासागर के प्रश्न पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में और हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिये सम्मेलन बुलाने के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमन्, मैं जानता हूं और माननीय सभा यह जानकर प्रसन्न होगी कि दिसम्बर, 1980 के अंत में दिए गए पहले प्रारूप में डिएगो गार्शिया का उल्लेख था और 3 फरवरी, 1981 को इन सभी देशों को दिये गये संशोधित प्रारूप में भी इसका उल्लेख था। श्रीमन्, ये प्रारूप इसलिए उपलब्ध कराए गए थे कि हम मेजबान थे और गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के सामने विचार रखे गये थे । अब, श्रीमन्, हमें दो बातें नहीं भूलनी चाहिएं । पहली यह कि हमारा देश मेजबान देश था, और दूसरे यह कि भारत के विदेश मंत्री द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जा रही थी । अत: सभी गुट-निरपेक्ष देशों की आम सहमति होना जरूरी था । इस प्रक्रिया में थोड़ा-बहुत समझौता करना अत्यन्त आवश्यक होता है । इसके अलावा मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी समझ में हिन्द महासागर के प्रश्न पर गुट-निरपेक्ष देशों की घोषणा में डिएगो गार्शिया का निर्देश निहित है क्योंकि जो हमें कहना है हमने सामान्यत: हिन्द महासागर के संदर्भ में कहा है । यह कहना सही नहीं है कि उसमें डिएगो गार्शिया का नाम नहीं आया है इसलिए हम कुछ झुक गए हैं या हमने अपनी विदेश नीति को कुछ मोड़ दिया है । जैसा मैंने पहले कहा है संकेत रूप में इसका उल्लेख है । यहां तक कि कम्पूचिया के मामले में भी जब कि दो विभिन्न वर्ग एकदम विरोधी रुख अपनाते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि एक आम सहमति का वातावरण तैयार किया जाए । हमें यह याद रखना है कि भारत न केवल मेजबान मुल्क था अपितु भारत के विदेश मंत्री द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की जा रही थी । इसलिए भारत को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप कम्पूचिया के बारे में जो स्थिति उभर कर आई हमारे विचार में वह संतोषजनक ही है इसलिए इन दोनों ही बातों में किसी एक देश विशेष की विचार धारा अथवा उसकी राय को दूसरों के ऊपर थोपने का कोई प्रश्न ही नहीं है । यह आम सहमति का मामला है और निस्संदेह जो घोषणा की गई है उसमें थोड़ा-बहुत बीच का रास्ता अपनाया गया है लेकिन स्थिति बिल्कुल साफ है ।

जहां तक अनुवर्ती कार्रवाई का संबंध है इसका उत्तर मैं दे ही चुका हूं कि ईराक-इरान संघर्ष को समाप्त कराने के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक 9 तथा 10 तारीख को हुई है और दूसरे मुद्दों पर हमारे प्रयास जारी हैं ।

श्री माधव राव सिंधिया : श्रीमन्, मेरा प्रश्न विशेषकर ईरान-इराक युद्ध के सम्बन्ध में है—प्रश्न सं० 346 ।

श्रीमन्, इस्लामिक सम्मेलन का ईराक-इरान युद्ध को समाप्त करने का प्रयास भी इन सामान्य सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित था :

(क) किसी क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा न करना;

(ख) शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का हल; और

(ग) किसी दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।

उसके बाद इस्लामिक सम्मेलन ने एक ठोस समग्र प्रस्ताव तैयार किया जिसे ईरान ने ठुकरा दिया।

श्रीमन्, क्योंकि गुट-निरपेक्ष देशों के प्रयास भी मूलत: इन्हीं तीन सिद्धान्तों पर आधारित हैं, इसलिए भारत यह कैसे सोच सकता है कि गुट-निरपेक्ष देशों का प्रयास इस्लामिक प्रयास से बेहतर सफल हो सकता है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं ऐसा नहीं समझता कि इस्लामिक सम्मेलन और चार विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के प्रयासों की परिधि एक सी ही है।

25 जनवरी से 27 जनवरी तक मक्का में जो इस्लामिक सम्मेलन हुआ था उसमें पांच सिद्धान्तों पर विचार किया गया था; अर्थात्

(एक) 12 मार्च से युद्ध विराम लागू करना;

(दो) उसके बाद एक माह के अन्दर इराकी सेनाओं का हटाया जाना;

(तीन) इराकी सेनाओं द्वारा खाली किए गए क्षेत्र का विसैन्यीकरण;

(चार) विसैन्यीकृत क्षेत्र का इस्लामी सम्मेलन के सदस्य देशों की एक सेना द्वारा पर्यवेक्षण; और

(पांच) ईरान-इराक भू-सीमा और शत-अल-अरब के सम्बन्ध में वार्त्ता।

इन पांच सिद्धान्तों को लेकर इस्लामी शिखर सम्मेलन हुआ और इस सम्बन्ध में आगे वार्त्ता हुई। ईरान ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, इसके लिए कोई कारण नहीं दिया गया किन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस्लामी शिखर सम्मेलन का दृष्टिकोण गुट-निरपेक्ष देशों के चार विदेश मन्त्रियों के दृष्टिकोण से सर्वथा अलग है। और हमारा दृष्टिकोण स्वयं घोषणा में ही अत्यन्त स्पष्ट है। अत: महोदय मेरे विचार में इन दोनों का दृष्टिकोण समान नहीं है।

श्री माधव राव सिंधिया : कुछ समाचारों के आधार पर ईरानियों के मन में यह शंका थी कि इस्लामी सम्मेलन का रुख इराक की ओर कुछ झुका हुआ है। इस प्रयास के विफल होने का शायद एक कारण यह हो सकता है।

तथापि, इस बात को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है कि ईरान द्वारा इस्लामी 'पैकेज' प्रस्ताव को अस्वीकार करने का एक मुख्य कारण यह था कि इसमें इराक को आक्रमणकारी नहीं कहा गया था। क्या इस सम्बन्ध में ईरान के रुख में कुछ नरमी आई है?

श्री पी० शिवशंकर : माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल सही है कि सम्भवतया इराक को आक्रमणकारी न कहने के कारण ईरान इस्लामी शिखर सम्मेलन के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जहां तक उनके रुख में नरमी आने का सम्बन्ध है, उसके बारे में जेनेवा में 9 और 10 तारीख को विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में स्थिति का जायजा लेने के लिए होने वाली बैठकों के बाद और ईरानी सरकार के अधिकारियों के साथ वार्ता के

लिए अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही पता चल सकता है। बैठक होने के बाद ही हम जान सकेंगे कि उनके रुख में कोई नरमी आयी है या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ईरान और इराक दोनों हमारे मित्र हैं और वर्षों से हैं। दस-पन्द्रह अरब का व्यापार उनके साथ होता रहता है। इस लड़ाई से हिन्दुस्तान को क्षति हो रही है। आपने बहुत कोशिश की, यह अच्छा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। 9-10 तारीख को जेनेवा में आप मिले। मैं जानना चाहता हूं कि आपने दोनों के ख्यालात की जानकारी की कि किन बातों के आधार पर उनका समझौता हो सकता है और उसको कराने में कब तक आप सफल हो सकते हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : अब वह कोशिश तो जारी है। जैसा मैंने निवेदन किया 9-10 तारीख को मीटिंग हुई है। अब रास्ते निकाले जायेंगे कि किस तरह से उसको हल कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, नई दिल्ली घोषणा से उत्पन्न इस अनुवर्ती कार्यवाही का जहां तक सम्बन्ध है, सम्मेलन के समय ही यह बताया गया था कि अफगान प्रतिनिधि-मण्डल ने प्रस्ताव किया है कि अफगानिस्तान के प्रश्न पर अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पाकिस्तान और ईरान के साथ बिना शर्त सीधे वार्तालाप के लिए तैयार है। गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में कुछ समय के लिए महासचिव स्वयं मौजूद थे। अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार अफगान प्रतिनिधि-मण्डल के इस प्रस्ताव को अफगान समस्या के हल से सम्बन्धित घोषणा में दिए गए पैराग्राफ के अनुरूप समझती है ? और यदि हां तो क्या जहां तक उसके लिए सम्भव है, इस मामले पर कार्यवाही कर रही है ताकि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मेरे मित्र ने एक नाजुक प्रश्न किया है। निस्सन्देह यह सच है कि जहां तक अफगानिस्तान का सम्बन्ध है, उनके प्रतिनिधि मण्डल ने कहा था कि वे बिना शर्त के वार्ता के लिए तैयार हैं। अब वह चाहते हैं कि मैं घोषणा में दिए गए पैराग्राफ की व्याख्या करूं और यह बताऊं कि क्या भारत सरकार के विचार उसके अनुरूप हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, मैंने यह नहीं पूछा। मैंने यह पूछा है कि क्या वह घोषणा में व्यक्त दृष्टिकोण के अनुरूप है अर्थात् यह कि शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाला जाना चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मैं यह मानकर चल रहा हूं कि सदस्य महोदय ने घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मुझे उस पैराग्राफ को पढ़ने की अनुमति दी जाए जो गुट-निरपेक्ष देशों की घोषणा से सम्बन्धित है। मैं पैराग्राफ 82 पढ़ रहा हूं।

"मंत्रियों ने गहरी चिन्ता के साथ दक्षिण-पश्चिम एशिया की स्थिति को नोट किया और सहमत हुए···"

कुछ माननीय सदस्य : यह सुविज्ञात है।

श्री पी० शिवशंकर : यदि यह सुविज्ञात है तो मैं सम्बन्धित माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं कि वे इसकी व्याख्या करें। तब इसकी व्याख्या करने का प्रश्न कहां उठता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अनुवर्ती कार्यवाही का क्या हुआ ?

श्री पी० शिवशंकर : अनुवर्ती कार्यवाही निश्चय ही की गई घोषणा के अनुसार होगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कम्पूचिया या अफगानिस्तान का प्रश्न है वे महत्वपूर्ण हैं किन्तु इन समस्याओं को गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा कुछ ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है क्योंकि आखिरकार ये मात्र बड़ी शक्तियों की लड़ाई के अखाड़े हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन को विचार करना चाहिए और जिसको गुट-निरपेक्ष सम्मेलन को छोड़कर अन्य अधिक महत्व नहीं मिला है और वह मुद्दा है समग्र रूप से गुट-निरपेक्ष देशों की आर्थिक स्थिति महोदय, यह खराब आर्थिक स्थिति मुख्यतः उत्तर-दक्षिण के बीच वार्ता की विफलता और पश्चिमी देशों के असहयोग के फलस्वरूप हुई है। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर-दक्षिण के बीच वार्ता, गुट-निरपेक्ष देशों के बीच अधिकतम सहयोग होना चाहिए। क्या सरकार, जो कि वास्तव में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अगुआ है, गुट-निरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और अधिक महत्व देगी ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मैं सदस्य महोदय के इस मत से सहमत नहीं हूं कि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन ने कम्पूचिया या अफगानिस्तान की समस्याओं को बड़ा-चढ़ाकर पेश किया है। जबकि मैं माननीय सदस्य के विचारों का सम्मान करता हूं, मैं उनसे सादर असहमति प्रकट करता हूं। जहां तक आर्थिक विकास के मामले में गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा वार्ता का प्रश्न है, घोषणा में पहले ही इसका उल्लेख किया गया है और जहां तक भारत का सम्बन्ध गुट-निरपेक्ष देशों के नेतृत्व का दावा किये बिना, एक अच्छे मित्र के रूप में हम घोषणा का स्वागत करते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : सरकार ने हिन्द महासागर, अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर ध्यान दिया है। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के बाद, यह तथ्य है कि लगभग सभी बड़ी शक्तियों की हिन्द महासागर में नौ सेना बढ़ी है और वे बी-52 बमवर्षकों के लिए दियागो गार्शिया के नौ सैनिक अड्डे को और अधिक मजबूत कर रहे हैं और श्रीलंका और बंगलादेश में नौ सैनिक अड्डे बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा, अगले दो महीनों में पाकिस्तान परमाणु बम विस्फोट करने जा रहा है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बाद ये जो घटनाएं हो रही हैं उनसे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन नई गतिविधियों से अवगत है ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, चारों ओर की घटनाओं से अवगत है। चूंकि सरकार इस स्थिति पर विचार कर रही है इसलिए वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे ये नाजुक मुद्दे और पेचीदगियां पैदा कर दें। माननीय सदस्य चाहते हैं कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के 1977 के संकल्प के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किये जाने की आवश्यकता है जिसमें श्रीलंका में शायद संयुक्त राज्य अमरीका भी भाग ले। अतः, जहां तक हमारा संबंध है, हम स्थिति के प्रति जागरूक हैं। हम नाजुक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं किन्तु इस मामले में हम स्थिति से निपट रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। क्या हमने अपने इराकी मित्रों से कभी कहा है कि हम ईरान के विरुद्ध उनकी

सैनिक कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करते हैं और यह कि उन्हें ईरानी क्षेत्र में बिना शर्त हट जाना चाहिए ?

श्री पी० शिवशंकर : माननीय सदस्य, जिन्हें विदेशी मामलों में मुझसे अधिक अनुभव है, मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि हमारे जैसे गुट-निरपेक्ष देश के लिए स्पष्ट रूप से किसी ऐसे देश को, जिसके पास हम वार्ता और कोई फार्मूला निकालने के लिए जा रहे हैं आक्रमणकारी कहना उचित नहीं होगा। यह उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को नहीं समझा है। मेरा यह तात्पर्य नहीं था कि भारत ऐसा सार्वजनिक रूप से कहे। मैं यह जानना चाहता था कि क्या अनौपचारिक रूप से···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, उत्तर सार्वजनिक हो जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह यह बात कूटनीतिक ढंग से कह सकते हैं। (व्यवधान) मैं उनकी कठिनाई समझता हूं। वह विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री हैं, विदेश मंत्री नहीं हैं (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में हुई घोषणा के अनुसार गुट-निरपेक्ष देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध हैं। क्या भारत सरकार ने रीगन प्रशासन की हाल की घोषणा को नोट किया है कि वह अफगान छापामारों को शस्त्र देगा और उन्हें अफगानिस्तान के भीतर भेजेगा ? प्रशासन ने यह सार्वजनिक रूप से घोषित किया है और वह खुले रूप से यह कह रहा है कि छापामार अफगान सीमाओं पर अमरीका की सहायता से सक्रिय हैं। क्या भारत सरकार ने इसे नोट किया है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० शिवशंकर : सदस्य महोदय ने सही कहा है कि हमारी नीति हस्तक्षेप न करने की है। दूसरे जो कहते हैं हम उसे नोट करते हैं किन्तु हम अपने सिद्धान्तों के अनुसार काम करते हैं।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

कटक स्टेशन का पुनर्निर्माण

*330. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार वर्ष 1981-82 के दौरान कटक रेलवे स्टेशन को पुनर्निर्माण करवाने का है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का इस स्टेशन के रेल-फाटक पर उपरि-पुल के निर्माण करवाने का भी विचार है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) (क) जी, नहीं। किन्तु डारमिटरी और कार्यालय स्थान की व्यवस्था करने के लिए लगभग दो लाख रुपये की लागत से किया जा रहा एक निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार से कहा गया है कि वह प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्गों के लिए विस्तृत अभिकल्प, नक्शे और अनुमान भेजे। राज्य सरकार से यह भी कहा गया है कि वह इसके निर्माण पर आने वाली लागत में हिस्सा बटाने से सम्बन्धित शर्तों के लिए अपनी सहमति की भी सूचना दे। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में जूनियर डाक्टरों से समझौता

*335. **श्री सुभाष यादव : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जूनियर डाक्टरों के साथ हुए समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है और जूनियर डाक्टरों ने फिर हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के शीघ्र समाधान के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि डाक्टटर हड़ताल न करें ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली के अस्पतालों में कार्य कर रहे जूनियर डाक्टरों के साथ जो समझौता हुआ था उसकी अधिकतर शर्तें सरकार पहले ही कार्यान्वित कर चुकी है। दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की फेडरेशन ने अपने 4 मार्च, 1981 के पत्र में कहा है कि वे सीधी कार्यवाही करेंगे।

दिएगो-गार्शिया का मारिशस को लौटाया जाना

*336. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के हाल ही में दिल्ली में हुए पूर्णाधिवेशन में मारिशस के विदेश मन्त्री ने मांग की थी कि दिएगो-गार्शिया मारिशस को लौटाया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में उक्त मांग की पुष्टि की गयी थी और उसे अन्तिम प्रारूपों में सम्मिलित किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत मारिशस को उसका द्वीप वापस दिलाने में सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) और (ख) महोदय, नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के मन्त्री-स्तरीय सम्मेलन की घोषणा में दिएगो-गार्सिया का

जिक्र नहीं किया गया है। परन्तु मन्त्री-स्तरीय सम्मेलन के पूर्णाधिवेशन के दौरान अपने भाषण में मारिशस के प्रतिनिधि-मन्डल के नेता ने कहा कि : "इस समय हमारी सरकार दिएगो-गार्शिया के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है जिसे हमारी आजादी से पहले मारिशस से अलग कर दिया गया था। मारिशस सरकार इस प्रश्न का कोई समुचित समाधान चाहती है और इस दिशा में जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं।"

(ग) भारत सरकार ने शुरू से ही, मारिशस से चेगोस आची पेलागो के अलग किए जाने का विरोध किया है, दिएगो-गार्शिया जिसका एक हिस्सा है। अपनी इसी नीति के अनुरूप भारत सरकार दिएगो-गार्शिया की वापसी के लिए मारिशस सरकार द्वारा किये जाने वाले सभी प्रयत्नों का समर्थन करेगी।

नमक उद्योग संघ का अभ्यावेदन

*338. **श्री अशोक गहलोत : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नमक उद्योग संघ, पोखरन-फलौदी, राजस्थान से क्या 1979 से उत्तर रेलवे के अन्तर्गत 'सी' श्रेणी में शामिल पुरानी मांगों के रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकृत न किए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ख) उत्तर रेलवे में प्राथमिकता वर्ग 'सी' के अन्तर्गत क्षेत्रीय नमक की ढुलाई के लिए 1979 की पुरानी मांगों की पूर्ति न करने के सम्बन्ध में नमक उद्योग संघ, पोकरण और रिन नमक उत्पादक संगठन, फलौदी, राजस्थान से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नमक विभाग के माध्यम से भेजे गये खाद्य नमक की ढुलाई के लिए मांग पत्र बुकिंग स्टेशनों में देने के बाद, उनकी प्राथमिकता और वरियता के आधार पर माल डिब्बों का आवंटन किया जाता है। बिहार के लिए खाद्य नमक की ढुलाई करने के लिए भारी संख्या में पेश किए गए मांग पत्रों के कारण 1979 में पंजीकृत किये गए सबसे पुरानी तारीख के बड़ी संख्या में मांग पत्र बिहार को नमक की ढुलाई करने के लिए अभी तक बकाया पड़े हैं। फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के लिए नमक की निरंतर ढुलाई राज्य की आवश्यकताओं से काफी अधिक की गयी है जैसा नीचे के आंकड़ों से मालूम पड़ेगा। अत: और अधिक ढुलाई करने से अन्य राज्यों के लिए नमक की ढुलाई पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

वर्ष	आवश्यकता	वास्तविक प्रेषण
1978	3,96,000 टन	5,73,100 टन
1979	3,96,000 टन	5,71,000 टन
1980	3,96,000 टन	5,13,900 टन

बकाया मांग पत्रों को उनकी बारी आने पर पूरा कर दिया जायेगा।

बीमा के लिए नौचालन अवधि में कमी

* 340. **श्री बापू साहिब पाख्लेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हल इन्शोरेंस अंडराइट्स जनरल इन्शोरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया टैरिफ कमेटी द्वारा नौचालन अवधि को 10 महीने से घटाकर 8 महीने करने की मनमानी कार्रवाई के संबंध में अखिल भारतीय समुद्री पोत उद्योग संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाई की गई है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई कार्यवाई करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जनरल इन्शोरेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने पहली जुलाई, 1980 से हल बीमा की नीति में एक नई धारा जोड़ी है कि मई माह और अगस्त के दूसरे पखवाड़े के दौरान समुद्री जलयानों को चलाने के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाएगा और अतिरिक्त प्रीमियम न देने पर इस अवधि के दौरान जलयानों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । निगम से कहा गया था कि वह पहले की तरह समुद्री जलयानों के संबंध में 2 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम वसूल किए बिना किसी भी वर्ष के 16 अगस्त से लेकर अगले वर्ष की 31 मई तक की अवधि को नौचालन अवधि और 1 जून से लेकर 15 अगस्त तक की अवधि को मानसून ले-अप अवधि मानने के लिए राजी हो जाएं, लेकिन उन्होंने इस सुझाव को नहीं माना है । निगम ने कहा है कि 1981 के उत्तरार्ध में टैरिफ के प्रश्न पर फिर से विचार किया जाएगा जब टैरिफ एडवाइजरी कमेटी अपने 1980-81 के अनुभवों के आधार पर मई माह और अगस्त के उत्तरार्ध की अवधि के लिए समुद्री जलयानों पर बीमे की सामान्य दर लागू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी । राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने अपनी 5.2.1981 की बैठक में नौवहन महानिदेशक से अनुरोध किया है कि वे एक बार फिर जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन के साथ इस मामले पर बातचीत करें । जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन से अगला उत्तर प्राप्त होने के बाद, इस मामले की जांच करने के लिए बोर्ड की एक उप-समिति का गठन भी किया गया है ।

दिनांक 26 जनवरी और 27 जनवरी, 1981 को कलकत्ते जाने वाली गाड़ी में डकैती

* 341. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 26 जनवरी, 1981 की रात को कलकत्ते जाने वाली गाड़ी में कटिहार और कुरेथा के बीच पड़ी डकैती के चौबीस घंटे के भीतर दिनांक 27 जनवरी की रात को दालन और कन्टोरा स्टेशनों के बीच एक और डकैती पड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

11 फरवरी, 1981 को सिवान और छपरा (बिहार) के बीच दुर्घटना

* 342. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 फरवरी, 1981 को बिहार में सिवान और छपरा के बीच हुई रेल दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल विभाग द्वारा शोक संतप्त परिवारों और घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सम्भवतः, आशय 15.2.81 को दुरौंधा और चैनवा स्टेशनों के बीच 2 डाउन ए० टी० डाक गाड़ी के साथ 32 डाउन तेज सवारी गाड़ी की टक्कर से है । पर्यटन और नागरिक उड्डयन, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत रेल संरक्षा आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, फिर भी, मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को 22,500.00 रु० का अनुग्रह भुगतान कर दिया गया है ।

उगांडा में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए भारतीयों को आमंत्रण

*343. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्तमान उगांडा सरकार द्वारा उन सभी भारतीयों और अन्य एशियाई उद्यमियों को, जिन्हें उस देश से ईदी अमीन की भूतपूर्व सरकार द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, का उगांडा लौटने और उस देश में औद्योगिक एकक स्थापित करने के कथित आमंत्रण की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश में संयुक्त सहयोग द्वारा आदि को बढ़ावा देकर कथित आमंत्रण के प्रयुत्तर में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) भारत सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं । भारत सरकार यह समझती है कि भारत मूल के जो उगांडाई राष्ट्रिक राष्ट्रपति अमीन द्वारा निष्कासित कर दिए गए थे वे खुशी से उगांडा लौट सकते हैं । लेकिन जिन दूसरे एशियाइयों को भूतपूर्व राष्ट्रपति अमीन ने निकाला था वे, उन व्यवसायों और उद्यमों में शामिल हो सकते हैं किन्तु उनकी इस भागीदारी के स्वरूप का निर्णय उगांडा सरकार प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर करेगी ।

(ख) कुछ भारतीय व्यावसायिक घराने उद्योग लगाने में और पुरानी औद्योगिक इकाइयों को फिर से चालू करने में उगांडा से सहयोग कर रहे हैं। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, वह उगांडा सरकार की इस नीति की सराहना करती है कि उगांडाईकरण की दिशा में प्रयास जारी रखते हुए उगांडा की अर्थव्यवस्था में भारतीयों और एशियाइयों की भागीदारी को निरुत्साहित न किया जाए। आर्थिक सहायता के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पहले ही 5 करोड़ रु० का व्यावसायिक ऋण दे चुका है। इस ऋण का उपयोग भारत से उपस्कर, मशीने आदि खरीदने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने भी ढाई करोड़ रु० का ऋण देना सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। ऋण करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

बन्देल और नयहाटी के बीच और अधिक गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

*344. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी रेलवे के बन्देल और नयहाटी के बीच और अधिक गाड़ियां चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार को उक्त स्टेशनों के बीच गाड़ियों में और अधिक सवारी डिब्बे लगाने सम्बन्धी जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांग की जानकारी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्थानीय गाड़ियों में अधिक सवारी डिब्बों की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं समझा जाता क्योंकि वर्तमान स्थानों का भी पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता है।

चैम्बूर (बम्बई) में ऊपरी पुल

*347. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चैम्बूर, बम्बई में रेलवे फाटक के ऊपर एक ऊपरी पुल का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कुछ मास पूर्व यह निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसे बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पुल के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र तेजी से पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बम्बई नगर निगम जो कि चेम्बर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कर रहा है, ने सूचित किया है कि जून, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान इस परियोजना के काम की गति धीमी हो गयी थी। बम्बई नगर निगम ने ठेकेदारों को कारण-बताओ नोटिस जारी कर दिया था। ठेकेदारों ने नवम्बर, 1980 से कार्य शुरू कर दिया है।

राशन की दुकानों के लिये खाद्य पदार्थों को ले जाने के लिये वैगन

*348. श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस शिकायत की जानकारी है कि केरल में खाद्य पदार्थों को राशन की दुकानों के जरिए वितरित करने हेतु ले जाने के लिए रेल वैगन समय पर आवंटित नहीं किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार ने वैगनों के आवंटन में विलम्ब दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केरल के मुख्य मन्त्री ने नवम्बर, 1980 में उत्तरी क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश से केरल के लिए खाद्यानों के संचलन के लिए माल डिब्बों की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में सूचित किया था । उक्त राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिमाह कम से कम एक लाख टन चावल की ढुलाई करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था ।

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों को प्रायोजित खाद्यानों का संचलन भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलों के परामर्श से तैयार किए गए मासिक कार्यक्रमों के अनुसार किया जाता है । केरल के लिए संचलन मुख्यतः उत्तर और दक्षिण मध्य रेलों के स्टेशनों से किया जाता है । सितम्बर, 1980 से नवम्बर, 1980 की अवधि के दौरान उत्तर और दक्षिण मध्य रेलों के स्टेशनों से केरल के लिए किया गया लदान इस प्रकार था :—

(टनों में लगभग)

मास	कार्यक्रम	उत्तर और दक्षिण मध्य रेलों के स्टेशनों से केरल के लिए लदान
1980 :		
सितम्बर	63,000	64,320
अक्तूबर	63,000	66,296
नवम्बर	63,000	70,280

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि लदान समस्त कार्यक्रम से अधिक रहा । दिसम्बर में भारतीय खाद्य निगम ने रेलों के समन्वयन से केरल के लिए प्रायोजित खाद्यानों का संचलन एक

लाख टन प्रति माह तक बढ़ाने के संबंध में कार्रवाई की थी। उत्तर और दक्षिण मध्य रेलों के स्टेशनों से केरल के लिए वास्तविक संचलन इस प्रकार रहा :—

	(टनों में)
दिसम्बर, 1980	1,07,080
जनवरी, 1981	1,01,624
फरवरी, 1981	1,02,856

सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण

*349. **श्री जनार्दन पुजारी : श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिगनल-प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रणाली को बदलने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर ग्रुप 'ए' और 'बी' मार्गों पर स्टेशन सेक्शनों के पूर्ण रेल पथ परिपथन के साथ-साथ बहुसंकेती सिगनलों की व्यवस्था की जा रही है। जिन मार्गों पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 120 कि० मी० प्रति घंटा अथवा अधिक है, उन मार्गों पर वाया बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उपनगरीय खंडों पर एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर स्वचल चेतावनी सिगनल प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) मौजूदा सिगनल व्यवस्था को बदलने तथा ग्रुप 'ए' और 'बी' मार्गों पर बहु-संकेती सिगनलों की व्यवस्था करने में लगभग 10 वर्ष लगेंगे परन्तु यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सूरत जिले के लिये कोयला-वैगनों की मांग

*350. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरत जिले के विभिन्न उद्योगों की कितने कोयला वैगनों की मांग है;

(ख) वर्ष 1980 में, इन उद्योगों के लिए कितने वैगन स्वीकृत हुए थे और उन्हें कितने वैगन माहवार सप्लाई किए गए;

(ग) सूरत जिले में उद्योगों की आवश्यकता से कम वैगनों का आवंटन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सूरत जिले के उद्योगों को कोयले के वैगन सप्लाई करने के लिए क्या प्रभावशाली उपाय किये जा रहे हैं और उनकी शेष मांग को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलें कोलले के लदान के जिला-वार आंकड़े नहीं रखतीं । तथापि, कुछ क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़े (विवरण) सभा पटल पर रख दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) इस्पात कारखानों, बिजली घरों, सीमेंट कारखानों आदि जैसे प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कोयला की समग्र उपलब्धता देश में सभी उपभोक्ताओं की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अतः, रेलें देश में सभी उपभोक्ताओं को, जिनमें सूरत जिला भी शामिल है, बराबरी के आधार पर कोयले का वितरण करती हैं । रेल द्वारा ढुलाई के लिए और अधिक कोयला उपलब्ध होने पर सूरत जिले तथा अन्य जिलों को भी कोयले का संचलन उत्तरोत्तर बढ़ा दिया जाएगा ।

विवरण

माह	सूरत जिले के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे और मध्य रेलवे द्वारा कोयले का वास्तविक लदान
जनवरी, 1980	333
फरवरी, 1980	185
मार्च, 1980	393
अप्रैल, 1980	298
मई, 1980	122
जून, 1980	उपलब्ध नहीं ।
जुलाई, 1980	331
अगस्त, 1980	343
सितम्बर, 1980	297
अक्तूबर, 1980	186
नवम्बर, 1980	167
दिसम्बर, 1980	349

टिप्पणी : यह आंकड़े दक्षिण पूर्व रेलवे से हुए संचलन से संबंधित हैं और इनमें पूर्व रेलवे के बंगाल-बिहार क्षेत्रों से ढोया गया कोयला शामिल नहीं है । नवम्बर और दिसम्बर के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

किसान रैली के लिये चलाई गई विशेष रेल गाड़ियां

*351. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस (आई) की किसान रैली के लिये प्रदर्शनकारियों को लाने के लिये 16 फरवरी, 1981 को विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी ही सुविधाएं अन्य सभी दलों को उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या कांग्रेस (आई) द्वारा यदि कोई बुकिंग खर्चे अदा किये गये हैं, तो वे दाम में लाये गये अतिरिक्त डीजल/कोयले/बिजली की लागत से बहुत कम हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नियमों के अन्तर्गत निर्धारित पूरी किराया दरों पर विशेष गाड़ियां बुक की गयी थीं। इनमें डीजल/कोयला/बिजली की खपत की लागत सहित विभिन्न कारक शामिल होते हैं।

ज्वालामुखी और दिल्ली के बीच एक सीधी बस सेवा की मांग

3201. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी और दिल्ली के बीच बरास्ता नादौन और अम्बाला एक नयी अन्तर्राज्यीय सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो कब तक लिए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम ने इस रूट पर बसें चलाने का फैसला किया है। उक्त रूट पर बसें तभी चलना शुरू होगा जब ये औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी : अन्य राज्य परिवहन प्राधिकरणों के साथ मिलकर समय-सारिणी में ताल-मेल बैठाना; कर इत्यादि का भुगतान करना और परमिट जारी करना।

स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक द्वारा इलाज के लिये विदेश का दौरा

3202. **श्री ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा के भूतपूर्व अतिरिक्त महानिदेशक ने, जोकि इस समय स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं, अपने इलाज के लिये गत वर्ष विदेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या रोग था, इलाज के लिये उन्होंने किस देश का दौरा किया और क्या उनकी बीमारी का भारत में इलाज नहीं हो सकता था;

(ग) उनके इलाज, उस देश में उनके निवास तथा यात्रा पर सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की; और

(घ) क्या उक्त सुविधायें श्रेणी-दो तथा श्रेणी-तीन के अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां। भूतपूर्व अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक जो अब स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, कोरोनरी बाई-पास सर्जरी के लिए अमेरिका गए थे जिसकी सुविधाएं इस समय भारत में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं।

(ग) दिल्ली से न्यूयार्क और न्यूयार्क से दिल्ली तक की निःशुल्क हवाई यात्रा के सिवाय जिसकी नागरिक विमानन मंत्रालय ने अपनी योजना के अन्तर्गत मंजूरी दी थी, भारत सरकार ने उनके डाक्टरी उपचार तथा विदेश में ठहरने के लिए कोई धन खर्च नहीं किया।

(घ) समूह–II और समूह–III का कोई अधिकारी अपने खर्च पर विदेश में ऐसे इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है।

हडमटिया–जोडिया लाइन

3203. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामनगर जिले में हडमटिया–जोडिया रेल लाइन बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब बन्द किया गया था;

(ग) इसे बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इस लाइन को बन्द किये जाने के कारण बहुत से मछुओं का रोजगार समाप्त हो गया है तथा नमक की ढुलाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र के लोगों के लाभार्थ उस लाइन को पुनः चालू करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) अगस्त, 1979 से हडमटिया–जोडिया खण्ड की सवारी गाड़ियां स्थगित कर दी गयी हैं। अगस्त, 1979 में भारी वर्षा के कारण इस खण्ड में दरारें पड़ गयी थीं, और अब वीरमगाम-हापा मीटर लाइन खण्ड के बड़ी लाइन में बदलाव के साथ ही यह उपांग अलग-अलग पड़ गया है। इस क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सड़क सुविधाएं उपलब्ध हैं।

"गर्भ निरोधक का राष्ट्रीय तरीका" के प्रचार हेतु अधिक धनराशि का आवंटन

3204. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दशाब्दि में भारत की जनसंख्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का ग्रामीण जनता को चलचित्र और रूपक दिखाने के माध्यम से "गर्भ-निरोध का राष्ट्रीय तरीका" को प्रचारित करने का विचार है;

(ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आजकल "गर्भ-निरोध का राष्ट्रीय तरीका" का प्रचार कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने हमारे देश की इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में और अधिक धनराशि का आवंटन करने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये श्रव्य-दृश्य प्रचार साधनों का उपयोग कर रही है जिनमें रेडियो, फिल्में, दूरदर्शन, प्रदर्शनियां, सिनेमा स्लाइडें होर्डिंग और भित्ति चित्रों के साथ-साथ अन्य प्रचार साधन भी शामिल हैं।

केन्द्र और राज्यों के प्रचार माध्यम संगठनों की श्रव्य-दृश्य गाड़ियों द्वारा हर वर्ष लगभग एक लाख फिल्म कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सारे भारत में वाणिज्यिक सिनेमा थियेटरों में परिवार नियोजन की प्रेरणात्मक फिल्में भी दिखाई जाती हैं।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थल हैं जहां जानकारी, प्रेरणा और सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) 1980-81 के दौरान परिवार नियोजन के प्रचार के लिये 528.47 लाख रुपये की राशि निश्चित की गई थी, जबकि 1981-82 में इस काम के लिये 640 लाख रुपये की राशि नियत करने का प्रस्ताव है। 1980-81 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये कुल परिव्यय 140 करोड़ रुपये है जिसे 1981-82 के दौरान बढ़ाकर 155 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

तूतीकोरिन बंदरगाह के सम्बन्ध में संसद सदस्यों के पत्र

320. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माननीय नौवहन एवं परिवहन मंत्री को तमिलनाडु से निर्वाचित लोक सभा सदस्यों के गत छः मास के दौरान कितने पत्र मिले हैं; और

(ख) इस तरह के पत्रों में से कितने पत्रों का उन्होंने उत्तर भेज दिया है और उनमें कितने पत्र तूतीकोरिन के प्रमुख पत्तन न्यास से सम्बन्धित हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 33.

(ख) 21 पत्रों के उत्तर भेज दिये गए हैं। जो 33 पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से 6 पत्र टूटीकोरिन महापत्तन न्यास से सम्बन्धित थे और इनके उत्तर दे दिये गए हैं।

बाल आहार के बारे में विज्ञापन

3206. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के स्वास्थ्य तथा पौष्टिक आहार में सुधार करने की दृष्टि से बाल आहार के उत्पादन, भण्डारण, वितरण तथा विज्ञापन के बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय संहिता (कोड) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संहिता (कोड) की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस संहिता (कोड) के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रारम्भिक उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) इस संहिता (कोड) का उद्देश्य स्तन-पान का सुरक्षण करके और उसे बढ़ावा देकर तथा जब मां के दूध की जगह दिये जाने वाले पदार्थ देना आवश्यक हो, उस समय उनका उचित उपयोग हो इस बात को सुनिश्चित करके, पर्याप्त जानकारी के आधार पर और समुचित विपणन और वितरण के जरिये शिशुओं के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पोषण की व्यवस्था करने में योगदान देना है।

(ग) यह अन्तर्राष्ट्रीय संहिता भारत सरकार के ध्यान में है और इस विषय पर एक राष्ट्रीय संहिता तैयार करने के बारे में कदम उठाये गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें वैसी ही बातें होंगीं जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संहिता में दी हुई हैं।

रेलवे तथा रेल डाक सेवा के बीच समन्वय

3207. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को अक्टूबर, 1980 में रेलवे तथा रेल डाक सेवा विभाग के बीच सहयोग तथा समन्वय के सम्बन्ध में वी० आर० एम० एस० और एम० एम० एस० यूनियन के सर्किल सेक्रेटरी (श्रेणी–III, महाराष्ट्र सर्किल) का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में उनके सुझाव तथा मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक सुझाव तथा मांग पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सोनभद्रा एक्सप्रेस गाड़ी में कैटिंग सेवायें उपलब्ध किया जाना

3208. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना-दिल्ली सोनभद्रा एक्सप्रेस गाड़ी में भोजन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में इस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बारे में उन्हें एक शिकायत भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) पटना और दिल्ली के बीच चल रही सोनभद्रा एक्सप्रेस मूलतः पूरी रात वाली यात्रा की गाड़ी है और मार्ग में पर्याप्त खान-पान सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए इस गाड़ी में भोजन/पेंट्री कार की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं है ।

यौन-रोगों में वृद्धि के मुख्य कारणों सम्बन्धी रिपोर्ट

3209. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न यौन-रोगों में वृद्धि के मुख्य कारणों के बारे में अनुसंधान के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 1979 में जिस कृतिक बल की स्थापना की गई थी, उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :

1. यह रोग किस हद तक फैला हुआ है, इसे आंकने के लिए भारत के कम से कम चार मुख्य नगरों में महामारी विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन किए जाएं ।
2. स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए ।
3. (1) सुजाक के सीरमविज्ञान सम्बन्धी परीक्षण के लिए एक एण्टीजन विकसित करने,
   (2) अन्तर-प्रयोगशाला मूल्यांकन के लिए एण्टीजन का उत्पादन करने,
   (3) रोग प्रतिरक्षण अध्ययन करने,
   (4) सीरम रोगनिदान में इलिसा की उपयोगिता और
   (5) चनक्राइड, एल. जी. वी. और डोनोवेनोसिस सम्बन्धी अध्ययनों के बारे में बुनियादी अनुसंधान कराए जाएं ।
4. नियंत्रण उपायों के विभिन्न पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया ।

रिपोर्ट में सिफारिशों के जो कारण दिये गए वे इस प्रकार हैं :—

1. देश में सम्भोगजन्य रोगों (एस. टी. डी.) के महामारी विज्ञान के सम्बन्ध में बहुत कम अध्ययन किए गए हैं;
2. सम्भोगजन्य रोग विशेषकर युवकों में जन स्वास्थ्य की एक गम्भीर समस्या बन गए हैं,

3. वर्तमान सम्भोगजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम बहुत प्रभावी नहीं हैं,

4. लगभग 50 प्रतिशत पुरुषों में इस रोग के लक्षण पाए जाते हैं और इनका निदान केवल जीवाणु सम्बन्धी अध्ययनों से ही किया जा सकता है,

5. सुजाक के शीघ्र निदान के लिए एक बहुत ही कारगर और विशिष्ट परीक्षण का विकास करने की आवश्यकता है,

6. सम्भोगजन्य रोगों से पीड़त रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस रोग पर काबू पाने के लिए एक दक्ष निगरानी कार्यक्रम की अत्यन्त आवश्यकता है. और

7. इस रोग का आरम्भ में और सही-सही पता लगाने के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला सेवाओं का होना एक बुनियादी आवश्यकता है ताकि उपयुक्त उपचार शीघ्रता से किया जा सके ।

रेलवे के खिलाड़ियों को रियायतें

3210. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के खिलाड़ियों को कुछ रियायतें देने के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या-क्या वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) खिलाड़ियों को निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं : —

(i) राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों से पहले प्रशिक्षण में बितायी गयी अवधि जो कि 15 दिन से अधिक न हो और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने की वास्तविक अवधि को ड्यूटी माना जाता है और नियमों के अधीन अनुमेय यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है ।

(ii) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य खेल स्पर्धाओं में रेल कर्मचारियों के भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार किया जाता है जो एक कलेण्डर वर्ष में 90 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए । अन्य खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए रेलवे के खिलाड़ियों को विशेष अवकाश स्वीकार किया जाता है जो एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(iii) खेलों में भाग लेने वाली टीमों को खेल खाते में पास जारी किये जाते हैं ।

(iv) वे खिलाड़ी जो अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रशंसा प्राप्त करते हैं, उन्हें बिना बारी के पदोन्नत करने पर विचार किया जाता है ।

(vi) उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।

बांदेल-कटावा रेल लाइन का विद्युतीकरण

3211. **श्री एम० इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीतारामपुर-मुगलसराय और बांदेल-कटावा रेल लाइन का विद्युतीकरण कब किया जाएगा; और

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सीतारामपुर-मुगलसराय (557 मार्ग कि० मी०) के विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्य अनुमोदित किया जा चुका है और 85.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इसे 1981-82 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है। बांदेल-कटावा खंड के विद्युतीकरण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भुसावल-इटारसी लाइन

3212. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल-इटारसी लाइन का विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ट्रंक लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भुसावल-इटारसी खंड (301) मार्ग कि० मी०) को 48.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेलों के 10 वर्षीय विद्युतीकरण कार्यक्रम (1980-81 से 1989-90) में शामिल किया गया है।

राजधानी के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हृदय रोगी

3213. **श्री के प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से बी० सी० जी० का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार ने राजधानी में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हृदय रोगियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के रेल-मार्गों का विद्युतीकरण

3214. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान से गुजरने वाले कुछ रेल-मार्गों के विद्युतीकरण की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इससे लाभांशित होने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब शुरू होगा तथा उसका प्रस्तावित परिव्यय क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, हां। राजस्थान में पड़ने वाले रानीकुंड रारह-झालावाड़ रोड, भवानी मंडी-पहाड़ और चौमहला-धुरिया रेलवे खंडों का, जिनका कुल जोड़ 420 मार्ग कि० मी० है, विद्युतीकरण मथुरा-गंगापुर सिटी और गंगापुर-रतलाम रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के भाग के रूप में किया जा रहा है, जिस पर कुल 91 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह दोनों परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित हो चुकी हैं और इनको क्रमश: 1980-81 तथा 1981-82 के रेलवे बजट में शामिल किया जा चुका है। इन परियोजनाओं के लिए 1981-82 में प्रस्तावित परिव्यय 2.5 करोड़ रुपये है।

भारत में मलेरिया अनुसंधान केन्द्रों का कार्यकरण

3215. **श्री हरिहर सोरन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्य कर रहे मलेरिया अनुसंधान केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ये केन्द्र किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या छठी योजना के दौरान देश में कुछ और मलेरिया अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के क्योंझर आदिवासी जिले में इस तरह का कोई मलेरिया अनुसंधान केन्द्र स्थापित होने वाला है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में दिल्ली और पांडिचेरी में दो मलेरिया अनुसंधान केन्द्र चल रहे हैं।

इनके अलावा देश की अनेक अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं/योजनाओं के अधीन विभिन्न संस्थानों/संगठनों में मलेरिया पर अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद पांच क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित कर रही है जहां अन्य रोगों पर अनुसंधान कार्य के साथ-साथ मलेरिया पर भी अनुसंधान किया जायगा।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली के अधीन क्योंझर (उड़ीसा) में एक क्षेत्रीय कार्य अनुसन्धान परियोजना पहले ही है जिसे नवम्बर, 1977 में चलाया गया था और इस परियोजना के कार्य का सारांश विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा क्योंझर (उड़ीसा), रामपचोदावरम (पूर्वी गोदावरी) में एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसका नाम "उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय कार्य अनुसंधान योजना" है। मलेरिया का प्रकोप निरन्तर बने रहने के कारणों का अध्ययन करने के लिए उड़ीसा-बिहार बार्डर काम्पलेक्स की स्थापना की गई तथा रामपचोदावरम स्थित परियोजना की स्थापना डी० डी० टी० के भिन्न-भिन्न योगों की प्रभावकारिता का तथा लोग उसे कहां तक स्वीकार करते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए की गई थी।

क्योंझर (उड़ीसा) में किया गया कार्य :

महामारी संबंधी अध्ययन

क्षेत्रीय समन्वयन संगठन, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, भुवनेश्वर की देख-रेख में अनेक घरों और पशु-शालाओं के बारे में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 16 सेक्शनों की विस्तृत गणना की गई। किस-किस घर और पशुशाला के कितने-कितने हिस्से पर छिड़काव किया जाना चाहिए, इनका अलग-अलग क्षेत्रफल निकाला गया।

मच्छरों का संग्रहण

इन क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रजातियों के मच्छर होने की सूचना मिली है :

ए. अन्नुलारिस, ए. यूलिसिफेसीज, ए. हाइरोनस, ऐ. जयपोरियन्सेस, ए. सबपिटस, ए. वगुस, ए. एकोनिटस, ए. बारबीरोसटिस, ए. माकुलेटस, ए. टस्सालेटस, ए स्लेंडिडस।

प्रेसिपिटिन परीक्षण

अब तक जो परिणाम मिले हैं उनमें ए. अन्नुलेटिस और यूलिसिफेसीज प्रजातियों के क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत एनथरोपोप्तिलिक इन्डेक्स मिले हैं।

रोग-प्रवणता परीक्षण

ए. यूलिसिफेसीज और ए. अन्नुलेटिस प्रजातियों पर प्रयोग किया गया। इन परिणामों से यह पता चला कि वेक्टर की इन प्रजातियों में डी० डी० टी० और डी० एल० को पचाने की क्षमता आ गई है परन्तु मलेथियन उन पर असर करता है।

आंध्र प्रदेश में किया गया कार्य :

महामारी संबंधी अध्ययन

पहला जन-रक्त सर्वेक्षण नवम्बर-दिसम्बर, 1978 में किया गया। अन्य जन-रक्त सर्वेक्षण अप्रैल, 1979, अक्तूबर, 1979 तथा अप्रैल, 1980 में किये गये।

मच्छरों का संग्रहण

उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में अधिकतर निम्नलिखित प्रजातियां हैं :

ए. यूलिसिफेसीज, ए. फलुविआटिलिस, ए. वारना, ए. सबपिक्टस, ए. वागरू, ए. माहुलेटस, ए. कवंरी, ए. पालिड्स, ए. स्पलेंडिडस, ए. थेओबाल्दी, ए. ज़मादी।

पाइरीथरम के छिड़काव संग्रहण

यहां कितनी प्रजातियों के मच्छर पाये जाते हैं और उनकी संख्या कितनी-कितनी है, इनका अनुमान लगाने के लिये नवम्बर, 1979 से समय-समय पर पाइरीथ्रम (0.1 प्रतिशत) का छिड़काव करके मच्छरों को इकट्ठा किया गया।

सग्राह्यता परीक्षण

ए. यूलिसिफेसीज के बारे में सुग्राह्यता स्थिति के परिणाम ये प्रकट करते हैं कि आरगेना क्लोरोक्विन कम्पाऊंड (डी० डी० टी० और डी० एल०) से टेस्ट करने पर प्रतिरोधी मच्छरों का अनुपात बहुत ज्यादा है। जबकि मलेथियन 5 प्रतिशत का अब भी उन पर असर होता है।

छिड़काव कार्य

डी० डी० टी० का छिड़काव कार्य सारे परियोजना क्षेत्र में किया गया। पहला छिड़काव कार्य जो 25-5-1980 को शुरू हुआ था, 1-7-1980 को पूरा हो गया। लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र में छिड़काव किया गया।

रेलवे क्वार्टरों के पीछे झुग्गी-झौंपड़ियां

3217. श्री निहाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे स्टेशन के निकट रेल विभाग द्वारा निर्मित रेलवे क्वार्टरों के पीछे अभी भी झुग्गी-झौंपड़ियां बनी हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के लिए हानिकर हालात अभी भी बने हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहाड़गंज, किशनगंज आदि रेलवे स्टेशनों के पीछे बनी झुग्गियों को तुरन्त हटाने की व्यवस्था करने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) : जी, हां।

(ख) रेलें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन जैसे अन्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके झुग्गियों को हटाने के उपाय कर रही हैं क्योंकि इसमें रहने वालों के पुनर्वास की समस्या भी शामिल है।

राजनयिक समारोहों में शराब पेश किया जाना

3217. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में स्थित सभी विदेशी मिशनों को कहा है कि अपने राजनयिक समारोहो में शराब न दें; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार भी उसी पद्धति का अनुसरण करेगी या इस समय समारोहों में दी जाने वाली शराब की मात्रा मे कटौती करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पाकिस्तान की सरकार ने 24 दिसम्बर, 1980 के अपने एक परिपत्र में पाकिस्तान स्थित सभी राजनयिक मिशनों से अनुरोध किया है कि वे उन सरकारी पार्टियों में मादक पेय पेश न करें जिनमें पाकिस्तानी लोगों को भी आमंत्रित किया गया हो।

(ख) इन मामलों में प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा को ध्यान में रखते हुए भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों से इसी प्रकार का अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बम्बई सेन्ट्रल यार्ड के उच्च संवर्ग वाले पद

3218. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सेन्ट्रल यार्ड तथा बांदरा मार्शलिंग यार्ड (पश्चिम रेलवे) के कई उच्च संवर्गीय पद इन यार्डों की बजाय नियंत्रण कार्यालय, डी० आर० एम० के कार्यालय तथा महाप्रबन्धक के कार्यालय में सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों की संख्या कितनी है और इनका स्वरूप क्या है; और

(ग) उन्हें उन्हीं के यार्डों में सक्रिय करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बम्बई सेन्ट्रल यार्ड और बान्द्रा विन्यास यार्ड में औचित्य और निर्धारित प्रतिशत के आधार पर सृजित किये गये/ग्रेड ऊंचे किये गये पद परिचालित किये जाते हैं।

कम्पूचिया से विदेशी सैनिकों को वापस बुलाना

3219. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पूचिया से विदेशी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भारत के प्रभाव का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रयासों का क्या असर पड़ा है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) किसी

देश में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के बारे में हमारा सैद्धान्तिक विरोध सर्वविदित है। हमारे विचार में इस क्षेत्र के मासलों को, जिसमें विदेशी सैनिकों की वापसी का सवाल भी शामिल है, एसियन और हिन्दचीन के देशों के बीच संरचनात्मक बातचीत द्वारा ही सबसे अच्छी तरह हल किया जा सकता है। भारत इस बातचीत के लिए इन देशों की सहायता करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे विचार में इस प्रकार की बातचीत की पहल संबंधित देशों की ओर से ही की जानी चाहिए।

आसाम में अन्तर्देशीय नौचालन का विकास

3220. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में अन्तर्देशीय नौचालन विकास की संभावना के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) आसाम में नदियों की संभावित नौचालन योग्य दूरी कितनी है; और

(ग) राज्य में अन्तर्देशीय नौचालन का विकास करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न समितियों ने असम में अन्तर्देशीय नौवहन का विकास करने की सिफारिश की है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार असम में नदियों में 1277 कि० मी० तक नौवहन हो सकता है।

(ग) भारत सरकार ने देश में विभिन्न महत्वपूर्ण नदियों के जल सर्वेक्षण करने के लिए एक योजना स्वीकृत की है जिसमें असम की ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल है। महत्वपूर्ण जलमार्गों के तकनीकी-आर्थिक अध्ययन की एक और योजना भी स्वीकृत की गयी है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी को भी उन जलमार्गों की सूची में भी शामिल किया गया है जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने पर विचार किया जाएगा। पान्डु में एक ड्राई डाक की स्थापना की योजना भी केन्द्रीय सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० की योजनाएं भी शामिल की गयी हैं, जिनमें जहाजों की खरीद, अपने जहाजों की भारी मरम्मत, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने, पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज खरीदने, बेड़े में वृद्धि की व्यवस्था की है। इससे कलकत्ता तथा असम के विभिन्न नगरों के बीच केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० की मौजूदा सेवा में सुधार होगा।

श्रेणी II के पदों के लिये चयन

3321. **श्री सूरज भान :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में अभियांत्रिक (मैकेनिकल) विभाग में श्रेणी दो के पदों पर चयन के लिए 1979 में 196 व्यक्तियों की एक सूची जारी की गई थी;

(ख) क्या बाद में 264 व्यक्तियों की एक और सूची जारी की गई थी;

(ग) क्या अनेक व्यक्तियों जिनके नाम पहली सूची में शामिल थे, के नामों को दूसरी सूची से निकाल दिया गया है यद्यपि दूसरी सूची उससे बड़ी थी;

(घ) इन नामों के निकाले जाने के क्या कारण थे;

(ङ) क्या ऐसे लोगों की वरिष्ठता, जिन्होंने इस चयन के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, संशोधित किया गया था; और

(च) यदि हां, तो किस आधार पर ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे में 33 सहायक यांत्रिक इंजीनियरों/सहायक निर्माण प्रबन्धकों का पेनल बनाने के लिए एक सूची परिपत्रित की गयी थी जिसमें 196 कर्मचारियों के नाम दिखाये गये थे जो रिक्त स्थानों के 6 गुणा थे और जो पात्र थे। रिक्तियों का मूल्यांकन करने से ऊर्ध्वगामी संशोधन के कारण 33 की बजाय 44 रिक्तियां होने के फलस्वरूप 264 पात्र कर्मचारियों की एक संशोधित सूची परिपत्रित की गयी थी।

(ग) और (घ) दूसरी सूची में निम्नलिखित के नाम शामिल नहीं थे :—

(1) जिन कर्मचारियों को पहले प्रवरण के आधार पर पैनल में रखा गया था और पहली सूची के परिपत्रित करने के बाद जिनके परिणामों को अन्तिम रूप दिया गया था।

(2) जो कर्मचारी दूसरी सूची के परिपत्रित किये जाने से पहले सेवा निवृत्त हो गये थे; और

(3) मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1979 में जारी किये गये अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए जो कर्मचारी अपनी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के परिणामस्वरूप विचार किये जाने के क्षेत्र में नहीं आते थे।

(ङ) और (च) कर्मचारियों से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कि उनकी अपनी सरणि में पारस्परिक वरिष्ठता में गड़बड़ हुई है, फरवरी, 1979 में मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को दृष्टिगत रखते हुए स्थिति की समीक्षा की गयी थी और वरिष्ठता ठीक कर दी गयी थी।

रोलिंग स्टाक के लिये व्हील-सेट

3222. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मंत्री रोलिंग स्टाक के लिए व्हील-सेटों की खरीद के बारे में 4 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2402 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो आवश्यक कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	संविदा सं०	विवरण	मात्रा	सी. आई. एफ. मूल्य (लाख रु. में)	देश
1	2	3	4	5	6
		1978-79			
1.	जी. पी.–79	पहिया सेट (वी. ई. एम. एल.)	1280	87.33	पोलैण्ड
2.	जी. पी.–80	,, (20 टन)	3000	226.93	जापान
3.	जी. पी.–82	,, (ट्रेलर स. डि.)	264	29.79	इटली
4.	जी. पी.–83	,, (16 टन आर. बी.)	3340	290.00	फ्रांस
5.	जी. पी.–84	,, (20 टन)	3200	268.14	जापान
6.	जी. पी.–85	,, (12 टन)	720	39.08	पोलैण्ड
7.	जी. पी.–85	,, (12 टन)	580	35.82	हंगरी
		जोड़	12,384	977.09	
		1979-80			
1.	जी. पी.–87	पहिया सेट (22.5 टन)	216	24.46	फ्रांस
2.	जी. पी.–84	,, (20 टन)	1600	139.00	जापान
3.	जी. पी.–91	,, (ट्रेलर स. डि.)	420	86.91	इंग्लैंड
4.	जी. पी.–90	,, (वी. ई. एम. एल.)	1900	135.88	पोलैन्ड
5.	जी. पी.–88	,, (22.5 टन)	1438	162.22	फ्रांस
6.	जी. पी.–94	,, (16 टन)	1000)	182.13	जापान
		धुरा	1210)		
7.	जी. पी.–94	पहिया सेट (16 टन)	1000	119.71	दक्षिण कोरिया
		जोड़	7,574	850.31	
		1980-81 (सितम्बर, 1980 तक)			
1.	80/7	पहिया सेट (वी. ई. एम. एल.)	800	75.39	रोमानिया
2.	जी. पी.–94	,, (16 टन)	1000)	172.24	जापान
		धुरा	1300)		
3.	जी. पी.–96	पहिया सेट	3000	429.23	फ्रांस

रीवां-सतना लाइन

3223. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश के रीवां, सिंगरौली और अन्य स्थानों को मध्य प्रदेश में सतना से मिलाने वाली नई रेल लाइन कब तक खोली जायेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : ललितपुर से सिंगरौली तक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच करने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। अतः, इस लाइन का निर्माण प्रारम्भ करने की कोई तारीख नहीं दी जा सकती है।

सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी एसोसियेशन

3224. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी एसोसिएशन का कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं; और

(ग) उस सम्बन्ध में उठाए गये अथवा उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित मांगें की गइ थीं :

(एक) वर्तमान परिशोधित पेंशन नियमों का विस्तार 1-4-79 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले सभी रेल कर्मचारियों को 1-4-79 के बाद स्वीकृत अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

(दो) सेवारत कर्मचारियों को भुगतान किए गए मंहगाई भत्ते की दर के बराबर सभी रेल कर्मचारियों को राहत देना।

(तीन) पेन्शनरों के 10 वर्ष की जिंदगी के बाद जीवित रहने पर पेंशन की परिवर्तित राशि फिर से लागू करना।

(चार) अपेक्षित अर्हता के अनुसार सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी देना।

(पांच) अपेंशनीय सेवा-निवृत्त सभी रेल कर्मचारियों को अनुग्रह राशि को स्वीकृति।

(ग) संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है :—

(एक से तीन) पेंशनीय लाभों, राहत प्रतिपूर्ति और पेंशन परिवर्तित करने के सम्बन्ध में, रेल मन्त्रालय गृह/वित्त मन्त्रालय के नियमों/आदेशों को अपनाती हैं अतः इन सभी मामलों में उक्त मन्त्रालय के नियमों/आदेशों को रेल कर्मचारियों पर लागू करने के लिए अपनाया गया है। जहां तक पूर्व व्याप्ति से पेन्शन स्लेब देने का सम्बन्ध है, ताकि 31-3-79 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए

कर्मचारी उसके अन्तर्गत आ सकें, यह मामला वित्त मन्त्रालय को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

(चार) सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देना सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप नहीं है और यह संविधान की अपेक्षाओं के विरुद्ध होगा।

(पांच) अपेन्शनीय सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों को कुछ तदर्थ राहत देने की मांग की सरकार जांच कर रही है।

विदेशों द्वारा भारत में वाणिज्यिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किये गये भारत मूलक व्यक्तियों का ब्यौरा

3226. **श्री ऐन० डेनिस :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारत-मूलक व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जो विदेशों द्वारा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में वाणिज्यिक प्रतिविधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) उन अन्य स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां विदेशों द्वारा ऐसी नियुक्तियां की गई हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

पाकुर में लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ की घटनायें और रेलवे सुरक्षा बल की बैरकों का हटाया जाना

3227. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकुर स्टेशन रेलवे कालोनी के कर्मचारियों ने मन्त्रालय को लिखित शिकायत की है कि रेलवे कालोनी के बीच रेलवे सुरक्षा बल की बैरकें बनी रहने के कारण लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की अनेक घटनायें हुई हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा बल की बैरकों को अन्यत्र स्थापित करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल रेलवे सुरक्षा बल की बैरकों को अन्यत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दोव और गोगला के बीच सड़क पर पुल

3228. **श्रीमती संयोगिता राने :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीव से गोगला जाते हुए व्यक्ति को काफी लम्बी दूरी तय करनी होती है जिसमें काफी समय और शक्ति लगती है; और

(ख) क्या उपर्युक्त कठिनाई से बचने के लिए सड़क पर पुल का निर्माण करने का सरकार का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गोआ प्रशासन ने प्रस्तावित पुल के लिए मिट्टी जांचने के काम का टेण्डर मंजूर कर लिया है।

तस्करों द्वारा भोजन यान (डाईनिंग कार) का उपयोग

3229. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ तस्कर निषिद्ध वस्तुओं को ले जाने के लिए रेलगाड़ियों में भोजन-यानों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या हाल ही में बम्बई-फीरोजपुर जनता एक्सप्रेस के भोजन-यान में कोई छापा मारा गया था जिसके परिणामस्वरूप तस्करी की वस्तुयें और अफीम आदि पकड़ी गई थीं; और

(ग) तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 24.2.1981 को राजकीय रेलवे पुलिस ने दिल्ली जंकशन पर बम्बई–फीरोजपुर जनता एक्सप्रेस के भोजन-यान की तलाशी ली थी और तस्करी का सामान आदि पकड़ा था। अचानक छापा मारने की कार्यवाई को गहन करने का प्रस्ताव है।

कियूल भागलपुर लाइन का दोहरी किया जाना

3230. **श्री डी० पी० यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में कियूल और भागलपुर के बीच रेल लाइनों को दोहरी किये जाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है और इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) भागलपुर तथा बड़हरवा के बीच रेल लाइन को दोहरी करने का कार्य कब तक पूरा होगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कियूल और बड़हरवा जंकशन के बीच खण्डीय क्षमता बढ़ाने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण गत वर्ष पूरा किया गया था। इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया गया है :–

(1) आंशिक रूप से दोहरी लाइन बिछाना :

(1) कजरा से जमालपुर (2921 कि० मी०) तक,

(2) रतनपुर से सुलतानगंज (2248 कि० मी०) तक।

(2) अतिरिक्त कामन लूप लाइनें :

(1) कजरा स्टेशन पर,

(2) वर्तमान फ्लैग स्टेशनों महेशी और मुरारपुर का 2 लाइनों वाले पार स्टेशनों में बदलना;

सर्वेक्षण रिपोर्ट में भागलपुर और बड़हरवा के बीच इस समय दोहरी लाइन बिछाने की सिफारिश नहीं की गयी है। 20 लाख रुपये की राशि के तात्कालिकता प्रमाणपत्रों की स्वीकृति दी गयी है। संक्षिप्त आकलन स्वीकृत हो जाने के पश्चात ही इन निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने की तिथि निर्धारित की जायेगी।

रेल मन्त्रालय में कर्मचारियों की संख्या

3231. **श्री एन० सुन्दर राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मन्त्रालय के नई दिल्ली कार्यालय में वर्ग-वार कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या कितनी है और वर्ग-वार उनकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के वर्गवार नाम, उनके वेतन-मान तथा विभाग के नामों की सूची क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1–2–81 को रेल मंत्रालय के सचिवालय में स्थिति इस प्रकार रही है :

कोटि/वर्ग	कुल सं०	अनु० जाति (%) की संख्या	अनु० ज० जा० (%) की संख्या
क–	91	6(6.6 %)	2 (2.2 %)
ख–	236	28 (11.8 %)	7 (3%)
ग–	1595	166 (10.4%)	22 (1.4%)
घ–	502	170 (33.9%)	4 (0.79 %)

(ग) सूची संलग्न है।

विवरण

कर्मचारियों की संख्या		कोटि का नाम	वेतन मान	विभाग का नाम
1	2	3	4	5
अनु० जाति	अनु० ज० जाति			
1	–	क	2000–2250	रेल मंत्रालय
1	1	,,	1500–2000	(रेलवे बोर्ड)
4	1	,,	1200–1600	,,
जोड़ 6	2			

1	2	3	4	5
21	7	ख	650–1200	रेलवे बोर्ड
1	–	,,	775–1200	,,
6	–	,,	650–1040	,,
जोड़ 28	7			
88	5	ग	425–800	रेलवे बोर्ड
38	5	,,	330–560	,,
25	11	,,	260–400	,,
3	1	,,	700–900	,,
2	–	,,	550–750	,,
1	–	,,	425–700	,,
3	–	,,	425–640	,,
2	–	,,	330–480	,,
1	–	,,	260–430	,,
2	–	,,	260–350	,,
1	–	,,	225–250	,,
जोड़ 166	22			
122	3	घ	196–232	रेलवे बोर्ड
21	—	,,	200–240	,,
25	—	,,	200–250	,,
2	1	,,	210–270	,,
जोड़ 170	4			
कुल जोड़:370	35			

हैड ड्राफ्ट्समैन, हैड एस्टीमेटर आदि की संयुक्त वरिष्ठता सूची

3232. **श्री बलवीर सिंह :** क्या रेल मन्त्री कर्मचारियों के चयन के बारे में 31 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अन्तर्गत रेलवे विभाग और रेलवे बोर्ड द्वारा 700–900 रुपये के वेतनमान में हैड ड्राफ्ट्समैन, हैड एस्टीमेटर, चीफ एस्टीमेटर, ड्राइंग आफिस सुपरिंटेंडेंट आदि

की संयुक्त वरिष्ठता सूची रखा जाना अपेक्षित है क्योंकि ये पद ड्राइंग आफिस संवर्ग में आते हैं, और

(ख) क्या संवर्ग वाह्य पदों पर एक बार स्थायी किये गए व्यक्ति किसी अन्य संवर्ग पद में वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए हकदार हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर 700–900 रुपये के वेतनमान में संयुक्त वरिष्ठता सूचियां बनाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किये गए हैं, लेकिन जहां ये कोटियां विद्यमान हैं, प्रायः वही वरिष्ठता सूचियां विभागवार रखी जाती हैं। रेलवे बोर्ड कार्यालय में, अपेक्षाकृत छोटी यूनिट होने के कारण, ड्राइंग कार्यालय के कर्मचारियों की एक मिली-जुली वरिष्ठता सूची रखी जा रही है।

(ख) संवर्ग वाह्य अवधि के पदों पर स्थायी किये गए व्यक्ति अपने संवर्ग पद पर इस प्रकार के पद पर अपनी वरिष्ठता-कार्य के आधार पर वरिष्ठता और पदोन्नति के पात्र हैं।

बामूमैदान (गोहाटी) में रेलवे मार्ग पर हुआ बम विस्फोट

3233. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोहाटी के लिए बामूमैदान में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में रेल मार्ग पर 14 फरवरी, 1981 को एक बम विस्फोट के परिणामस्वरूप एक 60 वर्ग सेंटीमीटर गड्ढा बन गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 14-2-81 को लगभग 21.40 बजे चांदमारी गुवाहाटी-बामूनिमैदान-न्यू गुवाहाटी स्टेशनों के बीच गुड्स लाइन नं० दो पर एक बम विस्फोट हुआ था जिससे लगभग 1½ वर्ग फुट का एक गड्ढा बन गया था। दो स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गये थे और उन्हें बदलना पड़ा था। किसी व्यक्ति को चोट आने की रिपोर्ट नहीं मिली थी। रेलवे को केवल 60 रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत एक पुलिस केस नं० 8 (2)/81 की जांच पड़ताल की जा रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में पदों का आरक्षण

3234. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्रत्येक विभाग में श्रेणी-वार कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) क्या पदों की सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा किया जाता है।

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के बारे में 40-सूत्री रोस्टर रखा जाता है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं, तथा पिछले पदों को कब भरा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के आधार पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है जिसमें इस संस्थान के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या दी गई है।

(ग), (घ) और (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने, जो एक सांविधिक स्वशासी संस्था है, यह सूचित किया है कि जिन मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिले हैं उनके अलावा शेष आरक्षित सभी पद इन जातियों के उम्मीदवारों से विधिवत भर लिए गए हैं। इस संस्थान ने आगे यह बताया है कि संकाय पदों की शैक्षिक, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक पद होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी आदेशों से छूट दी गई है। स्टाफ नर्सों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सारे पदों को नहीं भरा गया है क्योंकि इन पदों के लिए रोजगार कार्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भेजने की स्थिति में नहीं था। यह संस्थान संकाय पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के लिए 40-सूत्रीय जातिगत रोस्टर बनाए हुए है। संस्थान इस बात के लिए कोशिश कर रहा है कि पिछले वर्षों में आरक्षित रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति करने से जो अन्तर आ गया है उसे जहां तक संभव हो सके धीरे-धीरे सामान्य वर्ग के पदों (अनारक्षित रिक्तियों) पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्त कर समाप्त किया जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2106/81]

आरक्षण कार्य के लिए विशेष पुरस्कार

3235. **श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस (ई) समिति के अधिवेशन में भाग लेने आए प्रतिनिधियों के आरक्षण कार्य के "प्रशंसनीय कार्य निष्पादन" के लिए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने, दिल्ली, नई दिल्ली और नई दिल्ली के कनाट प्लेस कार्यालयों में नियुक्त कई रेल अधीक्षकों को 500:00 रुपये के विशेष पुरस्कार प्रदान किए हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के कोई पूर्व उदाहरण हैं जब पूर्ववर्ती अवसरों पर रेल अधीक्षकों को विशेष पुरस्कार दिए गए हों, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल नियमों में इस प्रकार के अवसरों पर इस प्रकार के विशेष पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो एक राजनीतिक दल के लिए आरक्षण कार्य करने के लिए इस प्रकार के विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाने को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए रेल अधिकारियों के पास क्या स्पष्टीकरण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पहले आरक्षण ड्यूटी पर तैनात रेलवे पर्यवेक्षकों को निम्नलिखित मौकों पर आरक्षण सम्हालने में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार दिए गए थे :

1. 1975 में कामागाटामारु नगर, चण्डीगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन।

2. भारतीय युवक कांग्रेस सम्मेलन, 1976.

3. अखिल भारतीय नशाबन्दी परिषद, अखिल भारतीय मिल्की समारोह, श्री अमृतसर की 400वीं वर्षगांठ, 1977.

4. जनता पार्टी रैली, 1977.

(ग) जी, हां। रेल कर्मचारियों द्वारा अपनी सरकारी ड्यूटी के निष्पादन में किए गए प्रशंसनीय कार्य को प्रोत्साहन तथा मान्यता देने के रूप में उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

चार्टर्ड बसें

3236. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मोटर यान अधिनियम, 1939 का उल्लंघन करते हुए प्रतिदिन दिल्ली परिवहन की बसों के समानान्तर मार्गों पर चार्टर्ड बसों के रूप में ठेके की ऐसी बसें चलती हैं जो हजारों यात्रियों को लाती-ले जाती हैं और ये बसें न तो दिल्ली परिवहन निगम को कोई शुल्क अदा करती हैं और न ही राज्य परिवहन प्राधिकरण को;

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब तक; और

(ग) ऐसी कितनी बसें दिल्ली में चलती हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्री बूटा सिंह) : (ख) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि लगभग 50 बसें ऐसी हैं जिनके पास कंट्रैक्ट कैरिज के परमिट हैं। उसके अलावा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अधीन आवश्यक शुल्क का भुगतान किये जाने पर लगभग 1850 अस्थाई कंट्रैक्ट कैरिज परमिट भी जारी किए जाते हैं। ये बसें स्टेज कैरिज वेहिकिलों के रूप में नहीं चलाई जा सकतीं। जो गाड़ियां अधिनियम की व्यवस्था या परमिट की शर्तों के उल्लंघन कर चलाई जाती हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में नोट

3237. **श्री हरिनाथ मिश्र** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक नोट जिसमें बिहार पर विशेष जोर दिया गया है, प्रधान मंत्री के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) इस नोट में महत्वपूर्ण सुझाव क्या दिए गए हैं और उसमें दिए गए प्रत्येक सुझाव के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आमतौर पर देश से और खासकर बिहार से इस रोग के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना का एक विवरण एक में दिया गया है ।

(ग) सूचना का एक विवरण दो में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2107/81]

मुगलसराय यार्ड से गत दो वर्षों के दौरान हुई छुटपुट चोरियां

3238. **श्री नरेश घोष** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के मुगलसराय यार्ड से गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने मूल्य का माल चोरी हुआ;

(ख) क्या वैगनों के आबंटन में कोई भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ग) क्या गैर सरकारी उद्योग के लिए मालवाहक बैगन भेजने की व्यवस्था के लिए कोई विशेष राशि दी जाती है; और

(घ) क्या उक्त गाड़ियों के शीघ्रता से चलाने के लिए "रैड अलर्ट" संकेत दिया जाता है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979 तथा 1980 के दौरान मुगलसराय यार्ड से चुराये गए सामान की कीमत इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1979	9,42,081
1980	1,25,625

(ख) से (घ) इस आशय की कोई शिकायत अथवा सूचना उपलब्ध नहीं है कि मुगलसराय में माल डिब्बों के आबंटन में भ्रष्टाचार है अथवा निजी क्षेत्र के लिए माल ले जाने वाले माल डिब्बों के भेजने की व्यवस्था करने के लिए कोई विशेष रकम ली जाती है अथवा ऐसी गाड़ियों के शीघ्र संचालन के लिए 'खतरा सावधान' का संकेत दिया जाता है ।

दिल्ली परिवहन निगम के समानान्तर रेटों पर निजी बसों का चलाया जाना

3239. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी बसें मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबंधों को उल्लंघन करके दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए परमिटों के अन्तर्गत दिल्ली की म्यूनिसिपल सीमाओं के भीतर दिल्ली परिवहन निगम के समानान्तर रूटों पर चल रही हैं जिसके कारण इसको भारी वित्तीय हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का अधिनियम के उल्लंघन तथा दिल्ली परिवहन निगम को, जो काफी समय से इन बसों को चलाये जाने से रोकने के लिए कोशिश कर रही है, वित्तीय हानि को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय दिल्ली संघ क्षेत्र में स्टेज कैरिज परमिटों के अधीन विभिन्न रूटों पर प्रायवेट कुल 57 बसें और 70 मिनी बसें चल रही हैं । ये रूट दिल्ली परिवहन निगम की बसों के रूटों के समानान्तर नहीं हैं । इसलिए दिल्ली परिवहन निगम को हानि का प्रश्न नहीं होता । ये स्टेज कैरिज परमिट बहुत पहले मोटर वेहिकिल्स एक्ट की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रायवेट आपरेटरों को जारी किए गए थे और ये परमिट समय-समय पर नवीकृत किए जाते हैं ।

श्री कृपा नारायण की अध्यक्षता में अध्ययन दल की रिपोर्ट

3240. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कृपा नारायण की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) श्री कृपा नारायण की अध्यक्षता वाले वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को दे दी है ।

(ख) इस रिपोर्ट में दिए गये मुख्य-मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं :—

1. "ई० सन् 2000 तक स्वास्थ्य सबके लिए" के लक्ष्य की पूर्ति के लिए चिकित्सा के इलाज वाले पक्ष की अपेक्षा इस कार्य में लोगों को स्वयं भाग लेने के लिए आगे लाने के काम पर तथा रोगों की रोकथाम पर और स्वास्थ्य संवर्धन सम्बन्धी सेवाओं पर बल देकर तथा एक साथ निम्नलिखित न्यूनतम स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था करके ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों और समाज के अन्य

कमजोर वर्गों को दी जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और चिकित्सा परिचर्या सेवाओं में वास्तविक सैद्धान्तिक परिवर्तन लाना :—

(एक) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान समेत संवर्धक, निरोधक और सरल उपचारी सेवाओं की अभिवृद्धि;

(दो) बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के जैसे रोग प्रवण वर्गों को समुचित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं जिनमें परिवार नियोजन शामिल है, प्रदान करना;

(तीन) निम्नलिखित, तरीकों से स्थानीय रूप में फैलने वाले संचारी तथा गैर-संचारी रोगों की रोकथाम तथा उनका नियंत्रण :

— रोग प्रतिरक्षण (टीके) द्वारा (रोग प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम में दिए गये रोग);

— उपयुक्त उपायों के जरिए (कुष्ठ, क्षय रोग, धेंघा तथा उपचार योग्य अन्धता);

— मच्छरों से उत्पन्न होने वाले रोगों (मलेरिया, फाइलेरिया तथा काला अजार) के फैलने की रोकथाम;

— खाने की दवाईयां देकर शरीर में जल की कमी को पूरा करने की चिकित्सा विधि को अपनाकर अतिसारी रोगों से मरने वालों की संख्या कम करना तथा समुचित सामुदायिक उपाय बरत कर लोगों को आन्त्र परजीवियों से होने वाले रोगों से बचाना।

(चार) खाद्य पूर्ति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां और पोषकीय स्तर में सुधार करना;

(पांच) पीने के पानी की व्यवस्था और मल का ठीक निपटान करना;

(छः) मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी रोकथाम तथा नियंत्रण की विधियों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा।

2. इसके अतिरिक्त इस वर्किंग ग्रुप ने निम्नलिखित कार्य भी किए :—

(एक) एक चार्ट तैयार किया जिसमें ईस्वी सन 2000 तक योजनावार चरणवद्ध रूप से स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचक/लक्ष्य दिखाये गये।

(दो) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को इस प्रकार संशोधित करने का सुझाव दिया जिससे वह ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बने।

(तीन) ग्रामीण स्वास्थ्य तथा संचारी रोगों के नियंत्रण की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को वर्ग-1 (केन्द्र की शतप्रतिशत सहायता) में वापिस लाने का प्रस्ताव किया।

(चार) शहरी गन्दी बस्तियों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी नये कार्यक्रम सुझाना तथा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया।

(पांच) इस विचार का समर्थन किया कि राज्य और केन्द्रीय एजेन्सियां संयुक्त रूप से एक मिला-जुला जनसंख्या स्थिरिकरण कार्यक्रम तैयार करें ।

(छः) समन्वय समिति गठित करके शिक्षा, जलपूर्ति, सफाई, संचारी रोगों का नियंत्रण, परिवार कल्याण, प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या तथा रोग-रोधी, पोषणिक तथा स्कूल स्वास्थ्य संबंधी विषयों के विभिन्न कार्यक्रमों में ताल-मेत बैठाने पर बल दिया ।

(सात) लोगों की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया ।

(आठ) आदिवासी/पिछड़े इलाकों में परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी सहित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के कार्य को प्राथमिकता दी तथा राज्यों और केन्द्र में विशेष कक्ष स्थापित कर उनका मूल्यांकन तथा मानीटरिंग करने का सुझाव दिया ।

(नौ) ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डाक्टरों/परा चिकित्सा कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया ।

(दस) अपेक्षित वित्तीय संसाधनों का हिसाब लगाया ।

सरकार ने कुल मिला कर वर्किंग ग्रुप की मूल सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उन्हें छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में उस हद तक शामिल कर लिया जहां तक उन्हें वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए सम्भव था ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए लोको कर्मचारी

3241. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोको रनिंग स्टाफ द्वारा हाल ही के सामूहिक आकस्मिक अवकाश आन्दोलन में भाग लेने के आरोप में, प्रत्येक डिवीजन में, रेलवे लोको स्टाफ एसोसिएशन के कितने नेताओं तथा कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया;

(ख) गिरफ्तार किये गये प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं; और

(ग) सरकार के इस आशय के आश्वासन के बावजूद कि वैध कर्मचारी संघ आन्दोलन के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग नहीं किया जायेगा, लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों को उक्त अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जैसा कि रेल मंत्री द्वारा 17-2-81 को संसद में दिए गए स्वप्रेरित बयान में पहले बताया जा चुका है कि भारतीय रेलों के कुछ क्षेत्रों में लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा सामूहिक रूप से सिक रिपोर्ट करके काम रोकने का गैर कानूनी तरीका अपनाया गया ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 (2) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार यदि यह समझती है कि यदि किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा के

विरुद्ध काम करने अथवा जन व्यवस्था के अनुरक्षण के विपरीत काम करने अथवा जनता के लिए अनिवार्य सप्लाई और सेवाओं के अनुरक्षण में व्यवधान डालने से रोकने आदि के लिए आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द करने के लिए आदेश दे सकती है। रेल कर्मचारी भी प्रायः जनता की तरह इस कानून से बंधे हैं। किसी रेल कर्मचारी के मात्र लोको मैन होने अथवा वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने के कारण ही कार्रवाई नहीं की गई थी।

भर्ती सम्बन्धी एजेंसियों द्वारा शोषण

3242. **श्री रशीद मसूद : श्री छांगुर राम : श्री राजेश कुमार सिंह : श्री दौलत राम सारण : श्री जगपाल सिंह : श्री अशोक गहलोत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में ऐसी अनेक बेईमान एजेंसियां काम कर रही हैं जो अबोध लोगों को खाड़ी के देशों में नौकरियां दिलाने का प्रलोभन देकर उनका शोषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन एजेंसियों के शोषण को रोकने के लिए किसी भी स्तर पर, राज्य सरकारों से इस मामले पर विचार-विमर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्र सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री : (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस प्रकार की खबरें समय-समय पर मिलती रही हैं।

(ख) और (ग) बेईमान एजेंसियों द्वारा विदेशों में नौकरी के इच्छुक लोगों के साथ किये जाने वाले कदाचार और शोषण की सभी शिकायतों की जांच तथा कार्रवाई के लिए उपयुक्त राज्य-पुलिस प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। इन शिकायतों की राज्य सरकारों द्वारा जांच की जाती है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप अनेक भर्ती एजेंसियों तथा व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही सफलतापूर्वक मुकदमें चलाए जा चुके हैं। जांच-पड़ताल के इन मामलों की प्रगति जानने के लिए सरकार राज्य सरकार के प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखती है।

रेलवे द्वारा अदा किया गया विलम्ब शुल्क

3243. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों द्वारा उपयोग हेतु आयात किये गये सामान का भार एवं मूल्य क्या है और रेलवे द्वारा देश में प्रत्येक आयात पत्तन और बन्दरगाह पर हर सामान पर अलग-अलग कितना विलम्ब शुल्क अदा किया;

(ख) आयातित सामान की देरी से डिलीवरी एवं विलम्ब शुल्क की अदायगी के क्या कारण थे;

(ग) क्या किसी भी मामले में इस बात का पता लगाने के लिए कोई निर्धारण किया गया है कि विलम्ब शुल्क की यह अदायगियां रेल अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के जानबूझकर की गई कार्यवाहियों अथवा असावधानियों के कारण करनी पड़ी थीं; और

(घ) यदि कोई निर्धारण किया गया था तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में हर मामले का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बरेली जंक्शन में सामान बेचने के ठेके

3244. **श्रीमती उषा वर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच-पड़ताल के बाद अनियमितताओं के आधार पर बरेली जंक्शन स्टेशन में कुछ ठेकेदारों के सामान बेचने के ठेके समाप्त कर दिये गये हैं;

(ख) क्या इस प्रकार समाप्त किया गया ठेका दोबारा ठेकेदार को दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बारे में किसी संगठन ने कोई ज्ञापन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ठेका समाप्त करने के लिए केवल नोटिस जारी किया गया था । अपील किये जाने तथा कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा करने पर, जिसमें सुधार पाया गया था, नोटिस वापिस ले लिया गया ।

(घ) और (ङ) जी, हां । पार्टी ने उपयुक्त उत्तर दे दिया है ।

पश्चिम दिल्ली में श्री तेग बहादुर हस्पताल में एक कालेज परियोजना तथा 500 बिस्तर वाले एक आपतकालीन वार्ड की स्थापना

3245. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने श्री तेग बहादुर हस्पताल में एक कालेज परियोजना शुरू करने के लिए पहले मंजूर की गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बहुत कम काम किया है अथवा कुछ भी नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम दिल्ली में 500 बिस्तर वाले एक आपतकाल वार्ड की स्थापना करने, जिसे पहले मजूरी दी गई थी और जिसका भवन मार्च, 1981 तक तैयार हो जाना चाहिए था, के लिए कुछ भी नहीं किया गया प्रतीत होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन से यह मालूम किया है कि क्या उन्होंने इन दोनों परियोजनाओं को छोड़ दिया है और यदि नहीं, तो इस बारे में कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का वर्ष 1981-82 के लिए भी इन दोनों परियोजनाओं के लिए कोई राशि आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं। इस योजना को दिल्ली प्रशासन कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) पश्चिम दिल्ली में 500 बिस्तरों वाला एमर्जेंसी वार्ड खोलने की कोई योजना नहीं है। अलबत्ता हरिनगर, नई दिल्ली में 500 बिस्तरों वाला (200 एलोपेथिक और 300 आयुर्वेदिक) अस्पताल बनाने की एक योजना है। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन योजनाओं के लिए 1981-82 के बजट अनुमानों में व्यवस्था की गई है।

राज्य की राजधानियों को जोड़ने के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाना

3246. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के राज्यों की राजधानियों को जाने के इच्छुक दैनिक यात्रियों को रेलगाड़ियों की कमी के कारण कठिनाइयों और परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के राज्यों की राजधानियों को सम्बन्धित राज्यों के समीपवर्ती क्षेत्रों से जोड़ने के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाने के लिए तैयार है जैसा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राज्यों की राजधानियों में और उनके आस-पास दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्थानीय गाड़ियों की व्यवस्था की गयी है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के मामले में उपनगरीय खंड विद्युतीकृत किये गये हैं और वे बिजली गाड़ियों द्वारा सेवित हैं। धन की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर विद्युतीकरण किया जा रहा है। अन्य राज्यों की राजधानियों में भी, धन की उपलब्धता के आधार पर तथा परिचालनिक आवश्यकताओं के होने पर उन क्षेत्रों को विद्युतीकृत कर दिये जाने के बाद कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की भांति सेवाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास

3247. **श्री पी० पी० चेरियन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या-क्या योजनाएं प्रस्तुत की हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए 45.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पहले के प्लानों की चालू योजनाओं के अलावा, उपरोक्त व्यवस्था निम्नलिखित नयी योजनाओं के लिए है : –

1. राजाबामान डाकयार्ड का विकास,
2. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० के जहाजों की मुख्य मरम्मत करना,
3. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन लि० के लिए जहाजों की खरीद,
4. आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था,
5. अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय को मजबूत करना.
6. जल सर्वेक्षण के लिए सर्वे लांचेस उपकरणों आदि की खरीद करना,
7. क्षेत्रीय निदेशालयों की स्थापना करना,
8. राष्ट्रीय जलमार्ग,
9. अन्तर्देशीय जल परिवहन उद्यमकर्ताओं को इंटरैस्ट सबसिडी देना,
10. गंगा में नदी सेवाएं,
11. असम में पांडू पर ड्राईडाक की व्यवस्था करना,
12. गोवा में जुआरी, मान्दुवी और मापुसानवी में मुख्य निकर्षण,
13. केरल में उद्योग मण्डल नहर का सुधार।

उपरोक्त (1) से (10) तक की योजनाएं केन्द्रीय योजनाएं हैं और (11) से (13) तक की योजनाएं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर में (11) से (13) तक उल्लिखित योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शामिल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की एक सूची संलग्न है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. बकंघिम नहर का सुधार (स्टेज II)
2. चेराला से राजमुन्द्री तक गोदावरी नदी का सुधार।
3. कोमामुर नहर का सुधार।

4. एलरु नहर का सुधार ।

5. मचलीपट्नम नहर का सुधार ।

6. काकीनाडा नहर का सुधार ।

असम

7. अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रशासन का विस्तार ।

8. उच्चतर प्रशिक्षण की सुविधाएं ।

9. अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाओं के लिए जहाज प्राप्त करना ।

10. ब्रह्मपुत्र नदी में सफाई कार्य और दो सर्व लांचों की खरीद ।

11. जेटियो और टर्मीनल सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

12. रात्रि-नौचालन की व्यवस्था ।

बिहार

13. फेरी सेवाएं चलाना ।

गुजरात

14. नौचालन योग्य नदियों का निकर्षण ।

15. मरम्मत सुविधाएं—वर्कशाप मशीनरी आदि ।

16. नौचालन साधन ।

17, मगदाला और ध्रुवारन पर माल उतारने की सुविधाएं ।

18. जलयानों की खरीद ।

19, जल सर्वेक्षण ।

गोवा

20. बाटिम में समुद्री वर्कशाप का विस्तार ।

जम्मू और कश्मीर

21. वर्कशाप सुविधाओं और एक स्लिपवे की व्यवस्था ।

केरल

22. कोचीन और कीलोन के बीच पश्चिमी तट नहर का सुधार ।

कर्नाटक

23. कोडबाग और सदाशिवगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ते हुए फेरी सेवा ।

24. फेरियों का आधुनिकीकरण ।

महाराष्ट्र

25. थाना-क्रीक-उल्हास नदी जलमार्गों का सुधार।

उड़ीसा

26. विभिन्न नहरों और क्रीकों में अन्तर्देशीय नौचालन के विकास के लिए जांच करना।

27. उड़ीसा तट नहर का सुधार।

तमिलनाडु

28. तमिलनाडु में उत्तरी-बकंघिम नहर का सुधार (स्टेज-II)

29. दक्षिण बकंघिम नहर का सुधार।

उत्तर प्रदेश

30. घाघरा में सेवाएं चलाने और वहां माल उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था करना।

पश्चिम बंगाल

31. कलकत्ता के निकट हुगली नदी पर/के साथ-साथ यात्री सेवा के लिए टर्मीनल सुविधाओं की व्यवस्था।

32. सुन्दरवन में 6 स्थानों पर माल उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था करना।

33. क्रिस्टोपुर नहर का सुधार।

34, डी. बी. सी. नहर का सुधार।

35. हिजिली टाईडल नहर का सुधार।

अजमेर में नया रेलवे जोन

3248. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए रेल मन्त्री ने अजमेर में मुख्यालय के साथ अजमेर में मीटर गेज लाइन जोन बनाने की वांछनीयता एवं सम्भाव्यता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) उत्तर और पश्चिम रेलों का पुनर्गठन करके मीटर लाइन रेलवे का एक नया जोन स्थापित करने का प्रस्ताव कुछ समय से विचाराधीन है। किन्तु वित्तीय निहितार्थ तथा परिचालनिक कठिनाइयों की दृष्टि से इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। 19-2-81 को रेल मन्त्री द्वारा 1981-82 के अपने बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुसार गठित की जाने वाली विशेषमों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस मामले की आगे जांच की जायेगी।

रेलवे पुलिस बल

3249. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस बल में कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण अब भी 1912 के ब्रिटिश मानकों के आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में यैंक माइलेज, बढ़ती चोरी, डकैतियों तथा हिंसा को देखते हुए यह सख्या वर्तमान आवश्यकता के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों ने रेलवे पुलिस बल में वृद्धि करने के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या सरकार ने रेलवे पुलिस बल में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए नये मानक तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए वित्त जुटाने हेतु क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। राजकीय रेलवे पुलिस की सख्या राज्य सरकारों तथा रेलों की सहमति से निर्धारित की जाती है जो पूर्णतया कार्य भार पर आधारित होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) कई राज्य 50-50 के आधार पर लागत वहन करने के लिए सहमत नहीं हैं। किसी भी राज्य ने संख्या बढ़ाने से इन्कार नहीं किया है परन्तु अभी तक कुछ राज्यों से संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) (क) के अनुसार।

(ङ) जहां तक लागत में हिस्से का प्रश्न है, विभिन्न समितियों द्वारा रेलों पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए की गयी सिफारिशों के परिणामस्वरूप यह मंत्रालय राजकीय रेलवे पुलिस का आधा खर्च वहन करने पर सहमत हो गया है।

पटना रेलवे स्टेशन में जाली टिकटों की बिक्री

3250. **श्री एच० एन० गौडा : श्री के० लक्कप्पा : श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटना रेलवे स्टेशन के कुछ बुकिंग क्लर्क जाली टिकटों की बिक्री और लेखों में लगे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणारस्वरूप रेलवे को अनुमानत: कितने राजस्व की हानि हुई;

(ग) वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) नवम्बर-दिसम्बर, 1979 में निवारक जांच के दौरान पटना जं० की टिकट खिड़की से कुछ इस्तेमाल किये हुए जाली टिकट बरामद किये गए थे। बाद में, संदिग्ध कर्मचारियों के घरों की तलाशी के दौरान बिहार पुलिस के कोरे रेलवे वारंटों सहित कुछ अभिशंसी कागजात बरामद हुए थे। रेलवे को राजस्व की हुई हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मामले अभी न्यायाधीन हैं। पटना स्टेशन पर और की गयी निवारक जांचों में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

10-सूत्री मांग पत्र

3251. **श्री चित्त बसु** : क्या **रेल मन्त्री** अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के मांग पत्र के बारे में 20 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10-सूत्री मांग पत्र की विभिन्न मदों के बारे में सरकार की स्थिति क्या है; और

(ख) विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग में सुलझाने के लिए सरकार का आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अखिल भारतीय रेलवे मैन्स फैडरेशन के 10-सूत्री मांग पत्र में, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के सामान वेतन, मंहगाई भत्ते के फार्मूले मे, संशोधन, मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए नगरों का पुनर्वर्गीकरण आदि जैसी अनेक मांगें ऐसी हैं जिनकी सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए जांच करना अपेक्षित है अतः केवल रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई एकतरफा निर्णय नहीं किया जा सकता। सरकार औपचारिक रूप से तथा इसके लिए गठित नियमित मंचों पर अखिल भारतीय रेलवे मैन्स फैडरेशन के 10-सूत्री मांग पत्र पर पहले ही विचार-विमर्श कर चुकी है। सौहार्दपूर्ण समझौता करने की दृष्टि से जब कभी आवश्यक होगा आल इन्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के साथ और आगे बैठकें होती रहेंगी।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली में दन्त चिकित्सा कक्ष

3252. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने 1977 में मौलाना आजाद मेडिकल कालेज दिल्ली में दन्त चिकित्सा कक्ष की स्थापना की पहल की थी; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव में एक बी० डी० एस० पाठ्यक्रम चलाने की परिकल्पना की गई थी जिसमें 20 छात्रों को दाखिला दिया जाना था और इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 40 किया जाना था। उसमें यह भी परिकल्पना की गई थी कि बाद में विभिन्न विषयों में एम० डी० एस० पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। भारत सरकार ने पूर्वोक्त प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में विधिवत मंजूरी दे दी थी। दिल्ली प्रशासन ने पूर्वोक्त योजना के सम्बन्ध में अपेक्षित पद बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही करने के लिए दिल्ली प्रशासन से और ब्यौरा मांगा गया है।

नागदा-उज्जैन लाइन को दोहरी किया जाना

3253. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के नागदा-उज्जैन रेल लाइन को दोहरी लाइन में बनाने का कार्य 2 मार्च, 1980 तक पूरा किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन):(क) और (ख) उज्जैन-नैखेड़ी लाइन पहले से ही दोहरी लाइन खंड है। नागदा और पिपलोदा बागला के बीच दोहरी लाइन बिछाना एक अनुमोदित कार्य है और कार्य प्रगति पर है। पिपलोदा बागला-नैखेड़ी मध्यवर्ती खंड में 1981-82 के बजट के दौरान दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। रेल पथ की सामग्री और गर्डरों की अनुपलब्धता के कारण इसमें देरी हुई है और नागदा में पिपलोदा बागला तक दोहरी लाइन बिछाने का कार्य 31.12.81 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

अग्रिम वेतन वृद्धि

3254. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मन्त्री अकाउन्ट क्लर्कों की अग्रिम वेतन वृद्धियों को बन्द किये जाने के बारे में 13.3.80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : ओडिक्म 2 आई० आर० ई० एम० अर्हता प्राप्त अकाउन्ट क्लर्कों को अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के बारे में इस बीच क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इस मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है।

प्रत्येक चिकित्सक द्वारा इलाज किये जा रहे व्यक्तियों की औसत संख्या

3255. **श्री जैतुल बशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में एक डाक्टर के द्वारा औसतन कितनी जन-संख्या की सेवा की जाती है; और

(ख) यदि इसमें कोई असमानता है, तो उसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आधुनिक और परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के अलग-अलग कितने डाक्टर हैं और वे औसतन कितने लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इसके दो विवरण संलग्न हैं।

(ख) स्वास्थ्य संबंधी कार्यदल की सिफारिशों पर छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में जो संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम रखा गया है उसमें जिला/तालुक स्वास्थ्य केन्द्रों/ अस्पतालों के अलावा 30,000 जनसंख्या के लिए और जनजातीय क्षेत्र अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने, तथा 1,00,000 जन संख्या के लिए 4 विशेषज्ञताओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा को स्थिति अनुकूल बनाने और स्वास्थ्य परिचर्या को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करने की एक योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मैडिकल कालेज द्वारा एक चरणबद्ध रूप में 3 ब्लाक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तब तक अपनाए जाने हैं जब तक कि वह कालेज अपने पूरे जिलों को कवर नहीं कर लेता।

स्वास्थ्य संबंधी इस कार्य दल ने यह भी सुझाव दिया है कि बेरोजगार डाक्टरों को नौकरियां दी जाएं और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन आदि दिए जाएं जिससे वे उन स्थानों पर अपनी प्रैक्टिस कर सकें ताकि देहाती लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य परिचर्या की पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध की जा सकें। परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को स्वास्थ्य परिचर्या के स्वास्थ्य वर्धक तथा रोग निरोधी विषयों में प्रशिक्षित कर शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है। जब ये सिफारिशें लागू कर दी जाएंगीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के उपलब्ध होने में काफी सुधार होने की संभावना है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2108/81]

टैक्सी ड्राइवरों द्वारा यात्रियों से बहुत किराया लिया जाना

3256. **श्री के० मालन्ना : श्री चिंतामणि जेना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की टैक्सियों में व्यक्तियों के बैठने की संख्या के बारे में और वे कितना सामान ले जाने के लिए प्राधिकृत हैं, इसका कोई संकेत नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि टैक्सी ड्राईवरों द्वारा जनता विशेषकर पर्यटकों और अन्य यात्रियों से बहुत किराया लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्राजय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हालांकि यह सच है कि दिल्ली में टैक्सियों की अधिकतम सख्या तथा वजन के बारे में कोई सूचना नहीं दी हुई होती है। लेकिन यह सूचना परमिट में दी गयी होती है।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस तथा परिवहन निदेशालय को अधिक भाड़ा वसूली, सवारी ले जाने से इन्कार करने तथा दुर्व्यवहार इत्यादि की शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है तथा चालकों/मालिकों का चालान किया जाता/पर मुकदमा चलाया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, चालक लायसेंस तथा परमिट निलम्बित कर दिए जाते हैं।

ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा शुरू की गई परिवार कल्याण परियोजनाएं

3257. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार का ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ० डी० ए०) भारत में कुछ परिवार कल्याण परियोजनाएं शुरू करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस तरह की कोई परिवार कल्याण परियोजना उड़ीसा में माताओं तथा बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए शुरू की जाएगी; और

(ग) प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने छठी पचवर्षीय योजना अवधि में देश के चुनिंदा भागों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सेवाओं को मजबूत करने की एक योजना बनाई है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय धन देने वाली एजेंसियों से भी आंशिक सहायता मिलेगी। इस योजना के अधीन उड़ीसा के 5 जिलों को ब्रिटिश सरकार के समुद्रपार विकास प्रशासन से सहायता दिलाने के लिए चुना गया है। इन जिलों के नाम हैं कटक, गंजम, कालाहांडी, फूलबनी और पुरी।

(ग) भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा के लिए इस परियोजना की मंजूरी दे दी है। इस पर काम अभी-अभी शुरू हुआ है।

चलती माल गाड़ियों से बड़े पैमाने पर माल की चोरियां

3258. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चलती हुई माल गाड़ियों में बड़े पैमाने पर माल की चोरियां हो रही हैं; और

(ख) इसके लिए सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मुआवजे के रूप में कितनी राशि अदा की और 31 जनवरी, 1981 को कुल कितनी राशि के दावे रेलवे के पास निर्माणाधीन पड़े थे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चलती गाड़ियों से माल की चोरी की समस्या से सरकार अवगत है।

(ख) विशिष्ट कारणों के मुआवजे के रूप में भुगतान की गयी रकम के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि हानि/चोरी और डकैतीगीरी के कारण रेलों द्वारा मुआवजे के रूप में भुगतान की गयी रकम नीचे दी गयी है :—

वर्ष	भुगतान की गयी रकम
	(लाख रुपयों में)
1977–78	999.89
1978–79	803.33
1979–80	735.28

आन्ध्र प्रदेश की अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाएं

3259. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र को अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाएं प्रस्तुत की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न नदियों को मिलाने वाली नहरों के माध्यम से अन्तर्देशीय परिवहन प्रणाली विकसित करने पर विशेष ध्यान देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में केन्द्र प्रायोजित योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया है :—

1. आंध्र प्रदेश में बकिंघम नहर में मशीन युक्त जलयान चलाने के लिए नहर का सुधार।
2. कोयले की ढुलाई के लिए गोदावरी नदी का चेरला से राजामुन्दरी तक सुधार।
3. कोमानूर नहर का सुधार।
4. एल्लूरु नहर का सुधार।
5. मछलीपट्टनम नहर का सुधार।
6. काकीनाड़ा नहर का सुधार।

धन की कमी के कारण उपरोक्त किसी भी योजना को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सका है। अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में प्रोटो-टाइप अध्ययन करने के लिए एक योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

गोदावरी और कृष्णा नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित जलमार्गों की सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने देश में महत्वपूर्ण जलमार्गों के जलीय अध्ययन के लिए एक योजना स्वीकृत की है जिसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों को भी शामिल किया गया है। एक और योजना भी स्वीकृत की गयी है। यह महत्वपूर्ण जलमार्गों का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बारे में है। इसमें कृष्णा और गोदावरी नदियों को भी शामिल किया गया है।

इसके अलावा महत्वपूर्ण जलमार्गों पर माल के परिवहन संबंधी अध्ययन तथा बकिंघम नहर की उपयोगिता विषयक अध्ययन केन्द्रीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

(ग) भारत सरकार नहरों के द्वारा अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास पद्धति की महत्ता से परिचित है। आंध्र प्रदेश में विभिन्न नदियों को मिलाने वाली नहरों के विकास को राज्य सकरार की राज्य प्लान योजनाओं के अन्तर्गत लिया जायेगा।

हल्दिया बन्दरगाह में तेल जेटी के निर्माण के बारे में सम्भाव्यता प्रतिवेदन

3260. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बन्दरगाह पर एक अन्य तेल जेटी के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल के बारे में सम्भाव्यता प्रतिवेदन तथा परियोजना प्रतिवेदन मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड से सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन की संभावना के बारे में रिपोर्ट अभी अन्तिम रूप से नहीं प्राप्त हुई है। मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लि० के सहायक विदेशी परामर्शकों ने, हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिए कच्चे तेल के चढ़ाने-उतारने के लिए भविष्य में टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

अन्तर्राज्यीय रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों को दुर्घटनाग्रस्त होना

3261. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर-राज्यीय रूटों पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों से सम्बद्ध इस वर्ष हुई अनेक दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ये दुर्घटनाएं कब और किन-किन स्थानों पर हुई और उनमें जान और माल की कितनी-कितनी हानि हुई;

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना विवरण में संलग्न है।

(ग), (घ) और (ङ) सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों के रूप में और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगाया गया है ताकि बस की अधिकतम स्पीड पर नियंत्रण रखा जा सके। दुर्घटनाओं के कन्ट्रोल के लिए दिल्ली परिवहन निगम में एक दुर्घटना कक्ष विशेष रूप से बनाया गया है जो दुर्घटना निवारक उपाय करता है।

विवरण

क्रम सं०	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना का स्थान	राज्य	मृतकों की संख्या	क्षति की लागत
1	2	3	4	5	6
1.	1.4.1980	नीलोखेड़ी	हरियाणा	—	रु० 2,250.00
2.	29.4.1980	दौराला	उत्तर प्रदेश	—	6.500.00
3.	2.6.1980	हल्दाना	हरियाणा	—	50,000.00
4.	4.6.1980	थुड चौक	उत्तर प्रदेश	—	30,000.00
5.	9.6.1980	गुजर बस्ती	उत्तर प्रदेश	—	1,000.00
6.	15.6.1980	वधुवास	राजस्थान	1	225.00
7.	23.6.1980	घरौंडा	हरियाणा	—	3,250 00
8.	24.6.1980	20 मील पत्थर	हरियाणा	1	—
9.	27.6.1980	पुरकाजी	उत्तर प्रदेश	4	65,000.00
10.	21.7.1980	सिदरावली	हरियाणा	1	100.00
11.	27.7.1980	सुवर्तो पार्क	दिल्ली	भैंस मरी	2,600.00
12.	1.8.1980	दौराहा	पंजाब	1	1 500.00
13.	7.8.1980	सैक्टर-28 फरीदाबाद	हरियाणा	1	—
14.	24.8.1980	जमुना बाजार	दिल्ली	1	—

1	2	3	4	5	6
15.	3.9.1980	झट्टीपुर	हरियाणा	—	6,000.00
16.	15.9.1980	पटपरगंज डिपो	दिल्ली	—	7,000.00
17.	22.9.1980	बिलासपुर	हरियाणा	6	25,000.00
18.	29.9.1980	एस.एस. फैक्टरी शाहदरा	दिल्ली	1	—
19.	28.8.1980	हरिद्वार	उत्तर प्रदेश	1	—
20.	11.10.1980	वरिलर नाला	हरियाणा	—	30,000.00
21.	22.10.1980	झांगीरपुरी	दिल्ली	—	5,000.00
22.	24.10.1980	नगामाली	मध्य प्रदेश	—	12,162.00
23.	29.10.1980	नूह	हरियाणा	—	2,250.00
24.	9.11.1980	नेयर खन्ना	पंजाब	—	35,000.00
25.	15.11.1980	बहलरावाद रुड़की के बीच	उत्तर प्रदेश	—	3,700.00
26.	21.11.1980	पीपली के समीप	हरियाणा	—	3,700.00
27.	22.10.1980	कोटपुतली	राजस्थान	—	9,250.00
28.	25.11.1980	मुरेना	मध्य प्रदेश	21	1,50,000.00
29.	25.11.1980	हमेमरगढ़	राजस्थान	1	100.00
30.	29.11.1980	राजपुर	पेप्सू	—	20,750.00

1	2	3	4	5	6
31.	2.12.1980	राजपुरा	पेप्सू	—	4,750.00
32.	3.12.1980	पटियाला	पेप्सू	मैंस मरी	265.00
33.	19.12.1980	नानोटा	उत्तर प्रदेश	—	6,750.00
34.	28.12.1980	गोराहा	पंजाब	1	2,800.00
35.	30.12.1980	जमुना बाजार	दिल्ली	—	5,050.00
36.	2.1.1981	विलासपुर	हरियाणा	6	1,40,000.00
37.	5.1.1981	करनाल वाईपास	हरियाणा	—	8,500.00
38.	14.1.1981	पलालनगर	उत्तर प्रदेश	—	12,000.00
39.	24.1.1981	धरौंडा	हरियाणा	—	55,000.00
40.	3.2.1981	जी. टी. के. डिपो	दिल्ली	—	1,150.00
41.	3.2.1981	मोदीनगर	उत्तर प्रदेश	—	5,750.00
42.	17.2.1981	अम्बाला कैंट	हरियाणा	—	1,350.00
43.	17.2.1981	कटोरी मिल	उत्तर प्रदेश	—	1,250.00
			कुल	(48)	7,83,552.00

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा मशीनीकृत नौकाओं का किराए पर लिया जाना

3262. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने पूर्वी समुद्र-तट पर प्रयोग करने के लिए किन्हीं मशीनीकृत नौकाओं को किराए पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सौदे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किराए पर ली गई नौकाओं के किराये का ब्यौरा क्या है, वर्ष 1979 और 1980 में ड्रेजिंग कारपोरेशन ने कितने-कितने जल-पोत किराये पर लिए थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) अपेक्षित ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	नौका सप्लायर का नाम	नौका की हार्स-पावर	जहां नौका इस्तेमाल की गई	किराए की अवधि	किराए का ब्यौरा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	1979 में :					
1.	मैसर्स अक्वालिक मैराइन सर्वेसेज कलकत्ता ।	180 बी. एच. पी.	कलकत्ता/ हल्दिया	1-4-79 से 31-3-80	प्रतिदिन 500/- रुपये	रिटैनशन चार्जेस ।
2.	श्री जी. आर. रेड्डी, विशाखापत्तनम्	100	परादीप	19-9-79 से 26-11-79	प्रतिदिन 720/- रुपये	इसमें एच. एस. डी. का खर्च शामिल नहीं है ।
3.	श्री जी. विश्वनाथ, विशाखापत्तनम् ।	100	डी. जी. एन. पी. विशाखापत्तनम्	1-1-79 से 31-12-79	प्रतिदिन 450/- रुपये	इसमें एच. एस. डी. का खर्च शामिल नहीं है ।
4.	श्री के. वी. ए. एम. एन. पटनायक, एच. पी. विशाखापत्तनम् ।	63.8 बी	—यथोक्त—	26-2-79 से 8-5-79	प्रतिदिन 409/- रुपये	—
5.	मैसर्स विजाग मैराईन सर्वेसेज विशाखापत्तनम् ।	100	मद्रास	4-9-79 से 31-12-79 तक	प्रतिदिन 549/- रुपये	इसमें एच. एस. डी. का शामिल नहीं है ।
	1980 में :					
1.	मैसर्स अक्वालिक मैराइन सर्वेसेज कलकत्ता ।	—	कलकत्ता/ हल्दिया	1-4-80 से अब तक	प्रतिदिन 533/- रुपये	रिटैनशन चार्जेस ।

1	2	3	4	5	6	7
2.	श्री वी. मुरालिकृष्ण स्वरूप, विशाखापत्तनम् ।	100	परादीप	4-9-80 से 25-10-80, 18-11-80 से 18-12-80	प्रतिदिन 720/-रुपये	इसमें एच. ए. डी. का शामिल नहीं है ।
3.	श्री जी. विश्वनाथ, विशाखापत्तनम् ।	100	डी. जी. एन. पी., विशाखापत्तनम्	1-1-80 से 28-9-80	प्रतिदिन 450/- रुपये	—यथोक्त
4.	—यथोक्त—	100	आऊटर हारबर प्रोजेक्ट, वी. पी. टी. विशाखापत्तनम्	19-9-80 से 31-12-80	प्रतिदिन 450/- रुपये	
5.	मैसर्स विजाग मैराईन सर्वेसेज विशाखापत्तनम् ।	100	मद्रास	1-1-80 से 3-7-80	प्रतिदिन 549/- रुपये	
6.	श्री अमुथानाथन, मद्रास ।	100	— मद्रास—	4-7-80 से 31-12-80	प्रतिदिन 350/- रुपये	
7.	श्री के. नागभूषण राव विशाखापत्तनम् ।	100	टूटीकोरिन	25-2-80 से 31-12-80	प्रतिदिन 550/- रुपये	

क्योल-गया सवारी गाड़ी को देहरी तक बढ़ाया जाना

3263. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्योल-गया सवारी गाड़ी जो, गया प्रातः 10.00 बजे पहुंचती है और वहा पर सायं 5.00 बजे तक रुकी रहती है, को देहरी रेल स्टेशन तक बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस गाड़ी को देहरी तक चलाए जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में रेल व्यवस्था

3264. **श्री जी० नरसिंह रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे प्रथम पांच देश कौन-कौन से हैं, जहां रेल व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर है;

(ख) माल डिब्बों की कुल संख्या, माल की प्रति वर्ष की जाने वाली कुल ढुलाई (टनों में), रेल लाइनों की कुल लम्बाई के संदर्भ में हमारे देश सहित उक्त पांच देशों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रतिदिन चलने वाली रेल गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पांच देशों के नाम का अधिकतम जाल है	मार्ग कि० मी०	माल डिब्बों की कुल संख्या	प्रति वर्ष ढोये गए माल का कुल टन भार (हजार टनों में)	रेल पथ की कुल लम्बाई (कि० मी० में)	प्रति दिन चलने वाली गाड़ियों की संख्या
राज्य अमरीका संघ	404,391 @	1,232,080 *	1,264,217 * £	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
संघ	139,762 @	उपलब्ध नहीं	3,329,400 @	उपलब्ध नही	उपलब्ध नहीं
	73,267 @	उपलब्ध नहीं	304,082 @£	96,963 @	उपलब्ध नहीं
	60,933	405,185	217,838	103,906	11,000
	50,000 @	200,000 @	945,000 @	100,000 @ (लगभग)	उपलब्ध नहीं

@ यह सूचना जेनस् वर्ल्ड रेलवेज, 1979-80 से संकलित की गई है।

* 1975 के अंत में।

* यह सूचना अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सांख्यकी, 1977 से संकलित की गई है।

£ इन आंकड़ों को संकलित करने की कार्यविधि अन्य देशों की रेलवेज की कार्यविधि से भिन्न होने के कारण इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए स्वीकृति धनराशि

3265. **श्री जयनारायण रोट** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1980 तक की अवधि के दौरान, वर्ष-वार राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए केन्द्रीय निधि में से कुल कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सेक्टर सड़क कार्यक्रम के अधीन अनेक सड़कें आदिवासी इलाकों के लिए हैं। केन्द्रीय सेक्टर सड़क कार्यक्रम के अधीन राजस्थान राज्य के आदिवासी इलाकों में सड़कों पर जिसमें पुल भी शामिल हैं, 1977 से 31-3-1981 तक 629.73 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

गया-पटना लाइन को दोहरी किया जाना

3266. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया और पटना जंक्शन के बीच रेल लाइनों को दोहरी करने के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इसे छठी पंचवर्षीय योजनावधि में पूरा किया जाएगा और इसे पूरा करने की समय-सूची क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) चूंकि अभी तक इस प्रकार का कोई कार्य रेलवे की योजना में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी प्रगति अथवा उसके पूरा होने का अभी प्रश्न नहीं उठता है। प्रसगवश यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए इस मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने का अभी औचित्य नहीं है।

पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोगों का कार्यक्रम

3267. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए गठित विभिन्न संयुक्त आयोगों के कार्यकरण की जांच की है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे आयोगों के विचार-विमर्श के दौरान किये गये विभिन्न समझौतों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री : (श्री पी० शिवशंकर): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लेकिन ऐसे आयोगों के विचार-विमर्श के दौरान किए गए विभिन्न करारों की प्रगति की सरकार अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श करके, और जहां कहीं आवश्यक हो वहां कार्यकारी दलों के माध्यम से संबद्ध देशों के साथ अधिकारी स्तर पर बातचीत करके, समीक्षा करती रहती है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपर्याप्त स्टाफ

3268. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मद्रास में पर्याप्त स्टाफ नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के लोगों को बहुत लम्बे अर्से के बाद पासपोर्ट मिलता है;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय 21,000 से अधिक पासपोर्ट अभ्यावेदन लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां। 1981 के दौरान पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या में अचानक वृद्धि को देखते हुए स्टाफ अपर्याप्त है।

(ख) साधारणतया आवेदकों को लगभग चार सप्ताह में पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं। 1980 की तुलना में 1981 के जनवरी और फरवरी महीनों में पासपोर्ट कार्य में अचानक लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से पासपोर्ट जारी करने में पहले से कुछ अधिक समय लगने लगा है।

(ग) जी, हां। लेकिन इन मामलों पर यथासंभव तत्परता के साथ विचार किया जाता है और इसे अनुचित विलम्ब नहीं माना जा सकता।

(घ) पासपोर्ट कार्य में वृद्धि से निपटने के लिए उपाय पहले से ही किये जा रहे हैं।

टाटानगर और पटना के बीच अधिक गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

3269. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि टाटानगर और पटना के बीच साउथ बिहार एक्सप्रेस गाड़ी चलती है;

(ख) क्या यह सच है कि विवाह-शादियों की शुभ तारीखों के समय और होली के त्यौहार के समय इस गाड़ी में इतनी भीड़ होती है कि यात्रियों को इससे यात्रा करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टाटानगर और पटना के बीच एक और गाड़ी चलाने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य बिभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ख) फिलहाल 87/88 टाटानगर पटना-साउथ बिहार एक्सप्रेस में डिब्बों की संख्य बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे खींचने की गुंजाइश नहीं है। टाटानगर तथा पटना के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना भी परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

मनोरोग के रोगी

3270. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में मनोरोग के रोगियों की देखभाल करने वाली पंजीकृत सरकारी औ गैर-सरकारी संस्थाओं की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इन संस्थाओं को कुल कितनी राशि दी जाती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं को आधुनिक बनाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर दो ऐसी संस्थाएं हैं जो मानसिक रोगियों को इलाज की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। पहली सस्था केन्द्रीय सरकार की संस्था है जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और दूसरी संस्था एक स्वायत्त शासी संस्था है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है और यह मंत्रालय उनके खर्चों का कुछ भाग पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान देता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान 1980-81 में केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची के लिए 53.20 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है। राष्ट्रीय मानसिक रोग और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर के लिए बजट अनुमान 1980-81 में 146.92 लाख रुपये की व्यवस्था है।

बंगलौर स्थित राष्ट्रीय मानसिक रोग तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में 4000.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी भांति केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान के लिए 45.00 लाख रुपये की व्यवस्था है।

दिल्ली परिवहन निगम कार्मिकों द्वारा निर्गम द्वार से बसों में चढ़ना

3271. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **नौवहन और परिबहन मन्त्री** दिल्ली नगर नियम के कर्मचारियों द्वारा निर्गम द्वार से बसों में चढ़ने के बारे में 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी के समय अथवा ड्यूटी पर न होते समय दिल्ली परिवहन की बसों में निर्गम

द्वार से चढ़ने संबंधी दुखद प्रणाली बिना किसी रुकावट के अभी जारी है और इसकी अभी कोई रोकथाम नहीं की गयी है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम की निहायत घटिया सेवा के संदर्भ में इससे उन दैनिक यात्रियों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिन्हें बसों में चढ़ने के लिए कुछ स्टेण्डों पर घन्टों प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने तथा दैनिक यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस बारे में कड़ी हिदायतें हैं कि ड्यूटी पर हाजिर चैकिंग स्टाफ को छोड़कर जिन्हें चैकिंग के दौरान कभी-कभी बसों में निर्गम द्वार से चढ़ना पड़ता है, स्टाफ के बाकी सदस्य केवल प्रवेश द्वार से ही बसों में चढ़ें। कुछ इक्के-दुक्के मामलों को छोड़कर, अधिकांश मामलों में स्टाफ के सदस्य इन हिदायतों का पालन करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) इस बारे में कई बार हिदायतें दी गयी हैं कि बस कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को अगले गेट से चढ़ने की अनुमति न दें।

दिल्ली परिबहन निगम की बसों में पुलिस कर्मचारियों द्वारा मुफ्त यात्रा

3272. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** दिल्ली परिवहन निगम की वसों में पुलिस कर्मचारियों द्वारा मुफ्त यात्रा किए जाने के बारे में 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक कोई जांच की जाती है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में वर्दी पहने हुए 2 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाये, यदि हां, तो कितने-कितने समय से और किन-किन स्तरों पर;

(ख) क्या यह सच है कि एक बार में न केवल दो परन्तु चार या इससे अधिक व्यक्ति, विशेषकर सुबह के समय मुफ्त यात्रा करते हैं;

(ग) क्या पंक्ति तोड़ना अथवा निर्गम द्वार से प्रवेश करना बेरोकटोक जारी है;

(घ) क्या पुलिस आयुक्त के स्तर पर कोई अनुदेश दिए गए हैं कि पुलिस कर्मचारियों को निर्गम द्वार से बसों में चढ़ने से दृढ़तापूर्वक रोका जाय; और

(ड) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो क्या वह अब ऐसा करवायेंगे और इस बारे में यात्रियों को प्रतिदिन होने वाली कठिनाइयों जो दूर करेंगे।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है कि वे अचानक जाकर चैकिंग किया करें और फिर इस तरह की अचानक जांच करने के लिए उनकी सतर्कता शाखा को विशेष हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को पहले इस तरह की कुछ शिकायतें मिली थी ।

(ग) जी, नहीं । पुलिस आम तौर पर मुख्य बस स्टापों पर ही तैनात होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि बस में चढ़ने के लिए लाइन तोड़ी न जाएं । लाइन बनाये रखने के लिए दिल्ली परिवहन निगम का सुपरवाइजरी स्टाप भी सहायता करता है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने इस सम्बन्ध में 9.10.1980 को दिल्ली के सभी पुलिस कर्मियों को एक परिपत्र जारी किया है । प्रतिलिप संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०-टी० 2109/81]

आल इण्डिया मेडीकल स्टुडेन्टस एसोसिएशन द्वारा दिया गया माँग-पत्र

3273. **श्री डी० पी० जदेजा : श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया मेडीकल स्टुडेन्टस एसोसिएशन ने अक्टूबर, 1980 में सरकार को एक मांग पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), से (ग) दी आल इण्डिया मेडीकल स्टुडेन्टस एसोसिएशन ने इस मन्त्रालय को एक मांग-पत्र भेजा था जो जनवरी, 1981 में मिला था । तत्पश्चात 28 जनवरी, 1981 के अपने पत्र के साथ एसोसिएशन ने मांगों की एक और सूची भेजी जो निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित थी :

1. स्वास्थ्य उपचर्या और नौकरी की सुरक्षा,
2. इन्टर्नशिप स्टाइपेंड सहित चिकित्सा पाठ्यचर्या और शिक्षा,
3. स्नातकोत्तर दाखिले,
4. निर्णय करने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व, और
5. यूनियन और एसोसिएशन बनाना ।

एसोसिएशन ने जो मांगें रखी हैं उन्हें सरकार ने देख लिया है ।

इसके अलावा सभी राज्य सरकारों को लिख दिया गया है कि वे भी इन मांगों पर यथोचित कार्यवाही करें ।

नसबन्दी और बन्धीकरण के लिए उल्लेखनीय सेवा हेतु नकद पुरस्कार

3274. **श्री एस० ए० दोराई सेनिस्तियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 और 1980-81 (दिसम्बर, 80 तक) के दौरान नसबन्दी और बन्धीकरण के राज्यवार कितने आपरेशन किए गए;

(ख) क्या इनकी संख्या में कमी हुई है यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं तथा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस योजना में ग्राम सेवकों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों तथा स्कूल अध्यापकों, जिन्होंने इस योजना में उल्लेखनीय सेवा की है को कोई नकद पुरस्कार दिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) 1979-80 (दिसम्बर, 1979 तक) और 1980-81 (दिसम्बर, 1980 तक) के दौरान तथा 1979-80 के सारे वर्ष में कितने पुरुषों और महिलाओं ने नसबन्दी आपरेशन करवाये, उनका राज्यवार विवरण अनुबन्ध में दिया गया है ।

1979-80 में जितने पुरुषों ने नसबन्दी आपरेशन करवाये उनकी तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 1980 की अवधि में किये जाने वाले आपरेशनों की संख्या में 10.4 प्रतिशत की कमी आई । वैसे, उसी अवधि के बीच महिलाओं के नसबन्दी आपरेशनों की संख्या में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रेरणा और शिक्षा के जरिये बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के लिये उचित वातावरण तैयार करने के अभिप्राय से सरकार के सभी प्रचार माध्यमों को प्रयोग में लाया जा रहा है । सभी वर्गों की जनता का विशेष रूप से स्वैच्छिक और महिला संगठनों का सहयोग इस कार्यक्रम में लिया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पुरस्कार योजना में सर्वोत्तम कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को किसी जिले/निगम/नगरपालिका/पंचायत में कुल मिलाकर सर्वोत्तम कार्य के लिये नकद पुरस्कार देने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना में किसी भी व्यक्ति को नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था नहीं है । कुछेक राज्यों ने अपने-अपने राजकोष में से धन देने की योजनायें शुरू की हैं जिससे वे परिवार कल्याण कार्य में लगे कार्मिकों को सर्वोत्तम कार्य करने के लिये पुरस्कार दे सकें ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2110/81]

अफ्रीकी देशों में रेलवे का निर्माण

3275. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रेलवे का निर्माण करने में इस वर्ष बड़े पैमाने पर कई अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश कौन से हैं और जन-शक्ति, सामग्री और संसाधनों के संदर्भ में भारत द्वारा किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रत्येक मामले में अनुमानतः कितना पूंजी परिव्यय होगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जहां तक रेल मंत्रालय का संबंध है, ये देश हैं :—नाइजेरिया, घाना, टोगो, जैरे, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बावे, बोत्सवाना, मिश्र और लिबिया । दी जाने वाली या प्रस्तावित सहायता का स्वरूप प्रबन्ध व्यवस्था से लेकर परामर्श, तकनीकी ज्ञान और सुविज्ञता से संबंधित भिन्न-भिन्न किस्म और आकार का है । सम्प्रति, अफ्रीकी देशों में 461 रेलवे अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा अन्य 208 अधिकारियों को इन देशों के साथ ठेकों के अन्तिम निर्णय होने के बाद प्रतिनियुक्ति पर भेजने की सम्भावना है ।

(ग) इसमें कोई पूंजी परिव्यय अन्तर्विष्ट नहीं है ।

कानपुर और गया के बीच नीलाचल एक्सप्रेस में जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि

3276. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर और गया के बीच 175 अप और 176 डाऊन नीलाचल एक्सप्रेस में जंजीर खींचने की घटनाओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महिला सहकारिता संगठन

3279. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे स्टेशनों पर ठेकों/अन्य विशिष्ट कार्य महिला सहकारिता संगठनों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये योजना कब से आरम्भ की गई है ?

रेल मन्त्राल तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस संबंध में लिंग के आधार पर सहकारी समितियों के बीच कोई भेद भाव नहीं बरता जाता ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उज्जैन-खंडवा लाइन

3280. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारियों ने उज्जैन-इन्दौर-खंडवा बड़ी रेल लाइन को बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस पर कब कार्य शुरू करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उज्जैन और इन्दौर पहले से ही बड़ी आमान की लाइन से जुड़ा हुआ है। इन्दौर-खंडवा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यवसाय प्रशिक्षणार्थियों को खपाना

3281. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने 50 प्रतिशत नियमित रिक्त पदों पर व्यवसाय प्रशिक्षणार्थियों को खपाने का आदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आदेश ऐसे इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों जिन्होंने रेलवे विभाग में प्रशिक्षुता ली है, पर लागू होता है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रेलवे विभाग नियमित रिक्त पदों पर इंजीनियरी प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-3-78 से 31-3-79 तक हुई 50 प्रतिशत रिक्तियों में वाणिज्यिक ट्रेड में प्रशिक्षित एक्ट प्रशिक्षुओं को समाहित करने का विनिश्चय किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जबकि प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कानूनी अनिवार्यता थी, लेकिन उन्हें नौकरी देना रेलों के लिए अनिवार्य नहीं था।

(घ) जी, नहीं। उन्हें रेल सेवा आयोग के माध्यम से आना होता है।

परादीप पत्तन के लिए बृहद् योजना

3282. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परादीप पत्तन के लिए बृहद् योजना में बहुत से सामान्य माल वाहक पोतों, अयस्क पोतों और तेल पोतों के निर्माण की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना विकास कार्य हुआ है;

(ग) छठी योजनावधि के दौरान बृहद् योजना के अनुसार और आगे निर्माण कार्य के लिए क्या कार्यवही की जा रही है; और

(घ) 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाजों को जगह देने के लिए जहाज के अपेक्षित पानी की गहराई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय परादीप पत्तन में सामान्य माल को उतारने-चढ़ाने के लिए एक सामान्य माल घाट और एक मूरिंग घाट है। इसके अलावा यहां कच्चे लोहे के लिए भी एक घाट है। कच्ची धातु चढ़ाने-उतारने के संयंत्र में संशोधन करने और इसमें सुधार करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। जब यह योजना 1982 में पूरी हो जाएगी तब इस पत्तन पर प्रति वर्ष 4 मिलियन टन कच्चा लोहा उतारा-चढ़ाया जा सकेगा। एक दूसरे सामान्य माल घाट का निर्माण किया जा रहा है। यह मई, 1982 में तैयार हो जाएगा। एक तीसरे सामान्य माल घाट के निर्माण का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

(घ) परादीप पत्तन में कच्ची धातु लाने ले जाने वाले जहाजों के लिए समुद्र का ड्राव 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाजों के आने-जाने लिए पर्याप्त है। सामान्य माल घाटों पर 35,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाजों के आने-जाने के लिए समुद्र को गहरा किया जा रहा है।

हिमाचल एक्सप्रेस की गति बढ़ाया जाना

3283. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन एक्सप्रेस/डाक गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली और नांगल बांध के बीच चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस की गति को विगत पांच वर्षों में कम किया गया है और अब यह उक्त यात्रा पूरी करने में 1976 तक की अवधि में लिए जाने वाले समय से एक घंटा अधिक समय लेती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समय सारिणी की पुनरीक्षण करते समय, गाड़ी की गति बढ़ाकर यात्रा समय में कमी करने की व्यवहारिकता पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1978 में 53 अप/54 डाउन हिमाचल एक्सप्रेस गाड़ी को खींचने वाले भापइंजन की किस्म बदल जाने के कारण इस गाड़ी का यात्रा समय क्रमशः 55 और 50 मिनट बढ़ाना पड़ा।

(घ) अप्रैल, 1981 से लागू होने वाली समय सारिणी में 54 डाउन हिमाचल एक्सप्रेस की गति को बढ़ाकर इसका चालन समय 20 मिनट कम करने का प्रस्ताव है।

पठानकोट और दिल्ली के बीच नई गाड़ियों की मांग

3284. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पठानकोट और दिल्ली के बीच चामुण्डा एक्सप्रेस नामक नई गाड़ी चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों की मांग और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर क्या कार्रवाई की गई है और गाड़ी किस तारीख से चलाई जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली और पठानकोट के बीच एक नई गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं का अभाव होने तथा मार्गवर्ती खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी के कारण फिलहाल इसे परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

दिल्ली और कानपुर के बीच और अधिक गाड़ियां

3285. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और कानपुर के बीच प्रतिदिन कितनी गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या इस मार्ग पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए और अधिक गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) दिल्ली/नई दिल्ली और कानपुर के बीच 8 दैनिक गाड़ियां एक सप्ताह में 6 दिन, एक 4 दिन, 4 गाड़ियां 3 दिन और 4 गाड़ियां 2 दिन चलती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा एक्सप्रेस में चैन खींचने की घटनाएं

3286. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा रोजाना इस गाड़ी की चैन खींची जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस बुराई को दूर करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से लगातार जांचें की जा रही हैं।

बम्बई सेंट्रल यार्ड में हाई ग्रेड यार्ड निरीक्षक

3287. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सेंट्रल, सेंट्रल यार्ड तथा बान्द्रा थानान्तरण यार्ड (पश्चिम रेलवे) में हाई ग्रेड यार्ड निरीक्षक के पद नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त पद उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बम्बई मण्डल में 700-900 रु० (सं० वे०) के वेतनमान में यार्ड मास्टर के दो पदों की व्यवस्था की गई है जिनमें से एक पद बम्बई सेंट्रल कोचिंग यार्ड और दूसरा बान्द्रा विन्यास यार्ड के लिए है ।

डाक-गाडियों का समयानुसार चलना

3288. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से दिसम्बर, 1980 के दौरान डाक-एक्सप्रेस गाड़ियों के समयानुसार चलने सम्बन्धी रेलवेवार, स्थिति क्या रही;

(ख) जुलाई से दिसम्बर, 1979 के दौरान रेलवेवार उक्त स्थिति क्या रही; और

(ग) गाड़ियों को समयानुसार चलाने की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जुलाई से दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान, 1979 की इसी अवधि की तुलना में समय न खोने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय चालन का ब्यौरा संलग्न विवरण में रेलवेवार दिखाया गया है ।

(ग) गाड़ियों के समय पालन पर सभी स्तरों पर कड़ी निगाह रखी जाती है । परिहार्य रुकावटों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और गाड़ियों के चालन में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक/दंडात्मक कार्रवाही की जाती है । खतरे की जंजीर खीचने और होस पाइपों को अलग करने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

विवरण

जुलाई से दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान 1979 की इ ी अवधि की तुलना में समय न खोने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय चालन की प्रतिशतता

समय न खोने वाली, समय प्रतिशतता

	बी० जी०		एम० जी०	
मास	1979	1980	1979	1980
1	2	3	4	5
		मध्य रेल्वे		
जुलाई	80.7	87.3	—	—

1	2	3	4	5
अगस्त	81.8	83.5	—	—
सितम्बर	84.6	85.3	—	
अक्तूबर	84.2	85.1	—	—
नवम्बर	83.9	79.5	—	—
दिसम्बर	80.4	84.8	—	—
		पूर्वी रेलवे		
जुलाई	75.8	76.5	—	—
अगस्त	82.2	74.2	—	—
सितम्बर	79.5	72.6	—	—
अक्टूबर	79.5	73.4	—	—
नवम्बर	84.3	77.6	—	—
दिसम्बर	78.4	77.5	—	—
		उत्तर रेलवे		
जुलाई	90.7	90.6	90.4	86.3
अगस्त	94.3	91.1	94.7	94.6
सितम्बर	95.4	91.1	94.9	93.3
अक्टूबर	93.2	93.8	95.6	95.2
नवम्बर	90.6	92.0	92.5	97.1
दिसम्बर	90.0	91.1	96.0	95.9
		पूर्वोत्तर रेलवे		
जुलाई	94.6	95.1	86.6	75.9
अगस्त	95.2	92.3	92.3	73.3
सितम्बर	96.7	94.7	95.3	75.0
अक्टूबर	96.8	97.1	89.5	80.4
नवम्बर	96.6	96.7	91.3	79.2
दिसम्बर	95.8	96.0	88.2	74.0
	बी०जी०		एम०जी०	
		पूर्वोत्तर सीमान्त रलवे		
जुलाई	52.8	68.5	74.2	74.9
अगस्त	60.5	72.1	79.3	80.3

1	2	3	4	5
सितम्बर	58.4	71.8	69.5	82.0
अक्टूबर	71.0	62.5	83.8	75.1
नवम्बर	82.9	79.0	84.5	73.1
दिसम्बर	69.0	79.6	79.3	66.3
		दक्षिण रेलवे		
जुलाई	84.3	87.5	92.3	86.0
अगस्त	86.5	92.1	87.3	93.1
सितम्बर	82.6	91.0	84.1	93.6
अक्टूबर	86.0	90.4	88.8	92.5
नवम्बर	81.8	87.7	83.7	91.0
दिसम्बर	84.7	88.5	89.4	91.7
		दक्षिण-मध्य रेलवे		
जुलाई	87.8	88.7	88.4	88.0
अगस्त	89.6	86.0	76.0	90.0
सितम्बर	83.2	91.8	79.4	93.0
अक्टूबर	86.2	88.7	84.0	93.7
नवम्बर	81.2	90.0	88.0	98.7
दिसम्बर	90.9	91.0	84.3	89.0
		दक्षिण-पूर्व रेलवे		
जुलाई	82.8	82.0	—	—
अगस्त	88.3	92.4	—	—
सितम्बर	89.5	90.0	—	—
अक्टूबर	90.5	91.7	—	—
नवम्बर	85.7	91.0	—	—
दिसम्बर	90.4	89.5	—	—
		पश्चिम रेलवे		
जुलाई	85.7	93.3	90.8	91.0
अगस्त	89.7	94.9	91.0	93.2
सितम्बर	94.8	93.0	91.7	93.6
अक्टूबर	94.0	93.3	93.0	94.3
नवम्बर	90.0	87.9	88.2	93.3
दिसम्बर	89.2	85.7	90.0	93.1

केले की ढुलाई के लिए रेलवे द्वारा रियायत

3289. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के विशेषतया जल गांव जिले के केला उत्पादकों ने रेलवे द्वारा उस रियायत को बहाल करने की मांग की है जो दिल्ली को केला ले जाये जाने के लिए दी जाया करती थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) जी हां, केलों के यातायात के लिए अब तक जो रियायत दी जाती थी, उसे 30 जून, 1981 तक बढ़ा दी गयी है।

दिल्ली में जूनियर डाक्टरों के वेतनमान् और वजीफे में वृद्धि

3290. **श्री जी० एम० बनातवाला**: क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के जूनियर डाक्टरों के वेतनमान और वजीफे में वृद्धि के सम्बन्ध में डी० जी० एस० एस० समिति की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में निहित सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

वेतनमानों को युक्तियुक्त बनाने पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों का सारांश

"(क) एक संशोधित इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णतया जिला और तालुक मुख्यालय अस्पतालों पर आधारित है चलाया जाए;

(ख) हाऊस सर्जन्सी कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाए।

(ग) एक चार वर्षीय रेजीडेंसी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए जो स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित हो और जिस आवश्यकता का विशेषज्ञ समिति द्वारा निम्नलिखित बातों की जांच कर निर्धारण किया जाए :–

(1) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग तीन वर्षों तक ग्रामीण वातावरण में सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता और वांछनीयता।

(2) जूनियर और सीनियर रेजीडेंसी प्रशिक्षश कार्यक्रमों में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और सम्पूर्ण कार्यक्रम को क्रमबद्ध प्रक्रिया माना जाना चाहिए और इसके लिए चयन रेजीडेंसी मैचिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए गए सुझाव के अनुसार देश भर में सेलेक्शन के पहले वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) फैमिली प्रेक्टिस को समस्त शिक्षण कालेजों में मुख्य विशेषता के रूप में शुरू किया जाए और इसके लिए संघीय सरकार द्वारा पर्याप्त धन दिया जाए और सभी रेजिडेंसियों का आधा भाग फैमिली प्रेक्टिस तथा जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित रखा जाए।

(4) रेजीडेंट बने रहने के लिए किसी विश्वविद्यालय की एम० एस० परीक्षा अथवा एस० ए० एम० एस० परीक्षा को मुख्य महत्व देने के बजाए प्रासंगिक महत्व दिया जाए।

(घ) यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं तो रेजीडेंसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार के प्रेक्टिस बन्दी भत्ता तथा अन्य भत्तों के साथ चार वर्षीय कार्यक्रम में जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर–1 के 700–1300 रुपये के वेतनमान में ढाला जाएगा और इस सेवा अवधि को केन्द्र या राज्य मान्यता प्रदान करेगा। इन्टर्नशिप की अवधि के दौरान यह सिफारिश की गई है कि किसी प्रेक्टिस बन्दी भत्ते अथवा अन्य भत्तों के बिना भी रजिस्ट्रेशन स्टाइपेंड के रूप में 650 रुपये प्रतिमास का स्टाइपेंड होना चाहिए। यह निर्धारित स्टाइपेंड होना चाहिए और 12 महीनों की अपेक्षित अवधि की सेवा में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और यह बुनियादी तौर पर जिला तथा तालुक मुख्यालय अस्पतालों में उस विश्वविद्यालय अथवा कालेज के कर्मचारियों के सुपरवीजन में किया हुआ होना चाहिए जिसके साथ इन्टर्नशिप सम्बन्ध है। ऐसा कदम केवल तभी सम्भव हो सकेगा जब :–

(1) अस्पताली सेवाओं के रख-रखाव के प्रयोजनों के लिए रेजीडेंसी कार्यक्रमों पर भरोसा न हो;

(2) ऐसे कर्मचारियों को तैयार करना जो पहले ही स्नातकोत्तर अर्हताएं प्राप्त कर चूके हों और उन्हें सामान्य भत्तों सहित 1100-1500 के वेतनमान में ट्यूटर/डिमांस्टेटर जूनियर सर्जन अथवा जूनियर कंसल्टेंट के पद पर नियुक्त किया जाए।''

पदोन्नत हुये ट्रेन एग्जामिनर

3291. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली तथा फिरोजपुर डिवीजनों में वर्ष 1945 से, प्रारम्भिक वेतनमान में स्थायीकरण के लिए सीधे भर्ती हुये तथा पदोन्नत ट्रेन एग्जामिनरों के लिए क्रमशः 66-2/3 प्रतिशत तथा 33-1/3 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुपात अभी भी लागू है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त आदेश का पुनरीक्षण कब हुआ था; और

(घ) प्रारम्भिक वेतनमान में स्थायीकरण के लिये प्रत्येक स्रोत के लिये वर्तमान कोटा कितना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भूतपूर्व पश्चिमोत्तर रेलवे द्वारा अपनायी जाने वाली नीति के अनुसार गाड़ी परीक्षकों की कोटि में होने वाली 66-2/3 प्रतिशत रिक्तियां अप्रेंटिस गाड़ी परीक्षकों द्वारा भरी जाती थीं और सहायक गाड़ी परीक्षकों से पदोन्नत होने वाले गाड़ी परीक्षकों की पदोन्नति शेष 33-1/3 प्रतिशत रिक्तियों तक सीमित थी। जिन सहायक गाड़ी परीक्षकों को गाड़ी परीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया गया था, उनकी 33-1/3 प्रतिशत रिक्तियों पर पुष्टि करने पर विचार किया गया था। उनकी पुष्टि का निर्धारण उस तारीख के आधार पर किया गया था जिस तारीख को उन्होंने आर०-I पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त की जोकि गाड़ी परीक्षकों के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले पूर्वापेक्षित अर्हता थी। 16.11 61 को और उससे आगे गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता के निर्धारण की नीति बदल कर उस पद पर नियमित आधार पर पद भार ग्रहण करने की तिथि कर दी गयी अर्थात् पदोन्नति द्वारा आने वाले उम्मीदवार के मामले में पदोन्नति की तारीख और सीधी भर्ती द्वारा आने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रचालित पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, परन्तु इस शर्त के अधीन कि पदोन्नति द्वारा आने वाले और सीधी भर्ती द्वारा आने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक वरिष्ठता में कोई फेर बदल न हो, कर्मचारियों का स्थायीकरण भी तदनुसार ही किया जाना था। उत्तर रेलवे द्वारा 5-9-64 को आदेश जारी किये गये थे कि कुछ मंडलों पर अर्थात् दिल्ली और फिरोजपुर में अपनायी जाने वाली, यथा उपर्युक्त गाड़ी परीक्षकों की 2.1 के अनुपात में पुष्टि की नीति 16.11.51 से पहले होने वाली रिक्तियों के संबंध में जारी रखी जाये बशर्ते कि सीधी भर्ती से आने वाले उम्मीदवार आरक्षित कोटे के लिए उपलब्ध हों। जिन मंडलों पर पुष्टियां, पद पर नियुक्ति की तारीख से प्रतिशत के आधार पर नहीं की गयी थी, वहां 16.11.61 से पहले होने वाली रिक्तियों पर पुष्टि करने के लिए उस सयय की प्रचलित परिपाटी को जारी रहने दिया गया।

बहरहाल, 30.10.72 से प्रारम्भिक ग्रेड में गाड़ी परीक्षकों के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित प्रतिशत निर्धारित किया गया है :—

सीधी भर्ती द्वारा	40 प्रतिशत
नीचे के ओहदे धारियों की पदोन्नति द्वारा	40 प्रतिशत
मध्यवर्ती अप्रेंटिसों द्वारा	20 प्रतिशत

सीधी भर्ती से आने वाले गाड़ी परीक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके द्वारा अपना प्रशिक्षण पूरा होने पर अन्तिम परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली योग्यता क्रम में प्राप्त स्थान पर आधारित होती है और वे गाड़ी परीक्षकों के अन्य ग्रुपों के मुकाबिले प्रचालित पदों पर कार्य भार सम्हालने की तारीख से वरिष्ठता प्राप्त करते हैं।

फिटर मिस्त्रियों का ग्रेड

3292. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कैरिज और वैगन विभाग में कार्यरत कुछ फिटर मिस्त्रियों का ग्रेड 1963 में 150-240 रुपये (ए० एस०) था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मिस्त्रियों की अगली पदोन्नति ट्रेन एग्जामिनर के ग्रेड में अर्थात् 180-240 रुपये (ए० एस०) में होती थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन फिटर मिस्त्रियों की वरिष्ठता ट्रेन एग्जामिनर के ग्रेड में निर्धारित ट्रेनिंग के बाद ट्रेन एग्जामिनर के रूप में नियुक्ति की तारीख से गिनी जाती थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1963-64 में ट्रेन एग्जामिनर की श्रेणी में पदोन्नति से बिलकुल पहले असिस्टेंट कैरिज और क्लीनिंग इंस्पेक्टर का ग्रेड भी 150-240 रुपये (ए० एस०) था; और

(घ) यदि हां, तो क्या असिस्टेंट कैरिज और क्लीनिंग इंस्पेक्टर का ग्रेड मिस्त्री या ट्रेन एग्जामिनर के ग्रेड के समान किया जा सकता है ?

रेल मन्त्रासय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) जी, हां ।

(ङ) स्पष्टतः, सहायक सवारी डिब्बा और सफाई निरीक्षकों और मिस्त्री के ग्रेड, जो 150-240 रु० (अ० वे०) है, बराबर है । तथापि, उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में सहायक सवारी डिब्बा और सफाई निरीक्षकों तथा गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न न्यायाधीन है ।

रेलवे में ट्रेन एग्जामिनरों की संख्या

3293. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवेज के प्रत्येक जोन में ट्रेन एग्जामिनरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने लोग ट्रेन एग्जामिनरों के प्रारम्भिक वेतनमान में हैं; और

(ग) प्रत्येक जोन में कितने ट्रेन एग्जामिनर 15 वर्ष या इससे भी अधिक अवधि से प्रारंभिक वेतनमान में कार्यरत हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अधिकारियों और कर्मचारियों का अनुपात

3294. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे संगठन में अधिकारियों और कर्मचारियों का अनुपात क्या है;

(ख) समग्र रूप में मैकेनिकल विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों का अनुपात क्या है;

(ग) यह अन्तर कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) मैकेनिकल विभाग के कैरिज एण्ड वैगन लोको विंग वर्कशाप विंग और डीजल विंग में अलग-अलग अधिकारियों और कर्मचारियों का अनुपात क्या है; और

(ङ) अन्तर्विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुपात में असमानता को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-3-80 को समूची रेलवे की कुल कर्मचारी संख्या में प्रत्येक 146 कर्मचारियों के लिए एक अधिकारी था।

(ख) 31-3-80 को रेलों पर यांत्रिक विभाग में प्रत्येक 521 कर्मचारियों के लिए एक अधिकारी था।

(ग) और (ङ) कर्मचारियों की अगली समीक्षा के दौरान यांत्रिक विभाग को पदों का और अधिक कोटा आबंटित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी सरकारों द्वारा भारतीय मूल के व्यक्तियों की नियुक्तियां

3205. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों द्वारा भारत सरकार से भारत के विभिन्न संस्थानों में भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने वाणिज्यिक प्रमिनिधि नियुक्त करने के संबंध में तथा ऐसी नियुक्तियों के लिए व्यक्ति का चयन करने के संबंध में परामर्श किया जाता है; और

(ख) भारत सरकार विदेशों द्वारा की गई भारतीय मूल के व्यक्तियों की इन नियुक्तियों को किन आधारों पर अनुमोदित करती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री : (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां, विदेशी सरकारें भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में अपना कोंसली प्रतिनिधि नियुक्त करते समय भारत सरकार की सलाह लेती हैं। ऐसी नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चुनाव सामान्यत: संबंधित विदेशी सरकारें करती हैं।

(ख) सभी दृष्टियों से व्यक्ति की उपयुक्तता की परख करने के बाद मंजूरी दी जाती है।

दमण गंगा में लाइट हाउस का पुनर्निर्माण

3296. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से दमण गंगा में विद्यमान लाइट हाउस बह गया था और इसके स्तम्भ शेष रह गये हैं जो गुजर रहे जहाजों के लिए खतरा बने हुए हैं; और

(ख) वहां पर लाइट हाउस का पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दमन गंगा में दीपघर एक "स्थानीय" दीपघर है जो गोवा, दमन और दीव की सरकार के नियन्त्रण में है। अपेक्षित सूचना गोवा, दमन और दीव की सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रेलवे द्वारा अधिगृहीत मद्रास का पूरे मार्केट क्षेत्र

3297. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन के समीप पूरे मार्किट क्षेत्र का रेलवे प्रशासन ने अधिग्रहण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) उपनगरीय, टर्मिनल का विकास करने के संबंध में मद्रास सेंट्रल स्टेशन के निकट 42.03 एकड़ भूमि में से 34.12 एकड़ भूमि तमिलनाडु सरकार से अभी तक ली जा चुकी है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	एकड़ में
अशोक विहार	2.39
एस० आई० ए० ए० ग्राउंड	9.02
सार्वजनिक बाटिका	9.59
चिड़ियाघर का पूर्वी भाग	4.93
बेघरों के लिए घर	1.25
बेघरों के लिए घर के निकट की भूमि	1.03
कोल्ड स्टोरेज भवन	—
चिड़ियाघर क्षेत्र	5.90
जोड़	34.12

दमण में बंदरगाह के लिए प्रस्ताव

3298. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामरिक दृष्टि से तथा साथ-ही-साथ सिविल बंदरगाह के रूप में इसके उपयोग की संभावना को देखते हुए दमण में बंदरगाह बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दमन एक छोटा पत्तन है जो इस समय गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के नियंत्रण में है। इसे उन्नत करके बड़ा पत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तूतीकोरिन पत्तन न्यास के चेयरमैन का दिल्ली दौरा

3299. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान तूतीकोरिन पत्तन न्यास के चेयरमैन ने दिल्ली का कितनी बार दौरा किया;

(ख) चेयरमैन द्वारा अपने दौरों के लिए यात्रा भत्ता दैनिक भत्ते के रूप में कितनी राशि प्राप्त की; और

(ग) उनके प्रत्येक दौरे का क्या उद्देश्य था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने वर्ष 1979-80 और 1980-81 (आज तक) के दौरान प्रतिवर्ष चार बार दिल्ली का दौरा किया।

(ख) उपरोक्त दौरे के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर 20,626/- रुपये खर्च हुए।

(ग) अध्यक्ष द्वारा किए गए सभी दौरे सरकारी काम काज के सिलसिले में थे।

तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा खरीदे गए वाहनों की संख्या

3300. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा पदग्रहण के पश्चात् से उक्त न्यास ने कितने नये वाहन खरीदे हैं;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए टेंडर प्रणाली अपनाई गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी वाहन नये हैं अथवा पुराने; और

(घ) यदि पुराने वाहन खरीदे गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तूतीकोरिन में पत्तन न्यास की स्थापना के पश्चात् 14 गाड़ियों की खरीद की गई है। पत्तन न्यास बोर्ड की स्थापना से ही वर्तमान व्यक्ति इसके अध्यक्ष हैं।

(ख) सभी चौदह गाड़ियां पूर्त्ति एवं सभरण तथा अन्य सरकारी विभागों पर लागू मूल्यों पर निर्माण-कर्त्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत डीलरों से खरीदी गई थीं।

(ग) नई चौदह हल्की गाड़ियों के अतिरिक्त, चार पुरानी लीलैंड बसें तमिलनाडु के अधीन राज्य परिवहन निगम से खरीदी गई थीं।

(घ) पुरीनी बसें तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम से 22,000 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से खरीदी गई हैं। जबकि नई बस चैसियों का मूल्य लगभग 2.00 लाख रुपये है और इसके अलावा प्रत्येक बस बाडी पर 70,000 रुपये खर्च होता है। ये सेकेंड हैंड बसें स्कूल जाने वाले बच्चों तथा ड्यूटी पर जाने वाले श्रमिकों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदी गई हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सार्वजनिक बसें शहर के हर भाग से पत्तन तक नहीं चलती हैं।

रेलों में डकैतियां और लूटपाट

3301. **श्री निरेन घोष :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि गत पांच महीनों के दौरान प्रत्येक रेल मण्डल में कितनी डकैतियां, लूटपाट आदि की घटनाएं हुई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सितम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 कक पिछले पांच महीनों के दौरान चलती गाड़ियों में डकैतियां, लूट-पाट और यात्रियों के सामान चुराए जाने के मामलों की रेलवेवार संख्या इस प्रकार है :—

मामलों की संख्या

रेलवे	डकैती	लूट-पाट	यात्रियों के सामान की चोरी
मध्य	1	9	635
पूर्व	18	21	206
उत्तर	4	21	638
पूर्वोत्तर	12	28	298
पूर्वोत्तर सीमा	5	3	50
दक्षिण	—	3	386
दक्षिण-मध्य	—	4	143
दक्षिण-पूर्व	8	10	349
पश्चिम	6	13	272
जोड़ :	54	112	2977

गोवा पत्तन पर यांत्रिक लौह-अयस्क संयंत्र के 'हैंडलिंग' प्रभार का बढ़ाया जाना

3302. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा पत्तन स्थित यांत्रिक लौह-अयस्क संयंत्र के 'हैंडलिंग' प्रभार में वृद्धि की गई है;

(ख) क्या इस निर्णय से गोवा के जहाजी व्यापारियों में जोरदार प्रतिक्रिया हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री धीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) हैंडलिंग प्रभार बढ़ाए जाने के विरोध में गोवा, दमन और दीव में न्यायिक आयुक्त की अदालत में दो पार्टियों ने रिट पैटीशन दायर की है।

(ग) संशोधित दर अधिसूचित किए जाने के बाद सरकार ने कोई समिति नियुक्त नहीं की है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं होता।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर स्थित मिकेनीकल और हैंडलिंग प्लांट की क्षमता का उपयोग किया जाना

3303. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम बन्दरगाह स्थित मिकेनीकल और हैंडलिंग संयंत्र की क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री धीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी।

(ख) जापान के लिए निर्यात किया जाने वाला बैलाडीला कच्चा लोहा विशाखापत्तनम पत्तन से जहाजों द्वारा भेजा जाता है। जापान की लोहा मिलें विशाखापत्तनम पत्तन पर स्थित मशीनों से कच्चा लोहा लादने वाले संयंत्र के लिए पर्याप्त संख्या में जहाज़ नहीं भेज रही हैं। इस लोहे का निर्यात खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। यह निगम इस मामले में जापान की लोहा मिलों के साथ लिखा पढ़ी कर रहा है।

फरवरी, 1981 में हुई रेल दुर्घटनाएं

3304. **श्री एम० गो० चन्द्रशेखर मूर्ति: श्री बी० ग्रो० देसाई** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फरवरी, 1981 के दौरान चार से पांच बड़ी रेल दुर्घटनाएं तथा अनेक छोटी दुर्घटनाएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो ये दुर्घटनाएं किन-किन राज्यों में हुईं ?

(ग) क्या इन मामलों में कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए तथा कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माह फरवरी, 1981 के दौरान, कुल मिलाकर 72 गाड़ी दुर्घटनाओं में 10 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(ख) गाड़ी दुर्घटनाओं के बारे में सूचना रेलवे-वार संकलित की जाती है न कि राज्य-वार । फरवरी, 1981 के दौरान प्रत्येक रेलवे पर हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गयी है :

रेलवे	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	9
पूर्व	5
उत्तर	7
पूर्वोत्तर	7
पूर्वोत्तर सीमा	7
दक्षिण	7
दक्षिण-मध्य	8
दक्षिण-पूर्व	13
पश्चिम	9
कुल :	72

(ग) और (घ) इन सभी दुर्घटनाओ की जांच की गई है । प्रत्यक्ष कारणों सहित इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(1) रेल कर्मचारियों की गलती	19
(2) रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गलती	9
(3) यांत्रिक उपस्कर की खराबी	27
(4) आकस्मिक	2
(5) कारण—जिनको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया	15

(ङ) इन दुर्घटनाओं में 47 व्यक्ति मारे गये और 138 व्यक्तियों को चोटें आईं। रेल सम्पत्ति को लगभग 1,76,54,000/– रु० की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

रेलवे इन्जन

3305. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1981 को देश में (प्रत्येक रेलवे तथा छोटी लाइन, मीटर गेज लाइन और बड़ी लाइन के पृथक-पृथक) भाप से चलने वाले; डीजल से चलने वाले अथवा बिजली से चलने वाले कितने-कितने इन्जन थे और उक्त तारीख को इनमें से कितने इन्जन खराब अथवा काम में न आने योग्य थे;

(ख) कितने इन्जन भारत में निर्मित थे और कितने इन्जनों का आयात किया गया था तथा ये इन्जन काम में लाए जाने के लिए रेलवे को किस-किस वर्ष में सौंपे गए थे;

(ग) वर्ष 1975 से 1980 तक की अवधि में सभी प्रकार के कितने-कितने इन्जन बेकार हो गये अथवा नीलाम कर दिए गए; और

(घ) ऐसे अप्रयुक्त पड़े कितने इन्जन हैं, जिनका निपटारा नहीं किया गया है और अब तक उनका निपटारा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल के डिब्बों की संख्या

3306. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 से रेलों में कार्य कर रहे वातानुकूलित, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी साधारण, द्वितीय श्रेणी टू-टायर और द्वितीय श्रेणी थ्री-टायर यात्री डिब्बों की संख्या कितनी है (छोटी लाइन, मीटर गेज लाइन और बड़ी लाइनों की रेलों के अलग-अलग) और उन डिब्बों की संख्या कितना है जो उपर्युक्त दिनांक को खराब अथवा सेवा में न लगाने योग्य थे;

(ख) उपर्युक्त डिब्बों को कब और कितनी संख्या में निर्मित अथवा आयातित अथवा तैयार किया गया था और किस वर्ष में उपर्युक्त डिब्बों को रेलों में लगाया गया था;

(ग) वर्ष 1975 से 1980 तक की अवधि में बेकार ठहराये गए अथवा नीलाम किए गए सभी तरह के डिब्बों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस तरह के उन डिब्बों की संख्या कितनी है जो बेकार पड़े हैं और अभी जिनका निपटान नहीं किया गया है और इनका अब तक निपटान न किए जाने के क्या कारण ? हैं

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

	ब० ला०		मी० ला०	
	लाइन पर चालू सवारी डिब्बों की संख्या	खराब सवारी डिब्बों की संख्या	लाइन पर चालू सवारी डिब्बों की संख्या	खराब सवारी डिब्बों की संख्या
1. बातानुकूलित	352	86	49	11
2. पहला दर्जा, मिले-जुले डिब्बों सहित	2442	447	1462	201
3. दूसरा दर्जा : दूसरा दर्जा कुर्सीयान	6514	1083	5501	619
4. दूसरा दर्जा : शयनयान (2 और 3 टियर)	3431	553	1195	164

(क) छोटी लाइनें के सवारी डिब्बों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग)

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर ला०
1975–1976	473	398
1976–1977	454	497
1977–1978	301	168
1978–1979	265	255
1979–1980	347	193
जोड़ :	1840	1411

(घ) 1.3.81 को सभी रेलों पर लगभग 160 सवारी डिब्बे निपटान के लिए बकाया पड़े थे चूंकि रद्द किये जाने, नीलामी और निपटान के बीच लगभग तीन माह का अन्तराल रहता है, इसलिए कुछ सवारी डिब्बे तो हमेशा निपटान के लिए बकाया रहेंगे। इस समय रद्द घोषित किए जाने की दर तथा निपटान के लिए अन्तराल को देखते हुये ये आंकड़े बिल्कुल सामान्य हैं।

समस्तीपुर डिवीजन में रद्द की गई रेल गाड़ियों की संख्या

3307. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिविजन में कुल कितनी रेल गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) गत वर्ष इनमें से कोई गाड़ी कितनी वार रद्द की गई अथवा वस्तुतः चलाई ही नहीं गई या दो घण्टे सें अधिक लेट चली;

(ग) गाड़ियों के इस तरह अस्वाभाविक रूप से रद्द किये जाने, न चलाये जाने अथवा असाधारण रूप से लेट चलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी रेल गाड़ियों को नियमित रूप से तथा ठीक समय पर चलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रति-दिन 103 गाड़ियां ।

(ख) और (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान (मार्च, 80 से फरवरी, 81 तक) कोयले की कमी और कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण समस्तीपुर मंडल में गाड़ियों के 2127 फेरे रद्द किये गये थे । जंजीर खींचने, असामाजिक तत्वों की हरकतों और परिचालनिक खराबियों के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में 1385 अवसरों पर गाड़ियां 2 घण्टे से अधिक लेट हुईं ।

(घ) समस्तीपुर मंडल में रद्द की गई सभी गाडियां पुनः चालू कर दी गयी हैं । राज्य सरकार प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क करके गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

सीतापुर में रेल वैगनों का कुप्रबन्ध

3308. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल से भरी बोगियां जब सीतापुर पहुंचती हैं, तो इन्हें बिना किसी कारण के बाहर भेज दिया जाता है और इस प्रकार सीतापुर के व्यापारियों की मांग पूरी नहीं होती; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आगत माल डिब्बे मुक्त किये जाने पर न केवल सीतापुर माल गोदाम से बल्कि अन्य स्टेशनों से भी, जब कभी आवश्यकता होती है अनिवार्य वस्तुओं और उच्च प्राथमिकता वाले यातायात की ढुलाई के लिए अन्यत्र भेजे जाते हैं । सीतापुर की मांगों पर भी मुक्त किये गये आगत माल डिब्बों में से माल डिब्बे सप्लाई किये जाते हैं ।

(ख) सप्लाई बढ़ाने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है । फरवरी, 81 के अन्त तक केवल 13 मांगें बकाया रहती थीं और 2-3-81 को कोई मांग बकाया नहीं थी ।

शियोराफूली-तारकेश्वरी रेल लाइन का बदला जाना

3309. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत की शियोराफूली-तारकेश्वर इकहरी लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खुरीगाची पर फ्लैग स्टेशन

3310. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन में भद्रेश्वर और वैद्यावती के बीच "खुरीगाची" में फ्लैग स्टेशन रखने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर कोआपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसाइटी का दावा

3311. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजीकृत कोआपरेटिव तथा हरिजन सोसाइटियों को विशेषाधिकार तथा रियायतें मंजूर करने के संबंध में सरकार के स्पष्ट मार्ग निदेशों के बावजूद मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के प्राधिकारियों ने अम्बेडकर कोआपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसाइटी के दावे की अनदेखी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मद्रास पत्तन न्यास 15000/- रुपये तक के छोटे-छोटे ठेके, जिनमें अधिक तकनीकी कुशलता की जरूरत नहीं होती, न केवल ऐसी हरिजन सोसायटियों को ही देता है, जिस तरह की सोसायटी का प्रश्न में उल्लेख किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति की अन्य सोसायटियों को भी देता है, जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के कार्यालय में रजिस्टर्ड होती हैं। उनके मामलों में, बयाने की राशि का भुगतान नहीं करना होता और सामान्य नियमों के अन्तर्गत अन्य ठेकेदारों को लागू दर का 50% तक ही जमानत जमा के रूप में देना होता है। प्रश्न में उल्लिखित सोसायटी को अगस्त-सितम्बर, 1980 में बिना टेंडर के 88000/- रुपये के 9 बार छोटे-छोटे कार्यों के ठेके दिए गए और 72,500/- रुपये का एक अन्य कार्य टेंडर आधार पर दिया जो आवासीय मकानों में लकड़ी के दरवाजे लगाने के बारे में है। इसलिए यह सच नहीं है कि सरकार के मार्गदर्शी

सिद्धांतों के अनुसार सुविधाएं और रियायतें देने के लिए प्रश्न में उल्लिखित सोसायटी के दावों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

गुट-निरपेक्ष देशों की आर्थिक समिति में किया गया विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव

3312. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष देशों की आर्थिक समिति की हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत, यूगोस्लाविया और अल्जीरिया ने प्रस्ताव किया था कि एक ऐसी ऐजेंसी स्थापित की जाये जो विकासशील देशों में आर्थिक विकास की देख-भाल करेगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर आर्थिक समिति के विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) हाल ही में नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की आर्थिक समिति में भारत ने यूगोस्लाविया और अल्जीरिया के साथ मिलकर बहुत से विशिष्ट सुझाव दिए थे जिनका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। इनमें, अन्य बातों के साथ एक यह सुझाव भी था कि विकासशील देशों के बीच परस्पर लाभदायक वित्तीय सहयोग को संवर्धित और प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त विकास संस्थान स्थापित करने के बारे में 1981 में एक समझौता किया जाये। चूंकि अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह सिफारिश भी जून, 1980 में वियना में सम्पन्न विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी तदर्थ अन्तर-सरकारी दल की रिपोर्ट में की गयी व्यापक सिफारिशों पर आधारित थी, इसलिए बातचीत के दौरान यह निर्णय लिया गया कि नई दिल्ली की घोषणा में किसी भी सिफारिश का अलग से उल्लेख न किया जाय। हालांकि विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध अंश में तदर्थ दल की रिपोर्ट का सामान्य उल्लेख किया गया है और उसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि इसकी सिफारिशें विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संबंध में मई, 1981 में कारावास में आयोजित किए जाने वाले उच्च-स्तरीय सम्मेलन की तैयारी के लिए बहुत लाभदायक आधार प्रस्तुत करती है। नई दिल्ली घोषणा में इस बात पर भी सहमति प्रकट की गयी है कि इस सम्मेलन के फलस्वरूप वियना रिपोर्ट में बताये गये क्षेत्रों में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत रचनात्मक, कार्योन्मुखी और ठोस कार्य-प्रक्रिया, परियोजना व्यवस्था तथा कार्यक्रम स्वीकार किया जाना चाहिए।

तीन रेल गाड़ियों की टक्कर

3313. **श्री माधवराव सिंधिया : श्री बी० वी० देसाई : श्री डी० पी० जदेजा : श्री सतीश अग्रवाल : श्री के० प्रधानी : प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से लगभग 192 कि० मीटर दूर वैन्याम्बी के निकट फरवरी, 1981 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में त्रिवेन्द्रम मेल सहित तीन रेल गाड़ियों की टक्कर के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा; और

(ग) दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को मुआवजे और अन्य हानि के लिए यदि कोई अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है तो उसका क्या विवरण है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस दुर्घटना की रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र, बेंगलुरू द्वारा सांविधिक जांच की गयी थी और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि उनके अनन्तिम निस्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

(ग) मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को और घायल व्यतियों को 79,500 रुपये की राशि का अनुग्रह भुगतान कर दिया गया है। किसी प्रकार के मुआवजे तथा अन्य क्षतियों का भुगतान नहीं किया गया है।

कंजुर मार्ग का आइलैंड प्लेटफार्म

3314. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कंजुर मार्ग मध्य रेलवे शहरी स्टेशन के आइलैंड प्लेटफार्म पर पूरे प्लेटफार्म को ढकने वाला शेड नहीं है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इससे यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो पूरे प्लेटफार्म को कवर करने तथा प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था करने का सरकार का क्या विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) : जी, हां। कंजुर मार्ग स्टेशन के द्वीप प्लेटफार्म पर छादन की मौजूदा लम्बाई 135 मीटर है।

(ख) और (ग) स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छादन की व्यवस्था सवारी यातायात के स्तर, जलवायु की परिस्थितियों, सवारी यातायात के भिन्न-भिन्न स्तर वाले स्टेशनों के बीच पारस्परिक वरीयता तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जाती है। कंजुर मार्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के ऊपर छादन का विस्तार करने के कार्य के बारे में उसकी सापेक्ष वरीयता के अनुसार विचार किया जायेगा बशर्ते के आगामी वर्षों के निर्माण कार्यक्रमों में धन उपलब्ध हो।

अमरीकी प्रचार माध्यमों द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

3315. **श्री जनार्दन पुजारी : श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 12 फरवरी, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'अमरीकी प्रचार माध्यमों द्वारा भारत-विरोधी प्रचार' शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) : जी, हां। "द इंडियन एक्सप्रेस" में छपी खबर 9 फरवरी, 1981 के "द न्यूयार्क टाइम्स" 10 फरवरी, के "द वाशिंगटन पोस्ट" और 10 फरवरी, 1981 के "द वाल स्ट्रीट जर्नल" में प्रकाशित तीन सम्पादकीय टिप्पणियों में तारापुर परमाणु विद्युत रिएक्टर के लिए नाभिकीय ईंधन की सप्लाई जारी रखवाने के उद्देश्य से भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका को मजबूर किये जाने के प्रयत्नों के लिए भारत को अनुचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

(ख) अमरीका के कतिपय समाचार पत्रों में भारत की नाभिकीय नीतियों के बारे में इस प्रकार की अनुचित आलोचना विगत कई वर्षों से प्रकाशित होती रही है। नई बात सिर्फ यह है कि तीनों सम्पादकीय टिप्पणियां लगभग एक ही समय छपी हैं जैसा कि "द इंडियन एक्सप्रेस" की रिपोर्ट में बताया गया है। वाशिंगटन स्थित भारत का राजदूतावास संयुक्त राज्य अमरीका के सरकारी प्राधिकारियों और समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार माध्यम के सम्पादकीय प्रबंधकों के साथ बातचीत करके और उनसे सम्पर्क स्थापित करके भारत की नीतियों के बारे में इस प्रकार की सभी गलत धारणाओं को दूर करने का निरन्तर प्रयत्न कर रहा है।

भाप के इंजनों, यात्री डिब्बों और वैगनों तथा मशीनरी को बदलना

3316. **श्री राजेश कुमार सिंह : श्री रामावतार शास्त्री : श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : श्री जगपाल सिंह :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे भाप के इंजनों, यात्री डिब्बों, वैगनों और रेलवे के वर्कशापों की मशीनरी का कोई अनुमान लगाया है जिसको बदलने का काम बहुत पहले आवश्यक हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पुराने पड़ गये भाप के इंजन, यात्री डिब्बों, वैगनों और रेलवे वर्कशापों की मशीनरी बदलने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. चल स्टाक :

गतायु चल-स्टाक और मशीनरी की मात्रा के संबंध में एक मूल्यांकन किया गया है।

1.1. छठी योजना के प्रारंभ में, 1.4.80 के गतायु चल-स्टाक की मात्रा निम्नलिखित थी :—

भाप रेल इंजन	—	747
कोचिंग स्टाक	—	3316
गुड्स स्टाक	—	33246

उपर्युक्त के अतिरिक्त छठी योजना की अवधि, 1980-85 के दौरान गतायु होने वाला स्टाक निम्नलिखित हैं :—

भाप रेल इंजन	—	417
कोचिंग स्टाक	—	4486
गुड्स स्टाक	—	29949

1.2. रेलों की छठी पंचवर्षीय योजना में गतायु परिसम्पत्तियों, विशेषकर चल-स्टाक का, धन सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यथासंभव अधिकतम सीमा तक बदलाव करने की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गतायु स्टाक में निम्नलिखित कमी की सम्भावना है :—

	गतायु स्टाक का प्रतिशत	
	1.4.80 को विद्यमान	1.4.85 को प्रत्याशित
भाप इंजन	9.5	1.5
सवारी डिब्बे	9.82	6.34
माल डिब्बे	8.2	0.7

2. मशीनरी और संयंत्र :

इनमें से अधिकतर मशीनें यांत्रिक कारखानों और उत्पादन इकाइयों में हैं जिनमें से 70 प्रतिशत गतायु हो चुकी हैं। धन की तंगी के कारण इससे पूर्व गतायु मशीनरी के प्रतिशत में कमी करना संभव नहीं हो सकता। रेलों ने ऐसी मशीनरी और उपस्करों को बदलने के लिए विश्व बैंक से प्राप्त कुल 110 करोड़ रुपये के ऋण में से 93.5 करोड़ रु० की राशि मशीन और संयंत्र को बदलने के लिए नियत कर दी गयी है।

यह रेलों को कारखाना आधुनिकीकरण परियोजना के बाहर, गतायु मशीनरी को यथा संभव सीमा तक बदलने के लिए दिए जाने वाले नियमित आबंटनों के अतिरिक्त है।

"फूड अडल्टेरेशन डिपार्टमेंट आइडल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3317. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फूड अडल्टेरेशन डिपार्टमेंट आइडल" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग को अनेक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं जिनमें इस अधिनियम को लागू करना, मुकदमें चलाना, निरीक्षण कार्य करना, खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण का प्रबंध करना, खाद्य पदार्थों के नमूनों, आदि के बारे में आसूचना एकत्र करना शामिल है। हरियाणा खाद्य प्रयोगशाला के अपने राज्य के कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रवर्तन कार्य में थोड़ी सी देर के लिए बाधा पड़ी थी। खाद्य पदार्थों के विश्लेषण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

विदेशों में देश का मान बढ़ाना

3318. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में देश के लिए सम्मान पैदा करने तथा उसे बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा वार्षिक कितनी धनराशि खर्च की गई और इस शीर्ष के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस व्यय का अधिकतर भाग भारत में 40 विदेशी पत्रकारों के आदर सत्कार, 45 वृत्त चित्रों के 800 प्रिंट विदेशों में स्थित 110 कार्यालयों को भेजने तथा 45 कार्यालयों के दैनिक समाचार भेजने पर किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सभी अन्य चीजों पर किए जाने वाले खर्च के अतिरिक्त इस पर कितना खर्च किया जाता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से विदेश मंत्रालय में प्रचार कार्यों पर जो खर्च किया है उसका वर्षवार विवरण नीचे लिखे अनुसार है। इन आंकड़ों में प्रशासन और स्थापना पर हुआ खर्च भी शामिल है।

वर्ष	मुख्यालय (रुपये, लाखों में)	मिशन (रुपये, लाखों में)	कुल (रुपये, लाखों में)
1977–78	124.85	165.99	290.84
1978–79	81.62	169.30	250.92
1979–80	86.30	190.60	276.90

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रचार कार्यों पर हुए खर्च का विस्तृत विवरण दिया गया है। उसमें प्रशासन और स्थापना पर हुआ खर्च शामिल नहीं है। संलग्न विवरण में दिये गये आंकड़े मुख्यालय के खर्च से सम्बद्ध हैं।

विवरण

	1977-78	1978-79	1979-80
	(रुपयों में)		
1. समाचार अभिकरण संघ के बारे में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन	1,00,000.00	—	—
2. पत्रिकाओं और पैम्फलेट का प्रकाशन	8,90,000.00	9,70,000.00	11,59,258.86
3. पुस्तकालयों और भेंट के लिए पुस्तकें	2,00,000.00	2,49,000.00	2,75,000.00
4. समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं फिचर फिल्में	2,20,000.00	2,30,000.00	4,42,730.00
5. डाक तार व्यय	75,000.00	75,000.00	15,650.00
6. वेतार और केबल	41,92,005.23	4,07,000.00	9,04,538.91
7. न्यूज एजेंसियों को चंदा	5,75,647.50	6,87,000.00	7,04,902.00
8. समाचार प्रतिनिधि मंडल	2,60,000.00	3,00,000.00	3,69,876.42
9. फिल्म प्रचार	11,95,801.00	20,00,000.00	7,25,497.17
10. सांस्कृतिक प्रचार	350.00	5,100.00	5,729.37
11. ग्रामोफोन रिकार्ड	4,500.00	2,500.00	5,797.58
12. छायाचित्र एवं प्रदर्शनियां	2,411.56	3,600.00	5,191.74
13. विदेशों में प्रदर्शनियां	5,05,451.60	1,06,161.00	17,56,927.84
14. अन्य विविध खर्च	18,232.70	20,000.00	54,674.53
जोड़	82,39,409.59	54,55 861.00	64,35,824.62

खाद्यान्नों का लदान

3319, **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में रेलों में खाद्यान्नों के लदान में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, रेलों की कार्य निष्पादिता में किस सीमा तक सुधार हुआ है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि में 612 लाख टन खाद्यान्नों का लदान किया गया। जबकि जून, 1980 से सितम्बर, 1980 की अवधि में 551 लाख टन लदान हुआ था।

राजधानी एक्सप्रेस का दैनिक चलन

3320. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कलकत्ता तथा दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार इसे इन दोनों मार्गों पर दैनिक रूप से चलाए जाने पर विचार करेगी;

(ख) क्या अधिक यात्रियों को बैठने के लिए इन गाड़ियों में वातानुकूलित चेयरकार के डिब्बे भी बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अपेक्षित संसाधनों के अभाव के कारण राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के फेरे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

(ख) और (ग) 16-3-1981 से 101/102 राजधानी एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त वातानुकूल कुर्सीयान तथा दूसरे दर्जे का एक अतिरिक्त वातानुकूल शयनयान नियमित रूप से लगाकर इस गाड़ी में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ायी जा रही है। 151/152 राजधानी एक्सप्रेस में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने की व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है और यथा-व्यावहारिक कार्यवाही की जायेगी।

अपनी स्वयं की प्रयोगशाला के लिए बम्बई पत्तन न्यास का प्रस्ताव

3321. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने आयातित तेलों, उपभोक्ताओं वस्तुओं आदि के परीक्षण के लिए अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय सभी नमूनों को पुणे और नागपुर स्थित प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु भेजना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब, असुविधा और व्यय होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) बम्बई पत्तन के जरिए आयात किए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच करना पत्तन स्वास्थ्य संगठन, बम्बई की जिम्मेदारी है। खाद्य माल के नमूने बम्बई म्यूनिसिपल प्रयोगशाला को भेजे जाते हैं और पूना या नागपुर जैसे केन्द्रों को नमूने बाहर नहीं भेजे जाते।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

बेटरों की सेवाएं नियमित किया जाना

3322. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता पार्टी सरकार ने रेलवे की विभागीय केन्टीनों में कमीशन एजेन्ट के रूप में कार्य करने वाले बेटरों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो उन बेटरों की जोनवार, संख्या कितनी है जिन्हें जनता शासन के दौरान नियमित किया गया;

(ग) उन बेटरों की जोनवार, संख्या कितनी है जो अब भी कमीशन एजेन्ड के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(घ) सरकार का विचार उन्हें कब तक नियमित करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) खान-पान विभाग में कमीशन के आधार पर काम करने वाले बेयरों को चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों में समाहित करने का विनिश्चय 1978 में किया गया था ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

उत्तर से सम्बन्धित विवरण

विवरण

बेयरों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में 12-3-81 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3222 के

रेलवे	26-4-78 से पूर्व कमीशन के आधार पर काम करने वाले बेयरों की संख्या	पहले चरण में समाहित	कार्य अध्ययन के आधार पर दूसरे चरण में समाहित किये जाने वालों की कुल संख्या	अब तक समाहित किये गये	शेष जिन्हें अभी समाहित किया जाना है	टिप्पणी
मध्य	233	124	129	—	129	पदों का सृजन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है
पूर्वी	468	230	238	—	238	विचाराधीन
दक्षिणोत्तर	245	106	139	—	139	पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है
पूर्वोत्तर	128	62	66	34	32	—
पूर्वोत्तर सीमा	2	2	—	—	—	—
दक्षिण	482	236	365	223	142	डाक्टरी परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है
दक्षिण-मध्य	96	47	63	63	—	—
दक्षिण-पूर्व	316	157	159	—	159	106 पदों के सृजन के बारे में विचार किया जा रहा है
पश्चिम	186	48	311	311	—	
जोड़	2176	1012	1470	631	839	

रेलवे मंत्रालय कर्मचारियों का अखिल भारतीय आन्दोलन

3323. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे मंत्रालयीय कर्मचारी संघ ने दिसम्बर, 1980 में एक अखिल भारतीय आन्दोलन आरम्भ किया था;

(ख) क्या यह सच है कि इसकी विभिन्न शाखाओं ने उन्हें एक ज्ञापन भेजा था;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई थीं; और

(घ) उन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) संघ की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

(i) नये पदों के सृजन तथा मंत्रालयीय संवर्ग की भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध पूर्णतः हटा दिया जाये ।

(ii) मंत्रालयीय संवर्ग के ग्रेडों का पुनर्संरचना ।

(iii) निर्वाह व्यय सूचांक में हुई वृद्धि का पूर्ण निशाभावीकरण ।

(घ) वर्तमान नियमों तथा वित्तीय कठिनाइयों की परिसीमा के अन्दर किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर सरकार की नीति के अनुसार विधिवत विचार किया जाता है और आवश्यक समझी गयी कार्रवाई की जाती है । अखिल भारतीय रेलवे मंत्रालयीय कर्मचारी संघ की मांगों पर भी इसी नीति की परिसीमा से तहत विचार किया गया है ।

दिल्ली परिवहन निगम की बेकार खड़ी बसों की संख्या

3224. **श्री निहाल सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन के अन्तर्गत सरकारी प्राइवेट तथा निजी बसों की क्रमशः संख्या क्या है तथा इनमें से कितनी वर्कशाप में बेकार खड़ी हैं;

(ख) ये बसें कब से वर्कशाप में खड़ी हैं और इनकी शीघ्र मरम्मत के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 4-3-1981 को दिल्ली परिवहन निगम के पास अपने निजी बेड़े की 2700 बसें थीं इसके अलावा, इसके पास किराये पर ली हुई 618 प्राइवेट बसें भी थीं जिनमें 221 मिनी बसें शामिल हैं । जिन बसों को स्कैप किया जाना है, उन्हें छोड़कर, निगम की सैंट्रल वर्कशाप में उक्त तारीख को दिल्ली परिवहन निगम की सिर्फ 34 बसें मरम्मत के लिए खड़ी थीं । इस बात की जानकारी दिल्ली परिवहन निगम के पास उपलब्ध नहीं है कि कितनी खराब प्राइवेट बसें अपने वर्कशापों में मरम्मत के लिए खड़ी थीं ।

(ख) सेन्ट्रल वर्कशाप में मरम्मत के लिए खड़ी दिल्ली परिवहन निगम की 34 बसों में से 11 बसों को 2 महीनों तक का समय हो गया है और शेष बसों को 1 महीना तक हुआ है । इन बसों की मरम्मत करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है और इस कार्यक्रम के अनुसार, अप्रैल, 1981 के अन्त तक इन सभी बसों की मरम्मत हो जाएगी ।

जी० टी० रोड को दिल्ली से बाघा तक चौड़ा करना

3325. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से वाघा तक 435 किलो मीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग जी० टी० रोड को 1984 तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रतिवर्ष पूरा किए जाने वाले कार्य तथा इसके लिए निर्धारित व्यय संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं जिन्हें चौड़ा किया जा रहा है या चौड़ा करने का प्रस्ताव है, उनकी लम्बाई, उन पर होने वाला अनुमानित खर्च क्या है, तथा उनके पूरा होने का निर्धारित समय क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सभवतः माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेनों से चार लेनों में चौड़ा करने से है। राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेनों से चार लेनों में चौड़ा करना राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर यातायात की सुविधा के लिए अपेक्षित आवश्यकता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे खंड जहां से प्रतिदिन 10,000 से अधिक यात्री कारें गुजरती हों, सामान्यत चार लेनों में चौड़ा करने के योग्य होते हैं। इस मापदण्ड को और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिल्ली से वाघा सीमा सड़क तक (492 किलो मीटर की लम्बाई) राष्ट्रीय राजमार्ग एक के कुछ और खंडों को जहां से भारी मात्रा में यातायात होता है, चौड़ा करने के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस तरह के लगभग 64 किलो मीटर के खंडों पर काम हो रहा है जिनका अनुमानित खर्च 1300 लाख रुपये है। इन कार्यों को मार्च 1984 तक पूरे हो जाने की संभावना है। देश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों में से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर (दिल्ली-हिसार सड़क) लगभग 15 किलो मीटर सड़क को चार लेनों में चौड़ा करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है जिस पर अनुमानतः 217 लाख रुपये खर्च होगा। इसके पूरा किए जाने की निर्धारित तारीख मार्च, 1982 है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्य खंडों को जैसे आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का गतूर-विजयवाड़ा खंड, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का अहमदाबाद-बदोदरा खड, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के बम्बई-पूना खंड, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के कलकत्ता-पालसिट एक्सप्रेसवे आदि चुने हुए खंडों को छठी पंचवर्षीय योजना में (1980-85) चार लेनों में चौड़ा करने का विचार है। इसे अन्य निर्माण कार्यों से पहले पूरे करने की जरूरत और संसाधनों के होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए रूप दिया जा रहा है।

भटीगुडा के लिए बुकिंग आफिस

3326. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागदा पितलोदा बागला स्टेशनों के बीच भटीगुडा के लिए एक बुकिंग आफिस के लिए मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर बुकिंग कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भटीगुडा पर रेल सेवायें उपलब्ध कराने के लिए रेल प्रशासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ये सुविधायें कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भटीगुडा स्टेशन को हाल्ट स्टेशन के रूप में उपयोग करने का निर्णय किया गया है। आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी हो जाने की संभावना है।

साबरमती एक्सप्रेस के यात्रियों को लूटा जाना

3327. **श्री बी० वी० देसाई : श्री सतीश अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के रतलाम-बड़ौदा अनुभाग में दोहद और नाहरगढ के बीच साबरमती एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के लगभग 100 यात्रियों को आदिवासियों के एक दल ने 9 फरवरी, 1981 को लूटा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में इस तरह की यह दूसरी घटना है;

(घ) क्या फरवरी, 1981 से रेलों पर ऐसे हमले बढ़ते रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग मे उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जनवरी, 81 की तुलना में, फरवरी, 81 के दौरान अपराधों की घटनाओं की संख्या से यह पता चलता है कि इनका रुख कमोवेश स्थिर रहा है। वहरहाल अपराधों की घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं: –

1. 2000 से अधिक रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी सवारी गाड़ियों में मार्गरक्षण के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता के लिए तैनात किए गए हैं।
2. सादे वेश में राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को अपराधियों पर नजर रखने और सवारी गाड़ियों में सक्रिय अपराधियों से संबंधित आसूचना इकट्ठी करने के लिए तैनात किया जाता है।
3. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जिला पुलिस के सहयोग से अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं।

4. गलियारे सवारी डिब्बों के दरवाजे 22 बजे से 6 बजे के बीच बन्द रखे जाते हैं।

5. चल टिकट परीक्षकों/परिचरों/संवाहकों को यह अनुदेश किए गए हैं कि वे सवारी डिब्बों में विशेषकर आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए चौकस रहें।

सोडा ऐश उद्योग को कोयले की सप्लाई

3328. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल वैगनों की कमी के कारण कोयले और कोक की अपर्याप्त सप्लाई ने देश के सोडा ऐश और कास्टिक सोडे के उत्पादन पर बुरा प्रभाव डाला है; और

(ख) यदि हां, तो सोडा ऐश उत्पादन करने वाले एककों को कोयले की सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल द्वारा सचलन के लिए कोयले की समग्र उपलब्धता देश में सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोयले की इस कमी को माल डिब्बों की उपलब्धता बढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता है। रेलें कोयला खानों की माल डिब्बों की पूरी मांग को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगीं। लेकिन, फिर भी सोडा ऐश यूनिटों की पूर्ण मांग पूरी होने की संभावना नहीं है।

किसान रैली के लिए रद्द की गई गाड़ियां

3329. **श्री आर० एन० राकेश : श्री सतीश अग्रवाल : श्री राम विलास पासवान : प्रो० अनिल कुमार मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांग्रेस (आई) द्वारा हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय किसान रैली में आने वाले स्वयं-सेवकों के लिए डिब्बों की व्यवस्था करने हेतु जोन-वार कौन-कौन सी गाड़ियां रद्द की गईं;

(ख) इस प्रकार गाड़ियां रद्द किये जाने के कारण आय की हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सत्तारूढ़ दल द्वारा आयोजित रैली में भाग लेने हेतु, आये स्वयं-सेवकों द्वारा ली गई टिकटों से हुई आय का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इसके कारण कोई निर्धारित सवारी गाड़ी रद्द नहीं की गयी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित है विशेष गाड़ियां पूरी टैरिफ दरों पर बुक की गयी थीं और 1.369 करोड़ रुपये वसूल किये गये थे।

रेल सलाहकार परिषदें

3330. **श्री आर० एन० राकेश : श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक रेल सलाहकार परिषदों की अवधि दिसम्बर, 1979 अथवा मार्च, 1980 से समाप्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उनके स्थान पर नई रेल सलाहकार परिषदों का गठन कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों तथा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का कार्यकाल 31-3-80 को समाप्त हो गया । इन समितियों का गठन किया जा चुका है और उनको अधिसूचित कर दिया गया है ।

राज्य सरकार की रेल लाइनों हेतु जमीन आदि की पेशकश

3331. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने राज्य क्षेत्रों में नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु जमीन, मिट्टी कार्य की लागत तथा लकड़ी के स्लीपरों की आधी अथवा पूरी लागत का वहन करने की पेशकश की है और उन लाइनों के नाम क्या हैं जिनके लिए मंत्रालय को पिछले (1) दस वर्षों में, (2) पांच वर्षों में उक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में रेल लाइनों के निर्माण के संबंध में क्या कार्रवाई की गई और क्या उनको पूरा करने के लिए कोई तिथि नियत की गई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक लाइन को किस तारीख तक पूरा किया जाना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त प्रत्येक लाइन को किस तिथि तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2111/81]

हिमाचल प्रदेश/पंजाब में रेल सेवा आयोग का उप कार्यालय

3332. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश/पंजाब में उत्तर रेलवे के रेल सेवा आयोग का एक उप-कार्यालय खोलने की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) क्या उत्तर रेलवे रेल सेवा आयोग का मुख्यालय इस समय इलाहाबाद में है और वह अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के लिए सुगम्य नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)जी, हां ।

(ख) रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद जो कि उत्तर रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों पर लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं आयोजित करता है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

आर० के० पुरम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी का भवन

3333. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० के० पुरम, नई दिल्ली के सेक्टर एक तथा दो में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अपने भवन नहीं हैं और वे आवासीय गृहों में स्थित हैं और इससे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इनके लिए भवन बन जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) यहां पर सेक्टर I और IV की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरी फिलहाल क्वार्टरों में चल रही हैं । डिस्पेन्सरी भवन के निर्माण के लिए जमीन का कोई टुकड़ा मिल जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

बम्बई सेन्ट्रल यार्ड में कर्मचारियों की संख्या

3334. **श्री जी० एस० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यात्री गाड़ियों, विशेष गाड़ियों की संख्या में वृद्धि तथा गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाये जाने को ध्यान में रखते हुए बम्बई सेन्ट्रल यार्ड तथा बान्द्रा पार्शलिंग यार्ड (पश्चिम रेलवे) में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या यातायात में भारी वृद्धि के बावजूद अभी भी स्वाधीनता-पूर्व के स्तर (स्केल) पर कर्मचारियों की व्यवस्था जारी है; और

(ग) काम को बनाये रखने तथा उसमें सुधार के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यातायात में वृद्धि होने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है ।

रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल पंचाट

3335. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल, 1969 की सिफारिशें की थीं, इस निर्णय को विशेषकर भारतीय रेलों के अधिकतर प्रभागों में ड्यूटी रोस्टर, साप्ताहिक विश्राम, समयोपरि भत्ते तथा अगस्त, 1974 से बकाया की अदायगी के सम्बन्ध में क्रियान्वित न करने या गलत ढंग से क्रियान्वित करने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस पंचाट को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों तथा सामान्यतः रेल कर्मचारियों के सूचनार्थ तथा मार्गदर्शनार्थ इस पंचाट को प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल श्रम अधिकरण, 1969 ने कार्य घटे विनियम के संबध में जो सिफारिशें की थीं उनकी जांच की गई थी और उक्त अधिकरण द्वारा की गई, विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन 1-8-1974 से करने से संबंधित निर्णय के विस्तृत अनुदेश रेलों को जारी किए गए थे। रेल प्रशासन इन अनुदेशों का अनुपालन कर सकें इस उद्देश्य से वर्ग 'ग' और 'घ' के 13,000 अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी दी गई थी तथा अतिरिक्त कर्मचारियों में से अधिकांश रेलों पर तैनात कर दिये गये हैं। संशोधित ड्यूटी रोस्टर भी लागू किए गए हैं तथा कर्मचारियों को आवश्यक आवधिक विश्राम दिये जाते हैं। नए ड्यूटी रोस्टर लागू होने तक जिन कर्मचारियों ने पुराने ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कार्य किया था, उस अवधि के लिए संबंधित कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते का सामान्यतः भुगतान कर दिया गया है।

(ग) अधिकरण की इस मामले में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने से संबधित जारी किए गए आवश्यक अनुदेश रेलों पर सर्वसम्बन्धित को परिपत्रित कर दिये गए हैं।

रेल कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश दिया जाना

3336. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आन्दोलन को लेकर रेल कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश सहित कोई अवकाश न देने के बारे में मंत्रालय ने कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या रेलवे डाक्टरों को निदेश दिये गये हैं कि वे किसी कर्मचारी की बीमारी की छुट्टी की सिफारिश न करें; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही करने के क्या कारण हैं जब सरकार ने बार-बार यह बात कही है कि लोको कर्मचारियों के आन्दोलन का कोई प्रभाव नहीं है और रेल सेवाएं सामान्य हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वर्तमान नियमों के अनुसार छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता और जब सार्वजनिक सेवा की दृष्टि से आवश्यक हो, तो छुट्टी की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के पास किसी भी किस्म की छुट्टी देने से इन्कार करने या छुट्टी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।

जब कभी रेलवे डाक्टरों को सूचना दी जाती है, बीमारी के प्रत्येक मामले की गुणदोष के आधार पर जांच की जाती है और इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जाता है कि कर्मचारी को बीमारों की सूची में रखा जाए या नहीं।

पासपोर्ट के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

3337. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पास 1 जनवरी, 1980 को पासपोर्ट के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े थे;

(ख) वर्ष 1980 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे;

(ग) प्रत्येक कार्यालय द्वारा वर्ष 1980 के दौरान कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(घ) वर्ष 1980 के दौरान कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये; और

(ङ) उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) इसका एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ङ) पासपोर्ट की सुविधा सार्वजनिक हित में, आवेदक के विरुद्ध न्यायालय में निलंबित फौजदारी के मामले की वजह से या आवेदक द्वारा गलत सूचना देने या उसके भारतीय नागरिक न होने के कारणों से अस्वीकार की गईं।

विवरण

1980 के दौरान निपटाए गए काम, अनिर्णीत और अस्वीकृत मामलों का ब्यौरा

शहर	1-1-1981 को अनिर्णीत मामले	1980 के दौरान आए हुए आवेदन	1980 में जारी किए गए पासपोर्ट	1980 के दौरान अस्वीकृत आवेदन
1	2	3	4	5
अहमदाबाद	3038	60030	56469	—
बंगलौर	4860	32788	33969	—
भोपाल	4244	13536	15339	—

1	2	3	4	5
भुवनेश्वर	524	2726	2848	—
बम्बई	22947	212403	198489	—
कलकत्ता	3551	24837	26967	1
चण्डीगढ़	5270	52849	50432	—
कोचीन	8059	74139	73104	—
दिल्ली	1081	67641	65571	50
गोहाटी	149	1989	1773	—
हैदराबाद	5901	55934	56898	2
जयपुर	4872	45809	44538	2
जालन्धर	6515	73315	71926	—
कोजीकोडे	7447	49185	49681	1
लखनऊ	27221	73502	90882	—
मद्रास	9906	97088	95085	—
पटना	1525	8894	7725	—
श्रीनगर	1006	5463	5670	2
कुल :	118118	952128	946366	58

कांडला पत्तन पर आग

3338. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन पर 20 जनवरी, 1981 को आग लग गई थी;

(ख) उक्त आग के क्या कारण थे; और

(ग) इस आग के कारण कितनी हानि हुई और आग से नष्ट हुए सामान का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दे । जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल सकेगा ।

(ग) आग से रुई की लगभग 17,285 गांठों, 1486 टन चावल और लगभग 50 टन सोडा-ऐश को भारी क्षति पहुंची है । इसके अलावा, चावल और सोडा-ऐश को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए 225 तिरपाल आग से नष्ट हो गए हैं । आग से (लगभग) 5 करोड़ रुपये के मूल्य के माल की क्षति हुई है ।

हल्दिया गोदी का लौह-अयस्क घाट

3337. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया गोदी का लौह-अयस्क घाट कई महीनों से बेकार पड़ा है;

(ख) वर्ष 1980 से सम्बन्धित उक्त घाट के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हल्दिया गोदी के लौह-अयस्क घाट के माध्यय से लौह-अयस्क का निर्यात न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) हल्दिया स्थित कच्चे लोहे की बर्थ का इस्तेमाल कच्चा लोहा लादने के काम में पूरी तरह से नहीं हो रहा है । 1980 में यहां केवल एक जहाज ने 12636 टन लोहा लादा था । लेकिन इस बर्थ का इस्तेमाल गैर-खतरे वाले 'वी' श्रेणी के पेट्रोल, तेल और लुब्रीकेंट उतारने-चढ़ाने के काम में अच्छी तरह हो रहा है । 1980 में इस बर्थ पर 79 टैंकर आए और 11 लाख टन पेट्रोल के पदार्थों का यातायात हुआ ।

(ग) हल्दिया में समुद्र का डुबाव कम होने के कारण हल्दिया स्थित कच्चे लोहे की बर्थ से कच्चे लोहे के निर्यात का अनुमानित लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है ।

जलपोतों में माल चढ़ाने और उनमें से माल उतारने की क्लियरिंग एजेन्सी प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव

3340. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पत्तनों तथा गोदियों पर जलपोतों में माल चढ़ाने और उनमें से माल उतारने की क्लियरिंग एजेन्सी प्रणाली को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) क्लीयरिंग एजेन्ट निर्यात माल को जहाजों में चढ़ाने और आयात माल को जहाजों से उतारने का काम नहीं करते । उनकी नियुक्ति माल के निर्यात और आयात के लिए जरूरी पत्तन और सीमा-शुल्क सम्बन्धी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए आयातकों और निर्यातकों द्वारा की जाती है । अधिकांश आयात और निर्यात कम्पनियों की पत्तनों के पिछले भाग में अपनी-अपनी यूनिटें बनी हुई हैं । ये यूनिटें पत्तत क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थापित की जाती हैं । इसलिए, यह जरूरी हो जाता है कि पत्तन क्षेत्र के नजदीक कुछ एजेन्टों की नियुक्ति की जाए

ताकि ये एजेन्ट अपनी-अपनी कम्पनियों के हितों का ख्याल रख सकें और उनकी ओर से कार्य कर सकें। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हरेक आयातक या निर्यातक के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस कार्य के लिए विभिन्न पत्तनों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सके।

कल्याण-कसरा सैक्शन के यात्रियों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन

3341. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबधक, मध्य रेलवे को 4 सितम्बर, 1980 को अथवा इसके आस-पास को पी० एम० जोशी, सदस्य, एस० आर० यू० सी० सी० और 80 अन्यों से कल्याण-कसरा सैक्शन (जिला थाणा, महाराष्ट्र) पर टिखाला से आगे जाने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान के कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) कथित अभ्यावेदन में किन कठिनाइयों और सुझावों का जिक्र किया किया गया है;

(ग) उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सम्बन्धित रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति

3342. **श्री आर० के० महालगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक अधीक्षक (कार्यालय/स्टोर्स) के पद पहले वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नत करके भरे जाते रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया था और गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो स्टाफ एसोसिएशन के विरोध और आपत्तियों के बावजूद सहायक अधीक्षक के लगभग 33 प्रतिशत पद फार्मेसिस्ट्स/स्टेनों/कम्प्यूटर के लिए रखे जाने लगे हैं;

(ग) पदोन्नति सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस बारे में कर्मचारी संघ की मांगें/सुझाव क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भर्ती नियमावली, 1966 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार सहायक अधीक्षक (कार्यालय/स्टोर) के पदों को डिपोवार गुणावगुण तथा योग्यता के आधार पर अर्थात चयन के जरिए जिसकी पद्धति नीचे दी गई है, पदोन्नति द्वारा भरा जाना था :—

(1) उच्च श्रेणी क्लर्कों द्वारा जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; तथा

(2) उन आशुलिपिकों और कम्प्यूटरों द्वारा जिन्होंने इस ग्रेड में इस नियमावली के प्रवर्तन की तारीख को 5 साल की सेवा की हो, जिसमें उन्होंने 2 वर्ष तक उच्च श्रेणी क्लर्क के रूप में काम किया हो।

(ख) और (ग) डिपुओंमें 330-560 रुपये के वेतनमान में काम करने वाले फार्मासिस्ट-एवं-क्लर्कों को पदोन्नत नहीं किया जा सकता। कुछेक संघ/एसोसिएशन/परिसंघ ने लगातार यह मांग की है कि फार्मासिस्ट-एवं-क्लर्कों को भी उस पद पर पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिएं। उनका तर्क यह था कि जो फार्मासिस्ट-एवं-क्लर्क मेट्रीकुलेट हैं और जिनके पास फार्मेसी का डिप्लोमा होता है, उन्हें भी उच्च श्रेणी क्लर्कों के साथ-साथ सहायक अधीक्षक (स्टोर/आफिस) के पद पर पदोन्नति के लिये विचारा जाना चाहिए। इसका अखिल भारतीय सरकारी चिकित्सा सामग्री भन्डार कर्मचारी परिसंघ ने विरोध किया था। सभी पहलुओं अर्थात अर्हताओं, संवर्ग में कर्मचारियों की संख्या, पदोन्नति में अवसरों आदि की जांच करने के पश्चात यह अनुरोध किया गया कि फार्मासिस्ट-एवं-क्लर्कों को भी उच्च श्रेणी क्लर्कों आदि के साथ-साथ सहायक अधीक्षक (स्टोर/आफिस) के पद पर पदोन्नति के लिए विचारा जाना चाहिए। तब यह निर्णय किया गया कि सहायक अधीक्षक (स्टोर/आफिस) के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा की पद्धति शुरू की जाए और फार्मासिस्ट-एवं-क्लर्कों को भी इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी। तदनुसार भर्ती नियमावली में 1974 में संशोधन करके निम्नलिखित उपबन्धों की व्यवस्था की गई :-

उच्च श्रेणी क्लर्कों/आशुलिपिकों/कम्प्यूटरों/फार्मासिस्ट-एव-क्लर्कों की, जिन्होंने इस ग्रेट में 5 वर्ष सेवा की हो, डिपोवार आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा इन पदों को दी जाने वाली प्रतिशतता इस प्रकार है :-

उच्च श्रेणी क्लर्क	66.2/3 प्रतिशत
आशुलिपिक/कम्प्यूटर/ फार्मासिस्ट-एवं-क्लर्क	33.1/3 प्रतिशत

(घ) संघों द्वारा निम्नलिखित मांगें/सुझाव रखे गए हैं :-

(1) भर्ती नियमावली, 1974 के संशोधन को समाप्त किया जाए और मूल भर्ती नियमावली का अनुसरण किया जाए।

(2) फार्मासिस्ट-एवं-क्लर्क अलिपिकीय संवर्ग के हैं और इसलिए ये तकनीकी पद हैं तथा उनके लिए पदोन्नति के किसी और मार्ग की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ङ) चूंकि फार्मासिस्ट-एवं-क्लर्कों के पदों को भर्ती नियमावली में लिपिकीय पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनकी ड्यूटियां तकनीकी नहीं हैं, इसलिए उनकी पदोन्नति के लिए कोई अलग व्यवस्था करना वांछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में 1974 की भर्ती नियमावली में किए गए संशोधन को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

साकड़ी-निरमाली लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलना

3343. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेल पर साकड़ी से निरमाली तक की लाइन का मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस लाइन को, जो 51.51 कि० मी० लम्बी है, मीटर आमान से बड़े आमान की लाइन में बदलने के कार्य पर 6 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । धन की कमी के कारण, इस समय इस लाइन को मीटर आमान में बदलने का कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है ।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कुष्ठ रोग के मरीजों का इलाज

3344. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इलाज किए जा रहे अस्पतालों में दाखिल कुष्ठ रोग के मरीजों की संख्या (राज्यवार) कितनी है;

(ख) क्या इन संगठनों के अस्पतालों में दाखिल मरीजों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है और उसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की तुलना में कुष्ठ रोग के मरीजों के साथ भेद-भाव किया जाता है, और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अस्पताल में भर्ती कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं में कुष्ठ पलंगों के राज्यवार वितरण की सूचना का विवरण विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) कैपीटेशन अनुदान साधारणतया राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है । छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने 30 रुपये प्रतिमास, प्रति पलंग की दर से मैचिंग आधार पर रख-रखाव के लिए स्वैच्छिक संगठनों को और मदद देने की योजना बनाई है । 1980-81 के दौरान यह अनुदान देने के लिए लक्ष्यों के राज्यवार वितरण का विवरण विवरण-2 में दिया गया है । यह कैपीटेशन अनुदान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि कहीं धन के अभाव में कठिन और पेचीदा इलाज वाले रोगियों अथवा उन संक्रामक रोगियों के लिए पलंगों की संख्या कम न हो जाए जिन्हें इलाज के लिए कई प्रकार की दवाओं की आवश्यकता होती है ।

(ग) कुछ सामान्य अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के बारे में अभी भी आनाकानी की जाती है ।

(घ) इन सामान्य अस्पतालों में कुष्ठ रोग के साथ सामाजिक कलंक और बहिष्कार की भावना जुड़ी होने के कारण इस रोग के निदान और इलाज के लिए इन रोगियों को प्रायः नहीं देखा जाता है।

विवरण–1

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वैच्छिक संस्थाओं में कुष्ठ रोगियों के पलंगों की संख्या	सरकारी संस्थाओं में कुष्ठ रोगियों के लिए पलंगों की संख्या	कुल
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	2374	814	3188
2. असम	340	922	1262
3. बिहार	971	790	1767
4. गुजरात	450	430	880
5. हरियाणा	—	120	120
6. हिमाचल प्रदेश	320	133	453
7. जम्मू और काश्मीर	85	226	311
8. कर्नाटक	545	824	1169
9. केरल	979	1756	2735
10. मध्य प्रदेश	1845	476	2321
11. महाराष्ट्र	1965	1858	4825
12. मणिपुर	90	60	150
13. मेघालय	—	100	100
14. नागालैंड	—	209	209
15. उड़ीसा	212	978	1190
16. पंजाब	849	—	849
17. राजस्थान	—	171	171
18. सिक्किम	—	—	—
19. तमिलनाडु	2323	1921	4247
20. त्रिपुरा	—	40	40
21. उत्तर प्रदेश	1505	557	2062
22. पश्चिम बंगाल	1072	2162	3234
23. अण्डमान और निकोबार दीप समूह	—	35	35
24. अरुणाचल प्रदेश	—	260	260

1		2	3	4
25.	मिजोरम	—	20	20
26.	पांडिचेरो	—	220	220
27.	दिल्ली	426	93	519
28.	लक्षद्वीप	—	120	120
29.	गोआ	—	200	200
30.	दादर और नागर हवेली	—	—	—
31.	चण्डीगढ़	—	—	—
	जोड़ :	17351	15304	32655

विवरण–2

विवरण—जिसमें 1980–81 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वैच्छिक कुष्ठ रोगियों वाले पलंगों के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय कैपीटेशन अनुदान के राज्यवार लक्ष्य दिए गए हैं

स्वैच्छिक कुष्ठ पलंगों के रख-रखाव के लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	400
2.	असम	100
3.	बिहार	500
4.	गुजरात	200
5.	हरियाणा	—
6.	हिमाचल प्रदेश	100
7.	जम्मू और काश्मीर	—
8.	कर्नाटक	100
9.	केरल	100
10.	मध्य प्रदेश	300
11.	महाराष्ट्र	550
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	200
16.	पंजाब	100
17.	राजस्थान	—
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	—
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	400
22.	पश्चिम बंगाल	400

1	2	3
संघ शासित क्षेत्र		
23.	अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	50
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादर और नागर हवेली	—
27.	दिल्ली	—
28.	गोवा, दमन और द्वीव	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	—
	अखिल भारत :	3700

सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोग के मरीजों का इलाज

3345. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोग के मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय सरकारी अस्पतालों में इलाज प्राप्त कर रहे मरीजों की संख्या तथा सही स्थिति, राज्यवार, क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं । तथापि कुछ जनरल अस्पताल कुष्ठ रोगियों का इलाज नहीं कर रहे हैं ।

(ख) कुछ जनरल अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों का इलाज कुछ तो इसलिए नहीं हो रहा कि कहीं लोग इस पर आपत्ति न करें और कुछ यह भी है कि अन्य रोगियों द्वारा निष्कासित किये जाने के भय से कुष्ठ रोगी स्वयं ऐसे स्थानों पर आना नहीं चाहते ।

(ग) ऐसे अस्पतालों में इलाज किए जा रहे रोगियों की ठीक-ठीक संख्या तो तुरन्त उपलब्ध नहीं है लेकिन देश में सरकारी और स्वैच्छिक विभिन्न जनरल और विशेष कुष्ठ केन्द्रों में लगभग 26 लाख 90 हजार रोगी इलाज करवा रहे हैं और कुष्ठ रोगियों के लिए इनमें 32655 बिस्तरे उपलब्ध हैं ।

वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

3346. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में दक्षिण-पूर्वी रेलवे की कितने किलो मीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जायेगा और उन पर बिजली के इंजन चलाये जायेंगे;

(ख) क्या उड़ीसा में रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में कितने किलो मीटर रेल लाइनों को उक्त अवधि में यह सुविधा दी जायेगी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 472 मार्ग कि० मी० ।

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य में पड़ने वाले बाल्तेरू-किरंदुल खंड के गोरापुर-अम्बागन (156 मार्ग कि० मी०) को छठी योजना के दौरान बिजली कर्षण के अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है ।

मीटर गेज लाइनों में वैगनों का लदान

3347. **रामचन्द्र रथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मीटर गेज लाइन पर वैगनों के लदान की कुल संख्या में प्रति-वर्ष कमी होती जा रही है और 1979-80 में वैगन लदान की स्थिति बदतर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) मीटर गेज लाइनों पर वैगनों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विगत कुछ वर्षों के दौरान मीटर लाइन पर लदान में गिरावट आयी है और 1979-80 में पिछले वर्षों की तुलना में वह कम रहा था ।

(ख) असम आन्दोलन, पूर्वोत्तर रेलवे पर गन्ने के संचलन की कम मांगें, लोको कोयले की कमी और पश्चिम रेलवे पर दरारें पड़ना जैसे कुछ कारकों के फलस्वरूप मीटर लाइन पर लदान में दुष्प्रभाव पड़ा ।

(ग) मीटर लाइन के माल डिब्बों के फेरों में सुधार करके मीटर अमान प्रणाली पर लदान में सुधार लाने के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर निगाह रखी जा रही है । मीटर लाइन पर, जून, 80 में 4073 माल डिब्बों और नवम्बर, 80 में 4968 माल डिब्बों की तुलना में लदान में हाल ही में सुधार हुआ है और यह लदान 5,300 माल डिब्बे प्रति दिन से अधिक हो गया है ।

उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटक समूहों का चलती गाड़ियों में लूटा जाना

3348. **एस० एम० कृष्ण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चलती गाड़ियों में विदेशी पर्यटकों के समूहों के साथ डकैतियां और चोरियों की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का न केवल यात्रियों के विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के बचाव के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए विदेशी पर्यटकों के समूह वाली गाड़ी में विशेष सशस्त्र गारद भेजने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। केवल एक डकैती के मामले में जो 17.2.81 को उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद तथा कायमगंज रेलवे स्टेशनों के बीच 13 अप एक्सप्रेस गाड़ी में हुयी थी, पांच विदेशी लूटे गये थे। इस मामले, का पता लगा लिया गया है।

(ख) यात्रियों के साथ हो रहे अपराधों के प्रति रेलों को गम्भीर चिंता है। लेकिन कानून और व्यवस्था के मामले जो संविधान में राज्य के विषय हैं, रेलों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तथापि, रेलें राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके राष्ट्रीयता का ध्यान रखे बिना सभी यात्रियों के सुरक्षा के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रहीं हैं। इसके अलावा, गाड़ियों का मार्ग रक्षण करने, स्टेशनों/प्लेटफार्मों/प्रतीक्षालयों में गश्त लगाने, अधिकारियों द्वारा रात्रि गाड़ियों की जांच करने, पेय स्टेशनों पर पहरा देने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की सहायतार्थ रेल सुरक्षा बल के 2,000 कर्मचारी लगाये गये हैं। गलियारेदार डिब्बों के दरवाजे 22.00 और 06.00 बजे के बीच बन्द रखे जाते हैं। चल टिकट परीक्षकों/परिचरों/कण्डक्टरों को अनुदेश दिए गये हैं कि वे सतर्क रहें और डिब्बों में विशेषकर आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकें।

(ग) इस समय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राष्ट्रीयता का ध्यान रखे बिना सभी यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की नीति है।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

3349. **श्री नीरेन घोष:** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा अधिक अच्छा योगदान दिए जाने की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया कितने प्रतिशत लौह अयस्क का निर्यात कर रहा है;

(घ) क्या एफ० ओ० बी०/एफ० ए० एस० और सी० एच० एफ०/सी० आई० एफ० आधार पर निर्यात और आयात के लिए स्थाई अनुदेश है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अमल करते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। चूंकि, शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी नौवहन कम्पनी है, इसलिए इसकी ओर से अधिक योगदान दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित विवरण वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के निर्यात की मात्रा दर्शाने वाला विवरण सलग्न है ।

(घ) और (च) लागत और भाड़ा आधार पर निर्यात और नौतल पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर आयात के लिए ठेका करने के लिए कार्यकारी अनुदेश पहले से मौजूद हैं और समय-समय पर इन्हें दुबारा भी सूचित किया जाता है ताकि जहाजों की व्यवस्था करने का काम भारतीय निर्यातकों के नियंत्रण में रह सके । अधिकांशत:, इस नीति पर अमल हो रहा है । फिर भी, कभी-कभी आयातकों का पलड़ा भारी रहने और कुछ अन्य कठिनाइयों के कारण, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए हमेशा इस नीति पर अडिग रहना संभव नहीं हो पाता ।

विवरण

(लाख मीट्रिक टन में)

	1978-79	1979-80	1980-81 (अनुमानित)
जापान (क)	3.92	6.71	6.77
(क) बैलाडिला			
(ख) बेसिक (ख)	0.40	0.39	1.50
(ग) अन्य (ग)	1.91	3.09	2.03
रूमानिया	1.21	0.91	—
युगोस्लाविया	0.33	1.65	2.04
दक्षिण कोरिया	—	1.91	—
जर्मन जनवादी गणतंत्र	0.64	—	0.16
यूरोप	0.22	0.71	—
पोलैंड	—	—	0.34
कुल :	8.63	16.37	12.84

पईमारा रेलवे स्टेशन

3350. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले के पास केयूल-रया लाइन पर पईमारा रेलवे स्टेशन बिना दूरभाष सुविधा के काम कर रहा है;

(ख) क्या सरकार वहां एक टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो वहां यह सुविधा कितनी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस सुविधा की व्यवस्था करने में लगभग तीन महीने लगेंगे।

गया जंकशन पर उपरि-पुल

3351. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-गुमटी के पास गया जंकशन (बिहार) पर एक उपरि-पुल का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इसे मंजूर करने के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फलों को पकाने के लिये कार्बाइड गैस का प्रयोग किया जाना

3352. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में कार्बाइड गैस से फल पकाये जाते हैं जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन निषिद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि फलों के थोक विक्रेताओं तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के इन असामाजिक कार्यों को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किये जायें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्रेणी-दो के पदों पर पदोन्नति

3353. **श्री के० ए० राजन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें उत्तर रेलवे के मेकनिकल विभाग में 1978 से श्रेणी-तीन के पदों से श्रेणी-दो के पदों पर पदोन्नत किए जाने के लिए या तो सूची में शामिल किया गया है अथवा पदोन्नत किया गया है;

(ख) उन व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ग) इस विभाग के श्रेणी-दो के पदों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से कितने पदों को उपयुक्त अभ्यार्थियों के अभाव में अनारक्षित कर दिया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लेबोरेटरी तकनीशियनों को दिए गए चयन-ग्रेड तथा बकाया राशि की अदायगी

3354. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कितने लेबोरेटरी तकनीशियनों को चयन-ग्रेड दिये गये तथा किस तारीख से दिये गये;

(ख) क्या उनके वेतन पुनरीक्षित चयन-ग्रेड में पुनरीक्षित तथा निर्धारित कर दिये गये हैं और यदि उन्हें कोई बकाया राशि दी गई है, तो कितनी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारथ हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के निम्नलिखित चार प्रयोगशाला तकनिशियनों को उनके नामों के आगे दी गई तारीख से सलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है :—

1.	श्री शोम सिंह	1-8-76
2.	श्री सुखदेव मित्तर	1-8-79
3.	श्री शिवसिंह जरधारी	1-8-79
4.	श्री जोयन्त पाल	1-8-79

(ख) और (ग) भुगतान प्रशासनिक विलम्ब के कारण नहीं हो सका। तथापि यह भुगतान शीघ्र ही किया जाने वाला है।

मुगलसराय-आसनसोल लाइन का विद्युतीकरण

3355. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय और आसनसोल बरास्ता पटना के बीच रेल लाइनों के विद्युतीकरण के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसे कब तक पूरा किया जाना है और इस पर क्या लागत आएगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य बिभाग में उप मन्त्री '(श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आसनसोल से सीतारामपुर तक की रेलवे लाइन का पहले ही विद्युतीकरण कर दिया गया है।

मुख्यालय से सीतारामपुर तक (557 मार्ग कि० मी०) के विद्युतीकरण का कार्य भी अनुमोदित हो चुका है और 86.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1981-82 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है जिसे धन की उपलब्धता और यातायात की अधिक ढुलाई करने वाले अन्य खंडों के बीच पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया जायेगा।

नैहाटी बज-बज लाइन

3356. **श्री चित्त बसु** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह होकर नैहाटी से बज-बज तक एक रेल लाइन बिछाने की कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना का ब्यौरा तथा पूर्ण तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नैहाटी और बज-बज पहले से ही सियालदह के रास्ते रेल लाइन से जुड़े हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टाटा इन्जीनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी को दिए गए वैगन

3357. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान माल उतारने के लिए टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव-कम्पनी और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को बिहार में दक्षिण-पूर्व रेलवे में टाटानगर रेलवे स्टेशन यार्ड से सभी प्रकार के कितने भरे हुए रेलने वैगन दिये गये थे। उनमें कितना माल भरा गया था और कम्पनियों से टाटानगर यार्ड को खाली वैगन कब लौटाये गये थे;

(ख) माल लादने के लिए कितने खाली वैगन सप्लाई किये गये थे और ये भरे हुए वैगन टाटानगर रेलवे यार्ड में कब वापस आए थे; और

(ग) इन वैगनों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है और टाटानगर रेलवे यार्ड से कम्पनियों को ये वैगन किन-किन तारीखों को भेजे गये थे और वहां से इनके वापस आने की तारीखें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयले की कमी के कारण रद्द की गई रेलगाड़ियां

3358. **श्री अशोक गहलौत** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की कमी के कारण उत्तर रेलवे कीं अनेक रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप वहां के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) उत्तर रेलवे के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक डिवीजन के अन्तर्गत सरकार द्वारा रद्द की गई रेल गाड़ियों की संख्या कितनी है और उसका पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन गाड़ियों को पुन: चलाए जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कुछ समय से देश में भाप कोयले की समग्र उपलब्धता रेलों और उद्योगों की संयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं रही है । इसलिए उत्तर रेलवे सहित, रेलो को कुछ चुनींदा गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं. लेकिन केवल वही गाड़ियां रद्द की गयीं जो अपेक्षाकृत कम महत्व की थीं और कम लोकप्रिय थीं ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो ।

रेल कर्मचारियों की पंजीकृत यूनियनें

3359. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने रेल प्राधिकारियों को इस आशय का कोई निवेश दिया है कि वे रेल कर्मचारियों की सम्बन्धित पंजीकृत यूनियनों के साथ बातचीत से किन्हीं ऐसे विवादों का निपटारा न करें, जो जनता सरकार के समय में शुरू हुए थे;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक शान्ति के हित में अपने विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा करने के लिए रेल कर्मचारियों की पंजीकृत यूनियनों के पास कौन-सा तन्त्र विद्यमान रह गया है; और

(ग) श्रम मन्त्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजे गये रेल कर्मचारियों के औद्योगिक विवादों सम्बन्धी मामलों का ब्यौरा क्या है और विवादों का निपटारा करने के लिए उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। रेलों पर तीस वर्षों से अधिक समय से एक सुव्यवस्थित स्थायी वार्ता तंत्र मौजूद है, जिसमें दो मान्यता प्राप्त फेडरेशन अर्थात् आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन अपने चरमोत्कर्ष पर हैं और क्षेत्रीय रेलों पर उनसे सम्बद्ध यूनियनें आमने-सामने बैठकर परस्पर बहस करती हैं और मतभेदों को तय करती हैं।

(ग) औद्योगिक विवादों से सम्बद्ध श्रम मन्त्रालय से प्राप्त सन्दर्भों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाती है और मामले में यथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

राजपत्रित अधिकारियों को वेतन का भुगतान

3360. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** राजपत्रित अधिकारियों को वेतन के भुगतान के बारे में 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने नकद भुगतान के लिए विकल्प दिया था, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में काम कर रहे अधिकारियों को उनके वेतन के चैक समय पर नहीं मिल रहे हैं और यदि हां, तो इस बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) जहां तक वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के पालन का सम्बन्ध है क्या सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली है और क्या वे इसे सभा पटल पर रखेंगे, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं। वेतन चेकों के भुगतान में विलम्ब के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय में काम कर रहे अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं मिली।

(ख) अधिकारियों द्वारा अपना वेतन चेक से या नकद लेने के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई हिदायतों का पालन करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे अधिकारियों से कहा गया है कि वे 15-3-81 तक इस सम्बन्ध में अपना विकल्प सूचित कर दें। इस प्रयोजन के लिए यह तारीख वित्त मंत्रालय ने निर्धारित की हुई है।

पुरबा रेलवे इन्जीनियरिंग कामगार यूनियन, धनबाद डिवीजन का ज्ञापन

3361. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डिवीजनल सेक्रेटरी, पुरबा रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन, धनबाद डिवीजन का उनकी सेवा शर्तों तथा 24 सूत्री मांग-पत्र के बारे में 29 जनवरी, 1981 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) रेल प्रशासन ने, वर्तमान नियमों और विनियमों के अन्तर्गत, शिकायतें दूर करने के लिए पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

विदेशी दूतावासों के पास विदेशी मोटर-गाड़ियाँ

3362. **श्री एन० डेनिस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने देशों ने अपने दूतावासों में विदेशी मोटर-गाड़ियां रखी हुई हैं;

(ख) उनका मूल्य क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने दूतावासों ने भारत में अपनी मोटर-गाड़ियों को प्राइवेट पार्टियों के पास बेच दिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है लेकिन इसे एकत्र किया जा रहा है।

इस विषय पर वर्तमान विनियमों के अनुसार, अगर किसी विदेशी राजनयिक मिशन ने बिना शुल्क कोई गाड़ी आयात की है तो वह उसे खुले बाजार में किसी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को नहीं बेच सकता। विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार बिना शुल्क आयात की जाने वाली इन गाड़ियों का पुनः-निर्यात किया जा सकता है, किसी अन्य विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्ति को अथवा भारतीय राज्य व्यापार निगम को बेचा जा सकता है। इस मामले में केवल दुर्घटना-ग्रस्त या पूरी तरह से क्षति-ग्रस्त गाड़ियां ही अपवाद हैं जिन्हें यदि राज्य व्यापार निगम खरीदने से मना कर दे तो उन्हें सम्बद्ध बीमा कम्पनी को बेचा जा सकता है।

रेल दरें ट्रिब्यूनल

3363. **श्री एन. डेनिस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की रेल दरें ट्रिब्यूनल के रूप में नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन नियुक्तियों के लिए कार्यरत न्यायाधीशों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में रेल मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री टी. राम प्रसाद राव को पुननियोजन की शर्तों पर 7.4.1980 से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है । यह नियुक्ति भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की व्यवस्थाओं के अनुसार की गयी है ।

(ग) कार्यरत न्यायाधीश प्रत्यक्ष कारणों से इस कार्य को करने में रुचि नहीं लेंगे । सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी प्रायः इस प्रकार की नियुक्ति को स्वीकार नहीं करते ।

मदुरै डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3364. श्री के० टी० कोसलराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के रेल कर्मचारियों ने सितम्बर, 1980 में किसी समय किन कारणों से काम करना बंद कर दिया था;

(ख) हड़ताल समाप्त करने के लिए उनको क्या आश्वासन दिया गया था; और

(ग) क्या उस आश्वासन को अब क्रियान्वित कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मदुरै मंडल के रेल कर्मचारी नागर कोइल-तिरुनेलिवेलि (ब० ला०) खंड को मदुरै मंडल में मिलाने की मांग कर रहे थे ।

(ख) कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

घटिया औषधियों का उत्पादन

3365. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन करने वाली कंपनियों के बारे में 9 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3060 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वरोज वेस्कम कम्पनी (इंडिया) बम्बई द्वारा घटिया औषधियों का उत्पादन करने के मामले आठ बार प्रकाश में आए थे, प्रत्येक बार उत्पादित घटिया औषधियों के नाम क्या हैं और उनका मूल्य कितना है तथा उन सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये औषधियां सप्लाई की गई थीं; और

(ख) घटिया औषधियों का उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा उक्त फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नावा-शेवा पत्तन परियोजना

3366. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : श्री आर० के० महालगी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नावा-शेवा पत्तन की स्थापना करने सम्बन्धी योजना संतोषजनक प्रगति कर रही है;

(ख) यदि हां, परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि परियोजना की प्रगति निर्धारित समयानुसार नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं और उनका उपचार क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने नावा-शेवा पत्तन परियोजना के लिए ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करने की स्वीकृति अक्टूबर, 1980 में दी थी। इसके बाद बम्बई पत्तन न्यास ने अल्पकालीन-सूची में दर्ज परामर्शकों से टेंडर मंगाए। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए परामर्शकों की नियुक्ति फरवरी, 1981 में की गयी। आशा है कि ब्यौरे-वार परियोजना रिपोर्ट 1981 के अन्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

केरल नौ अध्ययन संस्थान, त्रिवेन्द्रम को मान्यता

3367. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम के निकट केरल नौ अध्ययन संस्थान का तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा 1977 में उद्घाटन किया गया था;

(ख) क्या इस संस्थान को केन्द्र सरकार द्वारा अभी भी मान्यता दी जानी है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संस्थान को मान्यता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) भारत सरकार में इस समय तीन प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन तीनों प्रशिक्षण संस्थानों की अभीष्ट प्रशिक्षण क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जहाजों पर अनेक नाविकों को रोजगार नहीं मिला हुआ है। यह अनुभव किया गया है कि प्रशिक्षित नाविकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा तीन प्रशिक्षण संस्थान पर्याप्त हैं। हाल में सरकार ने नाविकों की बेरोजगारी की जांच करने के लिए एक विशेष समिति गठित की है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में अनेक बातों के अलावा इन

तीन प्रशिक्षण संस्थानों के भावी गठन पर भी परामर्श देना है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान को मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

पटरी से उतरी नीलाचल एक्सप्रेस के यात्रियों का दुखद अनुभव

3368. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(के) क्या सरकार ने पटरी से उतरी नीलाचल एक्सप्रेस के यात्रियों के दुखद अनुभव के बारे में 19 फरवरी, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसी ही स्थितियों में बचाव और राहत कार्यों को सुचारु बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) क्या उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से अपने कर्तव्य निर्वाह न कर पाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए पहले ही आदेश दिये जा चुके हैं, जिनमें दुर्घटना के कारण, उसकी जिम्मेदारी, बचाव और राहत कार्यों की पर्याप्तता आदि शामिल हैं। जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

दिल्ली के बिजली घरों के लिए निर्धारित कोयला अन्यत्र भेजा जाना

3369. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल बोर्ड के एक भूतपूर्व ट्रैफिक मेम्बर ने दिल्ली के बिजली घरों के लिए निर्धारित कोयला रेक एक प्रमुख प्राइवेट कैमिकल कंपनी को भेज दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेवा निवृत्ति के बाद अब वह उसी प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली बिजली घर के लिए बुक किये गये कोयले के नहीं बल्कि लोको कोयले वाले कुछ बाक्स माल डिब्बे 1979 के प्रथम चार महीनों के दौरान तत्कालीन मदस्य यातायात के आदेशों के अधीन दिल्ली की एक प्राइवेट कैमिकल कम्पनी को बेच दिये गये थे, क्योंकि उस फर्म की स्थिति चिंतनीय हो रही थी। इन महीनों के दौरान कोयले की चिन्तनीय स्थिति वाली तीन अन्य फर्मों को भी इस प्रकार की सहायता दी गई थी। जब कभी व्यावहारिक होता है, सामान्य सिद्धांत

के रूप में जिन उद्योगों/फर्मों में कोयले की गम्भीर स्थिति होती है उन्हें इस प्रकार की सहायता दी जाती है।

(ख) इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है कि वह उसी प्राइवेट कैमिकल कम्पनी में काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

———

ध्यानाकर्षण सूचनाओं आदि के बारे में

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, उपमंत्री के द्वारा टिकट चैकर की पिटाई का समाचार-- गाजियाबाद में पीटा गया है ··

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, प्रश्न काल अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी एक मिनट बचा है। यह नियम 42 का उल्लंघन है। एक मिनट अभी भी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, एक घंटे में अभी एक मिनट बचा है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक धरना दे रहे हैं और अपने आप को गिरफ्तार करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आप प्रस्ताव रूप में पेश कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, एक प्रस्ताव है। मैं आपकी अनुमति चाहता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पासवान को बोलने की अनुमति दे दी है। श्री पासवान, आप किस नियम के अन्तर्गत प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : हमने कॉल एटेन्शन दिया है, एडजार्नमेन्ट मोशन दिया है। रेल उप मंत्री के हाथों से रेल कर्मचारी की पिटाई की गई है, गाजियाबाद में रेल निरीक्षक को पीटा गया है···

अध्यक्ष महोदय : इसके तथ्य बताइए, कृपया मेरी बात सुनिए मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है, परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं विचार कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : क्या आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव की जरूरत है ? उन्हें इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। मंत्री महोदय यहां हैं। वह लाठी लेकर गए और उन्होंने रेलवे कर्मचारी को मारा। यह उन्होंने कल किया था (व्यवधान)

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : रेल पथ की जांच करने के लिए मेरे पास एक छड़ी थी। वह लाठी नहीं थी (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह बोलना चाहें तो···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दें। रेलवे कर्मचारियों के पास कोई शस्त्र नहीं था। वह वहां लाठी लेकर गए और उन्हें मारा। कल उन्होंने ऐसा किया··· (व्यवधान) अब वह हमें भी धमकी दे रहे हैं···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृपया उनसे कहें कि वह वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने तरीके से उनसे कहूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह उठे हैं, कृपया उनसे कुछ बोलने के लिए कहें ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें रोका नहीं है, मैं उनसे पूछूंगा। मैं पूछूंगा लेकिन अपने तरीके से पूछूंगा। वह अपने आप कहना चाहें तो कहें ··

श्री राम विलास पासवान : वह बोलना चाहते हैं, आप उनको बोलने दीजिये

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब रोका है ?

श्री राम विलास पासवान : आप एलाउ कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना रिकार्ड में कुछ भी दर्ज नहीं किया जाएगा। इसकी इजाजत नहीं है। इस प्रकार शोरगुल करने से आपको क्या मिलेगा ? जब मैंने आपको विशेष तौर पर उसका जिक्र करने की अनुमति दे दी है तो आप सभा का समय तथा अपनी वाक् शक्ति क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। मेरे द्वारा अनुमति दिए जाने का आप लाभ नहीं उठा रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दिल्ली विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव व अन्य प्रस्तावों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे स्वयं को गिरफ्तार करा रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रकार सब कुछ रुक जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : तमिल और मलयाली विरोधी पोस्टरों का बंगलौर में खूब प्रचार हो रहा है तथा देश की अखंडता को प्रभावित करने वाला यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। आप बेकार ही उत्तेजित हो रहेहैं। श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा, आपके द्वारा तथा श्री लकप्पा द्वारा यह मेरे ध्यान में लाया जा चुका है। यह दो विभिन्न मुद्दे हैं। एक बंगलौर के बारे में है। दूसरा बम्बई के। मैं दोनों पर ही एक संयुक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहा हूं। जो कल पेश होगा। हरेक चीज में समय लगता है, तथा हरेक विषय पर बेरोकटोक चर्चा होगी। आप कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं बहुत देर से खड़ा हूं। धन्यवाद, आपने मुझे अनुमति दे दी। क्या यह रिकार्ड में दर्ज होगा ?

अध्यक्ष महोदय : हां, अगर वह संगत होगा तो। यदि संगत होगा तभी रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत महत्वपूर्ण प्राध्यापक ··

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसे अस्वीकृत कर चुका हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, जी नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्राध्यापक सड़क पर हैं। कम से कम नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव नहीं मिलेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कम से कम नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उस पर मैं विचार करूंगा। आप मेरे पास बाद में आ सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने मंत्री महोदय को देख लिया है। आप उनसे वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इसका नोटिस दें, तब मैं उनसे कहूंगा।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : इससे पहले श्री हरीश रावत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया था। आज मैंने मेरठ बैंक के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उस पर नियम 377 की अनुमति दे चुका हूं।

श्री राजेश पाइलट : आप मुझे अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। इस विषय पर अनुमति दी जा चुकी है।

श्री ए० के० राय : मेरा केवल यही अनुरोध है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट के संबंध में, जिसके कारण संयंत्र बंद हो गया था, मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। आप मंत्री महोदय का वक्तव्य चाहते हैं। सभी सदस्यों के सूचनार्थ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैंने खास तौर पर आपसे कहा था कि आप इसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाइये तब आपने बेकार ही अपनी वाक्शक्ति व्यर्थ की। महोदय, क्या इस तरह कुछ हो सकता है। तब मैं इसकी अनुमति किसी नियम के अन्तर्गत दे देता। तब यह रिकार्ड में दर्ज किया जाता परन्तु अब यह रिकार्ड में दर्ज नहीं होगा।

श्री राम विलास पासवान : यह बड़ा सीरियस मामला है बिहार का।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है मैं इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रख सकता था। अगर यह बहुत उत्सुक हैं तो आज भी यह किया जा सकता है। मैं यह कर सकता हूं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : तब खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए श्री सुनील मैत्रा। यदि यह मामला आज उठाया जाता तो इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत लाया जा सकता था। यही सबसे आसान तरीका था। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के खिलाफ नहीं हूं मैं इसकी भी अनुमति दे सकता हू। (व्यवधान)

श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 29 की गंभीर स्थिति···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बाद में मेरे पास आइए। यहां कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं उठाया जाएगा।

श्री बसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य की मैंने आपसे अनुमति मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यहां नहीं। आप मेरे कक्ष में आइए।

श्री वसन्त कुमार पंडित : मैं आपके पास कल आया था। आपने मुझसे कहा था।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : बोकारो स्टील प्लांट में गैस पाइप लाइन में जो विस्फोट हुआ है, उसके लिए मैंने लिख दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है। उसको 377 में मैंने एलाऊ कर दिया है।

श्री विजय कुमार यादव : मैंने इस पर कालिंग एटेंशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग स्टेंशन आएगा, तो आपका नाम बीच में आएगा, अगर बैलेट में वह आ जाएगा। आप कुछ नियम क्यों नहीं समझते हैं ? ·· व्यवधान···अब इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है वाजपेयी जी।

यदि आप मुझे कोई उपाय बताएं तो मैं उस पर अमल करूं। अब सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र प्रस्तुत कीजिए; श्री वीरेन्द्र पाटिल।

— —

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम और कोचीन शिपयार्ड लि० कोचीन के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, तूतीकोरन पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत विभिन्न नियमों संबंधी अधिसूचनाएं।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–2070/81]

(ख) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1979–80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1979–80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2071/81]

(2) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1979–80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2072/81]

(3) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नौवहन विकास निधि समिति (मुख्य लेखाधिकारी और लागत लेखाधिकारी) भर्ती नियम, 1981 जो दिनांक 14 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 177 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नौवहन विकास निधि समिति (सालिसिटर) भर्ती नियम. 1981 के दिनांक 14 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 178 में प्रकाशित हुए थे ।

[गंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–2073/81]

(तीन) नौवहन विकास निधि समिति (लेखापाल) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 14 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 179 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०-टी० 2074/81]

(चार) नौवहन विकास निधि समिति (सहायक) भर्ती नियम, 1981 जो दिनांक 14 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 180 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2073/81]

औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 1980

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत, औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 680 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2074/81]

भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक का वर्ष 1979-80 का अग्रिम प्रतिवेदन संघ सरकार (रेल) तथा (सिविल) और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के बारे में भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन भाग दो तथा तीन संघ सरकार (वाणिज्यिक)

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं संविधान के अनुच्छेद 1951 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1979-80 का अग्रिम प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल)।

(दो) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1979-80 का अग्रिम प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2075/81]

(तीन) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1979-80 का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 2—भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (दुर्गापुर एकक)।

(चार) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1980 का प्रतिवेदन - संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 3—भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (विपणन, जन शक्ति और आन्तरिक लेखापरीक्षा समेत समूचे कार्य निष्पादन पर एक विहंगम दृष्टि) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2076/81]

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

5वें प्रतिवेदन सबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

5वां प्रतिवेदन

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : वर्ष 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपन्थी सरकार ने पैट्रो-रसायन समूह स्थापित करने का एक अच्छा निर्णय किया और तदनुसार पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम परियोजना रिपोर्ट तैयार की जो देश के औद्योगिक विकास में सहायक होगी और इससे 2090 बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । सहायक उद्योगों में लगभग 60 हजार लोग खप सकेंगे । यह एक कृषि प्रधान उद्योग होगा जो न केवल पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र में ही अपितु समस्त देश में कृषि तथा उद्योगों के विकास में सहायक होगा। केन्द्रीय सरकार ने 11 नवम्बर, 1977 को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के नाम एक आशय पत्र जारी किया । तदनुसार भूमि अधिग्रहण, वित्त, आधारभूत ढांचा तथा निविदा आदि

जैसे सभी प्रबन्ध किये गये। 19 दिसम्बर, 1980 को आशय पत्र में कुछ संशोधन किया गया और राज्य सरकार उसी के अनुसार इस दिशा में राज्य के साथ आगे बढ़ रही है। अब आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

इससे पश्चिम बंगाल के लोगों के मस्तिष्क में संदेह, असंतोष तथा चिन्ता पैदा हो गई है और राज्य में हाल के युवा आन्दोलनों में, विशेषतया मिदनापुर जिले में, इसका प्रदर्शन भी हुआ है।

डी० वाई० ई० आई० के झंडे के नीचे हजारों नवयुवक समस्त पश्चिम बंगाल राज्य में, विशेष रूप से मिदनापुर जिले में, संघर्ष कर रहे हैं और हल्दिया में पैट्रो-रसायन समूह स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। हाल ही में हजारों युवक-युवतियों ने विभिन्न खंड मुख्यालयों में प्रदर्शन किये और तुरन्त औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने की मांग की। उन्होंने प्रधान मन्त्री को टेलीग्राम भेजकर अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है। 3 मार्च, 1981 को हल्दिया, घारेग्राम, मिदनापुर में तीन बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया जिसमें दृढ़ निश्चय के साथ 20 हजार युवकों ने भाग लिया।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे आशय पत्र को अविलम्ब औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करें और पश्चिम बंगाल के युवकों के मस्तिष्क से सभी प्रकार के संदेहों, असन्तोष और चिन्ता को दूर करें।

(दो) रतलाम, मध्य प्रदेश में पैट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, बाम्बे हाई गैस पर आधारित उद्योगों की रु० 900 करोड़ की योजना के अन्तर्गत पेट्रो केमिकल उद्योग मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के मोरवानी स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। यह स्थान इस उद्योग के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। 1980 में भारत सरकार द्वारा स्थापित कमेटी द्वारा भी इस स्थान के लिए सिफारिश की गई थी।

रतलाम और झाबुआ आदिवासी क्षेत्र हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या आदिवासियों की है। भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत इस उद्योग से बड़ी संख्या में आदिवासी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उद्योग की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जमीन का असीमित क्षेत्र है। माही नदी का भरपूर जल है। बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल मजदूर मिल सकते हैं। ब्राड और मीटर गेज रेलवे लाइन भी उस क्षेत्र में है।

मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासियों की ओर से मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पहली कमेटी की सिफारिश के अनुसार मोरवानी (रतलाम) में ही वह पेट्रो-केमिकल उद्योग स्थापित किया जावे। इससे भारत सरकार को पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों को उन्नत बनाने की बुनियादी नीति का पालन होगा। धन्यवाद।

(तीन) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में बस दुर्घटना में हताहत लोगों को राहत देने की आवश्यकता

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : विगत 3 माह के अन्दर उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों में 5 भयंकर बस दुर्घटनाएं हुई हैं। इन बस दुर्घटनाओं में लगभग 100 लोग अकाल काल कवलित हुए हैं व कई लोग भयंकर रूप में घायल हुए हैं। इस क्षेत्र में यातायात का कार्य उ० प्र० राज्य परिवहन निगम में कमाऊ मोटर्स यूनियन लिमिटेड करती है। इन बस दुर्घटनाओं का कारण बहुत पुरानी छकड़ा बसों का चलाना, आवश्यक साज-सज्जायुक्त वर्कशापों का न होना व सड़कों का तंग होना है।

अतः शासन से आग्रह है कि उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत इन दोनों यातायात संस्थाओं को कम से कम 400 नई बस चेसिस दी जाये व वहां आधुनिक वर्कशापों की स्थापना की जाय तथा सड़कों को चौड़ा किया जाये।

तात्कालिक तौर पर मृतकों के आश्रितों को कम से कम 20 हजार रुपये की नकद सहायता व उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाय तथा घायलों को 5 हजार से 10 हजार तक की अनुतोष धनराशि दी जाये।

(चार) गोरखपुर के लिए प्रतिदिन इन्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवायें चालू करने और गोरखपुर हवाई अड्डे का विस्तार करने की आवश्यकता

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, गोरखपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां पर इस समय भारतीय उर्वरक कारखाना, आकाशवाणी केन्द्र, प्रसिद्ध गोरक्षनाथ मंदिर, विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस, समीप में कुशीनगर विश्व प्रसिद्ध भगवान बुद्ध का महा निर्वाण स्थली तथा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय एवं वायु सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय स्थित हैं। जहां पर विश्व के हर कोने से पर्यटक एवं व्यापारी आते रहते है। लेकिन वायु यातायात की कमी के कारण वहां पर आने वाले यात्रियों को काफा कठिनाई होती है। साथ ही साथ इस कमी के कारण देश के अन्य जगहों से अच्छे उद्योगपति इस पूर्वांचल में उद्योग लगाने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि गत कुछ दिन पहले सरकार इस हवाई अडडे के विस्तार हेतु कुछ कदम उठाने वाली थी किन्तु अभी तक उसमें कुछ प्रगति नहीं दिखलाई दे रही है। अतः केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, सैनिक एवं वैज्ञानिक मूल्यों को मजबूत बनाने हेतु उक्त हवाई अड्डे के विस्तार को ठीक करने के लिए विशेष धनराशि स्वीकृत करके अविलम्ब कार्यवाही करें। मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर सप्ताह में केवल तीन ही दिन यात्री विमान रुकने की व्यवस्था है। अतः संबंधित माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन है कि उक्त स्थान पर प्रत्येक दिन वायुयान रुकने के लिए अविलंब आदेश प्रदान करें ताकि उक्त स्थान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा सकें। ऐसा करने से भारतीय पर्यटन विभाग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और विश्व के अन्य देशों से आने वाले यात्रियों से मुद्रा कमा सकेंगे। (इति)

(पांच) मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की आवश्यकता

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के लोग तथा जिलाबार एसोसियेशन मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के लिए काफी समय से मांग कर रहे हैं। इस मांग के समर्थन में बार-बार आन्दोलन हुये हैं जिनमें इस क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में इनमें भाग लिया है। बनारसीदास सरकार ने ऐसी एक पीठ स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की थी। दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार ने इस मांग पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है।

इस बीच पीठ स्थापित करने के लिये किए जा रहे आन्दोलन में और तेजी आयी है। पिछले दो महीनों से वकील निरन्तर न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं और इससे एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जांच-आधीन कैदी जेलों में पड़े हैं न तो उनकी जमानत ही हो पा रही है और न मुकदमा ही चल रहा है।

जिलाबार एसोसियेशन, मजदूर संघ तथा जनसंगठन, किसान संगठन तथा राजनैतिक दलों ने 16 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन्द का आह्वान किया है। इससे क्षेत्र में सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। इससे भी खराब बात यह है कि यह एक जन आन्दोलन को जन्म दे सकता है जिससे समस्त क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से एक बड़ा राज्य है। यहां की जनसंख्या देश की जनसंख्या का सातवां भाग है। हलाहाबाद स्थित राज्य के उच्च न्यायालय की एक और पीठ लखनऊ में है। अतः उत्तर प्रदेश में न्याय विलम्बकारी और मंहगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीठ स्थापित करने की लोगों की मांग न्यायोचित है। इससे इन जिलों के मुकदमा लड़ने वाले लोगों को धन तथा समय की बचत होगी और परेशानी भी नहीं होगी। अतः मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हू कि इस मामले में निर्णय लेने में तथा श्री बनारसीदास के नेतृत्व में लोकदल की सरकार द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश को मंजूर करने में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। (व्यवधान)

(छः) उत्तर प्रदेश के एक हिन्दी "दैनिक भारत" के प्रबन्धकों द्वारा पालेकर पंचाट को लागू न किया जाना

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : पालेकर एवार्ड को अधिकांश समाचार पत्र मालिकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा ऐसे समाचार पत्र मालिकों की भी कमी नहीं है जिन्होंने इसे लागू ही नहीं किया और उससे बचने के लिए अदालत चले गए हैं अथवा यदि लागू भी किया है तो तोड़ मरोड़कर अपनी सुविधानुसार किया है। कुछ मालिकों ने अपने यहाँ छटनी कर दी है और कुछ समाचार पत्र मालिकों ने तो इस पालेकर एवार्ड से बचने के लिए समाचार पत्रों का

प्रकाशन ही बन्द कर दिया है। दैनिक "भारत" इनमें से एक है। उल्लेखनीय है कि "भारत" के मालिक देश के सबसे बड़े उद्योगपति बिड़ला हैं।

देश की स्वतंत्रता से 15 वर्ष पूर्व 1932 में "भारत" का प्रथम अंक निकला था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पं० मोतीलाल नेहरू, डा० तेज बहादुर सप्रू, डा० सच्चिदानन्द सिन्हा तथा राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन के आग्रह, प्रेरणा और आशिर्वचन लेकर "भारत" ने देश के जन जीवन से जुड़ने के लिए अपनी यात्रा आरम्भ की थी। आजादी के बाद इस "भारत" ने प्रयाग, उत्तर प्रदेश और देश के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को निरंतर अभिव्यक्त करके अपने दायित्व को सदैव सजग लक्ष्य की भांति अनेक झंझावातों के कठोर थपेड़े को सहते हुए भी आज तक पूरा किया है।

इसी संस्था ने इलाहबाद से ही प्रकाशित होने वाले "लीडर" को भी बन्द कर दिया है। हकीकतन यदि यह सच है कि देश की आजादी की लड़ाई में इलाहाबाद की विशेष अहमियत है तो यह भी सच है कि इसमें "भारत" और "लीडर" दोनों समाचार पत्रों की भूमिका अति गौरवमयी है। उक्त प्रेस की पचासों लाख की मौजूदा सम्पत्ति इन्हीं "भारत" और "लीडर" की गाढ़ी कमाई है। पालेकर एवार्ड से बचने के लिए "भारत" के प्रकाशन को ही प्रकाशक तथा मालिकों के द्वारा बन्द कर दिया गया है जिससे दैनिक "भारत" समाचार पत्र से सम्बंधित पत्रकारगण और मजदूरों के जीवकोपार्जन के लाले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि समाचार पत्र को बन्द करके इसके मालिकगण "भारत" की उक्त सम्पत्ति को किसी अन्य कार्य में लेना चाहते हैं जोकि घोर आपत्तिजनक है। मैं चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में "भारत" की भूमिका के सम्मान, उत्तर भारत के आठ लाख पाठकों की आकांक्षा और पत्रकारों के हितों की रक्षा हेतु सरकार अविलम्ब हस्तक्षेप करे और प्रकाशकों के नापाक इरादों को पूरा न होने दे।

(सात) उच्च शक्ति रेल इंजनों का भारत द्वारा आयात किये जाने के बारे में विश्व बैंक के दल द्वारा दिए गए कथित सुझाव

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : बताया गया है कि विश्व बैंक के दल ने हाल में भारत का दौरा किया था और रेलवे विशेषज्ञों के साथ बात-चीत की थी। यह भी बताया गया है कि भारतीय रेलवे को विश्व बैंक से तब तक कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी जब तक कि रेलवे प्रबन्ध की कम्प्यूटर प्रणाली के बारे में निर्णय नहीं कर लेती जिससे कि चल स्टाक, वैगनों की लदाई, अखिल भारतीय मार्शलिंग आदेशों की समीक्षा की उचित योजना बनाई जा सके और अद्यतन आरक्षण प्रणाली की भी व्यवस्था की जा सके।

विश्व बैंक के दल ने उच्च शक्ति वाले इंजनों के आयात का सुझाव दिया है।

एक माननीय सदस्य : उच्च शक्ति वाले इंजन ? आप तो रेल मन्त्री रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आप परेशान हो। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं विश्व बैंक के बारे में कह रहा हूं। मैंने उच्च शक्ति वाले इंजनों का भी आयात नहीं किया है।

उच्च-शक्ति वाले इंजनों का आयात करने के लिए पिछले वर्षों में भी दबाव दिया जाता रहा है। परन्तु रेलवे ने इन दबावों को नहीं माना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे रेल-इंजनों के मामले में आत्म-निर्भर है, उच्च-शक्ति रेल इंजनों का आयात करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद आगे पीछे इंजन लगाकर गाड़ी चलाने का एक-एक प्रयोग किया गया।

रेल मन्त्री महोदय स्पष्ट बतायें कि क्या रेल प्रशासन उच्च-शक्ति रेल इंजनों के आयात के सम्बन्ध में अपने रवैये को बदलना चाहता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन्. मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : मैं बाद में वक्तव्य दूंगा।

उपाध्यक्ष मोहदय : श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री केदार पांडे : मैं अपना वक्तव्य बाद में दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे इसका आयात करने वाले हैं।

श्री केदार पांडे : मैं इसके सम्बन्ध में किसी और दिन अपना वक्तव्य दूंगा।

(आठ) पश्चिम बंगाल में बेलन आयट मिलों की कठिनाइयां

श्री आनन्द गोयल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : पश्चिम बंगाल के रॉलर फ्लोर मिल्स भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जब तक तत्काल उपचारात्मक उपाय नहीं किये जाते, तो उनमें से कुछ मिलों के शीघ्र बन्द हो जाने की संभावना है। जिससे सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे तथा उत्पादन पर भी गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्रीमन्, 1980 से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित गेहूं को राज्य सरकारों द्वारा मिलों की क्षमता के आधार पर प्रत्येक मिल को पुनः आवंटित किया जाता था। तथापि आवंटन का यह आधार अगस्त, 1980 में बदल दिया गया था। केन्द्र द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे फ्लोर मिलों को लाइसैंस प्राप्त या अधिष्ठापित क्षमता की बजाय "पिछले वर्षों में पिसाई की औसत वास्तविक दर" के आधार पर गेहूं का उप आवंटन करें राज्यों को यह भी सलाह दी गयी थी वे कार्य निष्पादन की संगणना में वर्ष 1978 से 1980 के तीन वर्षों के कार्य निष्पादन पर विचार करें और इसमे विभिन्न क्षेत्रों में बारी-बारी से बिजली बन्द होने, वित्तीय संसाधनों और हड़तालों जैसे स्थानीय कारणों तथा परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें। केन्द्र ने यह सुझाव भी दिया था कि एक समिति का गठन किया जाये जो वितरण प्रणाली पर निगरानी रखेगी और यह समिति समस्याओं के पैदा होने पर उनके समाधान के लिए जरूरत होने पर उपचारात्मक कार्यवाही भी करेगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया था लेकिन इन सिद्धातों के क्रियान्वित करने की कोशिश करने में मार्गदर्शी सिद्धांतों की मूल भावना का उल्लंघन किया अर्थात तीन वर्षों के कार्य निष्पादन के बजाय उन्होंने केवल एक वर्ष के कार्य निष्पादन को लागू किया है तथा केन्द्र ने जिस समिति के गठन का सुझाव दिया था, वह भी गठित नहीं की गयी थी ।

मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कियान्वयन में इस महत्वपूर्ण विकृति ने छोटे मिलों के लिए एक बहुत ही कठिन स्थिति पैदा कर दी है और सप्लाई अब केवल बड़े मिलों को ही की जा रही है। यह असंगति इतनी विकट तथा भयानक हो गयी है कि जब बड़े मिलों को उनकी कार्य निष्पादन की क्षमता के आधार पर उनकी क्षमता का 150 प्रतिशत दिया गया है और छोटे मिलों को उनकी स्वीकृत क्षमता का केवल 10 प्रतिशत ही दिया गया है । चूंकि इस कम सप्लाई पर मिलों को संचालित करना पूर्णतः किफायती नहीं है, इसलिए एक मिल पहले ही बन्द हो गया है और यदि कुछ उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये तो 22 मिलें भी शीघ्र ही बन्द होने वाली हैं।

कार्य निष्पादन के आधार की अन्तर्निहित कमियां इस तथ्य के अन्तर्गत आती हैं कि छोटे मिल अपने वित्तीय स्रोतों की कमी, पिसाई क्षमता की कमी आदि की जब बड़े मिलों के साथ तुलना की जाती है, जिनके पास अच्छी क्षमता, अच्छे वित्तीय स्रोत तथा जन शक्ति आदि हैं, तो छोटे मिल हमेशा बहुत पीछे रह जाते हैं । चूंकि एक मिल उतना ही पीस सकता है जितना उसे आवंटिन किया जाता है और चूंकि मिल खुले बाजार से कोई खरीद नहीं कर सकता है, इसलिए वर्तमान पद्धति में बड़े मिल छोटे मिलों के हितों को क्षति पहुंचा कर लाभ उठाते रहेंगे । संयोगवश इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि कार्य निष्पादन के आधार पर वितरण का यह सिद्धांत केवल पश्चिम बंगाल में ही लागू है और अन्य राज्यों में क्षमता के आधार पर आवंटन के काफी समय से प्रचालित सिद्धांत का पालन किया जा रहा है ।

अतः, मैं कृषि मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि :-

(एक) कि वह मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठायें तथा वर्तमान समस्या का हल निकालें,

(दो) चूंकि कार्य निष्पादन के आधार पर गेहूं देने के केन्द्रीय निदेश का गलत तरीके से पालन किया जा रहा है और इसको राज्य में छोटे मिलों के विरुद्ध लागू किया जा रहा है, इसलिए इसे वापस लिया जाये । और क्षमता के आधार पर गेहूं देने की पहली प्रथा जैसाकि वह अभी भी अन्य राज्यों में व्यवहार में है उसे पश्चिम बंगाल में पुनः शुरू किया जाये, तथा

(तीन) एक समिति का गठन किया जाये जिसमें फ्लोर मिलों के प्रतिनिधि, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि रखे जायें तथा यह समिति भेदभावपूर्ण आवंटन से उत्पन्न, मिलों की कठिनाइयों को देखे तथा इस सम्बन्ध में

उपयुक्त तथा सामयिक उपाय करे ताकि कमजोर मिलों को समु
न्याय उपलब्ध किया जा सके । श्रीमान् जी, यह एक
मामला है ।*

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने दिया है इसके सिवाय नियमों के
रिकार्ड में नहीं जायेगा ।

सामान्य बजट, 1918—82 (सामान्य चर्चा)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब सामान्य बजट पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री पी. वी. जी. राजू : अपना भाषण जारी रखें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय
कब उत्तर देने वाले हैं । इससे हमें सहायता मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल ही वह उत्तर दे सकेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह उत्तर आज या कल देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं सभा की सेवा के लिए हाजिर
वाद-विवाद के लिए पूरा दिन चाहती हैं, मैं कल उत्तर दूंगा । यदि सभा मेरी ब
को तैयार है, मैं इसके लिये तैयार हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं सोचता हूं कि उत्तर कल के लि
जाये ।

श्री आर० वेंकटरामन : तब मैं एक निवेदन करूंगा । प्रश्न काल के तु
दूंगा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसके पश्चात लिया जाये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : शून्य काल के बाद, प्रश्न काल के बाद नहीं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रश्न काल के बाद ही उत्तर दूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : शून्य काल के बाद ।

श्री आर० वेंकटरामन : आप 2 बजे समय निश्चित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, 2 बजे ।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 2 बजे बिल्कुल ठीक रहेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : 2 बजे मैं उत्तर दूंगा। (व्यवधान)

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : प्रश्न काल के तुरन्त बाद वित्त मंत्री भाषण दे सकते हैं। श्री फर्नान्डीस ने शून्य काल के बाद सुझाव दिया था। शून्य काल में तीन मिनट लगेंगे। यह सब हमारे माननीय विपक्षी सदस्यगणों पर निर्भर करता है (मैं यह चाहता हूं कि···(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय ने पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकृति दे दी है। उसमें कुछ समय लगेगा। तब नियम 377 के अधीन सूचनाओं को लिया जायेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 2 बजे निर्धारित है। मेरा विचार है कि वित्त मंत्री महोदय 2 बजे भाषण करना चाहेंगे।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने सुझाव दिया था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 377 को इसके बाद में लिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मयबसु (डायमंड हार्बर) : (व्यवधान) श्री वेंकटसुब्बय्या जी, हम आपको चाहते हैं। हम उनकी उपस्थिति को जानते हैं। अतः आपने जो कुछ कहा है हम उसे स्वीकार करते हैं। वास्तविकता यह है कि वह उस समय ही भाषण करेंगे ·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद लेंगे। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की रद्द नहीं कर सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रद्द करने का सुझाव नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह 2 बजे उत्तर देंगे।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : सरकार को अन्य कार्य भी करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि वह के·· पश्चात् ही उत्तर देने की स्थिति में होंगे। (व्यवधान) आप उत्तर देने की स्थिति में कब होंगे ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रद्द नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास अन्य कार्य भी करने के लिये हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सरकार ने कार्य करना कब शुरू किया ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस शाम को भी उत्तर देने को तैयार हूं। मैं प्रश्न काल के बाद तुरन्त उत्तर देने की स्थिति में हूंगा क्योंकि इससे मदद मिलेगी। अन्य विषय इसके बाद लिये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके उत्तर के बाद हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा अन्य विषयों को ले सकते हैं ? वह 12 बजे उत्तर दे सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कार्य के क्रम में परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया निदेश दो को देखिए। आप निदेश दो का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं क्यों चाहता हूं कि···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की आम राय जानना चाहता हूं। वह यह बताना चाहते हैं कि वह 12 बजे उत्तर क्यों देना चाहते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ज्यादा समय लगता है और मेरे उत्तर देने में विलंब होता है तो 3½ बजे गैर सरकारी कार्य शुरू हो जायेगा। इसलिए मैं प्रश्नकाल के बाद में ही उत्तर देने का इच्छुक हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ; वह 2 बजे उत्तर दे सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : सभा में कोई भी कार्य हो, मैं दो बजे उत्तर दूंगा। यह बात मान ली जानी चाहिए। यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 2 बजे समाप्त भी नहीं होता है, मैं अपना उत्तर देना शुरू कर दूंगा···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया याद राखिये कल शुक्रवार है, और 3½ बजे गैर सरकारी कार्य पर चर्चा होगी। आपको अपना उत्तर हर हालत में 3½ बजे समाप्त करना पड़ेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे केवल 45 से 55 मिनट लड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि प्रश्न काल के बाद हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ले सकते हैं और 377 को बाद में ले सकते हैं·····

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप नियमों को निलम्बित न कर दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक साधारण वाद-विवाद के लिये नियमों को निलम्बित क्यों किया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 2 बजे तक समाप्त नहीं होता है, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को छोड़ नहीं सकते हैं और मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये नहीं कह सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) वह कहते हैं कि उन्हें केवल 45 मिनट लगेंगे। उनको लेवी में कुछ कमी ही तो करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नियमों को निलम्बित कर सकते हैं लेकिन निदेश को निलम्बित नहीं कर सकते हैं। आप इसे स्वयं निलम्बित नहीं कर सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : निर्णय क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 2 बजे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा प्रश्न यह है कि यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 377 के अधीन सूचना पर यदि विचार 2 बजे तक समाप्त नहीं होता है तो हम इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : यह सभा इसे विभाजित करने के लिये सहमत हो गई है। विपक्ष में माननीय सदस्य इसके लिए सहमत हो गये हैं । सभा की कार्य सूची में जो भी हो, उसके अनुसार मैं दो बजे कार्यवाही आरम्भ कर दूंगा तथा कार्य सूची में अन्य मद को मेरे भाषण के समाप्त होने के पश्चात् आरम्भ किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसको इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता ।

श्री वेंकटरामन : पूरी सभा इसके लिये सहमत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे । तथा हम इसकी घोषणा कर देंगे । सहमति इस बात पर है कि इस पर 2 बजे विचार आरम्भ किया जाना चाहिये चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 377 के अधीन दी गयी सूचना पर विचार किया जाना समाप्त होता है अथवा नहीं । मैं अध्यक्ष से भी परामर्श करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : जब आप अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं तो आप ही अध्यक्ष हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सम्बन्ध में आप आज किसी समय घोषणा कर दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आज 3 बजे या 4 बजे इस सम्बन्ध में घोषणा कर दूंगा । मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष से चर्चा करूंगा तथा घोषणा कर दूंगा ।

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिली) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं रामपद सागर परियोजना के सम्बन्ध में कह रहा था । 1939 में एक बहुत बड़ी परियोजना का प्रस्ताव किया गया था । उस समय श्री सोन्ती राममूर्ति ने, जो कि तत्कालीन मद्रास सरकार के सलाहकार थे, पूरी गोदावरी नदी को कावेरी नदी के साथ मिलाने का तथा रामपद सागर परियोजना बनाने का विचार किया था । परियोजना को यह नाम दिया गया था क्योंकि उसे भद्राचलम के पास बनाया जाना था । भद्राचलम के पास एक बहुत बड़ा मन्दिर है तथा वहां हर बारहवें वर्ष एक राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है । उस समय निजाम सरकार ने रामपद सागर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति की थी क्योंकि उनका विचार था कि गोदावरी नदी पर बांध बनाने से पूरा खम्मम जिला पानी में डूब जायेगा । मेरा सुझाव है कि रामपद सागर परियोजना को पुनः जीवित किया जाये । तभी यह सभव हो सकेगा कि गोदावरी नदी से नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी को पानी भेजा जाये तथा नागार्जुन सागर से पानी को मद्रास से होकर मेत्तूर परियोजना को भेजा जाये । मैं तमिलनाडु के अपने मित्रों की आलोचना नहीं करना चाहता । किन्तु 1939 में आंध्र प्रदेश में यह धारणा थी कि तमिलनाडु के हमारे मित्र तेलुगु विरोधी हैं और इसलिये हमारी अपनी अलग स्टेट होनी चाहिये । इसलिये तमिलनाडु द्वारा गोदावरी नदी पर उस परियोजना को रद्द कर

दिया गया । तमिलनाडु के तत्कालीन नेता रामपद सागर परियोजना के पक्ष में नहीं थे । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मेत्तूर परियोजना तमिलनाडु के लिये महत्वपूर्ण है । 1927 में कावेरी नदी पर तत्कालीन मैसूर सरकार के साथ एक करार के द्वारा मेत्तूर परियोजना का निर्माण किया गया था । किन्तु मेरा विचार है कि अब रामपद सागर परियोजना को पुनः जीवित किया जाना चाहिये जिसमें कि गोदावरी नदी को मेत्तूर परियोजना से जोड़ दिया जाये तथा आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी से कन्याकुमारी तक एक चावल उत्पादन क्षेत्र स्थापित किया जा सके, जहां देश का एक तिहाई हिस्सा चावल का उत्पादन कर सके । इसके अलावा मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि हम विशाखापत्तनम में एक एकीकृत इस्पात संयन्त्र स्थापित किये जाने की आशा करते हैं । बहुत कम आदमी यह कहेंगे कि इस्पात संयन्त्र को तभी स्थापित किया जा सकता है यदि वहां पर्याप्त जल हो । बिना जल के इस्पात संयन्त्र स्थापित नहीं किया जा सकता । न केवल यही विशाखापत्तनम में एक ऐल्यूमिनियम संयंत्र भी स्थापित किया जा सकता है ।

आंध्र प्रदेश में नरसीपत्तनम रोड तथा अनन्तगिरी में वाक्साइड की बहुत बड़ी खानों का पता चला है । उड़ीसा के मेरे मित्र जानते हैं कि उड़ीसा में पुराने जयपुर में तथा विशाखापत्तनम में अनन्तगिरि तथा नरसीपत्तनम रोड के बीच इसका भू-भण्डार है । यहां दो बहुत बड़े ऐल्यूमिनियम संयन्त्रों को स्थापित किया जा सकता है । किन्तु यदि पर्याप्त जल न हो तो एल्यूमिनियम संयन्त्र को स्थापित नहीं किया जा सकता । रामपद सागर उद्योग के लिये बुनियादी ढांचा तथा क्षमता तथा साथ ही सिंचाई कर सकते हैं । इसलिये मैं रामपद सागर परियोजना को पुनः जीवित करने का सुझाव देता हूं, किन्तु 35 वर्षों के बाद यह कैसे संभव है कि इस परियोजना को पुनः जीवित किया जाये, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस परियोजना के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता ली जाये । मैं इस बात का इसलिये उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इसके लिये हीराकुंड को रामपद सागर से जोड़ने का भी प्रश्न है । यदि महानदी को गोदावरी नदी के साथ तथा गोदावरी नदी को कृष्णा नदी के साथ तथा कृष्णा नदी को कावेरी नदी के साथ जोड़ दिया जाये तो कटक से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जोकि लगभग 1500 मील है देश का चावल उत्पादन क्षेत्र बन सकता है । ऐसा केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं तथ्य यह है कि डा० स्वामीनाथन का विचार है भारत न केवल अपनी वर्तमान जन संख्या के लिये खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है वरन् इससे भी अधिक जन संख्या के लिये खाद्यान्न पैदा कर सकता है । इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर दो गुना कर लेना चाहिये । एक साधारण जन की तरह मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इन नदियों को पूर्णतया जोड़ दिया जाये तो भारत अपनी इस जनसंख्या से दो गुनी जन संख्या के लिये खाद्यान्न का उत्पादन कर सकता है । मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं परिवार नियोजन में विश्वास नहीं रखता, वरन् इसलिये कि मेरा विश्वास है कि हम लोग इतने अशिक्षित तथा पिछड़े हुये हैं कि हम लोग जबरदस्ती के तरीकों में परिवर्तन करके परिवार नियोजन के आधुनिक तरीके नहीं अपनाना चाहते । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि चीन में जन संख्या पर इस सीमा तक पूर्ण नियन्त्रण है कि कोई भी चीनी परिवार दो से अधिक बच्चों को जन्म नहीं दे सकता । (व्यवधान) मुझे नहीं पता कि हम लोग भारत में

जन संख्या पर नियन्त्रण रखने के लिये उन तरीकों को अपना सकेंगे जो चीन में हैं। मैं केवल यही कह रहा हूं जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उन्होंने जन संख्या पर इस सीमा तक नियन्त्रण रखा है कि कोई भी चीनी परिवार दो से अधिक सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकता। मैं केवल उसका उल्लेख कर रहा हूं इस बात के लिये नहीं कि जो भी वे चीन में कर रहे हैं उनके मैं विरुद्ध हूं।

मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरा विचार है कि प्रशासनिक दृष्टि से हमें अपने देश-अपनी संसद तथा अपने विधान मण्डल में जनता का एक नये प्रकार का प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने का सूत्रपात करना चाहिए। इस समय हमारे यहां संसद में अपर हाऊस और लोअर हाऊस है अपर हाऊस राज्यों का प्रनिनिधित्व करता है। मेरा विचार है कि हमें अपने मध्य विद्यमान ससद के अपर हाऊस में तथा विभिन्न विधान परिषद में उद्योग का और अधिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी चाहिए। इस समय स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संसद सदस्यो को चुनते हैं किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में उद्योग को बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मेरा विचार है कि जैसाकि आंध्र-प्रदेश में विधान परिषद में शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं उसी प्रकार संसद के अपर हाऊस में एक तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि-उद्योग के प्रतिनिधि भी होने चाहिएं। एक आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए हमारे लिये यह आवश्यक है। इस समय हम कृषि पर बहुत अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। यद्यपि मैं कृषि विरोधी नहीं हूं, किन्तु मेरा विचार है कि हम उद्योग को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगले 20-25 वर्षों में उद्योग की गति मे और अधिक वृद्धि होगी और तब हम अनुभव करेंगे कि इस संसद में अपने समाज के विभिन्न वर्गों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। उदहारण के लिए, कल जब मैंने अपना भाषण आरम्भ किया तब मैंने कहा था कि 1971-77 तक मैंने औद्योगिक निर्वाचन क्षेत्र अर्थात विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व किया तथा आज मैं कृषि निर्वाचन क्षेत्र अर्थात बोदिली का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यह परिवर्तन मेरे मूलनगर विजयनगरम के नये सीमांकन के कारण हुआ। पहले यह विशाखापत्तनम के साथ सम्बद्ध था। अब विजयनगरम को बोबिली के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। इसलिए मुझे अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलना पड़ा।

मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि विशाखापतनम एक बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र बनने वाला है। किन्तु मुझे यह कहते खेद होता है विजिगापत्तान न्यास ने उस पत्तन से उर्वरक का आयात करना बन्द कर दिया है। इसके लिए पत्तन न्यास ने यह तर्क दिया है कि उर्वरक के परिवहन के लिए जितने वैगनों की आवश्यकता है रेल विभाग उतने वैगनों को उपलब्ध नहीं कराता है इसलिए जब तक रेल विभाग परिवहन के लिए वैगन उपलब्ध नहीं कराते पत्तन न्यास के लिए यह संभव नहीं कि विजिगापत्तान से उर्वरक का आयात किया जाये। मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि मेरा विचार है कि विभिन्न योजना एजेन्सियों तथा रेलों में अब की अपेक्षा और अधिक समन्वय होना चाहिए। इस समय विजिगापत्तन उतनी मात्रा में उर्वरक का आयात नहीं कर पाता है जितना वह पहले किया करता था। इसका क्या कारण है? क्योंकि रेल विभाग उन्हें पर्याप्त संख्या में रेल वैगनों की व्यवस्था नहीं कर सका है। तब उर्वरक के आयात के लिए

पहले विजिगापत्तन को क्यों चुना गया ? मैं यह स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। उर्वरक के आयात के लिए विजिगापतन को एक बार चुन लिये जाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि विजिगापत्तन के कर्मचारी कार्य नहीं करते हैं तथा रेल विभाग पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं कराता है। मेरा विचार है कि भविष्य में देश में योजना विभागों अर्थात रेल आदि तथा उद्योग के बीच और अधिक समन्वय होना चाहिए।

मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कि मैंने अनुभव से देखा है। मैंने और मेरे संबंधी उत्तर प्रदेश में मुगलसराय गये जो कि देश का सबसे बड़ा रेल यार्ड है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अपनी संसद में वहां के कितने प्रतिनिधि हैं। मुगलसराय के जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेल केन्द्र है, और अधिक प्रतिनिधि होने चाहिएं। मुगलसराय जैसे स्थान के सबसे अधिक प्रतिनिधि होने चाहिए। उस स्थान का एक राजनीतिक प्रतिनिधि के अलावा एक श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। यदि मुगलसराय जैसे स्थान के श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि नहीं रखे जाते जो रेल विभाग कर्मचारियों को कैसे सन्तुष्ट रख सकता है। मैंने "सन्तुष्ट" शब्द का उपयोग किया है क्योंकि देश के भविष्य के लिए औद्योगिक कर्मचारियों का सन्तुष्ट रहना अत्यन्त आवश्यक है। मेरा अनुमान है कि पूरी संसद में केवल कृषकों का ही प्रतिनिधित्व है। मेरा विचार है कि कृषि क्षेत्र का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। किन्तु विधान मण्डलों तथा संसद में उद्योग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यद्यपि मैं कोई विधिवेत्ता अथवा वकील नहीं हूं किन्यु मेरा विचार है कि विधान मण्डलों और संसद में सम्पूर्ण देश के औद्योगिक श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें गोदावरी नदी के जल संसाधनों के बारे में एक बड़ी योजना बनानी चाहिए। मैंने इसी बात से अपनी बात आरम्भ की थी तथा साथ ही साथ हमें विधान मण्डलों में उद्योगों का अब की अपेक्षा और अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। धन्यबाद !

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : **उपाध्यक्ष महोदय,** शासक दल की ओर से जो भाषण हुए हैं उनमें उन्होंने अपने गुणों तथा उपलब्धियों को बताने के बजाय जनता सरकार के खराब कार्य की अधिक आलोचना की है। इस सम्बन्ध में मैं समय बरबाद नहीं करना चाहता इसलिए मैं जनता सरकार के अच्छे कार्य अथवा खराब कार्य के सम्बन्ध में बहस में नहीं पड़ना चाहता किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जनता सरकार की सभी कमियों के बावजूद उनका शासन काल ऐसा था जब कि देश का आर्थिक प्रबन्ध सर्वाधिक अच्छा था। (व्यवधान) किन्तु मैं इस विवादास्पद चर्चा को नहीं उठाऊंगा। मैं उस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जब कि कांग्रेस दल का शासन था विशेष रूप से उन ग्यारह-बारह वर्षों के बारे में कहूंगा जब कि हमारे देश की वर्तमान प्रधान मन्त्री का उस समय भी शासन था। उनके समय में कम से कम पांच पंचवर्षीय योजनाओं पर कार्य हुआ। मैं इन योजनाओं को तीन महत्वपूर्ण मदों के सम्बन्ध में कहूंगा। वे हैं खाद्य, इस्पात और शिक्षा तीसरी योजना में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 1000 लाख टन था जब कि उपलब्धि केवल 720 लाख टन हुई। चौथी योजना में इसका लक्ष्य 1290 लाख टन था जबकि

उपलब्धि केवल 1030 लाख टन हुई, पांचवीं योजना में लक्ष्य 1400 लाख टन था किन्तु सरकार के कुप्रबन्ध के कारण इसमें बहुत अव्यवस्था रही। केवल जनता सरकार खाद्यान्न के उत्पादन को सन्तोषजनक आधार पर स्थापित कर सकी। तीसरी योजना में उनका इस्पात का लक्ष्य 1000 लाख टन था किन्तु उसकी उपलब्धि 720 लाख टन थी, चौथी योजना में उनका लक्ष्य 1290 लाख टन था किन्तु उन्होंने 1030 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, पांचवी योजना में उनका लक्ष्य 1400 लाख टन था किन्तु सम्पूर्ण योजना अस्तव्यस्त हो गई। यह आर्थिक कुप्रबन्ध तथा अक्षमता का स्पष्ट उदाहरण है।

शिक्षा के क्षेत्र में उनका लक्ष्य 963 लाख विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का लक्ष्य था। चौथी योजना में वे इस राष्ट्रीय प्राथमिकता के सम्बन्ध में सफल नहीं हुए। उन्होंने 873 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया किन्तु वे आंकड़े भी बढ़ा-चढ़ा कर बताये गए हैं।

एक भारतीय नहीं वरन वैदेशिक सम्बन्ध की विदेशी परिषद ने भारत की इस दूसरी क्रान्ति का मूल्यांकन किया तथा उसका यह निष्कर्ष था कि भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल से न्यूनतम स्तर पर है तथा उसे अभी भी विदेशी सहायता की आवश्यकता है। उसे पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के आयात करने की आवश्यकता है तथा वह देश की आन्तरिक तथा वाह्य कठिनाइयां जिसमें बाढ़ की कठिनाइयां शामिल हैं उसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत शीघ्र प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका कार्य निष्पादन इतना निराशाजनक था और इस पर हमारे माननीय मित्र श्री कमल नाथ तथा प्रो० रंगा जो इस समय यहां सदन में बैठे हैं जब बजट पेश किया गया तब वे उस समय दिल्ली में स्थान-स्थान पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे।

दुर्भाग्य से वे यह तक नहीं समझते कि इस देश का आम आदमी गरीब आदमी जो कि इस अक्षम अर्थव्यवस्था और गलत बजट नीतियों का शिकार है और वह बजट को नहीं समझता वो शाम को बैठकर रेडियो नहीं सुनता और उन आदमियों में नहीं है जो कि वित्त मंत्री को बजट की घोषणा करते हुए सुनना चाहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को चलाने वाले राजनीतिक अनुमान लगाने वाले भ्रष्ट-उद्योगपति और कर अपवंचक व्यक्ति ही उस दिन रेडियो पर बैठे रहते हैं और यदि किसी तरह का कोई आनन्द मना जाता है तो यह भी इन्हीं लोगों द्वारा मनाया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये प्रशंसनीय लोग उन गरीबी की झोपड़ियों में जाकर देखने का कष्ट उठाते——(व्यवधान)।

अब फिर दुबारा मैं आपके किए गए कार्य पर आ जाता हूं इसमें गर्व जैसी कोई बात नहीं है। पिछले 34 सालों में आपने विकास की अधिक से अधिक दर 3.3 प्रतिशत प्राप्त की है जबकि इस दुनिया के हम से छोटे देश जिन्होंने अधिक आर्थिक बाधाओं के साथ कार्य आरम्भ किया था उन्होंने अधिक ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मत्री महोदय का ध्यान इलस्ट्रेटिड वीकली के नवीनतम अंक के पृष्ठ 11 की ओर दिलाना चाहूंगा। यह मैगजीन किसी समय प्रधान मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी की अति प्रिय पत्रिका थी अब इसने कुछ सच बोलना आरम्भ कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्रों विशेषकर वित्त मत्री महोदय ने इसका नवीनतम अंक पढ़ा होगा। उन्हें पता चलेगा कि इसमें उनकी उपलब्धियों का रिकार्ड दिया है

जिसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है बल्कि हर बात शर्मिन्दा होने की है लेकिन कठिनाई यह है कि जिस तरह के बहुमत को प्राप्त करके सत्ता प्राप्त होती है उसमें किसी मंत्री को कोई दंड नहीं दिया जाता। अंततः सजा यदि किसी को भुगतनी होती है तो वह उस अभागे आम आदमी को जो कि गलत बजट नीतियों का शिकार होता है।

श्रीमन्, 1950 के दशक में सरकार का व्यय कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 10 प्रतिशत था जबकि 1980 में यह व्यय बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। वार्षिक वृद्धि दर भी 1950 में 3.8 प्रतिशत, सातवें दशक में 3.5 प्रतिशत और आठवें दशक में 3.2 प्रतिशत थी। छठे दशक के दौरान आय में हुई वास्तविक प्रति व्यक्ति वृद्धि 1.8 प्रतिशत थी जो कि सातवें दशक के दौरान कम होकर 1.2 प्रतिशत और आठवें दशक में कम होकर केवल .9 प्रतिशत रह गई। ग्राफ की रेखा नीचे आती जा रही है और यह सच है कि इस प्रतिष्ठित बेटी ने अपने प्रतिष्ठित पिता के किए हुए कार्य को आधा कर दिया है इस बात पर रोना आता है और यह बात कोई खुश होकर नाचने की नहीं या कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में कुछ लिखा जाये। (व्यवधान)

गलत शासन के 30 वर्षों बाद भी हमारे भारतीय समाज का आर्थिक ढांचा कम निराशाजनक नहीं है। अभी भी 50 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीती है और यह गरीबी की रेखा भी इतनी अधिक नीचे है कि यदि अब इस गरीबी की रेखा से ऊपर भी हों तो कोई आरामदायक स्थिति नहीं है। 40 प्रतिशत लोग इस गरीबी की रेखा और गरीबी की रेखा से ऊपर के बीच की विभाजक रेखा पर हैं। केवल एक प्रतिशत जनसंख्या ही ऐसी है जिन्हें पिछले 30 सालों में पर्याप्त आराम जुटाने और अपने वैभव का खुला प्रदर्शन करने में सफलता मिली है। परन्तु मेरे विद्वान मित्र माननीय मंत्री महोदय ने क्या कभी यह समझने का प्रयास किया है कि इस एक प्रतिशत में कौन लोग हैं। इस एक प्रतिशत में हैं मंत्री लोग, भूतपूर्व राजनितिज्ञ और देश के वे भ्रष्ट लोग जिन्हें पिछले 30 सालों से भी अधिक समय से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता रहा है। आपने भारत रूपी गाय को 30 वर्षों तक दुहा है। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : इसमें आप भी आ जाते हैं क्योंकि आपने भूतपूर्व मंत्री भी कहा है—(व्यवधान)।

श्री राम जेठमलानी : आप इनके ढंग को देखिए कि यह अपने काम न करने और अक्षमता की स्थिति के प्रति कितने संवेदनरहित हो गये हैं। एक प्रतिष्ठित सदस्य प्रोफेसर रंगा जिन्होंने कि सम्पूर्ण आर्थिक उतार-चढ़ाव को देखा है, जिन्होंने हमसे कहा था कि उन्हें इस बात का पता है कि जब से ये देश आजाद हुआ है तब से यह काला धन पचलन में चला आ रहा है और श्रीमन् उन्होंने यह भी कहा था कि आगे आने वाली सरकारें ——(व्यवधान)। प्रोफेसर रंगा, आप मेरी आयकर की विवरणी देख सकते हैं।

प्रोफेसर एम० जी० रंगा (गंटूर) : न्यायालयों में आपका यह सम्पूर्ण आश्चर्यजनक वाक्चातुर्य दुर्भाग्य से इन लोगों के लिए बिक जाता है।

श्री राम जेठमलानी : उन्होंने हमें बताया है कि उत्तरोत्तर सरकारों ने उन व्यक्तियों

के साथ सौदा कर लिया है जो काला धन पैदा करते है। उन्होंने एक अन्य सौदा और कर लिया है जिसके लिए उन्हें बड़ा गर्व है। श्रीमन्, मैं यह बात रिकार्ड के लिए कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता इस बात को जाने कि यह सरकार उन लोगों की साथी है जो कि इस देश में काला धन पैदा करते हैं। इसीलिए बार-बार उन्हें उनके साथ सौदा करना पड़ता है और उनके नापाक षड्यत्रों में शरीक होना पड़ता है जो कि काला धन पैदा करते हैं। हाल ही में उन्होंने जो नवीनतम सौदा किया है वह यह है कि इन्होंने इस समस्या को हल करने में अपनी स्थायी अक्षमता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। इस अक्षमता के साथ-साथ एक स्थायी षड्यंत्र उन लोगों के साथ रचा गया है जिन्होंने कि देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। श्रीमन्, मैं इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा। 1974 में इन्होंने बड़ा भारी दिखावा करके हमसे निष्ठापूर्वक यह कहा था, यह बात टेलीविजन और रेडियो पर भी दिखाई गई थी। उन्होंने हमसे कहा था कि तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने विशेषज्ञों की एक यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि तस्करी ही इस देश की आर्थिक बर्बादी का कारण है। वस्तुतः अनुमान लगाया गया था कि प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये की तस्करी होती है लेकिन इन्होंने इतना बड़ा भारी हल्लड़ मचाया हुआ था। मैं इस बारे में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन 7 सालों तक इन्होंने तस्करों के खिलाफ निवारक नजरबन्दी कानून का परीक्षण करके देखा है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय तस्करी के प्रश्न पर विचार करेंगे और सदन को बताएंगे कि क्या अब उन्होंने जो उपाय किये हैं उसके परिणामस्वरूप तस्करी का उन्मूलन किया जा चुका है या तस्करी और अधिक बढ़ गई है। मैं कहना चाहता हूं मैं यह बात एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में अपने तजुर्बे से और इन कानूनों के कार्यकरण के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए तजुर्बे से कहना चाहता हूं कि आज तस्करी में कम से कम 50 गुना वृद्धि हुई है। 1974 में जितनी तस्करी थी, आज उसकी 50 गुना है। अब कोई भी तस्कर कुछ महीनों के लिए निवारक नजरबन्दी कानून के अधीन बन्द रहने से नहीं डरता। क्योंकि अपराधियों पर मुकदमा चलाना, उन पर विचार होना और उन्हें किसी प्रकार का निवारक दंड मिलना विद्यमान कानून के समान नहीं रह गया है। अब यह बीती बात हो गई है। कम से कम पहले लोगों को दोष सिद्ध होने पर सख्त परिश्रम के साथ कई वर्ष कैद की सजा दी जाती थी, लेकिन अब हरेक तस्कर ने इनसे बचाव का साधन प्राप्त कर लिया है और मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि आज एक नये प्रकार का तस्कर वर्ग पैदा हो गया है जिन्हें आज लगभग राजनयिकों के समान उन्मुक्ति प्राप्त है। वह राजनीतिक संरक्षण में काम करता है। आज के समाचार पत्र में भी इस प्रकार का समाचार है। यह अत्यन्त निराशाजनक स्थिति है इसको पढ़कर सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को कम से कम अपने कार्य और अपने निष्कर्षों के बारे में सोचना चाहिए लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं हम इस देश में जो भ्रष्टाचार और बुराई पनप रही हैं, उसके प्रति गैर सरोकार की भावना देखते हैं इससे कोई भी परेशान नहीं है। 'उड़ने वाले' योगी की ही बात लीजिए जैसा कि उन्होंने अपने विमान के लिए अतिरिक्त पुर्जों का आयात किया। एक पुलिस अधिकारी और एक सीमा शुल्क अधिकारी जोकि बहुत ईमानदार थे और किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुक रहे थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इन आयातित पुर्जों को जब्त किया जाए। लेकिन इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप हुआ।

उन पुर्जों को जब्त करने के बजाय उस व्यक्ति को उस निषिद्ध चीज का पुनः निर्यात करने की अनुमति दे दी गई और उन पुर्जों को उनके मूल देश को निर्यात करने के बजाय पास के किसी देश में निर्यात कर दिए गए। उन्हें एक क्रेट में रख दिया गया और वह निषिद्ध पुर्जे और अधिक मात्रा में पालम हवाई अड्डे पर पहुंच गए जहां ईमानदार कानूनी अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य को पूरा करने का प्रयास किया। परन्तु श्रीमन्, इस विशेषाधिकार प्राप्त भाईचारे को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

और श्रीमन, यह आरोप है और इस आरोप के समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण हैं कि इन निषिद्ध अतिरिक्त पुर्जों को सामान्य शुल्क से भी कम शुल्क की अदायगी करके वहां से जाने दिया गया। श्रीमन, मैं एक सफल वकील हूं। दूसरे पक्ष में बैठे हुए मेरे मित्र भी इस बात से इन्कार नहीं करेंगे और मेरा यह भी कहना नहीं है कि मैं अदालत में पैसा नहीं कमाता। मैं कमाता हूं। परन्तु श्रीमन, मैं ईमानदारीपूर्वक यह स्वीकार कर सकता हूं कि मैं वीडियो टेप नहीं खरीद सकता। अभी पिछले दिनों एक मन्त्री की पत्नी दो वीडियो सैट लाई थी बजाय इसके कि वहां के अधिकारी को अपना कर्त्तव्य करने दिया जाता, उसे वीडियो सैट वैसे ही जाने देने के लिए राजी कर लिया गया। यह घोटाला है आप जानते हैं कि आज प्रत्येक शहर में प्रत्येक अमीर व्यक्ति के घर में आज ऐसे वीडियो सैट्स और टेप हैं जिनके ऊपर शुल्क नहीं दिया गया है, उनके पास वीडियो टेप प्रदर्शित करने के लिए हैं और वे हमारा अपमान करने के लिए शेखी बघारते हैं। यदि मुझे रेडियो टेप देखना होता है तो मुझे अपने किसी मित्र से अनुरोध करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा कि वह मुझे शाम को अपने घर पर आने दे। इस चीज को मैं अन्य कहीं नहीं देख सकता। यह स्थिति है श्रीमन्। और इन वीडियो सैटों और टेपों की कीमत का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। इन वीडियो सैटों की कीमत बहुत अधिक 50,000 और 60,000 रुपये है और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीद कर शेखी बघारता-सा लगता है। वित्त मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिए थी और हमें बताना चाहिए था कि वह आगामी वर्ष में इस बारे में क्या करने का विचार रखते हैं। अब भूल जाइये उस उड़ने वाले योगी की बात। मंत्री महोदय की पत्नी की बात को भूल जाइये। लेकिन जनता के वे प्रतिनिधि भी जोकि शिष्टमंडल के सदस्य बन कर जाते हैं, वह अपनी तस्करी की गतिविधियों को छुपाने के लिए उन अवसरों का प्रयोग करते हैं और राजनीतिक शक्ति उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। क्योंकि राजनीतिक शक्ति नहीं चाहती कि वह अपनी प्रतिष्ठा खोये और सत्य का पता चले। वह सच्चाई को छिपाना चाहते हैं और लोगों को यह जानने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है कि जनता के प्रतिनिधि उनके वोटों का दावा करते हैं और इन सम्मानित विधान सभाओं और संसद में बैठते हैं, उनके द्वारा देश के कार्य का संचालन किस प्रकार किया जा रहा है।

श्रीमन्, इस बजट से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि सरकार भविष्य में देश की पूर्ण अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता का किस प्रकार उपयोग करने का विचार रखती है। यह सुविदित है कि बिजली, कोयला और अन्य कच्चे माल की कमी की वजह से उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप औद्योगिकी विकास की बात करते हैं लेकिन जब

तक ऐसे पर्याप्त और प्रभावी उपाय नहीं किये जायेंगे जिनमें आधारभूत ढांचे की देखभाल की जा सके और जो कारखाने आज बन्द पड़े हैं, उन्हें कच्चा माल सप्लाई किया जाए उसके बिना आप औद्योगिक विकास की अपेक्षाओं को किस प्रकार पूरा कर सकेंगे। श्रीमन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन दिल्ली नगर में बजट सुना गया उस रात कोई भी ऐसा ईमानदार उद्योगपति नहीं था जो खुशी से नाच उठा हो क्योंकि इसमें उन्हें प्रोत्साहन देने वाली कोई बात नहीं थी। इसमें ईमानदार व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं था। निस्संदेह बेईमान आदमी पहले ही वित्त मंत्री महोदय के प्रिय पात्र थे और अब मंत्री महोदय ने अपने आपको इन बेईमान आदमियों का प्रिय पात्र बना लिया है। उन्होंने इस बात का भी कोई संकेत नहीं दिया है कि भविष्य में इस देश के कृषि ससाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा। जो लोग कृषि के बारे में जानते हैं और जो कृषि संसाधनों के उपयोग के बारे में जानते हैं, उन्होंने बार-बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि इस देश में लगभग 3500 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है और भारत के खाद्य संसाधनों की समस्या का एकमात्र स्थायी हल यह है कि इसमें से कम से कम 1000 लाख एकड़ भूमि में वर्ष में दो फसलें ली जायें और उसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। और आप इस बात पर निगरानी रखें कि खरीफ और रबी की फसलों को बोने और काटने की अवधि को कम किया जाये ताकि आप साल में दो फसलें ले सकें लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने इस बात का संकेत नहीं दिया है कि यह कार्य किस प्रकार किया जाये।

इसके बाद श्रीमन, एक और बात आ जाती है कि इस बजट में एक सबसे बड़ा आर्थिक अपराध किया गया है क्योंकि इससे इस बात का कोई पता नहीं चलता कि सरकार कृषि उत्पादन के प्रयोजनों के लिए इस सम्पूर्ण देश को एक आर्थिक इकाई मानना चाहती है। इस देश के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वह होगी जबकि प्रत्येक क्षेत्र वहां का जैसा मौसम है, मिट्टी की स्थिति है, उसके उपयुक्त उत्पादन करने की ओर ध्यान दें और विशेषज्ञता प्राप्त करें। यदि कोई क्षेत्र प्रमुख रूप से रुई के उत्पादन के लिए उपयुक्त है तब सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस क्षेत्र को गेहूं, चावल और अन्य वस्तुएं प्रदान की जाएं। आपके पास देश में माल की ढुलाई के लिये उचित साधन और सुविधा नहीं हैं चूंकि इसमें हर जगह बाधाएं हैं, आप भारत को एक आर्थिक इकाई के रूप में नहीं देख पाते और जब तक यह नहीं होगा तब तक देश के संसाधनों का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता। अब, इससे मुझे एक और जरूरी बात याद आती है।

महोदय, हमारे देश को अपने आर्थिक विकास के लिये अपनी देश की सीमाओं की शांति और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की सख्त जरूरत है। चाहे कहीं भी युद्ध हो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमने देखा कि जब भी कहीं भी युद्ध हुआ, चाहे हमारा उससे सीधा संबंध न हो, इस देश में चीजों की कीमतें बढ़ गईं। महोदय, विशेष रूप से मध्य-पूर्व के देशों के मामले में ऐसा होता है और वहां शांति होना हमारे देश के आर्थिक विकास और उन्नति के लिये बहुत आवश्यक है। परन्तु दुर्भाग्यवश हम भी उनके साथी हो गये हैं और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हम उन लोगों को खुलकर भड़काते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक फैलाते हैं, जो

बराबर जहाद की सीख देते हैं और इस तरह हम धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे जहाद की पुकार बहुत ही घृणित मालूम होती है जैसे कि इस देश के किसी भी धर्म निरपेक्ष व्यक्ति को घृणित लगनी चाहिये। चाहे ये जहाद की पुकार इस्लामाबाद से उठे या तेहरान से, चाहे ये दमिश्क से उठे या किसी अन्य जगह से, जहाद की पुकार जहाद ही है और भारत को उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिये। ईरान और इराक आपस में लड़ रहे हैं हमने उन्हें शान्त करने और शान्ति स्थापित करने की दिशा में कुछ नहीं किया बल्कि हम उस प्रदेश में होने वाले उन धार्मिक युद्धों के लिये पैसा लगा रहे हैं और भविष्य में होने वाले अन्य धार्मिक युद्धों के लिये रुपया देंगे क्योंकि भारत ने इन युद्धों में सक्रिय तत्वों को दबाने के लिये अपने नैतिक बल का प्रयोग नहीं किया। अगर यही स्थिति बनी रही तो मुझे डर है कि हमारी अर्थव्यवस्था बरबाद हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री इस बात के साक्षी हैं कि जब जनता सरकार ने सत्ता छोड़ी तो आपके पास कम से कम पांच हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा के आरक्षित भण्डार थे। ये ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें आप अस्वीकार नहीं कर सकते और आज तेल और इस प्रकार के अन्य उत्पादों के बढ़ते हुए बिलों के परिणामस्वरूप हमारी विदेशी मुद्रा के आरक्षित भण्डार रसातल में पहुंच गये हैं; संभवतः आरक्षित भण्डार शून्य हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिये हो रहा है क्योंकि हमारे तथाकथित मित्र जिनके साथ ऐतिहासिक काल से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध चले आ रहे हैं, अपने उत्पादों के मूल्य सिर्फ इसलिये बढ़ाते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने यहां धार्मिक युद्ध लड़ने हैं। अन्ततः हमीं उन युद्धों के लिये पैसा जुटाते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था का नाश हो रहा है।

अब मैं घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहूंगा। पिछले बजट के लिये भी वित्त मंत्री की इतनी ही खुशामद और इतनी ही प्रशंसा की गई थी जितनी इस बार की जा रही है। जहां तक उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रशंसा किये जाने का संबंध है, वे चाहे जो भी बजट पेश करें वे उनकी प्रशंसा ही करेंगे। इसलिए उसे लेकर गर्व नहीं किया जा सकता। पिछली बार उन्होंने बताया था कि 2000 करोड़ रुपये का घाटा होगा। उन्होंने उसका नतीजा देख लिया। इस ओर बैठे हुए हम लोगों ने सरकार को चेतावनी देकर विपक्षी दल के रूप में अपना दायित्व पूरा कर दिया था। आज उस बजट के परिणामस्वरूप 18% मुद्रा स्फीति हो गयी है। आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर उन्होंने 13.4% बना दिया है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा स्फीति की वास्तविक दर 18% है और मैं चेतावनी देता हूं—यह कोई आर्थिक भविष्यवाणी नहीं है, यह प्रबुद्धी आर्थिक पूर्वानुमान है और मुझे एक वकील होते हुए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दखल देना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको उसकी जानकारी कुछ कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इसमें कुछ फेरबदल कर सकती है ?

प्रो० मधु दंडवते : इसमें एक बिन्दु का हिसाब लगाया जाता है ?

श्री राम जेठमलानी : अन्त में होगा यह कि इस वर्ष का घाटा पिछले वर्ष के घाटे से कहीं अधिक होगा। विशेषता, यह धारक बंध-पत्रों से जिन्होंने अब संस्थाबद्ध भ्रष्टाचार का रूप ले लिया है, 800 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे जैसा कि वित्त मंत्री का अनुमान है। वे अभी से कहने

लगे हैं कि यदि उन्हें आठ सौ करोड़ रुपये नहीं मिले किसी और तरह से इस धन का सफाया करेंगे। मैं नहीं जानता ये उन्हें कहां से मिलेंगे क्योंकि आम आदमी तो पहले से ही लदा हुआ है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप तो उच्चतम न्यायालय में हैं इसलिये हमें नहीं मिल रहे।

श्री राम जेठमलानी : मैंने इस सभा में बार-बार यह दलील दी है कि इस देश में···

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे मालूम है श्री राम जेठमलानी काला बाजार करने वालों या काले धन वाले लोगों का न्यायालय में कभी पक्ष नहीं लेते।

श्री राम जेठमलानी : मैं उनका हमेशा पक्ष लेता हूं। ठीक उसी तरह जैसे कि मैं कांग्रेस वालों का पक्ष लेता हूं जब वो मेरे पास आते हैं। मेरी तो ज्यादातर कमाई उन्हीं से होती है। मेरे ज्यादातर मुअक्तिल तो वहीं हैं। आप नाम जानना चाहेंगे ?

मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के बारे में कुछ कहें। मेरे चुनाव क्षेत्र के आधे निवासी और वोट देने वाले गंदी बस्तियों में रहते हैं। वे मुझे अपनी मुसीबतों और परेशानियों के बारे में बताते रहते हैं। मैंने बार-बार कहा है कि सरकार को कम से कम तीन सिद्धांत मान लेने चाहियें। पहला, उन लोगों के बारे में जो केन्द्रीय सरकार, रेल विभाग, रक्षा विभाग, संचार विभाग और नागर विमानन विभाग की भूमि पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान से नहीं हटाया जायेगा, सिवाय इस आधार पर कि वह राष्ट्रीय आवश्यकता की भूमि पर कब्जा कर रहा है। दो, जब उसे निकाला जाए तब भी उसी हालत में जबकि उसे वैकल्पिक आवास दे दिया गया हो। और तीन, जब तक गरीब आदमी झुग्गी-झोपड़ियों में हैं उन्हें सभ्य व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाए मिलनी चाहिएं जिनके बारे में स्थानीय निगम और राज्य सरकार यह कहती हैं कि वे उन्हें ये सुविधाएं नहीं देंगे क्योंकि वे केन्द्रीय सरकार की भूमि पर रह रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की भूमि पर रहने वाले इन गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वे अनाथ हों, बहिष्कृत हों याकि इंसान न हों और उनका जीन के लिये आवश्यक सुविधाओं पर अधिकार न हो। महोदय, मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस विषय में कुछ अवश्य कहेंगे। जिस तरह आप रुपया बचा रहे हैं वह बहुत ही अनैतिक ढंग है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से किये गये पक्के वायदे से मुकर जाना इस बात का उदाहरण है। महोदय, किसी भी समय की सरकार जनता को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। यदि सरकार किसी अनुबन्ध से इसलिये पीछे हटती है क्योंकि उसे पूरा करने में असुविधा होती है तो आप व्यापारियों को, अन्य कर्मचारियों को या किसी को भी अपना अनुबन्ध पूरा न करने के वायदे से मुकर जाने के लिये दोष कैसे दे सकते हैं और महोदय, यह इसलिये और भी निन्दनीय है चूंकि जब उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया तो आपके महा न्यायवादी ने संभवतः आपके अनुदेश के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होकर कहा "हमें समय दीजिये क्योंकि हम भुगतान करना चाहते हैं।" महोदय, मुझे कानून द्वारा

किसी समझौते को रद्द करने के सरकारी अधिकार से कोई बहस नहीं है। मगर एक ईमानदार सरकार ने कम से कम उच्चतम न्यायालय से यह कहा होता कि हम आपसे इसलिये समय मांग रहे है क्योंकि हम कानून के द्वारा आपके निर्णय को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं। न्यायालय को अंधेरे में रखा गया। सरकार ने न्यायालय से समय मांगा, न्यायालय को गलतफहमी में रखा। मगर न्यायालय को गलतफहमी में रखने से न्यायाधीश को हानि नहीं होगी। अन्ततः इससे गरीब दावा करने वाले जीवन बीमा निगम के श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के कर्मचारियों को हानि हुई है। और मैं इस सभा में यह आरोप लगाता हूं कि जीवन बीमा निगम के साथ विशेष रूप से यह दुर्व्यवहार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर इंटक का कोई अधिकारी नहीं है और इस तरह एक संगठन को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि इस संगठन को नियंत्रित करने के लिए उनके पास राजनैतिक शक्ति नहीं है।

और अन्त में महोदय, अखबारी कागज का यह जो 15% का कर लगाया गया है यह अनैतिक कर का एक और मामला है। महोदय, अज्ञानियों से भरी यह सरकार यह समझती है कि उसे ज्ञान पर कर लगाना चाहिये। उन्हें यह विश्वास है कि उनकी कल्पना के लोकतन्त्र में समाचार पत्रों के बिना काम चल जायेगा। और उन्हें यह भी विश्वास है कि जिन समाचार पत्रों को राजकीय प्रश्रय मिलेगा वे काले धन से चलते रहेंगे और जिन्हें यह प्रश्रय प्राप्त नहीं होगा उन्हें समाप्त हो ही जाना चाहिये और इसलिए महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यदि वित्त मंत्री लोगों के मुक्त भाषण और मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करना चाहते हैं, यदि वह लोगों के सरकार की गतिविधियों को जानने के अधिकार का सम्मान करना चाहते हैं तो ज्ञान पर लगने वाले इन सब करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि अन्ततः ज्ञान पर लगने वाले इन करों से सरकार को ही हानि होगी। जब तक सरकार को स्वयं सच्चाई नहीं मालूम यह सरकार न तो निदान ढूंढ़ पायेगी और न ही उपचार कर पायेगी।

मेरे माननीय मित्र श्री कमलनाथ ने हमसे कहा, इस समय वे यहां नहीं हैं, कि पहली बार बजट में सुसंगत कराधान नीति दिखाई दी है। मैं उनकी तरफ से नहीं बोलना चाहता। मगर मैं इस देश के लोगों का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह मानना कि पहली बार बजट में सुसंगत कराधान नीति दिखाई दी है यह स्वीकार करना है कि 29 साल से जब से जो सज्जन सत्तारूढ़ थे उन्होंने कभी कोई सुसंगत कराधान नीति नहीं बनाई। इन 29 वर्षों के दौरान सुसंगति की कमी के लिये इन लोगों को कौन दंड देगा। दुर्भाग्यवश हमारी संसदीय प्रणाली में अक्षम मंत्रियों को दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं। यह दंड गरीब लोगों को देना पड़ता है और वे देश से की गई इस आर्थिक धोखाधड़ी को कभी महसूस करेंगे जब इस अर्थ नीति के दुष्परिणामों का कहर उन पर टूटेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, माननीय जेठमलानी के कुछ वक्तव्य महा न्यायवादी की न्याय निष्ठा पर प्रहार है।

श्री राम जेठमलानी : इससे महा न्यायवादी की न्याय निष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे सरकार की न्याय निष्ठा पर असर पड़ता है।

श्री आर० वेंकटरामन : और इसीलिये मैं यह बात रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वयं कहा था कि यह आश्वासन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अध्यधीन है जिसमें कहा गया था कि यहां अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि इस समझौते में नए समझौते से अथवा न्याय-निर्णय से अथवा कानून बनाकर बदला जा सकता है ।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि खराब हालात में और खास तौर से आर्थिक मुश्किलों में अपने बजट में उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि आम जनता पर कम से कम वजन डाला जाए । पहले भी कई बार कहा जा चुका है और इसकी चर्चा भी हो चुकी है कि पिछला वर्ष कई कारणों से काफी मुश्किल वर्ष था । उसमें हम कुछ आगे बढ़ने में कामयाब हुए । मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता और उनको कई लोग यहां पर दोहरा चुके हैं । लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय जेठमलानी जी ने जो बम्बई से आते हैं यह कहा कि पिछले तीस वर्ष में देश में कुछ नहीं हुआ, देश पिछड़ता चला गया । माननीय सदस्य भारत के गांवों में काफी घूमते होंगे और वहां के हालात से काफी वाकिफ होंगे । मैंने तो करीब 40-42 वर्ष पहले सार्वजनिक काम शुरू किया था और खास तौर से आदिवासी और शैड्यूल्ड कास्ट्स के बीच में रह कर मैंने काम किया है । मैं कह सकता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, जालोद और गुजरात के दोहद आदि क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र साथ लगते हैं वहां लोगों की जो हालत 40-42 साल पहले थी और जो आज हैं, जो तस्वीर तब थी और जो आज है, उसमें जमीन आसमान का अन्तर है । अगर उन्होंने यह सब देखा होता तो वह इस तरह की बात कभी नहीं कहते । आज कोई भी आसानी से देख सकता है । मैं नहीं कहता हूं कि गरीबी दूर हो गई है या बहुत ज्यादा तरक्की वे लोग कर गए हैं । बहुत काम अभी भी करना बाकी है । लेकिन तीस वर्ष में कुछ नहीं हुआ, यह कहने की जो उन्होंने कोशिश की है मैं समझता हूं यह ख्याल उनका गलत है । राजस्थान की ही बात मैं करता हूं । वहां सदियों तक राजा महाराजाओं का राज्य रहा । उनके राज्य में कुल नौ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी । 1971 में जब मैंने राजस्थान को छोड़ा तब 27 लाख एकड़ में होती थी और बाकी तीस लाख एकड़ में सिंचाई का काम चालू हो गया था । राजस्थान कैनाल पूरी होने पर वहां कुल 60-70 लाख एकड़ में सिंचाई होने लग जायगी । यही बात बिजली तथा दूसरी चीजों पर भी लागू होती है । मैं मानता हू कि कमियां हैं । लेकिन कुछ नहीं हुआ, सारी बरवादी हो गई है, इस तरह की बात उन जैसे योग्य वकील से सुनने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे । मैं चाहता था कि कमियों की तरफ वह सरकार का ध्यान दिलाते ।

साथ ही उन्होंने अभी कहा कि अपने रुपयों से हम जिहाद करवा रहे हैं । यह बात उनके मुंह से सुनकर मुझे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ है । क्या हम जिहाद करने के लिए रुपया दे रहे हैं ? तेल वाले मुल्क जो कीमतें बढ़ा रहे हैं और ज्यादा पैसा हमसे वसूल कर रहे हैं उसको वसूल करके क्या हम जिहाद बुलवा रहे हैं ? जिहाद शब्द माननीय जेठमलानी जी की पसन्दगी का शब्द मालूम देता है कुछ कारणों से । इसलिए जिहाद और धर्म की बात को

लेकर वह चले हैं। हम जिहाद की कल्पना न भारत में करके चलते हैं और न बाहर। न मालूम आपको जिहाद क्यों याद आता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री जेठमलानी सस्ते मूल्य पर या कम मूल्य पर तेल लाते हैं तो आपको उनका स्वागत करना चाहिए।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया। स्वागत ? वित्त मंत्री उनका विमान पत्तन पर जाकर स्वागत करेंगे। उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी।

उन्होंने कहा कि यह सारा रुपया उनको लड़वाने के लिए दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बहुत कुछ हमारी इकोनोमिक डिवैलेपमेंट इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पड़ौसी देशों में शान्ति रहे। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशों में, पड़ौस में शान्ति होने के साथ-साथ अपने देश में शान्ति बनाए रखने में भी वह अपना पूरा सहयोग दें। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसको भी खासतौर से ध्यान में रख कर चलें। क्योंकि विदेश की शान्ति बाद में काम आयेगी, पहले देश की शांति ज्यादा आवश्यक है। उस पर कहां क्या हो रहा है उसके विस्तार में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने शांति ढूंढ़ी ईराक और इरान तथा दूसरी जगहों की। इसके बजाय पहले अपने घर की शांति की बात करके चलें, यह ज्यादा आवश्यक हो जाता है।

अभी कहा गया और पहले भी शुरूवात के अन्दर बोलने वाले हमारे कुछ सज्जनों ने कहा जिस वक्त लोक दल और जनता पार्टी की सरकार आयी तब 3,800 करोड़ का फोरेन एक्सचेंज था और जब लोकदल जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा उस वक्त 5,000 करोड़ का फोरेन एक्सचेंज छोड़ कर गये। इसको मैं समझता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : जनता पार्टी और लोक दल की कभी संयुक्त सरकार नहीं थी।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : वह आपका ही एक हिस्सा था। वस्तुतः वह जनता सरकार थी।

तो मैं यह कहना चाहता था कि इस बात की भी तुलना करके चलें तो शायद उपयुक्त होगा कि चाहे जनता सरकार रही हो या लोक दल की सरकार रही हो आप यह देखें कि फोरेन ट्रेड का डेफिसिट कितना था और अब कितना हुआ। और साथ-साथ यह भी देखें कि आयल की कीमत उस वक्त क्या थी और आज क्या है। जब तक इसको कम्पेयर करके नहीं चलते हैं तब तक आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। अगर एक्सपोर्ट पहले से कम हो गया हो तब तो कह सकते हैं कि इस सरकार के आने के बाद एक्सपोर्ट ट्रेड कम हो गया और यह सरकार नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर विदेशों के अन्दर आयल की कीमतें ज्यादा बढ़ जाये तो उनको जोड़ करके नहीं चला जा सकती। वास्तविक तौर से इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां इन्होंने कहा कि 30 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं आज रशिया और चाइना जैसे देश, जहां लोकतंत्र नहीं है, कई दूसरे देशों को देख लें जिनके अन्दर हिन्दुस्तान की जितनी आबादी 30 साल के अन्दर बढ़ी हो, और जिस हालत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहां बढ़ा है, क्या यह गर्व की बात नहीं है कि आज हम अन्न के मामले में सेफ सफिशियेंट हो गए। एक फैक्टर यह ऐसा हो सकता था जिसके ऊपर यह सरकार कामप्लीमेंट्स मांग सकती थी और कह सकती थी कि हमने इस देश को सेल्फ सफिशियेंट किया।

उपाध्यक्ष जी, यह सही बात है कि अगर बजट में बीयरर बौंड से 800 करोड़ रुपये लेने की जरूरत न पड़ती तो अच्छा रहता। लेकिन जैसा वित्त मन्त्री जी ने कहा जो वास्तविकता है उसमें जितनी लिक्विडिटी कम कर सकें उतना अच्छा है और उसको करने के लिए इस बात को काम में लाये हैं। अगर 800 करोड़ रुपया इस तरह इकट्ठा न होता तो डेफिसिट बढ़ता या और टैक्सेज लगाये जाते ऐक्साइज वगैरह के जिससे कीमतें बढ़तीं। सच बात तो यह है, माननीय जेठमलानी जी आप कहने के लिए चाहे कुछ कहें कि आम लोगों ने इस बजट को पसन्द नहीं किया। लेकिन यह सही बात है कि आप कहीं भी चले जाइये, गांवों में, बाजार में, आम तौर से लोगों ने कहा है कि हम उम्मीद करते थे न मालूम कितने टैक्सेज लगेंगे और कितनी महंगाई हो जायेगी ऐसा न होकर आम आदमी ने संतोष की सांस ली है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है, यह सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूं आप उनमें असन्तोष पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम आदमी आपके भाषण से संतुष्ट नहीं होगा। जो वास्तविकता है वह सभी लोग जानते हैं कि कितना उन पर बजट का असर पड़ा। अच्छे-अच्छे लोग मानते थे कि 2500 करोड़ का अगर डेफिसिट होगा तो हैवी टैक्सेशन होगा, करीब 800 करोड़ के टैक्सेज आयेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए आम आदमी संतुष्ट है। सच बात तो यह है जिनको आप कहते हो होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स का हमारा साथ है, मैं कहना चाहता हूं कि होर्डिंग करने वालों ने यह समझ कर कि टैक्स ज्यादा लगेगा और कीमतें बढ़ जायेंगी, उन्होंने होर्डिंग की। लेकिन उनका इस बजट से दिवाला निकल गया तो जैसा आप कहते हैं वैसी स्थिति नहीं है, बल्कि आम आदमी राहत की सांस ले रहा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट के प्रस्तुत करने के साथ-साथ, मैं पहले भी कह चुका हूं वित्त मन्त्री जी से जो असमानता है जैसे एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में है एक धनी और गरीब के बीच में है, जिसको हम कहते हैं पावर्टी बिलो दी लाइन और एफ्लुएन्ट सैक्शन के बीच में है वैसे ही स्टेट्स के बीच में स्थिति पैदा हो गई है कि कुछ स्टेटस ठीक हालत में हैं और कुछ पिछड़ी हुई हैं। आपके गाडगिल फार्मूले, फाइनेंस कमीशन के जरिये जो कोई फंडज ट्रांसफर किए जाते हैं वह सब होने के बाद भी आज स्थिति क्या है? आमतौर से किसी भी कण्ट्री या स्टेट का आप उसकी इकनामी का मापदण्ड करेंगे, वह पर-कैपिटा पावर कंजम्पशन क्या करता है, तो वह एक तरह से उसके मापदण्ड का आधार बन सकता है कि पर-कैपिटा इनकम उसकी क्या है? आज आपके सामने आंकड़े होते हैं, आप देखकर चलें, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक स्टेट में पर-कैपिटा 307 यूनिट हो और राजस्थान

जैसी जगह में अगर वह 93 यूनिट हो और कुछ जगह 270 हो और वहां 93 हो तो कितने वर्षों में इसको नजदीक लायेंगे ? मैं समान की बात नहीं कहता, लेकिन कम-से-कम गैप कम करने की तरफ तो जायें जिसकी वजह से यह कह सकें। यह परिणाम तभी पूरा हो सकता है, पिछली बार मैंने कहा था जब वित्त मन्त्री जी यहां मौजूद नहीं थे, मैं निश्चित तौर पर इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि पावर जैनरेशन को हिन्दुस्तान में सेन्ट्रल सैक्टर में लिया जाना चाहिए और नेशनल ग्रिड बनाकर अलग-अलग स्टेट्स को वहां की नैसेसिटी और बैकवर्डनैस को दूर करने के लक्ष्य से आप सीरियसली सोचें।

इस बात को सोचने की आवश्यकता इसलिए भी हो जाती है कि कहीं हाइडल का पोटैन्शियल है और उसकी नीड दूसरी जगह है।

अभी हमारे पड़ोस में दो बड़ी अपौरचुनिटीज हैं इलैक्ट्रिसिटी के बांध बनवाने के लिए एक नाथाझाकड़ी और दूसरी थियन डैम है। मैं कहना चाहता हूं कि रावी और व्यास के पानी का जब समझौता हुआ तो मैं राजस्थान का मुख्य मन्त्री था और पंजाब में कैरों थे। उस वक्त का यह फैसला था और उसमें राजस्थान के रेगिस्तान को पानी मिलेगा, यह वर्ड-बैंक के सामने सबसे बड़ा इश्यू था जिसको लेकर बहस की गई। इसी वजह से राजस्थान कैनाल के लिए पानी दिया गया। लेकिन आज जो व्यास और रावी से बिजली पैदा होगी, जो भाखड़ा से 16 परसेंट के करीब हमारा पहले से राइट है, उस 16 परसैंट का झाकड़ी और वहां जो बांध बन रहे हैं, बिजलीघर बनने जा रहा है उसके अन्दर 20 परसैंट दूसरी जगह को देने की बात चलती है। राजस्थान का जो वेलिड शेयर हो सकता है, वह भी राजस्थान को न मिले तो मैं समझता हूं कि यह गलत समझा जायेगा।

इसी प्रकार थियन डैम को भी, आज स्टेट के पास रिसोर्सिज नहीं होंगे, सैंट्रल गवर्नमेंट टेक-अप करे। कोल-डिपाजिट मध्य प्रदेश में है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट का वहां पर जैनरेट करने के लिए पावर हाउस हो, और अलग-अलग स्टेट्स की नीडज, बैकवर्डनैस, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पर कदम उठायें तो उपयुक्त होगा। मैं समझता हूं कि आज की यह सख्त आवश्यकता है और इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना होगा।

माननीय वित्त मन्त्रीजी के बहुत से आंकड़े हैं, जिसमें वह उम्मीद करते थे कि वैसे रिलैक्सेशन देने पर भी इनकम ज्यादा हुई ? पब्लिक सैक्टर के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि दरअसल यह पब्लिक सैक्टर न रहकर धीरे-धीरे ब्यूरोक्रेटिक सैक्टर हो गया है। इस पर आज भी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। आपको 104 करोड़ रुपये के एडीशनल फण्डज प्रोवाइड करने पड़े हैं। इस साल के बजट के अन्दर भी जो आपका एण्टीसिपेशन था, उससे कम फण्डज आये। आज तो ठीक है कि आपने बीयरर बाण्डज पर 800 करोड़ की क्रैडिट ले ली, लेकिन भविष्य में अगर आपका कोई सोर्स पोइलाइजेशन के लिए वैलिड जरिया है तो मैं समझता हूं कि वह पब्लिक सैक्टर है जहां 18 हजार करोड़ के ऊपर का इनवैस्टमैंट है। आज कौनसा देश है चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो क्या वहां वैल्फेयर के लिए ही पब्लिक सैक्टर चलता है या वहां की डेवलपमैंट के लिए फण्डज भी उससे मिलते हैं। तो उन्हीं आधार पर

इनके फण्डज आने चाहिएं, पूल-बैंक होने चाहिएं जिससे काममैन के ऊपर आपके एक्साइज, कस्टम और दूसरे वजन न पड़ कर उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा आगे चला सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां आप वीयरर बांड निकाल रहे हैं, मेहरबानी करके वक्त की गहराई के साथ इस बात पर चिन्तन किया जाए कि ब्लैक मनी जैनरेट होने से कैसे रोका जा सकता है? अगर हम इस प्रकार से ब्लैक मनी को रेगुलराइज करने की बात करेंगे, तो लोग समझेंगे कि फिर कभी न कभी, दो चार वर्षों में, ब्लैक मनी रेगुलराइज होने वाला है, जिसका परिणाम यह होगा कि ब्लैक मनी और पैरालेल इकानोमी कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए फ्यूचर में ब्लैक मनी के जेनीरेशन को सख्ती से रोकने की आवश्यकता है। लोगों के दिमाग में यह बात बैठनी चाहिए कि हम फ्यूचर में इसके रीसोर्सिज पर डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरे तरीकों से ब्लैक मनी को रोकेंगे, फारेन एक्सचेंज की गड़बड़ और स्मगलिंग को रोकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो लोगों के दिल में यह बात घर कर जायेगी कि ब्लैक मनी कभी न कभी व्हाइट हो सकता है। यह इकानोमी के लिए बहुत खतरनाक है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के लिए वित्त मन्त्री और माननीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद देती हूं। मैं बजट का, विशेषतः लघु उद्योगों, कृषि विकास और इलेक्ट्रानिक उद्योगों सम्बन्धी प्रस्तावों का समर्थन करती हूं।

जहां तक रिजनल रूरल बैंक्स का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1979 में उनकी संख्या 60 थी। मार्च, 1981 तक उनको बढ़ा कर 100 कर दिया जायेगा। इसके अलावा 1981-82 में 25 और रिजनल रूरल बैंक्स स्थापित किये जायेंगे। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देती हूं। ये रिजनल रूरल बैंक्स हमारे एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि वहां से उनको कम इन्ट्रेस्ट पर लोन मिलता है। सिक्स्थ प्लान के अन्त तक 270 डिस्ट्रिक्ट्स में रिजनल रूरल बैंक्स की संख्या 170 तक पहुंच जायेगी। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट को कनसेशन के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। ड्रिंकिंग वाटर के सैंट्रल प्लान को 80 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया, उसके लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं।

इस बजट में महिलाओं के काम आने वाली बहुत सी चीजों—प्रैशर कुकर, सियुइंग मशीनों और एडीवल आयल वगैरह—के लिए कनसेशन दिया गया है, उसके लिए भी मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं।

धन्यवाद देने के बाद मैं कुछ सजेस्शन्ज देना चाहती हूं। बजट को तो मैं सपोर्ट कर रही हूं, लेकिन इसके साथ ही फिनांस मिनिस्टर को कुछ सजेस्शन्ज भी देना चाहती हूं।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : वह अधिक महत्वपूर्ण है।

जहां तक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का सम्बन्ध है, उनके डेवेलपमेंट के लिए बजट में प्राविजन किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रावलम्ज खड़ी हो जाती हैं। मैं सजेस्शन देना चाहती हूं कि टेकनिकल ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम को इनक्रीज करना चाहिए। सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को टेकनिकल ट्रेनिंग के प्रोग्राम का विस्तार करना चाहिए। अगर एजूकेटिड अनएम्पलायड के लिए टेकनिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया जाये, तो वे बहुत जल्दी पिक-अप कर सकते हैं और वह खुद भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। इससे कुछ सैल्फ एम्पलायमेंट स्कीम को बढ़ावा मिलेगा। जहां उनके लिए इंडस्ट्रीज की बात करते हैं वहां मार्केटिंग फैसिलिटीज उनको देनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि रा-मैटीरियल उनको नहीं मिलता है, यह रा-मैटीरियल देने की रेस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, नहीं तो स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज को हम चला नहीं सकते हैं। इसलिए रा-मैटीरियल की सुविधा तो गवर्नमेंट को ही देनी है और मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की रेस्पांसिबिलिटी भी गवर्नमेंट को ही लेनी पड़ेगी।

एक सजेश्चन और देना चाहती हूं। हमारी महिलाएं एलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री में अच्छी तरह से काम कर सकती हैं। महिलाओं को उसमें ज्यादा लेना चाहिए। हाई स्कूल लेवेल से उन को इस इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। कुछ महिलाएं डैस्ट्रीच्यूट बन जाती हैं। कुछ महिलाओं के सामने तरह-तरह की प्रावलम्स आ जाती हैं। इन सारी महिलाओं को एलेक्ट्रानिक्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत लाने की और उनके लिए काटेज एन्ड स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज का इन्तजाम करने की आवश्यकता है जिससे कि ऐसी महिलाएं अपने पांवों पर खड़ी हो सकें। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं।

इंडस्ट्रीज के बारे में एक बात और कहना चाहती हूं। रूरल एरियाज में और सबर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज किस तरह से डेवलप हो सकती हैं जब कि वहां जाने आने के लिए ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है। मैंने इसमें देखा उसके लिए इसमें कुछ भी पैसा इन्क्रीज नहीं किया है। गांवों में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत कम दी है। नेशनल हाईवेज के लिए तो कुछ दिया है लेकिन रूरल एरियाज की जो सड़कें हैं उनके लिए कुछ भी नहीं दिया है।

दूसरी बात है बाइ-पास रोड्स की। टाउन्स और सिटीज का पापुलेशन आज बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में बाइ-पास रोड्स न होने से आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है। तो उसके लिए बजट में ज्यादा एलाटमेंट करना चाहिए।

आप नेशनल हाई-वेज परमिट तो देते हैं ट्रांसपोर्ट वेहिकिल्स को लेकिन हरएक स्टेट में अलग-अलग तरह के लाज बने हुए हैं गुड्स की हाइट के सम्बन्ध में। किसी स्टेट में 11 फुट की हाइट होती है, किसी में 12 फुट की होती है। ऐसा होने से नेशनल परमिट जब देते हैं और ट्रक वालों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाना पड़ता है तो उनके लिए प्रावलम हो जाती है।

एक राज्य में तो वाहनों पर 12 फुट ऊंचा माल ले जाने के परमिट दिए जाते हैं, दूसरे राज्य में केवल 11 फुट ऊंचाई तक के परमिट दिये जाते हैं। इससे ट्रक चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि उनके पास तो राष्ट्रीय परमिट होते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगी कि

केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परमिट देते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सारे देश में ट्रक में सामान ले जाने की ऊंचाई में एकरूपता हो ।

वेहिकिल्स की चैकिंग के सम्बन्ध में मैं एक सजेशन देना चाहती हूं । यह चैकिंग करने का काम पहले तो पुलिस को दिया था । अब पुलिस वाले भी चैकिंग करते हैं और आर. टी. ए. की तरफ से भी चैकिंग होती है । इससे ट्रक वालों को बहुत बड़ी प्राबलम खड़ी हो गई है । इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में बहुत समय लगता है । आप दोनों में से एक का चैकिंग रखिए, चाहे तो आर. टी. ए. का रखिए, चाहे पुलिस का रखिए । एक ही रखना चाहिए । इसके लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए । अभी तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहां हैं नहीं, चले गए हैं । मैंने सोचा था कि वह यहां रहेंगे और हमारी बात सुनेंगे । लेकिन वह चले गये हैं तो मिनिस्टर महोदय को हमारी बात उनके पास पहुंचानी पड़ेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि नेशनल हाई-वेज के ऊपर आप ब्रिजेज वगैरह बनते हैं, उसका टोल टैक्स कलैक्ट करते हैं । सेंटर वाले कहते हैं वह स्टेट सबजैक्ट है । मेरा यह कहना है कि क्वार्टरली टैक्स तो लेते ही हैं, इसलिए यह टोल टैक्स अलग लेने की जरूरत नहीं है । जो टैक्स आप क्वार्टली लेते हैं उसमें इसको भी इनक्लूड कर दीजिए । वह पैसा अगर स्टेट को देना हो तो स्टेट को दें या सेन्टर में रखें लेकिन हरएक सड़क पर ट्रक वालों को इस तरह से खड़ा कर देना ठीक नहीं लगता है ।

टेली-कम्युनिकेशन के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहती हूं । आपने एस. टी. डी. को इन्ट्रोड्यूस किया है । पहले 250 काल्स फ्री थीं । उसके बाद 1750 काल्स तक आपने 40 पैसे प्रति काल कर दिया है । और उसके बाद जितना उपयोग करते हैं उसी के हिसाब से आपने इंक्रीज की है । 1750 से 5000 काल्स तक 50 पैसे प्रति काल कर दिया है जोकि पहले 40 पैसे होता था । 5000 से ऊपर की काल्स के लिए आपने 60 पैसे प्रति काल कर दिया है जोकि पहले 50 पैसे होता था । मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि एस. टी. डी. किस लिए इन्ट्रोड्यूस किया है ? इसीलिए इन्ट्रोड्यूस किया है कि इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और ट्रंक काल्स को कम किया जाए । लेकिन आपने एस. टी. डी. के रेट भी बढ़ा दिए हैं । इसलिए मेरा सजेश्चन है कि इसको रेड्यूस करना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहती हूं । मेरा सुझाव है कि 1750 काल्स तक 40 पैसे प्रति काल रखा जाए जिसमें 250 फ्री काल्स शामिल हैं । 1750 से 5000 काल्स तक 30 पैसे प्रति काल कर दिया जाए और 5000 काल्स से ऊपर 20 नये पैसे प्रति काल कर दिया जाए ।

जहां तक टेलेक्स सर्विस का सम्बन्ध है, आप कहते हैं कि चार से 12 सब्सक्राइबर होने पर नोशनल एक्सचेंज दे देंगे । मेरे पास यह रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़ रही हूं :

"नोशनल एक्सचेंज की धारणा किसी स्थान पर चार उपभोक्ताओं के होने पर ही लागू होती है इससे कम संख्या में नहीं । बम्बई जैसे शहर में भी थाना के उपभोक्ता टेलेक्स एक्सचेंज

से 30 कि० मी० की दूरी पर हैं। दूसरा स्थान बॅरली है जो कि 100 कि० मी० दूर है पर वहां भी वही प्रभार लिया जाता है, क्योंकि वहां उसी स्थानीय क्षेत्र में है।" लोकल एरिया में 30 किलो मीटर के बाद भी आप कहते हैं कि यह लोकल एरिया है लेकिन दूसरी जगह मेन एक्सचेंज से 5 किलो मीटर के बाद कहा जाता है कि 300 रुपया हर किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा। मैं समझती हूं इसको चेंज करना होगा। या नोशनल एक्सचेंज की बात को लागू किया जाये या फिर मेंन एक्सचेंज से 50 किलोमीटर तक जिस तरह से आप लाते हैं उसी को कर दीजिए। आज स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज वाले भी टेलेक्स लेना चाहते हैं। उनको सरकार की तरफ से यह सुविधा दी जानी चाहिए।

एक बात मैं वेलफेयर एक्टिविटीज के बारे में भी कहना चाहती हूं। गुजरात की स्थिति के बारे में भी मैं बिना कहे नहीं रह सकती। शेड्यूल्ड कास्ट्स को रिजर्वेशन किस लिए दिया गया है? हमें इस बात को सोचना होगा। हिन्दू समाज ने हरिजनों को अनटचैबिल माना है और उनको दूर रखा है। इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया है। उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। केवल रिजर्वेशन ही नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि आजकल हमारी शिक्षा में अन-एम्पलायमेंट बढ़ती जाती है, अन-एम्पलायमेंट को हमें कम करना चाहिए। इसको कम करने के लिए हमें अधिक ध्यान टैक्नीकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन पर देना चाहिए। हम हाई-स्कूल लैवल से टैक्नीकल एजुकेशन और वोकेशन एजुकेशन ज्यादा करेंगे तो अन-एम्प्लायमेंट कम होगा। आजकल होता यह है कि हम पढ़े-लिखे लोग श्रम करने से शर्माते हैं। मैं यह कहती हूं कि लोगों में हाथ से काम करने की आदत बढ़ानी चाहिये, जिसमें टैकनीकल एजुकेशन प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिये। यदि हम उन लोगों को प्रैक्टिकल फलैड में भेजना है, इण्डस्ट्रीज में भेजना है, फैक्ट्रीज में भेजना है, तो हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन की ओर ध्यान देना होगा। इस सम्बन्ध में हमें महिलाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये। उनके लिये स्पेशन टैक्नीकल एजुकेशन होना चाहिये। यदि महिलायें छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज, एच० एम० टी० इत्यादि में काम करेंगी, तो उनको भी सुविधा होगी।

इस संबंध में मैंने जो सुझाव दिए हैं, खासकर टांसपोर्ट के बारे में, टेलीकाम्यूनिकेशन के बारे में और टैक्नीकल एजुकेशन के बारे में, उम्मीद है माननीय मन्त्री जी उस पर अवश्य ध्यान देंगे। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लोगों को और सुविधा देंगे। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, कल वित्त उप मंत्री महोदय ने सदन को बताया था कि सदन में बजट पेश होने के उपरान्त उन्होंने सड़कों पर लोगों को खुशी से नाचते हुए देखा।

श्री मगनभाई बरोट : मैंने तो केवल टाइम्स आफ इंडिया समाचार पत्र से उद्धरण दिया था।

श्री सुनील मैत्रा : परन्तु हो सकता है वित्त मंत्री को यह मालूम न हो कि लोग बहुत से कारणों की वजह से नाच सकते हैं —एक कारण तो यह है कि जब वह खुश होते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है उनका तात्पर्य जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से हो जो नाच रहे हों, आन्दोलन कर रहे हों या धरना दे रहे हों।

श्री सुनील मैत्रा : और कभी-कभी लोग उस समय उछल कूद करते हैं, जब उन्हें बर्र या मधुमक्खी काट लेती है। हो सकता है उन्हें गलतफहमी हो गई हो कि जनता खुशी से नाच गा रही है। हो सकता है कि वे श्री वेंकटरामन के बजट के कारण परेशान हों।

यह बजट एक उल्टे तर्क पर आधारित है। पहले तो वह किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे हैं और उन निष्कर्षों से उन्होंने एक खाका तैयार किया है और फिर उन्होंने बजट के पीछे तर्क मालूम करना चाहा है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने अत्यधिक अलंकृत भाषा में कहा था कि 1981-82 के बजट में समस्याग्रस्त प्रबन्ध के बजाय विकास का अधिक झुकाव दिया गया है। इसका यह तात्पर्य है और उन्होंने निश्चित रूप से स्पष्ट शब्दों में यह कहा भी था कि सरकार संकट से उबर रही है। परन्तु 28 फरवरी को बजट पेश करते समय वित्त मंत्री जब यह दावा कर रहे थे कि मूल्यों को कम कर दिया गया है और मूल्यों में वृद्धि की दर 21 प्रतिशत से कम होकर 13.3 प्रतिशत हो गई है, तब उन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी।

जब 28 फरवरी को मुद्रा स्फीति की दर 13.5 प्रतिशत बताई जा रही थी, उस समय हमें यह नहीं मालूम था कि 1970-71 के आधार वर्ष के अनुसार मूल्य सूचकांक 268.8 था, जो उस समय तक सबसे अधिक था।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

8 मार्च के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में यह बताया गया था कि थोक मूल्य सूचकांक बढ़ कर 268.8 हो गया है। मुद्रा स्फीति की दर जो जनवरी, 1981 के अन्त में 13.5 प्रतिशत थी, 21 फरवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई थी। जब वित्त मंत्री यह दावा कर रहे थे कि मुद्रा स्फीति की दर को नियन्त्रित किया जा रहा है, उस समय वास्तव में उसमें बढ़ोत्तरी हो रही थी। फरवरी के तीसरे सप्ताह में मुद्रा स्फीति की दर 17.3 प्रतिशत थी। परन्तु अब यह 21 प्रतिशत के आस-पास होगी। इसका यह कारण है कि श्रमिक वर्ग का जनवरी माह का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले माह के 408 से बढ़कर 412 हो गया। परन्तु अभी भी वही दावे किए जा रहे हैं तथा बजट प्रस्तावों का समर्थन किया जा रहा है।

उनका यह कहना है कि जनता सरकार ने एक बहुत ही अपर्याप्त और कमजोर अर्थ-व्यवस्था छोड़ी थी।

मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल 1947 से सत्ता में रहा है। इन 30 वर्षों के निरन्तर शासन में उन्होंने सारी अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर दिया।

जनता पार्टी ने केवल तीन वर्ष तक शासन किया और उन्होंने इसे सुधारने की भी कोशिश की। आज के बजट से इस देश की खराब अर्थ-व्यवस्था प्रकट होती है।

अब आपने कुछ निष्कर्ष निकाल लिए हैं और इन निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए आप आधार तैयार कर रहे हैं। आपने कहा है कि 1980-81 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर 4 प्रतिशत थी। आपके आंकड़ों की ही जांच की जाए। आपने यह कहा है कि आप इस वर्ष उत्पाद शुल्क के रूप में 7000 करोड़ रुपये से अधिक धन राशि को इकट्ठा कर लेंगे। वर्ष 1978-79 के दौरान आपने 6000 करोड़ रुपए की राशि उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्रित की थी। पिछले वर्ष के बजट में आपने सभी उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क थोप दिया था। उससे पिछले वर्ष के बजट में 147.68 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी थी। 5 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से और औद्योगिक उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि से कुल बृद्धि 217 करोड़ रुपये के लगभग हुई। इस वर्ष के बजट में केवल उत्पाद शुल्क से ही आप 7000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि एकत्र कर लेंगे, इसका अर्थ है कुल वृद्धि लगभग 700 करोड़ रुपये होगी। यह ध्यान रखिए कि इस वर्ष के बजट में आपने उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया है, उत्पाद शुल्क वही है। अब आपके मुताबिक पिछले वर्ष की 5 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और औद्योगिक उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि से यदि कुल वृद्धि केवल 217 करोड़ रुपये ही थी, तो इस वर्ष का औद्योगिक उत्पादन कितना होगा जिसका प्रभाव आपके उत्पाद शुल्क की वसूली पर पड़ेगा और इससे कुल वृद्धि 700 करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है। इसका अर्थ है कि क्या आपका यह अनुमान है कि औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष वृद्धि लगभग 14 प्रतिशत होगी ? यदि आपके औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हो रही है तो आप उत्पाद शुल्क के रूप में 730 करोड़ रुपये एकत्र नहीं कर सकते। या फिर आप यह कहिए कि पिछले वर्ष के औद्योगिक उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि झूठी थी, या फिर यदि यह भी मान लिया जाए कि यह सही भी है तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में 700 करोड़ रुपये एकत्र करना भी सही है, तो आपको सम्भवतः यह भी मालूम होगा कि मूल्य इस तेजी से बढ़ेंगे कि आपको प्राप्त होने वाले 217 करोड़ रुपये के राजस्व की राशि बढ़कर 730 करोड़ रुपये के बराबर हो जायगी, जबकि आपने कोई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगाया है। इस प्रकार यह बजट आपने प्रस्तुत किया है। ऐसे आंकड़े देकर आप देश की अर्थव्यवस्था की दशा छिपाना चाहते हैं। आप उत्पादन, निवेश आदि सभी के बारे में धोखा दे रहे हैं।

उन्होंने बताया है कि औद्योगिक उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सच है कि कुछ क्षेत्रों—जैसे तीन पहिये के स्कूटरों, जीप, मोटर साइकिल, जूट, कपड़ा, सूती धागे और वस्त्रों आदि का उत्पादन बढ़ा है। परन्तु यह भी सच है कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन कम हो गया है जैसे वनस्पति में 27.3 प्रतिशत, अल्युमिनियम में 24.6 प्रतिशत, चीनी में 24.6 प्रतिशत इस्पात पिण्डों में 8.3 प्रतिशत खान और उत्खनन में 3.9 प्रतिशत, कास्टिक सोड़ा में 3.6 प्रतिशत, सीमेंट में 2 प्रतिशत, बिक्री योग्य इस्पात में 1.9 प्रतिशत की कमी हुई है। इसका यह अर्थ है कि औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने वाले उत्पादों में आपका उत्पादन कम हो गया है। और इस पर वित्त मंत्री

अपने वक्तव्य में यह दावा कर रहे हैं कि वर्ष 1980-81 में औद्योगिक उत्पादन में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि ऐसा नहीं हुआ है।

वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष बजट के उत्तर में निगमित क्षेत्र को पूर्णतया कर से छूट देने के कारणों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया था। उनके कहने का मुख्य प्रयोजन यह था कि यदि निगमित क्षेत्र को और उद्योगपतियों को कर से छूट दी गई तो वह पूंजी बचाएंगे और यह पैसा पूंजी निवेश के रूप में वापस बाजार में आ जाएगी। परन्तु न तो इस वर्ष के बजट भाषण में और न ही आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्री ने यह बताया है कि धनराशि के रूप में इस निवेश की वस्तुतः मात्रा क्या है। आपने पिछले वर्ष बचत करने की दृष्टि से नियमित क्षेत्र को काफी छूटें दी हैं, और उस छूट से उन्होंने खूब लाभ कमाया। अब क्या वह सारा का सारा या उसका अधिकांश भाग पूंजी निवेश के रूप में बाजार में आया है ?

इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं। हमें यह भी नहीं मालूम कि वित्त मंत्री द्वारा दी गई छूटों का क्या हुआ। 'इकानामिक सर्वे' के पृष्ठ 23 में यह बताया गया है कि संस्थागत वित्त के लिए आपाधापी मची हुई है। वह जीवन बीमा निगम, बैंकों आदि से वित्तीय पूंजी उधार ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 1979-80 में यह औद्योगिक उत्पादन का साधन है।

पूंजीगत मामलों की मंजूरी अब पहले से दो गुनी और तीन गुनी हो गई है। यही आपके 'इकानामिक सर्वे' में बताया गया है। वर्ष 1979-80 में जब जनता सरकार और लोक दल सरकार सत्ता में थीं तब पूंजीगत मामलों के लिए लगभग 386.43 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि निवेश के रूप में कितने मंजूरी पत्र और आशय पत्र वापस आए। फैक्ट्रियों और संस्थानों के शेयर के रूप में कितना वापस आया ? इसके कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार निवेश के दृष्टिकोण से संभवतः यह नगण्य है और जैसा कि कल के अपने वक्तव्य में श्री रवीन्द्र वर्मा ने बताया कि यह शून्य भी हो सकता है। निवेश के विकास की दर शून्य होने के भी कई कारण हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 33 वर्षों में जो प्रणाली आपने बनाई थी उसमें उत्पादन के प्रेरक शक्ति लाभ कमाना ही था। जब तक कि लाभ कमाना उद्देश्य न हो तब तक उत्पादन नहीं हो सकता। यदि लाभ की गारंटी नहीं दी जाए तो जनता निवेश ही नहीं करेगी। जब तक कि बाजार के लिए उपक्रमी सुनिश्चित नहीं है तब तक आप लाभ की गारंटी कैसे कर सकते हैं ? आज भारत का स्वदेशी बाजार मूल्यह्रास का बाजार है। यह बाजार विकासशील नहीं है क्योंकि पिछले 33 वर्षों से आपने ऐसी ही नीतियां अपना रखी हैं। इसलिए भारतीय स्वदेशी बाजार विकासशील होने के स्थान पर अवनति की ओर जा रहा है।

अब, आपकी कर नीति क्या है ? उदाहरण के तौर पर उत्पाद शुल्क को ही लें। वर्ष 1950-51 में भारत सरकार के कुल राजस्व में 60 प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष करों द्वारा आया था। आजकल 80 प्रतिशत से अधिक अप्रत्यक्ष करों द्वारा राजस्व आता है और केवल 20 प्रतिशत ही प्रत्यक्ष करों द्वारा आता है। अप्रत्यक्ष करों में उत्पाद शुल्क की हमारी कर राजस्व प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। वर्ष 1950 में आप उत्पाद शुल्क से 62 करोड़ रुपये एकत्र करते थे और इस वर्ष के बजट में आपने 7000 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया है। इसका यह अर्थ है कि

सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्लों में वृद्धि होगी । सुबह जब मैं चाय का प्याला पीता हूं तो मैं चाय पर उत्पाद शुल्क देता हूं । फिर चीनी पर भी मैं उत्पाद शुल्क देता हूं । सिगरेट पीने पर मुझे दियासलाई, तम्बाकू और सिगरेट पर उत्पाद शुल्क देना होता है । फिर जब मैं बस में चढ़ता हूं तो बस के प्रत्येक भाग पर मैं उत्पाद शुल्क देता हूं । दवाई की दुकान पर मैं हर दवा के लिए उत्पाद शुल्क देता हूं । फिर मरने पर जिस वस्त्र में मुझे लपेटा जाएगा उस कपड़े पर भी मैं उत्पाद शुल्क देता हूं । तभी मुझे चिता पर चढ़ने की आज्ञा मिलेगी । इसलिए महोदय, सुबह से रात तक जब तक मैं सोने जाता हूं और जन्म से मृत्यु तक मैं उत्पाद शुल्क अदा करता हूं ।

1950 में आपने 62 करोड़ रुपये एकत्र किए और आज आप 7000 करोड़ रुपये एकत्र कर रहे हैं । इससे मूल्यों में अवश्य ही वृद्धि होगी । मूल्यों को कम कैसे किया जाएगा ?

आपकी दूसरी नीति घाटे की अर्थव्यवस्था की नीति है । मुझे अधिक आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं । पहली योजना के दौरान यह घाटा 4 9 करोड़ रुपये का था, दूसरी योजना में यह राशि 1000 करोड़ रुपये थी, तीसरी योजना —975 करोड़ रुपये तथा 1966-67 और 1966-69 की वार्षिक योजनाओं में यह 839 करोड़ रुपये थी और चौथी योजना के दौरान यह राशि 2651 करोड़ रुपये थी ।

श्री चरणसिंह द्वारा पेश किए गए बजट में 2700 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था । इस वर्ष हो सकता है यह घाटा 2,000 करोड़ रुपये का हो । आपने फिर 1,500 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है । घाटा 2,500 करोड़ रुपये से भी अधिक होगा । घाटे की अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है ? जितना अधिक घाटे का बजट होगा उतनी ही अधिक मुद्रास्फीति होगी और जितनी मुद्रास्फीति बढ़ेगी उतनी ही कीमतें बढ़ेंगीं । यहां तक कि सार्वजनिक ऋण लेने से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है । जितनी मुद्रास्फीति बढ़ेगी उतनी ही कीमतें बढ़ेंगीं । एकाधिकार एवं औद्योगिक घरानों को प्रोत्साहन प्रदान करने की आपकी नीति के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे । वे मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं । वे भारी लाभ कमा रहे हैं । मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने अपना लाभ सौ गुना बढ़ा लिया है । मूल्यों में वृद्धि का कुल प्रभाव क्या है । जब वस्तुएं बढ़ी हुई कीमतों पर बाजार में आती हैं तो उनका खरीदना कठिन ही होता है । प्रत्येक सौ खरीदारों में से सत्तर खरीदार किसान हैं । आप किसानों और गरीबी-हटाओ के संबंध में निरन्तर कहते रहते हैं—यह एक अच्छा नारा है । परन्तु इस देश में 70% किसान हैं । यदि किसानों के पास जमीन नहीं है तो उनकी खरीदने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है ? एक ओर तो कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष—आप 1961 और 1971 की जनगणना के आंकड़े देखिये, लगभग 2 करोड़ किसान कृषि योग्य भूमि से वंचित हो जाते हैं । यह संख्या वर्ष 1961 में 2 करोड़ थी परन्तु 1971 में 2 करोड़ किसान भूमिहीन हो गए हैं और वे भूमिहीन कृषि मजदूर बन गए हैं । ये है उनसे जमीन चले जाने की दर । मुझे विश्वास है कि 1981 की जनगणना में यह संख्या बढ़कर 3 करोड़ हो गई होगी । अतः जब वस्तुएं बाजार में अधिक मूल्य पर उपलब्ध होती हैं तो लोगों के लिए उन्हें खरीदना कठिन हो जाता है ।

इसका परिणाम यह हुआ है कि औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। बाजार की वर्तमान स्थिति में चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों न करें, हम औद्योगिक उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते । इसलिए औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और इसी वजह से उद्योगों का विस्तार नहीं हो रहा है। अत: और अधिक कारखाने नहीं खुल रहे हैं । जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन 33 वर्षों में प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। हम चाहे इस संबंध में कितनी भी बातें बना लें आप बेरोजगारी की समस्या कभी भी हल नहीं कर सकते। यही भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट का मूल कारण है। वित्त मंत्री प्रबन्ध संकट तथा अपने उत्पाद उन्मुख बजट के बारे में बात कर रहे हैं। यह संकट निकटतम होता चला जा रहा है। जब तक आप इस दिशा में कोई सशक्त प्रयास नहीं करेंगे, इस संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। इस संकट का समाधान कैसे हो ? इस सदन में मेरी पार्टी के नेतागण, श्री ए० के० गोपालन से लेकर हमारे नेता श्री समर मुखर्जी तक इस बात पर विचार करते रहे हैं। प्रबन्ध संकट की समस्या का समाधान करने के लिए आपको सशक्त प्रयास करने होंगे। अर्थात भूमि सुधारों को गम्भीरता से लेना होगा। आपने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में इस संबंध में कुछ कहा था, परन्तु आप उसे कार्यान्वित नहीं कर सके। देहात में कुल ग्रामीण आबादी का 6 प्रतिशत ही कृषि योग्य कुल भूमि के 40 प्रतिशत जमीन का स्वामी है। और इस 6 प्रतिशत में महाजन, बड़े जमीदार आते हैं जो देहात में आपके दल का राजनीतिक आधार बनाते हैं। गत 33 वर्षों में आप भूमि सुधारों को लागू भी नहीं कर सके । ऐसा आपकी आंतरिक दल गत अड़चनों के कारण हुआ। अत: आपसे यह काम नहीं हो सकेगा ।

जब तक आपके दल का ढांचा इस प्रकार वर्ग पर आधारित रहेगा, चाहे एक शताब्दी ही क्यों न बीत जाए, आप यह कार्य नहीं कर सकोगे। अत: यदि आप इस संकट को दूर नहीं कर सकते और यदि यह संकट गहरा और बढ़ता ही जाता है तो आपके लिए इस संकट को दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि इस संकट का भार जनता के कन्धों पर डाल दिया जाए । हम देखते हैं कि जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के जुलूस पर हमला किया जाता है, बंगलौर में हुई हड़ताल को निरुत्साहित कर दिया जाता है और लोको कर्मचारियों को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्या यह एक सभ्य देश है ?

महोदय, सौ वर्ष पूर्व अमरीका के शिकागो शहर में लाखों श्रमिकों ने 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने की मांग को लेकर संघर्ष किया था। इस संघर्ष के दौरान चार श्रमिकों को फांसी पर लटका दिया गया था परन्तु इस कुर्बानी की वजह से श्रमिक वर्ग की 8 घंटे प्रतिदिन काम करने की मांग स्वीकार कर ली गई। उस समय विश्व भर के श्रमिक वर्ग का यही नारा था कि वे इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अन्तिम सांस तक संघर्ष करेंगे। लोको कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी क्योंकि वे एक दिन में 14 से 16 घन्टे तक काम नहीं करना चाहते थे । वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करने पर राजी थे। यदि सरकार प्रतिदिन 10 घंटे काम करने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है तब सरकार को 2,000 से 3,000 तक और ड्राइवर तथा फोरमैन नियुक्त करने पड़ेंगे जो कि सरकार नहीं कर सकती। आपने देश की अर्थव्यवस्था को इस सीमा पर ला

छोड़ा है । इसलिए, इस बात पर तनिक भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज कोई भी व्यक्ति पूंजी लगाने के लिए सामने नहीं आ रहा है । जो कोई भी पूंजी निवेश कर रहा है, वह संस्थागत धन लेकर अर्थात सरकार से अथवा जनता से धन प्राप्त करके कर रहा है न कि अपना धन लगा रहा है । वे अपनी पूंजी लगाकर खतरा नहीं उठाना चाहते हैं बल्कि वे जनता की पूंजी लगाकर उठाना चाहते हैं । यदि उन्हें नुकसान होगा तो जनता का धन ही जाएगा । ऐसे बाजार में जहां खतरा है वे क्यों अपना धन लगाएंगे ? वे धन नहीं लगा रहे हैं । सरकार कहती है कि जहां तक कराधान का संबंध है यह इष्टतम सीमा तक पहुंच गया है; जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है वह भी इष्टतम सीमा तक पहुंच गई है, और ऐसी स्थिति में धन कहां से प्राप्त किया जाए । इसलिए अब सरकार हाथ जोड़कर और घुटने टेक कर कालाबाजारियों, मुनाफाखोरों, जमाखोरों, तस्करों और असामाजिक तत्वों के पास पहुंची है, जिन्होंने धन जमा कर रखा है, और उनसे कहा है कि वे अपने काले धन को धो कर सफेद बना लें सरकार उनके काले धन को बिना किसी आय कर या धन कर के स्वीकार करने को तैयार है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी । इस प्रकार सरकार ने अत्यन्त निराशाजनक स्थिति में काले बांडों की योजना शुरू की है । इस योजना से सरकार को इस वर्ष 200 करोड़ रुपये तथा अगले वर्ष 800 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है । सरकार किस आधार पर यह विश्वास करती है कि उन्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा । एक दिन वित्त मंत्री जी ने सदन को बताया था कि उन्होंने स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपया प्राप्त किया था परन्तु लोक लेखा समिति ने वर्ष 1979-80 के अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी की है कि न केवल राशि को वढ़ा चढ़ाकर बताया गया है बल्कि यह झूठ है । आपको 200 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त नहीं हुए थे जबकि वित्त मंत्री जी का कहना है कि उन्हें 700 करोड़ रु० प्राप्त हुए थे ।

आपके अनुमान के आधार पर आज वित्त मंत्री जी ने हमें बताया है कि इन बोंडों से उन्हें 1000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । इसी आधार पर आपने अपना बजट तैयार किया है । आपके बजट से आज यही नीतियां परिलक्षित हो रही हैं । ये नीतियां न तो कारगर सिद्ध हुई हैं और नहीं होंगीं । यह आंखों में धूल झोंकने वाली बात कुछ समय तक तो चल सकतो है परन्तु हमेशा नहीं । जैसी कि कहावत है कि आप कुछ समय तक तो कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं परन्तु हमेशा सभी लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता । अब समय आ गया है जबकि देश के लोगों ने आपकी करतूतों को देख लिया है । मैं तो यह कहूंगा कि यह बजट केवल आंकड़ों की धोखेबाजी है । यह देश की जनता के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकता । यह एक ऐसा बजट है जिसमें निर्धन वर्ग के लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा निहित है । अतः मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मुझे एक कहावत याद है जिसमें 6 अन्धे व्यक्तियों ने एक हाथी का ब्यौरा दिया था । यहां हम देख रहे हैं कि 6 अन्धी पार्टिया बजट का भिन्न-भिन्न तरीके से, भिन्न-भिन्न विचार-धाराओं के संदर्भ में वर्णन कर रही हैं । सदन में प्रस्तुत किया गया बजट एक लोकप्रिय बजट है । देश के सभी वर्गों के लोगों ने न केवल इस बजट के लिए

मुबारकवाद दी है बल्कि इसकी प्रशंसा की है तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के तथा वित्त मन्त्री जी को दिए गए मार्गदर्शी अनुदेशों जिन्होंने यह बजट तैयार किया है की भी प्रशंसा की है। इन 6 अन्धी पार्टियों की अपनी स्वतन्त्र विचारधारा है। महोदय, मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। हमारे देश ने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया है। मैं जानता हूं कि वे इस बात से सहमत नहीं होंगे। मेरे मित्र श्री बरोट ने इस सम्बन्ध में कहा था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार या केरल सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त हैं? हम 50 करोड़ रुपये के स्प्रिट घोटाले के सम्बन्ध में जानते हैं जिससे कम्यूनिस्ट सरकार भी सम्बन्धित थी। प्रत्येक समस्या के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्हें रचनात्मक आलोचना ही करनी चाहिए। प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों ने क्या सुझाव दिया है? क्या उन्होंने कोई सुधारात्मक सुझाव दिया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्होंने बजट तैयार करने के लिए कोई ठोस सुधारात्मक सुझाव पेश किए हैं? नही। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमने सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र पद्धति को अपनाया है। हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था उन्हीं पर आधारित है। मेरे मित्र कह रहे थे कि जनता पार्टी एक रोगी बच्चे की भांति थी। परन्तु इस रोगी बच्चे ने सारा का सारा दूध पी लिया। वे कहते हैं कि धारक बाण्डों से तस्करों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे विपक्षी मित्रों का कहना है कि वे सिर्फ कालबाजारी को ही प्रोत्साहित करेंगे। परन्तु जनता सरकार द्वारा की गई सोने की नीलामी के सम्बन्ध में आप क्या कहेंगे? सोने की नीलामी के माध्यम से उन्होंने देश को लूट लिया; उन्होंने देश की विदेशी मुद्रा को लूट लिया है। उन्होंने हमारे स्रोतों को ही नष्ट कर दिया। सोने की नीलामी से सम्बन्धित 'पुरी समिति की रिपोर्ट' ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इससे राष्ट्र को कितनी हानि हुई है। मैंने उस समय भी इन बातों का उल्लेख किया था परन्तु उस समय मैं विपक्ष में था। उस समय मैंने जो कुछ भी कहा था वह अब सही साबित हो गया है। अब यह आम तौर पर पता चल गया है कि उन्होंने हमारे स्रोतों को ही नष्ट कर दिया था। उन्होंने हमारी अर्थ-व्यवस्था को बहुत ही खराब कर दिया है। जनता कुशासन, (रोगी बच्चे) ने देश को 10 वर्ष पीछे धकेल दिया है। महोदय, अब उनका कोई साथी नहीं है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीयकरण को ही ले लीजिए। क्या आप अपने मित्रों सर्वश्री वाजपेयी और जेठमलानी को सन्तुष्ट कर सकते हैं? मेरे मित्र श्री जेठमलानी भ्रष्टाचार और न जाने किस-किस की बात कहते हैं। परन्तु वह सभी मामलों को स्वीकार करता है और कोई भी तस्कर उनके पास जा सकता है, कोई भी कालाबाजारिया उनके पास जा सकता है और कोई भी जमाखोर इनके पास जा सकता है और ये बहुत ही सफलतापूर्वक उनका बचाव करेंगे। परन्तु वे हमेशा कहते रहते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वह सही है और जो हम कह रहे हैं गलत है।

इतने वर्षों से बनाई गई देश की आर्थिक स्थिति की सराहना आप क्यों नहीं करते हैं? और ढाई वर्ष के अपने शासन में आपने देश को लूटा है, धोखा दिया है और आपने देश के संसाधनों को खाली कर दिया है। ऐसी गम्भीर स्थिति में हमने देश का कार्यभार संभाला था। माननीय वित्त मन्त्री ने ऐसा बजट पेश किया है जो समाज के असुरक्षित वर्गों जैसे किसानों, विभिन्न उद्योगों में लगे हुए मजदूरों की मदद करेगा। विपक्ष के मेरे मित्र केवल धारक बांड योजना की

ही बात कर रहे हैं, तथा उनका कहना है कि इससे कालाबाजारियों, टाटा और बिड़ला को ही फायदा होगा। आज टाटा और बिड़ला बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में वह पुनः स्थापित हो गए हैं। वहीं वह बहुत अच्छी प्रकार से हैं।

अब वह केन्द्र की लोकप्रिय सरकार की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक लोकप्रिय बजट पेश किया है। मैं विपक्ष के मित्रों से यह कहना चाहूंगा कि क्या वह इसके बदले में कोई अर्थपूर्ण और कारगर प्रस्ताव या सुझाव दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। परन्तु आपको यह महसूस होना चाहिए कि क्या सभी पार्टियां आपके इस प्रस्ताव से सहमत हो जाएंगी।

महोदय, देश में समानतावादी समाज की स्थापना के लिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा गांधीवादी दर्शन अपनाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। हमने किसानों को बहुत सी छूटें दी हैं। इस क्षेत्र के लिए हमने 2990 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं तथा लगभग 2.5 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जाएगी। वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों को ठीक मिल-जुल कर कार्य करना होगा। माननीय वित्त मन्त्री के पास कोई जादूई छड़ी नहीं है जिससे कि वह रात भर में ही गरीबी दूर कर दें। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और केरल में कितनी गरीबी दूर कर दी गई है ? हम श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के खिलाफ नहीं हैं। परन्तु हम सफेदपोश कर्मचारियों की अनावश्यक मांगों को पूरा नहीं कर सकते। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल और केरल में कोई कर नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोग यह क्यों कहते हैं कि हमारे वेतन बढ़ा दिए जाने चाहिएं। हम वेतन कैसे बढ़ा सकते हैं जबकि देश चारों ओर से मुसीबतों से घिरा है। यह सही है कि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बहुत बुरी चीज है, परन्तु आप इन्हें समाज से कैसे दूर करेंगे। एक पार्टी कहती है कि हमें विमुद्रीकरण कर देना चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है कि एकदलीय सरकार होनी चाहिए और अन्य पार्टी हिंसा को बढ़ावा देती है। ऐसी पार्टियां हमारे देश में हैं। बहुदलीय प्रणाली का भी हमें अनुभव है। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि देश में औद्योगिक अशांति किसने फैलाई है। हम अब तक 200 करोड़ रुपये के लगभग का उत्पादन खो चुके हैं। श्रमिक वर्ग में, सभी जगह अशान्ति है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि सभी दल बैठकर बातचीत करें तथा मामले पर शांतिपूर्वक विचार करें और हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, उनसे अपनी समस्याएं दूर करें। हम श्रमिकों और कामगारों के खिलाफ नहीं हैं। परन्तु मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकप्रिय होने के लिए वह श्रमिक वर्ग और सफेदपोश कर्मचारियों को यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार उनके खिलाफ है और वह उनके साथ हैं। परन्तु दलित वर्ग के लोगों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में उनका क्या विचार है ? हमारे वित्त मन्त्री ने बजट बनाते समय सबका ध्यान रखा है। उन्होंने 46 लाख लोगों को कर से छूट दी है और इनका उन्हें फायदा हुआ है। इसे यदि ध्यान में रखा जाए तो जो भी आलोचना विपक्ष ने की है वह व्यर्थ साबित होती है। बजट से मध्यम वर्ग, आम आदमी व अन्य लोगों को बहुत लाभ हुआ है तथा सभी बातों पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार कर लिया गया है।

मैं वित्त मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह यह देख लें कि विभिन्न क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन ऐसा हो कि अनुमानित अवधि के भीतर ही वह अपेक्षित परिणाम देने लगें। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय संस्थानों को पुनर्गठित करना पड़ेगा चाहे वह बैंक हो, औद्योगिक क्षेत्र में अथवा सहकारी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों को सही तरीके से गठित करना होगा और संसाधनों के उचित वितरण और अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक मुद्रा स्फीति का सम्बन्ध है, हमारे वित्त मन्त्री का मूल्यांकन काफी सही है। हमारा एक विकासशील देश है। मुद्रा स्फीति कोई एक रात में वित्त मन्त्री द्वारा इकट्ठी नहीं की गई है। मुद्रा स्फीति के सन्दर्भ में यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखें तो यह देखना होगा कि तेल के आयात के लिए हमें बहुत अधिक कीमत देनी पड़ती है। मुद्रा स्फीति विभिन्न चीजों से हुई है। पिछली जनता सरकार को भी काफी कठिनाई उठानी पड़ी क्योंकि ढाई वर्ष में उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया था और देश की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। यदि वे कुछ समय और रहते तो और भी ज्यादा गड़बड़ी फैलाते। वे स्थिति का सामना नहीं कर पाये और उनकी सरकार खत्म हो गई।

हम सभी अपने देश का निर्माण करने के इच्छुक हैं। चाहे हम पांच प्रतिशत विकास की दर पर ध्यान दें अथवा छः प्रतिशत तथा यह सब विभिन्न वर्गों की जनता और सरकार के कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है। चाहे केरल व अन्य किसी भी राज्य में विभिन्न दल की सरकार हो परन्तु देश पर प्रभाव डालने वाले मामलों में हमें केन्द्र के मार्गनिदेशों का पालन करना चाहिए।

हम यह देखकर बहुत प्रसन्न हैं कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक कार्यक्रमों पर विचार किया है। देश में आयात और निर्यात को बढ़ावा देने और सरल बनाने के लिए सरकार ने एक निर्यात और आयात बैंक बनाने का निश्चय किया है। इस संदर्भ में काफी विचार विमर्श किया गया और अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। यह बैंक एक स्वतंत्र निकाय होगा और हमारे निर्यात और आयात को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो यह सम्बद्ध भारतीय नागरिकों को पूंजी निवेश करने में भी मदद करेगा। मैं वित्त मन्त्री से यह आग्रह करूंगा कि वह इस मामले को गंभीरतापूर्वक लें और यह देखें कि निर्यात और आयात बैंक की स्थापना की जाए और उचित प्रकार से उसे संगठित किया जाए। हमारे देश में बहुत सी संभावनाएं हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि पर आधारित उद्योगों का काफी विकास किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए हमें ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़ानी होगी। पहली बार ग्रामीण बैंक ग्रामीण लोगों और जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी सहायता कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल में क्या किया गया है। औद्योगिक विकास और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को विभिन्न चीजों पर गौर करना होगा।

अब मैं देश में व्याप्त औद्योगिक असन्तुलन के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। इस सरकार के कारण औद्योगिक असन्तुलन केवल एक ही रात में नहीं हो गया है। काफी समय से औद्योगिक

क्षेत्र कृषि क्षेत्र, व अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक असन्तुलन पैदा हो गया है। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह क्षेत्रीय असंतुलन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। इस उद्देश्य के लिए कोई उपयुक्त मानदन्ड होना चाहिए। इससे पहले गाडगिल पद्धति थी। यदि आप चाहें तो एक नया मानदन्ड भी बनाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार के ससाधनों का कुछ विशेष सिद्धान्तों के अनुसार एकसा वितरण होना चाहिए। जो सिद्धान्त लागू किये जाने चाहिएं उनका सुझाव, महोदय, मैं पहले ही दे चुका हूं। मैं चाहता हूं कि 60 प्रतिशत जन-संख्या, 10 प्रतिशत संसाधनों को कार्यप्रवृत्त करना, 20 प्रतिशत कच्चे माल की उपलब्धता और 10 प्रतिशत मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहियें। यदि यह सब चीजें विचाराधीन हों तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे, श्री वेंकटरामन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मानदण्ड कब तैयार किया गया। बहुत से राज्यों को कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे उद्योग वहां नहीं लगाए गए हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध है। इसलिए देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक और औद्योगिक विकास के असमान और असंगत निवेश को दूर करना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि सारे देश के और सारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक समान बराबरी, समझदारी और समानता होनी चाहिए। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस्पात देश के पूर्वी भाग में ही इस्पात के सारे महत्वपूर्ण उद्योग हैं। जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है सब जगह स्पात का असंतुलन है। महोदय, दक्षिण के राज्यों में हमारे पास काफी क्षेत्रीय सम्पदा, संसाधन, जनशक्ति है। जब यहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं तो राज्य सरकार ने विजयनगर इस्पात संयंत्र को जो यहां लगाने का विचार किया था वह क्यों नहीं लगाया। विजयनगर इस्पात संयंत्र राज्य की परियोजना नहीं है यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। मैं छोटे-छोटे मामूली मामलों के लिए अपने राज्य के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं परन्तु ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक विकास का असंतुलन हटाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा निवेश किया जाए तथा जहां कच्चा माल उपलब्ध है चाहे वह मद्रास हो या कोई और जगह सरकार को जनता की मदद तो करनी होगी। इसलिए महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारे पास सभी बुनियादी सुविधाएं हैं और हमारे पास अति उत्तम लौह-अयस्क भी है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री बीजू पटनायक उस दिन क्या पूछ रहे थे। मैं उस समय के इस्पात मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण इस्पात सयत्र को छलपूर्ण तरीके से नहीं लगने दिया जब केन्द्र से उसे प्रथम वरीयता मिली हुई थी परन्तु उन्होंने उसे छठी श्रेणी की वरीयता में रखा। हमारी माननीय प्रधान मन्त्री ने उसकी कई साल पहले आधार शिला रखी थी और उन्होंने उसे खत्म ही कर दिया। हम क्षेत्रीय हठधर्मिता को प्रेरणा नहीं देते। इस सदन में उन्होंने कहा था कि "आपके राज्य में विजयनगर इस्पात सयत्र कैसे लग सकता है? यहां क्या इस प्रकार का उत्तर दिया जाता है। तथा सारी अर्थव्यवस्था उनकी वजह से बिगड़ गई। वह भी समाप्त हो गए, परन्तु इस देश की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं हुई। हमारे पास अथाह संसाधन, नदियां और जनशक्ति है अब यह लोग कैसे इसकी आलोचना कर सकते हैं। जब उन्होंने इस देश का कार्यभार सम्भाला हुआ था तब मुझे मालूम है कि वह सदन में क्या कह रहे थे, उन्होंने कभी सदन में इस प्रकार की चर्चा नहीं की जिस प्रकार अब वह सरकार की आलोचना कर रहें हैं वह मुझे कतई पसंद नहीं है।

महोदय, वे कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं। मैं मानता हूं कि कीमतें बढ़ रही हैं। यह एक विकासशील देश है। कीमतें तो चीन में भी बढ़ रही हैं। हम चीन की नीति नहीं अपना सकते, हम अमरीका की पूंजीवाद नीति भी नहीं अपना सकते। हम कोई और नीति भी नहीं अपना सकते। वे छः दल हैं जो हमें सुझाव दे रहे हैं। किन्तु हमारी अपनी नीति है, हमारा अपना तर्क है। इसलिए, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा—उन्होंने कुछ भी नहीं सुझाया है। मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दे रहा हूं कि एफ. ई. आर. ए. कम्पनियों को उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण न करने दिया जाए क्योंकि उन्होंने एक समुचित वितरण प्रणाली बनाई हुई है जिसे हम लोगों तक ले जा रहे हैं यानी वे हमारे बजट में शामिल हैं और यह हमारी नीति है। किन्तु इन बातों को ध्यान में रखकर क्या माननीय वित्त मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एफ. ई. आर. ए. कम्पनियां इस देश में कब सफलतापूर्वक चलीं और वे उपभोक्ता वस्तुएं क्यों बना रही हैं। हम तकनीकी जानकारी रखते हैं। हमारे पास कुटीर उद्योग हैं। हमारे वित्त मन्त्री ने काफी मुद्रा की व्यवस्था की है।

आपने सुझाव दिया है कि 250 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी चाहिए। हमारी प्रधान मन्त्री परिवार नियोजन के बारे में विशेष ध्यान दे रही हैं। यह सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अगर सिंचाई 250 लाख हैक्टेयर तक बढ़ानी है तो अखिल भारतीय इन्जीनियरी सेवा बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा भी बनायी जानी चाहिए। वर्ना हम जनता की समस्याओं को किस प्रकार हल कर सकेंगे।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : महोदय, ये बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। इसलिए इन्हें हमारे समय में से भी बोलने की अनुमति दे दी जाए।

सभापति महोदय : आपने जो कुछ कहना था कह चुके हैं। इसलिए आप उदार हो रहे हैं।

श्री के० लक्कप्पा : अखिल भारतीय इन्जीनियरी सेवा का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। मैं चाहता हूं कि इसे अविलम्ब क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त, पत्तन इंजीनियरी सेवा का भी गठन किये जाने की जरूरत है ताकि यह देखा जा सके कि हमारे सभी कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं। क्या माननीय वित्त मन्त्री इस पर विचार करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य तनाव और हिंसा की बात कर रहे थे। श्री गुप्ता ने इस बारे में बोला था। सम्भवतः, उन्होंने कुछ कागजात सभी सदस्यों को बांटा भी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक उत्तम वातावरण बनाया जाना चाहिए। किन्तु बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते। हमारा देश एक शान्ति प्रिय देश है। हम चाहते हैं कि एक समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए।

यह बजट केवल लोकप्रिय ही नहीं है। यह अन्य सभी बजटों से अधिक लोक प्रिय हुआ है। यह हमारी जनता और हमारे देश को समृद्धि की ओर ले जायेगा। लोगों के सभी वर्गों और सभी राजनैतिक दलों को इस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए कड़ी महनत करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि विरोधी सदस्य बुद्धिमानी से कार्य करेंगे और हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी मिल कर कार्य करगे।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मेरे लिए यह बड़े हर्ष और सम्मान की बात है कि मैं इस बजट के पक्ष में बोलूंगा। जब हम इस बजट में किये गये प्रावधानों पर विचार करते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान उन भाषणों की ओर जाता है जो इस सभा ने बड़ी धीरता से सुने।

यह बहस, कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलिटब्यूरो के एक सदस्य श्री ई० बालानन्दन ने शुरू की थी और बाद में विरोधी सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिन्होंने इस बजट का विरोध किया। जब हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं तो हमारे ध्यान में दो बातें आती हैं (1) विश्व की आर्थिक स्थिति कैसी है ? (2) 1977 से 1980 के बीच और उसके बाद आर्थिक स्थिति क्या थी ? मैं यह सुनकर हैरान हूं कि विरोधी सदस्यों ने सी० पी० एम० यू० की 26वीं कांग्रेस में यू० एस० एस० आर० की मंत्री परिषद के चेयरमैन द्वारा घोषित की गई पंचवर्षीय योजना और आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ नहीं कहा। आप यह पूछेंगे कि मैं यू० एस० एस० आर० के इस महत्वपूर्ण आर्थिक प्रल्लेख का हवाला क्यों दे रहा हूं। उस ओर के सदस्यों ने यह प्रहार किया है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, हमारी आर्थिक उन्नति में वृद्धि नहीं हुई है। यही कुछ यू० एस० एस० आर० की मंत्री परिषद के चेयरमैन ने भी कहा है। यह 28 फरवरी, 1981 के सभी समाचार पत्रों में छपा है। उन्होंने कहा, "पांच वर्षों में से 3 वर्षों में प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी, औसत कृषि उत्पादन में 9% की बढ़ोत्तरी हुई है।" उन्होंने आगे कहा कि, "अनाज उत्पादन में वृद्धि (वार्षिक औसत 238-243 मिलियन टन तक), चारे के उत्पादन में मूलतः वृद्धि और विस्तार अति महत्वपूर्ण कार्य हैं।" मैं उसी प्रल्लेख में से एक और पैरे का उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा "दल ने कठिनाइयों और समस्याओं का सामना किया। सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि लाने के कार्य में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं के विकास की गति तीव्र करने और निवेश के अपव्यय को समाप्त करने में योजनानुसार हम पीछे रह गए। स्रोतों का प्रयोग हमेशा कुशलता से नहीं होता।" अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में साम्यवादी देशों का यह कथन है। जबकि हमारे देश में बहुत कुछ हुआ है ?

अगर आप 1980 के बाद से देखना शुरू करें तो आप यह पायेंगे कि हमारी आर्थिक प्रगति काफी अच्छी रही है। जब हम यह कहते हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति अच्छी है तो, सहज ही, हमें 1978 से 1980 की स्थिति का हवाला देना होगा। 6.5% की उत्पादन दर 1979-80 की 4.5% की उत्पादन दर से कम नहीं है। अतः लोह, इस्पात, विद्युत आदि जैसे प्रत्येक क्षेत्र में हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है। विरोधी सदस्यों के भाषणों को सुनकर मुझे एक प्रमुख अर्थशास्त्री और राजनयिक के वे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने उस वर्ग के लोगों के बारे में कहे थे। उन्होंने कहा था, "कम से कम शिक्षित हो जाने पर मानव निराशावादी हो जाता है। वह सोचता है कि अपनी उपलब्धियों के बारे में न बताने में ही सुरक्षा है। खतरे, अपूर्ण कार्य, असफलतायें ही उसके दिमाग में रह जाती हैं।" यह वह समय है जब हमें यह कहना चाहिए कि हमें अपनी राजनीतिक प्रणाली से होने वाली उपलब्धियों पर गर्व है। हमारी एक राष्ट्रीय प्रणाली होनी चाहिए। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम भारतीय अपने कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम विरोधी पक्ष और इस देश के लोगों से यह अपील करते हैं कि वे आगे आयें और हमारी नीतियों का समर्थन करें। यह बजट लाभ का अथवा घाटे का अथवा तुलन-पत्र जैसी कोई दस्तावेज

नहीं हैं, इसमें राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए सत्तारूढ़ दल के ज्ञान, नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। बजट को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इस बजट में क्या है ? अगर आप इसके 139 पृष्ठों और 32 पैरों की जांच करें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के आदर्शवाद, यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा झलक को दोहराया गया है। हम इसे इसी दृष्टि से देखते हैं। हमारे दल के चुनाव घोषणा पत्र में घोषित किए गए कार्यक्रम इस प्रल्लेख में शामिल किए गए हैं। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों और नीतियों की जांच करें और यह देखें कि इसने राष्ट्र की उन्नति में कितना सहयोग दिया है। यही कारण है कि, समाजवादियों, प्रमुख अर्थशास्त्रियों, फिलोसफरों और राजनीतिज्ञों ने इस बजट का एक मत से समर्थन किया है। यही कारण है कि लोग इस नीति को एकमत से स्वीकार करते हुए बताते हैं कि भारतीय राष्ट्र के लिए यही उत्तम नीति है।

जब मैं विकास दर और उपलब्धियों के बारे में सोचता हूं तो यह वास्तव में मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना चाहिए था। यह कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। यह काफी बड़ी उपलब्धि है। अगर आप वर्ष प्रति-वर्ष बजट का मूल्यांकन करें तो आप मेरे कहने का अर्थ समझ जायेंगे। 1977-80 की अनर्थकारी अनिश्चितता और विध्वंसक आर्थिक नीतियों को उलट दिया गया है। इसे 6.5% तक की विकास दर में लाना कम कठिन कार्य नहीं है। मुझे सन्देह है कि पूर्व के किसी अन्य लोकतांत्रिक देश ने आर्थिक विकास की इस गति को प्राप्त किया है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार हैं।

इस बजट में 1980-81 के बजट की तुलना में दो प्रमुख मुद्दे हैं। 1980-81 का बजट प्रोत्साहन की आर्थिक नीतियों और 1980 की औद्योगिक नीति पर केन्द्रित था जबकि इस बजट के दो प्रमुख पहलू हैं—ग्रामोन्मुख और निवेश नीति। आप यह पूछ सकते हैं कि निवेश नीति अब क्यों शामिल की गई है। अगर आप पिछले इतिहास को देखें तो 1980-81 में प्रोत्साहन की इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और इस हद तक इसका प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। किन्तु 1981-82 की निवेश नीति से काले धन और मुद्रा स्फीति को दबाव, प्रोत्साहन और निवेश द्वारा रोकना है। यही कारण है कि मैं इसे निवेशोन्मुख बजट कहता हूं।

अगर आप इस बजट के ग्रामीण हिस्से के आर्थिक पहलू का मुआयना करें तो आप देखेंगे कि 8 से भी अधिक राष्ट्रीय सस्थाओं को अधिक आर्थिक शक्तियां और वित्तीय संसाधन देकर मजबूत बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। पीने का पानी मुहैया करना और देहाती विद्युतीकरण की नीति से देहाती क्षेत्रों में निश्चय ही सुधार होगा इसका उल्लेख इस बजट में स्पष्ट तौर पर किया गया है।

उन्होंने 25.5 लाख निर्धारितीयों को पूर्ण छूट और दरें कम क्यों कीं ? मैं इस छूट के विरुद्ध नहीं हूं। निस्सन्देह, मध्यम वर्ग का सुदृढ़ होना आवश्यक है। किन्तु मैं यह कह रहा हूं कि इस छूट से राजकोष को 261.5 करोड़ रुपये का घाटा होगा। उन्हें इस राशि को अनिवार्य

जमा खाते अथवा राष्ट्रीय बचत योजना में रखने के लिए कहा जाना चाहिए था ताकि सरकार उस पैसे का प्रयोग बेरोजगारों तथा देहाती क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए जिन्हें दिन में एक समय भोजन भी नहीं मिलता, दिन में एक बार भोजन कार्यक्रम के लिए कर सकती। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए था। वित्त मंत्री का बजट भाषण भी साहित्यक है। अगर आप बजट भाषण का अध्ययन करें तो आप यह स्वीकार करेंगे कि इसे साहित्य का एक अंश कहा जाना चाहिए। मैंने काफी बजट भाषणों का अध्ययन किया है और मैंने कभी भी इतनी स्पष्टता और सफलता नहीं देखी।

सभापति महोदय : वाक्पटुता।

श्री जेवियर अराकल : जी हां, वाक्पटुता भी। इसलिए वे इस विषय पर भी पुरस्कार के हकदार हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप उन्हें कितने पुरस्कार देंगे।

श्री जेवियर अराकल : वे दो के हकदार हैं। उन्होंने अपना बजट भाषण इन शब्दों के साथ समाप्त किया :–

"हमारी इस प्राचीन भूमि के लोगों के कठोर परिश्रम, अनुशासन और अन्तरमन की अच्छी भावना से कोई भी कार्य नहीं रुक सकता।"

क्या यह समय ऐसा सोचने का नहीं है?

मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ें। अगर हम एक नहीं होंगे तो हम पीछे रह जायेंगे। हमें वह अवसर नहीं आने देना चाहिए। आओ हम सब मिलकर समृद्ध भारत की ओर अग्रसर हों। इन शब्दों के साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री छांगुर लाल (लालगंज) : माननीय सभापति जी, इस माननीय सदन में प्रत्येक वर्ष बजट रखा जाता है और उसके ऊपर हम विपक्ष के लोग और सत्तारूढ़ दल के लोग अपने-अपने विचार प्रकट करते हैं। सभापति जी, मैं यह कहना चाहता था कि जब भी सरकार किसी वर्ष का बजट रखती है तो यह दिखाती है कि पिछले साल के मुकाबले में, तुलना में यह हमारा बजट अच्छा है, यह आम जनता का बजट है, यह आम जनता को राहत देने वाला बजट है। यही हमेशा से होता चला आया है कि बजट में पिछले साल से तुलना की जाती है। लेकिन होता क्या है? आज तक होता यह रहा है कि दिन-प्रतिदिन इतने वर्षों में बेरोजगारी और मंहगाई बढ़ती गई है। अच्छा बजट होते हुए भी, आम लोगों को राहत देने वाला बजट होते हुए भी, हमारी शिक्षा का स्तर गिरता गया, मुद्रास्फीति होती गयी और देश में असंतुलन बढ़ता गया, गरीबों का जीवन स्तर गिरता गया। यह सब अच्छा बजट होते हुए होता गया।

मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं जो कि अच्छा बजट रखते हैं और कहते हैं कि यह अच्छा बजट है? लेकिन वे कहते हैं कि यह अच्छा बजट है परन्तु मानते नहीं है कि बजट से यह सब होता रहा है। अगर वे यह मान लें तो आपकी असफलता जाहिर होगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया था उसमें अपने पिछले साल का भी चर्चा किया है और यह कहा है कि पिछले साल जो हमने बजट रखा था वह इस आशय से रखा था कि उसके पिछले साल में देश की खराब हालत थी और उसके लिए उस समय की सरकार जिम्मेदार थी इसलिए हमें पिछले साल जो देश की हालत मिली थी उसको हम और न गिरने दें। आम तौर से उन्होंने यह कहा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने यह कहा था, क्या उसके लिए उन्होंने कोशिश की कि देश की हालत को और न गिरने दें ? क्या वे ऐसा बजट बना पाये हैं कि देश की हालत उस सीमा से नीचे न जाये, मंहगाई और न बढ़े ? हम यह मान कर चलते हैं कि पिछली सरकार खराब थी लेकिन पिछले सालों में जो चीनी के दाम थे क्या आपने उन्हें नीचे आने की बात तो छोड़िये, क्या आप उन्हें ज्यों के त्यों रख पाये हैं ? आप चीनी के दाम नहीं रोक पाये हैं। पहले चीनी जहां तीन रुपये किलो में मिल जाती थी वहां आज चीनी के रेट सात-आठ रुपये, कहीं 14-15 रुपये किलो और कहीं कहीं तो 17-18 रुपये किलो तक में मिलती है। यह आपका अच्छा बजट रहा है। हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। सीमेंट 70-80 रुपए बोरी बिक रहा है, लोहे का भाव भी बढ़ गया है, कपड़े का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल-डीज़ल का भाव भी बढ़ गया है और आप सीना तान कर कहते हैं कि यह बड़ा अच्छा बजट रहा है। पहलें भी आपने कहा था कि हम हालात बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन आपके आश्वासन कोरे के कोरे रह गए। हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है और लगातार बिगड़ती जा रही है। आपका बजट लफ्फाजी से भरा हुआ है, इसमें सिवा लच्छेदार बातों के और कुछ नहीं है। आप यही कह कर संतोष देना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं और आने वाले दिन हमारे अच्छे होंगे।

सभापति महोदय, आपने आयकर में छूट दी है। बहुत लोगों को छूट दी गई है। ये कौन से लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 30 हजार रुपए है। ऐसे लोग हैं, जिनके पास जुबान है, ये ऐसे लोग हैं जो संगठित हैं और अपनी मांग को आपके यहां तक पहुंचा सकते हैं।

(श्री के० राजामल्ल पीठासीन हुए)

उनको तो छूट देनी ही पड़ेगी। अगर उनको छूट नहीं देंगे और उनकी सुख-सुविधाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपका चलना दूभर हो जाएगा, आपका सरकार चलाना दूभर हो जाएगा। इसलिए उनको तो छूट देनी ही है और हम भी कहते हैं कि आप उनको छूट दीजिए, लेकिन सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बजट में आपने उन करोड़ों लोगों को क्या दिया है, जिनके पास जुबान नहीं है, जो जुबान होते हुए भी बोल नहीं सकते, जिनके पास केवल शारीरिक श्रम है। वे अपने शारीरिक श्रम को बेचते हैं और जिन्दा रहते हैं, उनके लिए आपने क्या दिया है। आपने अपने बजट में उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की है जिनके पास रुपया नहीं है और न कोई कमाई के स्रोत हैं, न साधन हैं, उनके लिए आपने कोई व्यवस्था की है ? नहीं की है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसे लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जो देश के कर्णधार हैं, जिन्होंने देश का उत्पादन बढ़ाया है, जिन्होंने अपना श्रम बेचकर आपकी रक्षा की है, उनकी आप उपेक्षा कर

रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक स्कीम पिछले सालों में चल रही थी—"फूड फार वर्क" उसे भी आपने बंद कर दिया है। यह ऐसी स्कीम थी जिससे गांवों के गरीब लोग अपना श्रम बेचकर, मेहनत करके कुछ कमा सकते थे। ये लोग माइनर इरीगेशन स्कीमों में काम कर सकते थे, सड़कों पर मिट्टी फेंक कर जिन्दा रह सकते थे। ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ऐसे ही लोग हर तरह से पिछड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शिक्षा के रूप से पिछड़े हैं। शिक्षा के आंकड़ों को आप देखिए कि पूरे देश में 29.45 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इनमें हरिजन 14.67 प्रतिशत और शेड्यूल ट्राइब्स 11.30 प्रतिशत हैं। इससे हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर भी हमारा गिरा है। इसी प्रकार मुद्रा-स्फीति के बारे में आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसका प्रभाव भी ऐसे ही लोगों पर पड़ा है जिनकी आमदनी बहुत कम है और किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि ये जो काम आप करते आ रहे हैं, देश के गरीब वर्ग की उपेक्षा करते आ रहे हैं यह आपका वर्गीय चरित्र है, आपकी सरकार का वर्गीय चरित्र है, है, जिस प्रकार से आप उन करोडों लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जो हमेशा से आपकी सेवा करते आए हैं। जो लोग समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं उनकी इस सरकार ने घोर उपेक्षा की है। ऐसा आपके वर्गीय चरित्र के कारण हुआ है। इन लोगों का तब तक सुधार नहीं होगा जब तक हमारे और आपके बीच में तीन चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं, वे तीन हैं—नेता, नीति और नीयत। अगर ये तीन चीजें सही नहीं हुई, देश के नेता सही नहीं हुए, नीति सही नही हुई और नीयत सही नहीं हुई तो करोड़ों करोड़ लोगों को आप 30-32 साल में दूसरों के बराबर नहीं ला सके हैं और आगे भी उनको आप नहीं ला सकेंगे। अगर नेता की नीयत ठीक नहीं है, उसका मन साफ नहीं है, उसके दिल में कुछ काला है तो लफ्फाजी बातें चाहे जो भी होती रहें, कुछ नहीं होगा। अच्छे-अच्छे कानून बनते रहेंगे लेकिन उन कानूनों का जो मंशा है वह पूरा नहीं होगा। यह चीज आज तक हमारे देश में होती चली आ रही है। आप देश की तरक्की की बात करते हैं। लेकिन सही मानों में देश की तरक्की तभी होगी, देश शक्तिशाली तभी बनेगा जब इस देश के करोड़ों करोड़ लोग जो समाज के अंग हैं और जो बहुत पीछे हैं, बहुत नीचे हैं, गरीबी की रेखा के बहुत नीचे हैं, मानवता की रेखा के बहुत नीचे हैं दूसरों के बराबर आ जाएंगे। जब तक आप उनको अन्य लोगों के समान नहीं बना देंगे, अन्य लोगों के समान उनको बिठा नहीं देंगे तब तक सही मानों में देश शक्तिशाली नहीं बन सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री बी० आर० नहाटा (मंदसौर) : कल विपक्षी दल के माननीय सदस्य सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर नियमों का पालन न करने और अनुशासन भंग करने का आरोप लगा रहे थे। श्रीमन, उस समय आप पीठासीन थे। भारतीय साम्यवादी दल के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। उनके 15 मिनट तक बोलने के पश्चात आपने घन्टी बजाई थी। इस पर भी वह 15 मिनट तक और बोलते रहे। यदि भारतीय साम्यवादी दल के नेता इस सदन में नियमों के प्रति कोई आदर नहीं दिखाते, तो वे बाहर किस प्रकार से व्यवहार करते होंगे यह बात भली भांति समझी जा

सकती है। हम कानून का सम्मान करते हैं। हम आपके आदेश के अनुसार चलना चाहते है परन्तु वे इसका अनुचित लाभ उठाते हैं और साथ-साथ यह कहते हैं कि वे प्रत्येक कार्य देश की प्रगति के लिए करते हैं। सदस्यों द्वारा सदन में अनुचित लाभ उठाने की उनकी यह प्रवृति इतनी बढ़ गई है कि उनके इस व्यवहार का बाहर भी असर पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : श्री लकप्पा के बारे में आपका क्या विचार है ? (व्यवधान)

श्री बी० आर० नहाटा : बजट अलाउद्दीन के चिराग की तरह कार्य नहीं कर सकता। एक दल का चुनाव चिन्ह दीपक था। उन्होंने सोचा कि उनके पास अलाउद्दीन का चिराग है और वे हर काम इससे कर सकते हैं। परन्तु वे कुछ नहीं कर सके और बुरी तरह असफल रहे।

यह कहना अतियुक्ति न होगी कि गत दो वर्षों में हमने बहुत कुछ उपलब्ध किया है। जो व्यवस्था पहले बिगड़ गई थी उसे हमने ठीक किया है। उसके समर्थन में आंकड़े देकर मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सभी पहलुओं से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। सभी क्षेत्रों में हमारा उत्पादन बढ़ा है।

रेलवे देश का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है। जनता सरकार से पहले कांग्रेस सरकार के समय में माल डिब्बे के वापस लौटने की अवधि 12·95 दिन थी। जनता सरकार के जमाने में यह बढ़कर 16.1 दिन हो गई। वैगन के वापस होने में एक दिन के विलंब का अर्थ 26 हजार माल डिब्बों की लदाई उतराई की हानि होती है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि देश को कितना बड़ा घाटा हुआ है। उस समय कार्यकुशलता का अभाव था। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यह अवधि अब कम होकर 13.1 दिन रह गई है। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो इसमें और कमी हुई है और यह 12.96 दिन तक आ गई है। यह अवधि आपातकालीन समय के दौरान की अवधि से भी कम है क्या यह कोई छोटी बात है ? मैं आदर सहित कहता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मेरे विचार से कोयला, रेलवे, विद्युत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनसे देश का निर्माण होता है। उनके अभाव में कोई भी देश बर्बाद हो सकता है। मैंने रेलवे के बारे में कहा है। जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है 3 वर्ष पूर्व विद्युत उत्पादन में 16.1 प्रतिशत की कमी थी। और आज यह कमी घटकर 11 प्रतिशत रह गई है और स्थिति में आगे और सुधार होगा। विद्युत उत्पादन उस स्तर पर आ जायेगा कि देश को औद्योगिक विकास के लिये पूरी क्षमता में विद्युत प्राप्त हो सकेगी। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है कोयले का उत्पादन 106.5 मिलियन टन से बढ़कर 115 मिलियन टन हो गया है। क्या यह कोई छोटी उपलब्धि है ? जी नहीं, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

हमारी उपलब्धि और भी अधिक हो सकती थी यदि विपक्षी दल के सदस्य देश में अशान्ति पैदा करने का प्रयास न करते, यदि यह देश के सामने समस्याएं खड़ी करने में विश्वास न रखते। यदि उन्होंने देश के विकास में हमारे साथ सहयोग दिया होता तो सम्भवतया स्थिति कुछ और ही होती। हमारे कार्यनिष्पादन की यही पृष्ठ-भूमि है। यह और भी अच्छी

हो सकती थी। विपक्षी दल के मेरे मान्य मित्र कह रहे थे कि हम अपने कार्यनिष्पादन की वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के कार्य-निष्पादन से तुलना कर रहे थे। आप हमारे साथ किस चीज से तुलना करना चाहते हैं। यदि हम 1979-80 के आपके कार्यनिष्पादन की तुलना, अपने केवल पिछले एक वर्ष से करें तो हम पाते हैं कि अब हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे स्तर पर आ गई है कि हम निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे।

उन्होंने कहा था कि हमने कुछ वर्गों को कुछ राहत दी है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू उत्पादन से सम्बन्धित है, हमें सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना है। हमने कृषि में उत्पादन बढ़ाया है, उद्योग में उत्पादन बढ़ाया है, विद्युत उ पादत में वृद्धि की है तथा रेलवे के कार्य-निष्पादन में भी सुधार किया है। यदि यह सब कुछ होता है तो देश की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार आयेगा। हम और भी बहुत सी चीजें करना चाहते हैं। विपक्षी दल के सदस्य चाहते हैं कि इस देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार हो कि दलित वर्ग के लोग ऊपर उठें। परन्तु यह संसाधनों की समस्या में सुधार किये बिना सम्भव नहीं है। ससाधन किस प्रकार जुटाए जा सकते हैं? विपक्षी दल के सदस्य मूल्य वृद्धि की बात करते हैं। यह ठीक है कि मुद्रा स्फीति है परन्तु क्या इसमें कमी नहीं हुई है? मुद्रा प्रसार को रोकना है। अर्थशास्त्र में "मांग और पूर्ति" नामक एक सिद्धान्त है। ग्राहम का मुद्रा नियम और मुद्रा की मात्रा एक अन्य सिद्धान्त है। ये तीन महत्वपूर्ण हैं जिनके आधार पर समस्त अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो मुद्रा प्रसार से समस्त अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इसी पृष्ठभूमि में बजट में उत्पादन में वृद्धि करके मुद्रा स्फीति को कम करने की आधार शिला रखी गई है।

हम देश में कानून और व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों में उत्तारदायित्व और कर्त्तव्य की भावना पैदा हो। विपक्षी दल के सदस्यों ने कहा है कि बजट में मध्य वर्ग के लोगों को राहत दी गई है क्योंकि इस वर्ग के लोग समाज में आवाज उठाते हैं। क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारी आवाज नहीं उठाते हैं। क्या वे उस वर्ग के नहीं हैं जिसका विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं। हमारा विचार यह नहीं है कि हम किसी वर्ग के लोगों को बाधा पहुंचायें अथवा कोई हानि पहुंचायें। हम अनुशासन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में कार्य-कुशलता आए और धन का उचित वितरण हो। हम यह नहीं चाहते कि सुबह प्रत्येक दिन बाबू लोग दफ्तर से बाहर आकर घण्टों तक जिन्दाबाद-मुर्दाबाद के नारे लगाते रहें। किस लिए? काम न करने के लिए। हम चाहते हैं काम हो और अधिक काम हो। देश में केवल कार्य से ही समृद्धि आ सकती है।

जहां तक करों का सम्बन्ध है विपक्षी दल के सदस्यों ने कहा है कि हमने आयकर दाताओं को —मध्य वर्ग के लोगों को, राहत दी है। हमने मध्य वर्ग के लोगों को इसलिए राहत दी है कि उनके मस्तिष्क की परेशानी दूर हो, ताकि वे उचित रूप से कार्य-कुशलता पूर्वक कार्य कर सकें क्योंकि वे एक ऐसे वर्ग के लोग हैं जो देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं।

निहित स्वार्थ रखने वाले विपक्षी दल के लोग देश का विनाश करना चाहते हैं और

विघटनकारी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। उड़ीसा, आसाम और गुजरात में वह ऐसा ही कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यों को पूर्णत: बन्द करना होगा और इसके लिए हमें कठिन कार्य करना है।

दूसरा पहलू है आयकर और धनकर अवंचन, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जनता सरकार ने जब सोना बेचा था, तब सोने का मूल्य 600 रुपये प्रति तोला था। आज सोने का मूल्य 2,000 रुपये प्रति तोला है। जनता सरकार के समय में ही सोने का मूल्य 1,400 रुपये प्रति तोला तक पहुंच गया था। जिन्होंने सोना 600 रुपये प्रति तोला में खरीदा और उसे 1400 रुपये प्रति तोला के हिसाब से बेचा अथवा अपने पास ही रखे रखा, वे बताएं कि क्या उन्होंने धनकर अथवा कोई अन्य कर के रूप में कोई कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने लाखों करोड़ों रुपये कमाए। उनकी इस राशि से देश के संसाधनों में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसलिए ऐसे कर-अवंचन को रोकने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा ऐसे ही अन्य बड़े शहरों में कर एकत्र करने के बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। वहां बहुत सुसज्जित फ्लैट होते हैं। कर, बाजार मूल्य के हिसाब से लगाया जाता है। अत: मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सही मूल्यांकन करें, उचित कर वसूल करें और इस बात का ध्यान रखें कि कोई कर अपवंचन न होने पाए।

मानव शरीर रचना में हृदय का बहुत बड़ा स्थान है। यदि हृदय ठीक प्रकार कार्य नहीं करता है तो समस्त शरीर ही कार्य नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश, देश के हृदय के समान है, यहां लौह अयस्क और चूना पत्थर, तांबा आदि जैसे खनिजों के बड़े-बड़े निक्षेप हैं। यद्यपि राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने यह नीति स्वीकार की है कि सभी थर्मल, सुपर थर्मल परियोजनाएं खानों के मुहानों पर ही स्थापित की जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इससे परिवहन की समस्याएं पैदा होगीं और भारतीय रेलवे पर भार बढेगा तथा विद्युत उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी। जब तक विद्युत उत्पादन में वृद्धि नहीं की जाती, देश प्रगति नहीं कर सकता गत वर्ष से पहले वर्ष हमें बिजली की कमी के कारण 10,000 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि हुई। अब हम यह चाहते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के लिए रखा गया 20,000 अतिरिक्त मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। यह तभी हो सकता है जब खानों के मुहानों पर विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो और विकास की सभी योजनाओं को बिजली उपलब्ध हो सके। भारत में हैवी इलैक्ट्रिकल की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उनके पास टरबाइन तथा जनरेशन यूनिट बनाने के लिए चार-पांच वर्ष से पहले अतिरिक्त क्षमता नहीं होगी। अत: वे ऐसा नहीं कर सकते। सरकार के विरुद्ध यह कहा गया है कि सरकार जनरेशन सैट्स का आयात करना चाहती है। विपक्षी दल के सदस्य क्या यह चाहते हैं कि जब तक हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड की क्षमता में वृद्धि न हो, तब तक विद्युत उत्पादन भी नहीं बढ़ना चाहिए और तब तक हम बेकार ही पड़े रहें क्योंकि हमारे पास शीघ्र ही विद्युत उत्पादन उपकरण बनाने की क्षमता नहीं है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि वे देश में तेजी से विद्युत उत्पादन बढ़ना नहीं देखना चाहते। अशर्फीयां लुटें और कोयले पर मोहर वाली नीति नहीं अपनाई जा सकती।

विद्युत उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि ही पर्याप्त है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और यदि उत्पादन बढ़ता है तो उचित वितरण सम्भव हो सकता है। कार्य करने का यह सुन्दर ढंग है। हमें नियंत्रण रखना चाहिए। जनता शासन के तीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई थी। हमें कुछ कदम उठाने होंगें। हमें थोड़ा कठोर होना पड़ेगा और कुछ नियंत्रण लागू करने होंगे।

इस बजट से हमारा उद्धार होगा और देश का भविष्य उज्ज्वल होगा और देश बजट की नीति के अनुसार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा।

श्रीमती गांधी की प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। सभी देशवासी उन्हें चाहते हैं और उनके नेतृत्व में देश में प्रगति के लिए सर्वोत्तम नीति सदन के समक्ष रखी गई है।

श्री वेंकटरामन की प्रशंसा में भी हमारे पास शब्द नहीं हैं। मैं कहता हूं कि श्री वेंकटरामन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी को सम्मोहित कर दिया है।

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। जो बजट 1981-82 को हाउस में हमारे वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह बजट जब पेश हो रहा था उस वक्त ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे थी। हाउस में हर आदमी यह समझता था अब यह टैक्सेशन करेंगे। 4, 6 दिन पहले से एक हंगामा था कि हैवी टैक्सेशन आ रहा है। और जिस वक्त वित्त मन्त्री जी ने पानी का गिलास रखा और दो सेकेन्ड रुक गये और कहा मैं आपकी पैशेंस का इम्तहान नहीं लेना चाहता, और जब बोलने लगे तो मैंने देखा हमारे अपोजीशन के लोग जोरों से चिल्ला रहे थे, सब अपने सीने पर हाथ रखे हुए थे। और जब हम लोग यहा से निकले और प्रेस वाले ब्यान लेने के लिए खड़े थे, उस वक्त अपोजीशन के बड़े-बड़े लोगों ने, मैं एक किनारे खड़ा देख रहा था, करीब-करीब सभी अपोजीशन के नेताओं ने ईमानदारी की बात कही कि इन हालात में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। अब चूंकि बजट आ गया और हर शक्स ने उसको वैलकम किया, हाउस वाइज ने सवाल किया कि हमारी कीमतें तो नहीं बढ़ जायेंगीं, और जब नहीं बढ़ीं तो उन्होंने भी चैन की सांस ली, हर आदमी ने इसका स्वागत किया। जब कोई चीज दुरुस्त करने के लिए नहीं रह गई तो अपोजीशन के लोगों ने विरोध के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। मुझे अफसोस है कि अगर हम कोई चीज ऐसी लायें जिससे मुल्क का फायदा हो तो कम से कम उस वक्त तो हमारा साथ दीजिए, और जहां कंस्ट्रक्टिव सुझाव की जरूरत हो वहां सजेश्चन्स दीजिये, आपने देखा जब एल० आई० सी० का मामला वित्त मन्त्री जी ने यहां उठाया तब सदन में क्या हंगामा हुआ। आज गुजरात में जो हो रहा है, कल असम में जो हुआ, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक लफ्ज जरूर कहना चाहूंगा कि यह बात सामने आ चुकी है और साबित भी हो चुकी है कि हमारे अपोजीशन ने उस समस्या को बढ़ाने में हिस्सा लिया, उसको घटाने की कोशिश नहीं की, हालांकि इससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। इस वक्त जरूरत थी गला जोड़ कर बैठने की और मामले को हल करने की। लेकिन अफसोस की बात है कि जो भी मामला आता है अपोजीशन वाले उसको तूल देते हैं जिससे मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो जाए।

हमारे माननीय जेठमलानी साहब जब बोल रहे थे तो उनकी घबराहट का यह आलम था कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी उनके और बोल रहे थे। उन्होंने सबसे ज्यादा वकालत इस बात की कि यह बजट स्मगलर्स की काफी हिम्मत अफजाई करेगा। उन्हें मालूम है कि एक वक्त ऐसा भी हमारी सरकार के जमाने में आया था जब स्मगलर्स को सरकार ने उठा कर बन्द कर दिया था और उस वक्त यही स्मगलर्स की वकालत करते थे। जब वह लोग जेलखाने में खड़े रहे थे तो यही लोग उनकी वकालत कर रहे थे, जो आज हमारे ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। उसके बाद जब हम हट गये तो स्मगलर्स सब बाहर आ गये और उससे किसको फायदा हुआ यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

माननीय जेठमलानी साहब ने ईराक और ईरान की जंग का बहुत दुख के साथ तजकिरा किया, जिसका जवाब दिया जा चुका है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तो यहां पर जो खुफिया वायदे किये गए थे इजराइल से वह भी हाउस के सामने आ चुके हैं, और आपको कितनी हमदर्दी है यह हमको मालूम हो चुका है।

श्रीमन्, वह तीन साल का जमाना हमारा इस तरह से गुजरा है इस मुल्क के अन्दर, बहुत से लोगों ने उसके बारे में कहा है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तीन साल में हमारी इकानामी का पूरा ढांचा बिगड़ गया है और उसको बनाने के लिए इससे बेहतर कोई बजट नहीं हो सकता था जोकि हमारे वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है। कहा यह जा रहा है कि यह डेफीसिट बजट है, और उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन यह उस सीमा से भी आगे निकल गया है। यह भी कहा जा रहा है कि हमारे छठे फाइव ईयर प्लान को पांच हजार करोड़ रु० से बांध दिया है कि इस पांच साल में इतना होना चाहिए, लेकिन उससे यह ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दो साल में करीब साढ़े तीन हजार करोड़ हो चुका है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसको हमने छठे फाइव ईयर प्लान के तहत बनाया है और हमारी कुछ कमिटमेंट्स हैं, यदि हम उनको पूरा करने के लिए कुछ टैक्स लगाते हैं, तो यह शोरगुल होता है कि टैक्स लगा दिया। यदि हमने टैक्स नहीं लगाया तो यह शोरगुल हो रहा है कि यह डैफिसिट बजट है, इससे बजट फैल हो जाएगा। यदि आप दुनियां के दूसरे डवेलपिंग कन्ट्रीज के बजट को देखें तो आप पायेंगे कि डवेलपिंग कन्ट्रीज के बजट डेफिसिट के बजट होते हैं, तो अच्छे माने जाते हैं, बजाय इसके कि सरप्लस दिखाया जाए।

मान्यवर, मुझे यह अर्ज करना है कि हमारी सरकार ने इलेक्ट्रोनिक की सरहद में काफी जोर दिया है और इस सरहद से हमारे छोटे काम करने वालों को काफी आराम पहुंचेगा। एग्रीकल्चर पर यह कहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है। एग्रीकल्चर पर 180 करोड़ रुपया और इतना ही स्टेट्स लगायेंगों। इस ओर भी हमारा डवेलपमेंट तेजी से किया जा रहा है। हमारे देहातों में जगह-जगह पर बैंक खोले जा रहे हैं। बहुत से गरीब लोग जो कि कर्जे से दबे पड़े थे, उनको कर्जा दिलाया जा रहा है और खेतिहर लोगों को भी सरकार से कर्जा मिल रहा है, तथा इसी के साथ-साथ उनका भी डवेलपमेंट हो रहा है। खाद्यान्न के मामले में यह छुपी हुई बात नहीं है, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त पी० एल० 480 का अनाज

मगा कर खा रहे थे, लेकिन अब हम अपनी जरूरतों से फाजिल गल्ला निकाल कर दूसरों को देते हैं। इससे ज्यादा कोई डवेलपमेंट नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, एक बात मुझे यह अर्ज करनी है कि हमारे मुल्क ने काफी तरक्की की है, चाहे वह अटोमिक के मामले में हो, स्पेस के मामले में हो, गल्ले के मामले में हो, या टैक्नालाजी के मामले में हो, हम किसी मुल्क से पीछे नहीं हैं, चाहे दुनियां में उन मामलों में हमारा नम्बर तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो।

सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि एक नौजवान जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, उसने सियासत में आने से पहले इस हिन्दुस्तान की तरक्की का एक ख्वाब देखा था और वह ख्वाब यह था—हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई आबादी को रोकना। उस ख्वाब को देखने वाले हमारे स्व० संजय गांधी थे! जब यह बात सामने आई, तो उस वक्त सारे लोग बहुत सी स्कीमों के साथ इस काम में लग गए और सबसे ज्यादा जोर आबादी को घटाने पर दिया गया। लेकिन उसका सारा फायदा और श्रेय हमारे अपोजीशन के लोगों ने उठाया, हालांकि वे भी उस चीज को चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमें इसकी वजह से हकूमत से हट जाना पड़ा। मैं आज फिर अपने वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोका गया, तो हमारे स्व० संजय गांधी की आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी और न ही मुल्क को शान्ति मिलेगी। यदि हमें इस काम के लिए मजबूत कदम उठाना पड़े, तो वह भी हमें उठाना चाहिए। 63 करोड़ आबादी इस वक्त हमारी है और हर साल एक करोड़ की आबादी बढ़ जाती है, अगर हमारी आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो हम कहां जायेंगे। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं खास तौर पर अपने वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं—आपने बहुत उम्दा बजट पेश किया है, लेकिन एक छोटा सा, मामूली सा, जो चश्मे से देखा जा सकता है, ऐसा दाग लगा रखा है, उसे मिटा दीजिये। आपने न्यूज-प्रिन्ट पर जो टैक्स लगाया है उससे बहुत बड़ी रकम आने वाली नहीं है, लेकिन उससे अपोजीशन को हमारे खिलाफ एक हरबा मिल गया है। आपके इस टैक्स से जो छोटे अखबार हैं उनको काफी तकलीफ है। मुझे उम्मीद है आप इस छोटे से दाग को मिटा देंगे।

आपने कहा है कि आप अगले साल में दो लाख या ढाई लाख टेलीफोन बढ़ाने जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं - इसमें कोई शक नहीं, हमारे हर महकमे में बेइन्तिहा तरक्की हो रही है, हो सकता है, कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, लेकिन आपका टेलीफोन का महकमा आगे तरक्की की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। मेरी कांस्टीचूएन्सी डुमरियागंज में सन 1957 में पहली मर्तबा टेलीफोन लगा था और उस वक्त हम वहां से दिल्ली बात कर लेते थे और अब 50 किलो मिटर पर बस्ती है, वहां भी बात नहीं हो पाती। मेरी आप से दरख्वास्त है-टेलीफोन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे बदनामी होगी, मैं चाहता हूं कि कम से कम जो टेलीफोन इस वक्त लगे हुए हैं वे ठीक तरह से काम करें, इस तरह का इन्तजाम आप करें।

आप जगह-जगह बिजली के खम्बे जोड़ते जा रहे हैं। चाहे जितने खम्भे आप लगा दोजिये, हरिजनों के मुहल्लों में, गांवों में, कहीं, भी लगा दीजिए, खम्भों की तादाद से हमारी प्रगति नहीं गिनी जायेगी, प्रगति गिनी जायगी कि हम कितनी देर के लिए बिजली देते हैं, कितने घन्टों के लिए बिजली देते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में रियासतें फैल हो गई हैं, जब तक मरकज इस काम को अपने हाथ में नहीं लेगा, हम बिजली के मामले में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम देहातों में लाइनें डालने जा रहे हैं और इस बजट में भी 22 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने जा रहे हैं लेकिन जहां लाइन पहुंची हुई है, वहां बिजली नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बिजली देने का इन्तजाम कीजिये।

उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उसकी उपेक्षा सब से ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में भी हमारा इलाका—पूर्वी उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। आज इन इलाकों की तरफ मखसूस ध्यान की जरूरत है इनमें बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और मिर्जापुर के इलाके आते हैं।

अब मैं अपने इलाके के लिए कुछ खास मांगें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारी कांस्टीचूएन्सी में तीन तहसीलें हैं, जिनमें से एक में रेल है और बाकी दो तहसीलों में कोई रेल का साधन नहीं है। जब वहां रेल ही नहीं होगी तो उस पर डवेलपमेंट क्या होगा। इस लिए मैं वित्त मन्त्री जी से बड़े अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूं—हमारे यहां नवगढ़ में वमड़े का कारखाना चल सकता है, वह दिया जाए। बस्ती के आस-पास जड़हन का प्याल बहुत होता है, वहां कागज का कारखाना दिया जा सकता है। बढ़नी में गन्ने की मिल दी जा सकती है और डुमरिया गंज में, जहां बुनकर बहुत ज्यादा तादाद में हैं वहां सूत की मिल दी जा सकती है। इनके अलावा आप फर्टिलाइजर के चार कारखाने देने जा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि फर्टिलाइजर का एक कारखाना बस्ती में किसी जगह हम को जरूर दें।

हमारे एक लायक दोस्त ने अभी कहा था—नीयत, नीति और नेता होना चाहिए। मैं उन से गुजारिश करूंगा—हमारी नीयत ठीक है, हमारे जैसा नेता हिन्दुस्तान ने अभी पैदा नही किया है और जहां तक नीति का ताल्लुक है वह गांधी जी की नीति है और हम उनसे बधे हुए हैं और जिससे अब आप भी बंधने जा रहे हैं। आप भी कहने लगे हैं कि अब हम गांधी जी की नीति की नकल करने जा रहे हैं, इसलिए नीति के बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप हमारी तरफ से मुतमईन हो जायें और हमारे कामों में सहयोग दें। विरोधी दलों से हमारी दरख्वास्त है कि वे कम से कम साल भर हमारा साथ दें और हमारी मदद करें और फिर हम काम न करें तो एतराज करें लेकिन अभी तो इस सरकार को आए थोड़ा वक्त ही हुआ है और आप हमें एक साल और नहीं देना चाहते हैं।

मैं अपने वित्त मन्त्री जी के इस बजट का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चन्द शब्द कहने का मौका दिया।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, यह जो बजट है, यह इन्वेस्टमेंट ओरियेन्टेड बजट नहीं है और कोई बचत वाली बात इसमें है, ऐसा साबित नहीं

होता है । इस बजट के अन्तर्गत कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता है जैसा वित्त मन्त्री जी ने फरमाया हैं (व्यवधान)...आप मेरी बात सुन लें फिर अपनी बात कहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बजट में कोई इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल या उसकी शक्ति को बढ़ोतरी देने वाला कोई पहलू नहीं दिखाई देता । बहरहाल कल्पना बहुत अच्छी की गई है ।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आपने कहा है कि इस बजट में मध्यम वर्गों के लोगों को बड़ी रियायत दी है । मध्यम वर्ग के लोगों को क्या रियायत दी है । देखेंगे कि मध्यम वर्गों को रियायत देने से पहले की वास्तविकता क्या है । जो कुछ रियायत दी गयी है, वह रेलवे बजट से साफ हो गई क्योंकि मध्यम वर्गों के लोगों के लिए रेल के किराये बढ़ा दिए गये । सरकार ने उनको यह रियायत दी और इसके अलावा आप एडीशनल रेवेन्यू 271 रुपये का वसूल करेंगे । पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आपने पहले ही बढ़ा दीं । इसके अलावा सीमेंट, स्टील और दूसरी चीजों के दाम पहले ही बढ़ा दिये । इस सारी चीजों का अगर आप अध्ययन करें और गम्भीरता से इस चीज को देखें, तो कम से कम 2100 करोड़ रुपये का बर्डन आपने मध्यम वर्गों के लोगों पर थोप दिया है । मजे की बात यह है कि कुछ लोगों को आपने कुछ रियायत दी है जैसे इन्कम टैक्स पेयर्स हैं, उनमें से 14 लाख या 20 लाख रुपये के करीब लोगों को आपने रियायत दी है और यह संख्या पूरे देश की आबादी का लगभग 2 प्रतिशत ही है. जिसकी आप इतनी वकालत कर रहे हैं । बाकी जो हिन्दुस्तान के 80 फीसदी लोग हैं, उन पर आपने इनडाइरेक्ट टैक्स थोप दिया है । अगर आप इनडाइरेक्ट टैक्सों और इनडाइरेक्ट टैक्सों की तुलना करें कि कितने आप डाइरेक्ट टैक्स वसूल कर रहे हैं और कितने इनडाइरेक्ट टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि किन लोगों पर इस टैक्स का वर्डन जाकर पड़ेगा । मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, यह इन्होंने स्वीकार किया है । 16 प्रतिशत पिछली बार थी और अब 20 प्रतिशत से ऊपर यह बढ़ेगी और अर्थशास्त्र का यह नियम है कि जब मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, तो चीजों की कीमतें भी बढ़ेगीं और जब कीमतें बढ़ेगीं, तो आपकी जो यह कल्पना है कि गरीबी के स्तर के नीचे के जो 30 लाख लोग हैं, वे ऊपर चले जाएंगे, यह आपकी कल्पना पूरी नहीं होगी बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि इनमें से 20 लाख लोग और बढ़ जाएंगें क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगीं । आपने यह भी कहा है कि पिछले बार कीमतें 16 से 20 प्रतिशत तक बढ़ी थीं लेकिन इस बार कुछ कम बढ़ेंगीं । मैं आप को बताना चाहता हूं कि खाने के तेलों की कीमत 30 प्रतिशत बढ़ गई है । जब 30 प्रतिशत कीमत बढ़ेगी और आपका 1500 करोड़ रुपये का घाटे का बजट है, तो स्थिति क्या होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं । घाटे के बजट की स्थिति क्या है ? आपने विशेष बोडों से 800 करोड़ रुपये वसूल करने का अनुमान लगाया है लेकिन अभी तक वह कितना वसूल हुआ है । इनके कहने के मुताबिक और अखबारों के मुताबिक 50 करोड़ रुपये से अधिक वसूल नहीं हुए हैं और ये 800 करोड़ रुपये वसूल करने का ख्वाब ले रहे हैं ।

दूसरी बात मैं पब्लिक अन्डरटेकिंग्स और कार्पोरेशन्स के बारे में कहना चाहूंगा । आपने इसके बारे में भी कहा है । आज इनकी हालत क्या है ? ये एक सफेद हाथी की तरह हैं । आप

कहते हैं कि हम इनमें सुधार कर रहे हैं। आप कहते भी हैं कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स और कार्पोरेशन्स से हम पैसा वसूल करेंगे और मेरा ख्याल है कि आप पब्लिक अन्डरटेकिंग्स और कार्पोरेशन्स से 2300 करोड़ रुपये वसूल करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे ? यह सारी कल्पना है। स्थिति यह हो जाएगी कि जो आपका 1500 करोड़ का घाटा है, वह बढ़ कर 2100 से 2700 करोड़ हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने एक जगह फरमाया कि हमने कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया। पिछले साल से वह बढ़ गया है और अब रेक्स वगैरह जा रही हैं। मान्यवर, इस बजट भाषण में उल्लेख किया गया है।

"हाल के महीनों में रेलों द्वारा माल की ढुलाई में सुधार हुआ है और पिछले तीन वर्षों में उनके कार्य-निष्पादन में जो गिरावट की स्थिति रही थी, वह अब दूर हो गयी है।"

मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद में ग्लास और बैंगल्स की इंडस्ट्रीज हैं। वहां साल भर में बीस हजार वेगन कोयला आता है लेकिन पिछले साल में अभी तक चार हजार वेगन भी कोयला नहीं पहुंचा है। आपका जो कलकत्ता में डायरेक्टर मूवमेंट रेलवे है वह एक लाख रुपया एक रेक के लिए मांगता है। आज भी फिरोजाबाद में कोयले के वेगन पहुंचने के बारे में सुधार नहीं हुआ है। वहां एक लाख से भी अधिक मजदूर बेकार बैठे हैं। जो कोयला 250 रुपये टन में पड़ता है वही आज आठ सौ रुपये टन में बिक रहा है। कोयला मंत्री के यहां से खास लोगों को एक डी० ओ० इशु हो जाता है कि सड़क से कोयला ले जाने दिया जाए। इस तरह से सड़क से कोयला लाने का परमिट मिल जाता है। बनारस में खुले आम कोयले के परमिट बिकते हैं और वह कोयला 6-7 सौ रुपये टन पड़ता है। यह आपकी मशीनरी है।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां आपने इतने खर्चे दिखाये हैं वहां आपने — आपके पास जो सरकार चलाने की मशीनरी है और उसमें जो अपव्यय होता है—उस अपव्यय को रोकने की बात नहीं कही है। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में और भी अन्य मामलों में जो अपव्यय होता है और जो बेकार के खर्चे हैं उनको रोकने की बात आपने कहीं नहीं कही है। इसके द्वारा भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है।

मान्यवर, मैं आपसे कोयले की बात फरमा रहा था। जो इंडस्ट्रीज कोयले के सहारे चलती हैं अगर उन इंडस्ट्रीज को पूरा कोयला नहीं मिलेगा तो वे इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगीं। मंत्री जी को इस बात को भी देखना चाहिए।

आपके यहां इतना सारा करप्शन है। अभी, मान्यवर आपने अखबार में पढ़ा होगा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के एक डायरेक्टर के बारे में कि आपके अमोनिया प्लांट परियोजना के सारे रहस्य अवैध रूप से एक विदेशी कम्पनी को बेच दिये गये। अगर आपकी ऐसी मशीनरी है तो निश्चित रूप रे स्थिति निराशाजनक है, आशा कहीं नहीं दिखाई देती।

मान्यवर, इस बजट में किसानों की भलाई की बात नहीं की गयी है। आपने एग्रीकल्चर क्षेत्र को 40 प्रतिशत बैंक ऋण देने की बात कही है। मैं आपसे मांग करूंगा कि हिन्दुस्तान की

अधिकांश जनता गांवों में बसती है। आपने इंडस्ट्रीज को 60 प्रतिशत ऋण दिलाने की बात कही है। वहां आपने कोटेज इंडस्ट्रीज को 12 प्रतिशत ऋण की बात कही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों को 60 प्रतिशत और कोटेज इंडस्ट्रीज को 20 परसेंट ऋण देने की बात आप क्यों नहीं करते। जो इन्डस्ट्रीज वाले हैं उन्हें आप 60-70 प्रतिशत ऋण दे रहे हैं और दूसरे लोगों में भी बांट रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट सही मायनों में हिन्दुस्तान के दो परसेंट लोगों का बजट है और गरीबों की भलाई करने वाला बजट नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस बारे में पुनर्विचार करें। यह कहता हुआ मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने 1981-82 का जो बजट पेश किया है, उसका प्रथम अवलोकन करने से ही पता लगता है कि यह एक कुशल अर्थशास्त्री और समाजवादी समाज के रचयिता द्वारा बनाया गया है। यह एक ऐसा बजट है जो कि आम आदमी को राहत देता है। मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय समाज को राहत देने वाले इस बजट का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं।

बजट की पूर्वसंध्या सब को बजट का बुखार था। सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि न जाने क्या-क्या कर आयेंगे और मुद्रा स्फीति से जो पीड़ित जनता है इस पर एक और कुठाराघात किया जाएगा। लेकिन, मान्यवर, जैसे ही बजट प्रस्तुत हुआ, विरोधी दल के सदस्यों के मुंह बंद हो गये। अब वे जो इसका विरोध करते हैं वास्तविक तौर पर इसका विरोध करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं।

मान्यवर, मंहगाई से त्रस्त जो मुख्य रूप से वर्ग था 40 लाख व्यक्ति जो इन्कम टैक्स देते हैं उनमें से 25 लाख को राहत दी गई है। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार आप देखें कि यह पहला बजट है जिसमें आवकारी राजस्व के लिए किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। पिछली सरकार ने जो बजट पेश किया था, उसने छोटी-छोटी चीजों को भी नहीं छोड़ा था। उस बजट में बहुत सी चीजों पर टैक्स लगाए गए थे। सुबह जब गृहणी सोकर उठी तो पता नहीं किन-किन चीजों के ऊपर टैक्स लगाए जा चुके थे। टूथपेस्ट, साबुन जैसी छोटी-छोटी चीजों के दाम बढ़ गए थे। आज सबसे अधिक राहत गृहणियों को मिली है। किसी चीज के ऊपर उत्पादन कर नहीं बढ़ाया गया है. किसी प्रकार के मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है। साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के पंखे, इन सब पर किसी प्रकार का उत्पादन कर नहीं लगाया गया है। हौजरी के ऊपर जो छूट दी गई है, इसके निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होंगे, गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय देश में मुद्रा स्फीति बहुत बढ़ गई थी। मैं मानती हूं कि मुद्रा स्फीति बढ़ने में अन्तर्राष्ट्रीय कारण भी शामिल थे, परन्तु सबसे मुख्य कारण यह था कि इनकी कोई नीति नहीं थी। आज जो बजट पेश किया गया है इसमें मुद्रा स्फीति पर मुख्य रूप से अंकुश लगाया गया है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने उद्योग के बारे में सोचा है कि किसी भी विकासशील देश के लिए उद्योगों का होना बहुत ही जरूरी है और इनके विकास के

लिए नए उद्योगों पर पहले 5 वर्ष के लिए उत्पादन कर नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार लघु उद्योगों के विकास के लिए भी छूट दी गई है। लघु उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। अब 10 लाख के स्थान पर 20 लाख वाले लघु उद्योग की श्रेणी में आ जाएंगे, इन पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उत्पादन शुल्क में छूट देने पर सीमा शुल्क लगाना जरूरी हो जाता है, लेकिन अखबारी कागज पर जो सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जो 15 प्रतिशत बढ़ाया गया है, इसके स्थान पर अगर 10 प्रतिशत कर सकें तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी के घोषणा-पत्र का मुख्य मुद्दा है "गरीबी हटाओ" और यह हमारा दूसरा बजट है। हम जानते हैं कि गांवों में असली गरीबी है और गांवों के व्यक्तियों को राहत दी जानी चाहिए। इसलिए हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की है, इसमें 50 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 50 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगीं। इस ग्रामीण विकास योजना के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसी प्रकार से समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लिए 19.8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में मेरा एक निवेदन है। आज बहुत से राज्य ओवरड्राफ्ट की स्थिति में हैं और 50 प्रतिशत खर्च वहन नहीं कर सकते। आज हमारा राजस्थान प्रांत अकाल की स्थिति में है और सबसे अधिक ओवर-ड्राफ्ट में चल रहा है। इसलिए इस योजना का लाभ वहां पर गरीबों को नहीं मिल पाएगा। राजस्थान सरकार के पास इतना पैसा नहीं होगा जिससे इस प्रकार की योजना चल सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह केन्द्रीय सरकार की योजना होनी चाहिए और इस कार्यक्रम को केन्द्र सरकार अपने हाथों में ले।

सभापति महोदय, यह सब होते हुए भी जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं, उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। अन्य राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मुकाबले हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। आज हम विश्व मानचित्र पर देखें तो पता चलेगा कि अमेरिका में 6670 डालर प्रति व्यक्ति आय है, कनाडा में 6190 रु० डालर प्रति व्यक्ति, जापान में 4070 डालर प्रति व्यक्ति और इंग्लैंड में 3590 डालर प्रति व्यक्ति है और हमारे देश में सिर्फ 140 डालर प्रति व्यक्ति है। इस प्रकार की स्थिति लम्बे समय तक नहीं चलती रह सकती हैं। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। देश में प्राकृतिक सम्पदा जो बहुत अधिक है उस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। हमारा घोषित उद्देश्य गरीबी मिटाना है। इस उद्देश्य की ओर हम को तेजी से आगे बढ़ना होगा। आपने अच्छा बजट बनाया है। लेकिन 38 वर्ष से लगातार हम योजनायें बनाते चले आ रहे हैं। फिर भी हमारी राष्ट्रीय आय क्यों नहीं बढ़ पाई, यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। मेरे ख्याल से इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे देश की आय का जो वितरण है वह पूरी तरह से समान नहीं है। वह बहुत असमानतापूर्ण है। 20 प्रतिशत व्यक्ति सारे देश की पूंजी को अपने कब्जे में किए हुए हैं। पचास प्रतिशत जो साधारण व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रीय आय का केवय बीस प्रतिशत ही भाग मिल पाता है। यह असमानता कब तक बनी रह सकती है ?

बजट में वैल्थ टैक्स के ऊपर आपने छूट दी है। मैं समझती हूं कि वैल्थ टैक्स को अधिक बढ़ाया जाना चाहिये था ताकि असमानता वाला वातावरण दूर होता। इससे गरीबों को निश्चित रूप से राहत मिलती।

औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा देश काफी अधिक पिछड़ा हुआ है। हमारे पास भरपूर प्राकृतिक सम्पदा है। हम पर प्रकृति की विशेष कृपा है इस मामले में। देश में रत्न-गर्भा जमीन है। अभ्रक के भंडार विश्व में सबसे ज्यादा यहीं हैं। कोयले और लोहे में भी हम आगे बढ़े हुए हैं। खुला आकाश है। देश में सौर ऊर्जा पैदा की जा सकती है। फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसकी ओर और अधिक ध्यान आपको देना होगा। हमने मिक्स्ड इकोनोमी को अपनाया है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट सैक्टर की वनिस्वत हमको पब्लिक सैक्टर के उद्योगों को आगे बढ़ाना होगा और उनको सफलतापूर्वक चलाना होगा। पब्लिक सैक्टर के उद्योग भी विकेन्द्रित होने चाहिये ताकि गांवों के लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके और लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें।

गरीबी का एक मुख्य कारण यह भी है कि हमारे देश की जन संख्या विस्फोटक स्थिति तक पहुंच चुकी है। यदि हम अमरीका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, रूस, स्वीडन और घाना इन छः देशों की आबादी का जोड़ लगाएं तो इनकी जन संख्या हमारी जन संख्या से कम रहेगी। कहने का मतलब यह है कि हमारी जन संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हम पांच योजनायें पूरी कर चुके हैं। छठी बनने जा रही है। योजनायें बालू में महल खड़ा करने के समान हैं और जन संख्या का बहाव इनको बहा कर अपने साथ लेता चला जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो जन संख्या नियंत्रण के बारे में राष्ट्रीय नीति थी पिछली सरकार ने या यों कहना चाहिये कि जनता पार्टी की सरकार ने अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए इस नीति की धज्जियां उड़ा दीं। आने वाली जैनरेशन उसको कभी माफ नहीं करेगी। इस राष्ट्रीय नीति का बहुत ज्यादा खराब प्रचार किया गया। यह राष्ट्रीय नीति फिर से चालू होनी चाहिये। जो लोग परिवार नियोजन में विश्वास करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। प्रोत्साहन देने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। इंग्लैंड में सब बीमारों का इलाज सरकार के द्वारा होता है। वहां नैशनल हैल्थ स्कीम लागू है। मैं चाहती हूं कि हम पूरे राष्ट्र के लिए नैशनल हैल्थ स्कीम लागू न भी कर सकें लेकिन जो लोग परिवार नियोजन करते हैं उनके लिए तो एक नैशनलाइज्ड हैल्थ स्कीम लागू होनी चाहिये। पार्टली नैशनलाइज्ड हैल्थ स्कीम यदि देश में चालू होगी तो निश्चित रूप से परिवार नियोजन के लिए रास्ता साफ होगा।

देश में अशिक्षित लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। केवल 29.45 प्रतिशत जन संख्या शिक्षित है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सारे विश्व में 72 करोड़ निरक्षर लोग हैं जिनमें से अकेले भारत में 42 करोड़ हैं। ऐसी अवस्था में कैसे हमारा देश तरक्की कर सकता है। हमने अपने नीति निदेशक तत्वों में कहा है कि निःशुल्क और बुनियादी शिक्षा नीति को हम लागू करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यही बात कही थी। परन्तु 33 वर्ष के बाद भी हम निःशुल्क और बुनियादी शिक्षा लागू नहीं कर पाए। शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। उनको मैं बधाई

देना चाहती हूं। अभी-अभी उन्होंने यह कहा है कि मिडल क्लास तक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। यह स्वागत योग्य बात है। इस प्रकार से एक पूरी नैशनल स्कीम होनी चाहिए, ताकि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक शिक्षा का रूप एक जैसा हो। तभी जाकर हम कह सकेंगे कि हमने बापू के स्वप्न का भारत बनाने की सोची है।

आज राजस्थान में बडी भयंकर स्थिति है। ओवरड्राफ्ट का मैंने जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त वहां पर सूखे की स्थिति है। राजस्थान में कहावत है कि "दूबली और दो असाढ़" पहले से ही ओवरड्राफ्ट है और ऊपर से अकाल भी है। वहां पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जो धनराशि दी है, वह बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। अकाल तो राजस्थान का एक पर्मानेन्ट फीचर है। हर आल्टरनेटयीअर में अकाल पड़ता रहता है। दुर्भाग्य यह है कि अभी लगातार दो साल से वहां पर अकाल है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसका कोई स्थायी हल निकालना होगा। आखिर यह प्रान्त कब तक अकाल से जूझता रहेगा ? मैं चाहूंगी कि केन्द्रीय सरकार की ओर से एक मरु-विकास की योजना लागू की जाये। राजस्थान कैनाल के निर्माण की गति बहुत धीमी है। वहां पर कोयले और सीमेंट की कमी आ रही है। उसकी व्यवस्था करके इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर हम अकाल की भयंकर स्थिति से छुटकारा पा सकेंगे।

राजस्थान में पीने के पानी का बहुत अधिक अभाव है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 33 वर्ष के बाद भी आज हमारे राज्य में ऐसे गांव हैं, जहां व्यक्ति को एक मटका पानी पूरे दिन में मिल पाता है। पानी पचास-पचास किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने छठी पच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत 490 करोड़ रुपये की मांग की थी, जबकि उसे केवल 198 करोड़ रुपया दिया गया है। इस ओर ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान में पावर कट बहुत अधिक होता है। वहां पर अकाल भी है और साथ ही बिजली की भी कमी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए रावत माटा अणु बिजली योजना में दो यूनिट और लगाये जायें। इसकी गुंजायश है। अणु बिजली की जो योजनायें बनें, उनमें राजस्थान का ध्यान भी रखा जाये। इससे हम न केवल इस राज्य की, बल्कि देश की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। सन 2050 तक तेल और गैस के भंडार खत्म हो जायेंगे। इसलिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, की ओर ध्यान देना चाहिए।

1549 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट को कम करने के लिए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि प्रशासनिक खर्चे में कटौती की जाये, क्योंकि वह निरन्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक खर्चे में कटौती करके और सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग लगाकर इस बजट को बैलेंस्ट बनाया जा सकता है और घाटे को पूरा किया जा सकता है।

हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी और माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से जो बजट पेश हुआ है, उसके बारे में केवल हम पार्लियामेंट के मेम्बर ही नहीं, सारे देश की जनता कह रही है कि ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करती हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गए 23,000 करोड़ रुपये के बजट और उसमें पिछले वर्ष के बजट से 20 प्रतिशत की वृद्धि का पूरा समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष जिस 1800 करोड़ रुपये के घाटे की प्रत्याशा है उसे उत्पादन में वृद्धि और इस महान देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास से पूरा कर लिया जायेगा।

बजट के बारे में बोलते हुए मैं एक ऐसे विषय पर बोलना चाहता हूं जिसकी ओर शायद हम में से अधिकांश का ध्यान नहीं गया।

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे में से अधिकांश जो यहां बैठे हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं। अतः हम जनता के प्रतिनिध हैं और जनता तत्काल परिणाम चाहती है। जनता चाहती है कि उसे आज के लिए खाना दो, आज घर दो किन्तु हममें से ऐसे कुछ हैं कम से कम 10 प्रतिशत ऐसे हैं जो भविष्य के लिए बेहतर जीवन के बारे में सोचते हैं। हममें से कुछ को भविष्य के लिए बेहतर जीवन की अवधारणा बना लेनी चाहिए और यदि इसके लिए हमें अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को कम भी करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

अतः मैं ऐसे विषय पर बोलना चाहता हूं जिसके बारे मुझे विश्वास है अब हम में से अधिकाधिक सोचने लगे हैं और वह है पर्यावरण। पर्यावरण एक घर है जिसमें हम रहते हैं— मिट्टी, पानी, पेड़-पौधे, जानवर या खनिज स्रोत सभी के पर्यावरण से हम सम्बन्धित हैं। हमारे बारे में आने वाली पीढ़ियां जो निर्णय करेंगीं वे इस आधार पर करेंगीं कि हमने कितनी बुद्धिमानी से इन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग और संरक्षण किया।

मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि पिछले वर्ष सरकार ने पहली बार पर्यावरण सम्बंधी एक स्वतत्र विभान बनाने की सोची और इसकी स्थापना हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने, जो विश्वभर में इस काम के लिए सुविख्यात हैं, की। विश्व नेताओं में शायद ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस विषय में इतना अधिक जानता हो और जो इसके लिए इतना अधिक प्रतिबद्ध हो।

इस विभाग के लिए 6 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है और साथ ही छठी पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। लेकिन यह एक बड़ा काम है। जब हम पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने की बात करते हैं तो उसके लिए उपरोक्त बजट व्यवस्था निराशाजनक रूप से अपर्याप्त है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में इस विषय को और अधिक महत्व दिया जायेगा। अपने प्रारम्भ से ही इस विभाग को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा —वह है सरकार के 10-12 मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करना ताकि ये मंत्रालय अपने बजट तैयार करते समय पर्यावरण को भी ध्यान में रखें।

विभिन्न राज्यों के बीच सम्पर्क और समन्वय स्थापित करने के लिये कई महत्वपूर्ण काम

करने पड़ेगे ताकि राज्य सरकारें भी इस विषय में कुछ सोचें। हम जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में पर्यावरण समितियां बनी हुई हैं। जल नियंत्रण बोर्ड, भूमि उपयोग बोर्ड आदि बने हुए हैं किन्तु वे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भविष्य के लिए रास्ता बनाने की चिंता नहीं है और न ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है। राजनीतिज्ञ केवल आज के बारे सोचते हैं।

मैं जो रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं, उनमें स्वयंसेवी निकायों को राज सहायता देना शामिल है ताकि ये निकाय इस बारे में जागरूकता पैदा करने—जो कि सरकार नहीं कर सकती है—में सरकार की भूमिका अदा कर सकें। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कम से कम 2 करोड़ रुपया देश भर की स्वयंसेवी संस्थाओं को दिया जाना चाहिए ताकि वे यह काम कर सकें। एक संस्थान की स्थापना की जाये। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, जिसकी शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में फैली हों, के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए। विश्व के सभी उन्नत, विकसित देशों में किसी बड़ी परियोजना—चाहे वह कृषि, सिंचाई से सम्बंधित हो या भूमि, समुद्र या प्राकृतिक संसाधनों से सम्बंधित हो—को तैयार करने से पहले पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन करने ही पड़ते हैं। इस वर्ष इसके लिए कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने कोई वन-नीति नहीं बनायी है। हम इधर-उधर से बेशक यह सुनते रहें कि देश में 33 प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि एक प्रतिशत भूमि पर भी वन नहीं हैं। कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। कोई संसक्ति. समन्वय नहीं है। इस दिशा में कोई सोचता नहीं है। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब बजट में भी इसके महत्व का उल्लेख किया जाना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि हमारी एक विशाल तट सीमा है और प्रभावी आर्थिक क्षेत्र है जो हमारे तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है और जिसके समुद्री संसाधनों पर हमारा प्रभावी नियंत्रण है। क्या हमें मालुम है कि हमारे पास कितने समुद्री संसाधन हैं ? क्या इस पर कोई अन्वेषण कार्य किया गया है ? क्या हम जानते हैं कि इनमें से कितने संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है; कितने का किया जा सकता है और कितने संसाधनों का पुननिर्माण किया जा सकता है ? क्या हम यह भी जानते हैं कि इनमें से कितने संसाधनों का विश्व के अनेक देशों के ट्रालरों द्वारा अवैध रूप से लाभ उठाया जा रहा है जो वहां आते हैं और हमारी जानकारी के बिना हमारी सम्पत्ति को ले जाते हैं क्योंकि समुद्री संसाधनों की चोरी को रोकने के लिए नाम-मात्र को भी हमने निगरानी की व्यवस्था नहीं की हुई है। ये कुछ सुझाव हैं जो मैं समझता हूं, बजट में शामिल किये जाने चाहिए थे।

हम सभी जानते हैं कि विश्व में धीरे-धीरे ऊर्जा की कमी होती जायेगी; चाहे वह पैट्रोलियम हो या कोयले से हो या सौर ऊर्जा या फिर ऊर्जा कोई ऐसा स्रोत जिसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। मेरे विचार में हमें इस दिशा में अत्यधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है ताकि हम ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत ढूंढ सकें— चाहे वह सौर ऊर्जा का हो या फिर ताप

विजली हो अथवा जल विद्युत । मेरे विचार से सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग को इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए काफी अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का, विशेषकर तब जबकि हम कोयले और गैस पर निर्भर करते हैं, जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, और तेल पर निर्भर है जिसकी अधिकांश मात्रा का आयात किया जाता है ।

अपने राज्य के बारे में बात करते हुए मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हू और वह है परिवार नियोजन कार्यक्रम क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या क्या है ? दोनों चीजें साथ-साथ चलती हैं । इसलिए, मैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अत्यन्त इच्छुक होने के नाते—शायद मैं विश्व के इतिहास में पहला व्यक्ति हूं जिसने 1968 में गुजरात विधान सभा में अनिवार्य नसबन्दी सम्बंधी एक विधेयक रखा था—यह कहना चाहता हूं कि आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कड़े कदम उठाने होंगे । मैं जानता हूं हमने इस वर्ष इस कार्य के लिए 155 करोड़ रुपये रखे हैं किन्तु हमें देखना है कि जनगणना से हमारे सामने क्या आंकड़े आते है । मैं बहुत उत्सुकता से जनगणना रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो कुछ महीनों में आजानी चाहिए । हमें देखना है कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा परिकल्पित जन्म दर सही है या नहीं । मुझे पक्का पता है कि असमानताएं होंगीं । जन्म दर आंकड़ों में दी गई दर से काफी ऊंची है । यदि हमारा लक्ष्य प्रति वर्ष प्रति हजार 30 जन्म कम करना है तो 155 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है । इसके लिए काफी अधिक करने की आवश्यकता है । बजट में की गई व्यवस्था को देखते हुए यह पता लगता है कि अधिकांश राशि नये केन्द्र खोलने, उनके रख-रखाव पर, वाहन खरीदने आदि पर खर्च की जायेगी । महत्वपूर्ण बात लोगों में जागरूकता पैदा करने की है और स्वयंसेवी संस्थाओं को राजसहायता देने की है ताकि वे लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें । परिवार नियोजन कार्यक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किन्तु इसके लिए केवल 10 करोड़ रुपये रखे गये हैं । मेरे विचार से यदि आप परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि अपर्याप्त है । हम यह चाहते हैं कि लोग यह समझें कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं है बल्कि लोगों का कार्यक्रम है, और ऐसा स्वयसेवी संस्थाओं को राजसहायता देकर ही कर सकते हैं । मैं क्योंकि देश भर की इन स्वयंसेवी संस्थाओं से अधिक सम्पर्क में हूं, अतः मैं जानता हूं कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है । जब हम परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करते हैं तो मैं समझता हूं यही समय है जब हमें एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति तैयार करनी चाहिए, जिसका मेरे विचार से आरम्भ हो चुका है किन्तु जिसे अभी जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं । एक सिंचाई के बारे में है । यह पर्यावरण से सम्बद्ध है । हमने लगभग 1,213 करोड़ रुपये सिंचाई परियोजनाओं के लिए नियत किये हैं और हमने यह अनुमान लगाया है कि 25 लाख हैक्टेयर अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी । क्या इस बात की

जानकारी है कि इस राशि में से कितनी राशि नहरों के तट बांधने पर खर्च होगी ? नहरों के तट न बंधे होने के कारण हमें काफी हानि हो रही है। इससे वाष्पीकरण होता है और पानी दोनों ओर इधर-उधर बिखर जाता है । क्योंकि हम सिचाई के लिए राशि नियत करना चाहते हैं इसलिए किये जा रहे हैं किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। अत: हमें अधिक नहरें बनानी चाहिए और उनके तट बांधने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। यह बहुत गम्भीर समस्या है और यही समय है जब राष्ट्रीय जल योजना के बारे में भी धन नियत करने की सोच सकते हैं। 15 वर्षों से इस बारे में सोचा जा रहा है किन्तु अब हमें इस पर कार्य करना चाहिए।

समाप्त करने से पहले मैं एक अन्तिम मुद्दे पर बोलना चाहता हूं और वह है पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बारे में। पिछले वर्ष हमने 15 प्रतिशत का अधिभार लगाया था और हमने, संसद सदस्यों ने सरकार से यह कहा था कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इस 15 प्रतिशत अधिभार से हमें 8 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। यह पता लगाया जाना चाहिए कि इस अधिभार के कारण पर्यटकों के आगमन में कितनी कमी हुई है। हम चाहते हैं कि अधिक पर्यटक हमारे देश में आयें ताकि विदेशी पर्यटकों को इस देश के बारे में जानकारी मिले। मेरे विचार में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है । हमने पहले अनुमान लगाया था कि इस वर्ष 10 लाख पर्यटक भारत आयेंगे। लेकिन मैं नहीं सोचता कि अगले दो वर्षों में भी इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

मैंने कई सुझाव दिये हैं उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं हालांकि उन्हें व्यक्तिपरक माना जा सकता है लेकिन मैं आशा करता हूं कि इन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री जी० एम० बनातबाला : सभापति महोदय, वर्ष 1981-82 का बजट प्रस्तुत किया जा चुका है प्रत्येक व्यक्ति को नि:संकोच और स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि यह बजट प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिलचस्प आश्चर्य रहा है । वास्तव में यह बजट इस दृष्टि से विशिष्ट है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को नाराज नहीं किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो कि इस सदन में बजट की आलोचना करने के लिए खड़ा हुआ है वह अपने अन्तरतम से इस बात को समझता है। अत: मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इस बजट में विद्यमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है तथापि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। पहली बात जो हम इस बजट में देखते हैं वह यह कि इसमें मुद्रा स्फीति के सामने असहाय होकर हथियार डाल दिये गये हैं, जब हम इस बजट में मुद्रा स्फीति की सम्भावनाओं को देखते हैं तो हमें यह नहीं समझ आता कि और अधिक साहसिक कदम क्यों नहीं उठाए गए।

सभापति महोदय, इस बजट में 1539 करोड़ रु० का ऐसा घाटा छोड़ दिया गया है जिसे पूरा नहीं किया गया है। मुझे सदन को यह भी याद दिलाना चाहिए कि छठी पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि में अर्थात् 1980 से 1985 तक की अवधि के दौरान हम अपने घाटे की वित्त व्यवस्था को 5000 करोड़ रु० तक सीमित रखना चाहते हैं। अब दूसरे वर्ष की शुरूआत है और हम पहले ही 3514 करोड़ रु० के बजट घाटे पर पहुच चुके हैं। यह ऐसी स्थिति है जबकि हमारा लक्ष्य यह था कि हम सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने बजट के घाटे को

5000 करोड़ रु० तक सीमित रखेंगे और जब दूसरे वर्ष की शुरूआत के समय ही बजट का यह घाटा 3514 करोड़ रु० पहुंच गया है तो निश्चय ही वित्त मंत्री महोदय को सदन के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए उनका यह प्रस्ताव है कि छठी पंचवर्षीय योजना में बहुत अधिक गड़बड़ न हो जाये। मेरा सादर विनम्र निवेदन है कि इस अत्यधिक घाटे के कारण छठी पंचवर्षीय योजना की गणनायें निष्फल सिद्ध हो चुकी हैं और मुझे यह आशंका है कि वास्तविक घाटा वित्त मत्री महोदय के अनुमान से कहीं अधिक होगा। इस बारे में कई अनुमान हैं। इस बात को देखकर आश्चर्य होता है कि योजना के लिए रखे गये कुल 8619 करोड़ रु० के परिव्यय में से 2310 करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त होने की आशा की गयी है। हम सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निराशा-जनक कार्य से अवगत हैं। इस बात को देखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने किस आधार पर आशा की है कि 2310 करोड़ रु० की राशि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस गम्भीर स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इससे बजट के घाटे के बारे में जो उन्होंने हिसाब लगाया है तो सब गड़बड़ा जायेगा। मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि 800 करोड़ रु० विशेष धारक बोडों से प्राप्त होगा। इस बारे में कई सदस्य बोल चुके हैं। मैं सरकार के प्रति शुभ कामना प्रकट करता हूं परन्तु हमारी अपनी यह आशंका भी है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। इसी प्रकार इस बजट में बाहरी सहायता के रूप में 1379 करोड़ रु० का ऋण लेने का विचार किया गया है। इस समय विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए मेरा निवेदन है कि यह आशा बहुत अधिक है यदि ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों की नीतियों पर विचार किया जाये तो यही निष्कर्ष निकलता है कि यह बजट कई पूर्वानुमानों पर आधारित है जो कि बावजूद हमारी शुभकामनाओं के पूरे होने संभव नहीं हैं।

इस बजट घाटे के अतिरिक्त हमारे सामने पैट्रोलियम, कोयला, इस्पात के मूल्यों और रेल परिवहन पर होने वाले व्यय में हुई अत्यधिक वृद्धि की स्थिति भी है इन सब से भारी मुद्रा स्फीति बढ़ती है। अतः हमें कहना पड़ता है कि यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि इस बजट में मुद्रा स्फीति के सामने अत्यंत असहाय होकर आत्म-समर्पण किया गया है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि बजट की मुद्रा स्फीति सम्बन्धी सम्भावनाओं की व्यापक नीति सम्बन्धी उपायों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिससे कि अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक विकास होगा। इस प्रकार वित्त भत्री महोदय को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक विकास होने की आशा है। मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय या प्रस्ताव नहीं किए गए हैं। केवल व्यर्थ में ही आशा की गई है कि अर्थव्यवस्था के विकास से सरकार को मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी। लेकिन यह स्वीकार करते हुए भी कि 146 करोड़ रु० की कुल राहत से पूंजी निवेश को निश्चय ही प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था और पूंजी निवेश को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक साहसिक कदम उठाये जाने के अवसर का इस बजट में लाभ नहीं उठाया गया है। इस बजट में अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त

करने की अपेक्षा की गई है परन्तु इसमें कहीं भी हमारी क्षमता का कम उपयोग किए जाने का कोई उल्वेख नहीं किया गया है । मुझे इस विषय-विशेष पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा ।

सदन को यह बताने का कोई लाभ नहीं है कि उर्वरक उद्योग में अधिकाधिक पूंजी निवेश किया जायेगा क्योंकि यदि हम उर्वरक उद्योग पर भी विचार करें तो हम देखते हैं कि इसकी क्षमता के उपयोग में बहुत अधिक कमी हुई है । 1978-79 में इस उद्योग में 71 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया, 1979-80 में यह उपयोग कम होकर 66 प्रतिशत हो गया । 1980-81 के दौरान पहले 10 महीनों में भी क्षमता का उपयोग अत्यंत निराशाजनक रूप से कम होकर 54 प्रतिशत रह गया है । क्षमता के उपयोग के संबन्ध में यह अत्यंत निराशाजनक स्थिति है । हम देखते हैं कि बजट में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

मैं कहना चाहूंगा कि उत्पादन के एक विशेष स्तर तक उत्पादन-शुल्क को समाप्त करने के रूप में पहले जो कुछ रियायतें दी गई थीं उनको फिर न देकर एक अवसर खो दिया गया है । विद्यमान निराशाजनक आर्थिक स्थिति में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकार के उपाय किये जाने चाहिए थे ।

जहां तक उत्पादन-शुल्क की बात है वास्तव में बित्त मन्त्री महोदय की प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने इसमें और अधिक उत्पादन-शुल्क नहीं लगाया है ।

श्री मगन भाई बरोट : सधन्यवाद ।

श्री जी० एम० बनातवाला : लेकिन अकेले कपड़ा उद्योग ही आपका कोपभाजन हुआ है । कपड़ा उद्योग पर बहुत अधिक उत्पादन-शुल्क लगाया गया है । अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है और यह वृद्धि उस समय की गई है जबकि कपड़ा उद्योग को रुई, कोयला, पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य-वृद्धि और रेल-भाड़ा वृद्धि तथा इसी प्रकार की अन्य लागतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई लागत-वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है । मैं कमजोर वर्गों को रियायती दर पर कपड़ा सप्लाई किये जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरी तरह स्वीकार करते हुए उसकी बहुत अधिक सराहना करता हूं । इस राष्ट्रीय लक्ष्य के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं करना चाहता लेकिन मेरा निवेदन है कि यह एक राष्ट्रीय लक्ष्य है और इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल कपड़ा उद्योग पर ही बोझ न डाला जाये । अतः इस राष्ट्रीय लक्ष्य को केवल कपड़ा उद्योग से कर वसूल करके नहीं बल्कि सामान्य राजस्व से पूरा किया जाना चाहिए ।

अखबारी कागज पर बिना किसी समझदारी के लगाये गए शुल्क के बारे में कुछ शब्द और कहूंगा । मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा । लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात ही है कि अखबारी कागज पर कोई सीमा-शुल्क नहीं था । लेकिन अब 15 प्रतिशत सीमा-शुल्क लगा दिया गया है । विद्यमान स्थिति के अनुसार, समाचार-पत्र उद्योग ही अखबारी कागज का प्रमुख उपभोक्ता है । यह पहले से विदित है कि इस उद्योग को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़

रहा है। यह शुल्क लगाने में समझदारी नहीं की गई है। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं और पुरजोर अपील करता हूं कि इस शुल्क को वापिस लिया जाये। यह शुल्क छोटे और मध्यम आकार के समाचार-पत्रों को पंगु बना देने वाला है बल्कि मैं यह कहूंगा कि बड़े समाचार-पत्र भी इस बोझ को उठाने की स्थिति में नहीं हैं। अखबारी कागज पर पहले लगभग कोई शुल्क नहीं था परन्तु अचानक ही 15 प्रतिशत सीमा-शुल्क लगा दिया गया है। अतः मैं इस शुल्क को वापिस लिये जाने की अपील करता हूं। श्रीमान्, आपकी घंटी को नजरअन्दाज करते हुए.....

सभापति महोदय : मेरी नहीं ? केवल मेरी घंटी की ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देने के लिए बधाई देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं। इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा संचार साधनों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 70 करोड़ रुपये की लागत से कुल 1700 किलोमीटर लम्बाई के छः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया गया है। इस सम्पूर्ण कार्य के बारे में बोलने के लिए समय नहीं रह गया है लेकिन मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कहूंगा : मुझे एक बात यह कहनी है जो विशेष रूप से वित्त मन्त्री महोदय सम्बन्धित नहीं है बल्कि गृह मन्त्री जी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

हाल ही में कई बम विस्फोट हुए। आसाम में विद्यमान विशेष स्थिति को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे और इस बात पर निगरानी रखे कि सभी बम-विस्फोटों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि शरारती तत्वों को पता चल सके कि वे कानून के हाथों से आसानी से नहीं बच सकते। मैं आसाम ये रहा हूं और मैंने वहां के अल्पसंख्यक लोगों तथा धार्मिक, भाषायी और जातीय अल्प-संख्यकों की संकटपूर्ण स्थिति देखी है और यही लोग आसाम आन्दोलन में मुख्य रूप से प्रभावित व्यक्ति रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार इन व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए अभी तक आगे नहीं आई। अभी भी यदि आप आसाम में जायें आपको उनकी भयंकर स्थिति देखकर आघात पहुंचेगा। यह स्थिति निरन्तर बदतर होती जा रही है क्योंकि आसाम की हिंसा के शिकार इन दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए योजना जैसी कोई चीज नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इन दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अविलम्ब कार्यवाही करे।

मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। यह बात केरल के बारे में है। केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के भारत सरकार की ओर 1976-77 से लगभग 55.73 लाख रुपये बकाया हैं जोकि शेयर पूंजी अंशदान का 49 प्रतिशत है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर बकाया राशि का निगम को यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

कोचीन में एक सुगन्ध प्रसाधन कारखाना स्थापित किये जाने की भी आवश्यकता है। मैं आशा करता हू कि सदन के सामने जो बातें लाई गई हैं सरकार उन पर समुचित रूप से विचार

करेगी। तथापि यह एक ऐसा बजट है जिसने किसी व्यक्ति को नाराज नहीं किया है हालांकि कई लोगों को इसने किसी भी तरीके से प्रसन्न नहीं किया है।

श्री एन० डैनिस (नागर कोईल) : श्रीमन्, मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने परिपक्व अनुभव, बुद्धिमत्ता और अपने कठिन बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास द्वारा एक ऐसा संतुलित बजट प्रस्तुत किया है जो कि वांछित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई व्यापक नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर आधारित है और जिसमें देश में विद्यमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इससे जनता में एक अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार हुआ है और लोगों में विश्वास की भावना पैदा हुई है। विद्यमान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति ने यही भविष्यवाणी की थी कि वित्त मन्त्री महोदय के पास भारी कर लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और उन्हें भारी घाटे का बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन इन भविष्यवाणियों और उम्मीदों के विपरीत सभी व्यक्तियों को आश्चर्य-चकित करते हुए मन्त्री महोदय ने आयकर दाताओं को अतिरिक्त छूट और राहत दी है और उत्पादन-शुल्क में भी वृद्धि नहीं की है। उन्होंने बजट के घाटे का नियन्त्रण की सीमाओं में रखा है। वस्तुतः यह बजट स्पष्ट रूप से एक शानदार बजट है जिस पर समाचार-पत्रों में अनुकूल प्रतिक्रिया और सराहना तक की गई है, जैसा कि प्रैस रिपर्टों और अधिकतर जनता की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। जनता के सभी वर्गों को इस बजट से लाभ हुआ है क्योंकि आयकर निर्धारण के मामले में छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। उन्हें एक दम 30 हजार रु० तक छूट दी गइ है जिससे 25 लाख आयकर दाताओं को लाभ पहुंचा है। किसी बजट में इतने अधिक लोगों को एक साथ इस प्रकार का लाभ कभी नहीं हुआ। इस प्रकार इस राहत का लाभ वेतन भोगी वर्ग को भी हुआ हैं।

गरीबो तथा गृहणियों को राहत देने के लिये उत्पाद शुल्क के संबंध में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मूल्य वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये विभिन्न उपायों का प्रस्ताव है। बचत तथा निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए करों में छूट तथा रियायतें दी गई हैं। उत्पादन में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिससे क्रय शक्ति भी बढ़ेगी तथा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किया जा सकेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि संबंधी मांग पर नियंत्रण रखने के लिये उन्हें रियायतें दी गई हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से भी उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है। बजट के घाटे को भी एक उचित सीमा में रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, धारक बांड की बिक्री, अल्प बचत व्यवस्था, जनता से ऋण तथा बैंक की ब्याज दर में वृद्धि—इन सभी उपायों से मूल्यों में नियंत्रण होगा और साथ ही साथ मुद्रा स्फीति पर भी रोक लगेगी। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं कि गरीबों के कल्याण के लिये कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। परन्तु बजट में अनेक योजनाएं कार्यक्रम तथा कल्याणकारी उपायों का प्रावधान किया गया है। गरीबों, अपंगों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया गया है।

यह उचित ही है कि कमजोर वर्गों के लोगों को, जो कि हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग है तथा गांवों में रहता है, फायदा मिलना चाहिए। इस कमजोर वर्ग की उन्नति से देश की उन्नति होगी। इस गरीब तथा कमजोर वर्गों के लोगों को रोजगार के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं। इस कार्य के लिये करोड़ों रुपयों का आबंटन भी किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये क्रमशः 180 करोड़ रुपये तथा 198 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 30 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बजट में इसकी परिकल्पना की गई है।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये भी 110 करोड़ रुपयों +13 करोड़ रुपयों का आबंटन किया गया है। गांवों में पेय जल की व्यवस्था के लिए 110 करोड़ रुपयों का आबंटन किया गया है। इससे 36 हजार गांवों को लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त 22 हजार गांवों को इस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाया जायगा। कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन भी बढाया गया है। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को आवश्यक सहायता देने के लिए राहत उपाय किए गए हैं।

औद्योगिक विकास के लिए बजट में अत्यन्त व्यापक उपाय किए गए हैं। प्रत्यक्ष करों में छूट से बचत तथा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उत्पादन बढ़ेगा। हमारी नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विकास के लिए प्रावधान किये गये हैं तथा उन उद्योगों के विकास के लिए योजनायें स्वीकृत की गई हैं। सम्पदा शुल्क में छूट तथा ब्याज दरों में वृद्धि से भी बचत होगी तथा उत्पादन बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत, कोयला, तेल उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आबंटन बढ़ा दिया गया है। इन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कोयले के क्षेत्र के लिए 580 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। यह पिछले वर्ष से 31 प्रतिशत अधिक है। विद्युत उत्पादन के लिए 721 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। तेल की खोज तथा प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के लिए 101.1 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज तथा विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष 132 मिलियन टन के रिकार्ड उत्पादन की आशा है। यह उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 23 मिलियन टन अधिक है।

जहां तक क्रियान्वयन का संबंध है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए आबंटन सराहनीय ढंग से किया गया है। इस सरकार में सारे कार्यक्रमों तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने की इच्छा-शक्ति है। यह सरकार एक स्थायी सरकार है तथा एक स्थायी सरकार ही स्थायी नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा तथा उनका क्रियान्वयन कर सकती है। हमारी सरकार संगठित दल के रूप में भी काम करती है। परन्तु हम जो भी कार्यक्रम तथा योजनाएं क्यों न बना लें, जब तक उन्हें प्रभावी ढंग से तथा सावधानीपूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपेक्षित

परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे । बजट में किए गए अच्छे प्रस्तावों तथा आवंटनों का लाभ उन लोगों तथा स्थानों पर पहुंचना चाहिए जिनकी बजट में अपेक्षा की गई है । ये लाभ पददलित तथा गरीब लोगों तथा इस विशाल देश के दूरस्थ स्थानों तक भी पहुंचने चाहिए । गरीब व्यक्तियों को दी गई रियायतों का लाभ बिचौलिये तथा मध्यस्थ व्यक्तियों को नहीं लेने दिया जाना चाहिये ।

इस सरकार द्वारा तस्करों, काला बाजारियों तथा जमाखोरों के विरुद्ध भी कड़े उपाय अपनाए गए हैं ।

जहां तक विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है, अभी उद्योग, घनी आबादी वाले शहरों तथा नगरों में स्थापित किये गये हैं । उद्योगों को उन गांवों में लगाया जाना चाहिये जहां रेल तथा सड़क और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों । वहां पर जनशक्ति उपलब्ध है तथा उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए । गांवों की उन्नति केवल औद्योगिकीकरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है । इससे शहरों तथा ग्रामीण इलाकों के परस्पर अन्तर को कम किया जा सकेगा तथा गांवों से निराश्रितो के नगरों तथा शहरों की ओर पलायन से भी बचा जा सकेगा । समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार द्वारा किए गए व्यय का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए ।

मैं इस सदन तथा माननीय वित्त मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मछेरों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है । उनकी हर हालत में सहायता की जानी चाहियें । इन स्थानों पर समुद्री कटाव भी होता है । समुद्री कटाव को रोकने के लिए स्थायी उपाय करने पड़ेंगे ।

किसी उद्योग को शुरू करने के लिए अनेक औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं । किसी उद्योग का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी तक से एक प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है । इससे विलम्ब होता है तथा इस विलम्ब को कम किया जाना चाहिये । राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में जनता बहुत अधिक कठिनाई महसूस कर रही है । माननीय मंत्री महोदय ने खनिज विकास के लिए 223 करोड़ रुपये आबटित किये हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि कन्याकुमारी जिले में टिटेनियम उद्योग स्थापित करने के लिए काफी गुंजाइश तथा सुविधायें हैं । मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय वहां टिटेनियम उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आबंटन करने की कृपा करेंगे ।

विशेष पर्वतीय विकास कार्यक्रम के लिए 92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । पश्चिमी घाट पर्वतीय विकास कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम बहुत लम्बे समय से बिना क्रियान्वयन के लम्बित पड़ा हुआ है तथा माननीय वित्त मन्त्री महोदय पश्चिमी घाट पर्वतीय विकास कार्यक्रम के विकास के लिए धन की व्यवस्था करने की कृपा करें तथा इसके कार्यान्वयन के लिए शीघ्र प्रयास किये जायें ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टगंज) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत 1981-82 के बजट का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसके पूर्व कि मैं

अपने विचारों को रखूं. मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है पिछले कई वर्षों में इस तरह का बजट प्रस्तुत नहीं हो सका था। आप देखें कि जो करदाता हैं उनको काफी रियायतें इसमें दी गई हैं और वह उन्होंने ठीक ही रियायत दी क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से खासकर हमारे मिडिल क्लास और छोटे तबके के लोगों की कमर झुक गई थी, उसको थोड़ा सीधा करने का मौका हमारे वित्त मन्त्री ने दिया है और इसीलिए सभी लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है। केवल यही नहीं, पहली बार इस बजट में जो उत्पादन शुल्क होता है वह नहीं लगाया गया है। इससे भी लोगों को काफी राहत मिली है। आपको और सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जब बजट प्रस्तुत होने वाला था उस दिन बहुत से लोगों में आशंकाएं थीं कि ऐसा बजट प्रस्तुत होने वाला है जो हिन्दुस्तान के लोगों के लिए कठिनाई पैदा करेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देखें उत्पादन शुल्क न बढ़ने से भी बचत को बढ़ावा मिला है। केवल यही नहीं, बल्कि सदन में जो चार रोज से इस पर विचार चल रहा है उसमें विरोधी दलों के लोगों की प्रतिक्रिया मैंने ध्यान से सुनी। उधर से देखें, लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह ने एक कहावत के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरानी शराब नयी बोतल में लाने का प्रयास किया गया है। यह उन्होंने कहा लेकिन मुझे याद है कि फरवरी सन् 1979 में जो बजट उन्होंने रखा था उससे क्या हालत हुई थी, यह सभी को मालूम है। वही नहीं बल्कि जो एच० एम० पटेल ने 1978 में बजट रखा था उससे सब चीजों की महंगाई बढ़ गई थी और व्यापक रूप से उसका असर जन-मानस पर पड़ा था। उस समय से जो हमारे उपभोक्ताओं की कमर टेढ़ी हुई है वह आज भी सीधी नहीं हुई है। केवल इस बजट ने कुछ उसे सीधा करने की कोशिश की है। इसलिए चारों तरफ इस बजट का स्वागत हुआ है।

आप मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों को देखें, उन्हें न जाने कहां से इसमें यह दिखाई देता है कि यह रिलीफ केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों को मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं कि जब सदन ने अपने देश की अर्थ-व्यवस्था में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को मान लिया है तो निश्चित तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि उन सभी लोगों को, जो उत्पादन बढ़ाने में सहयोग देते हैं, हमें कुछ रिलीफ देनी ही होगी। आज उस विचारधारा का कोई महत्व ही नहीं है कि देश में अगर सम्पन्नता बढ़ती है तो केवल पूंजीपति ही उसका लाभ उठाएंगे। निश्चित तौर से अगर देश में सम्पन्नता बढ़ती है, अर्थ-व्यवस्था उत्तरोत्तर अच्छी होती जाती है चाहे उसमें प्राईवेट सेक्टर का हाथ हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का हाथ हो, वह आम लोगों की समृद्धि और आम लोगों के कल्याण की बात होती है। इसलिए जो मार्क्सिस्ट लोगों की आलोचना है उसमे भी कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अडवानी जी के विचार हमने राज्य सभा में सुने और यहां पर भी उस पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया सुनी। उन्होंने कहा कि इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार ने केवल एक ही वर्ष में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है और उसे 21 परसेंट से 13 परसेंट पर ले आयी है।

क्या उस इनफ्लेशन को कंट्रोल करने का और इस बजट में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया है ? मेरा निश्चित मत है कि उसका प्रयास किया गया है। आपने देखा कोयले

के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिजली का उत्पादन 6 प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह से लोहा, सीमेंट का उत्पादन भी एक साल में बढ़ा है, और पिछले तीन सालों में जब माननीय दंडवते जी की सरकार रही उसमें इंडस्ट्रियल उत्पादन माइनस 1.4 परसेंट रह गया था। क्या अब एक साल में यह 4 परसेंट नहीं बढ़ा है ? इसलिए यह कहना कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जो दूसरी विचारधारा के माननीय सदस्य हैं, जैसे माननीय बनातवाला, जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन चूंकि विरोधी दल वालों को कुछ न कुछ आलोचना करनी है इसलिये ऐसा करते हैं। वैसे सारे विरोधी दल के लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। अर्स कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं माननीय चव्हाण और माननीय जगजीवन राम जी, उनको भी कहना पड़ा है कि यह बजट फेयरली गुड है, यद्यपि उन्होंने कहा इसमें कुछ शंकायें हैं। मेरा कहना है कि शंका कहां है ? कहीं नहीं है। जो बजट आया है अपने देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा जी ने निश्चित तौर से देश की इच्छाओं और आकाक्षाओं को और उनके दर्द को समझा है और इसको समझने की उनमें अद्भुत ताकत है और उसी का प्रतीक यह बजट है। इसलिये हम सबको इसका स्वागत करना चाहिये।

आप देखें कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है ? वित्त मत्री जी ने पंचवर्षीय योजना की भी इसमें चर्चा की है। विरोधी दल ने जब हमारी सारी प्लानिंग को अस्तव्यस्त कर दिया था रोलिंग प्लान की बात करके, जो प्लानिंग बिगड़ चुकी थी, उसको हमारी सरकार ने रेकार्ड टाइप में ठीक किया है। हमारी सरकार ने छठी योजना बना कर देश के सामने रखी है जिसमें 97,500 करोड़ रु० व्यय होगा और जब उसका क्रियान्वयन होगा तो हमारी आर्थिक असमानता घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी और निश्चित तौर से जो हमारी आर्थिक दिशा बिगड़ी हुई थी उसमें सुधार होगा।

इस बजट में केवल यही नहीं कि हमें कुछ रियायतें दी गई हैं, बल्कि निश्चित दिशा भी दी गई है। एक वर्ष का बजट होता है यह एक दिशा है। क्या यह ऐसी दिशा नहीं है जिसमें गरीबी मिटाने की चर्चा है, असमानता मिटाने की चर्चा है और उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है ? आज जो सरकार है यह मानिटरिंग करके देश की बुनियादी जरूरत की चीजों को बढ़ाना चाहती है। जो बजट की आलोचना करते हैं वह हकीकत से बहुत दूर हैं। हमें इसका समर्थन करना चाहिये।

अब मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहूंगा। मान्यवर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और आबादी का पांचवां हिस्सा वहां रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के ऐसे कुछ हिस्से हैं जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिले, बुंदेलखंड के 5 जिले और पहाड़ के 8 जिले, जिनके विकास के लिये हमें धन उपलब्ध नहीं हो सका है। यदि पिछले साल जो केन्द्रीय सहायता उद्योगों को लगाने के लिये जो मिली उसमें देखें तो 1500 करोड़ में से 500 करोड़ मिलनी चाहिये जो आबादी के हिसाब से 5 प्रतिशत होती है। इसमें हमारे प्रदेश की क्या गलती है अगर उतनी सहायता हमको नहीं मिलती है। इससे एक तरह का रीजनल इम्बैलेंस पैदा होता है। आपको निश्चित तौर से इस बार यह प्रयास करना होगा कि यह जो गैप बढ़ता जा रहा है वह कम हो।

माननीय, बिजली की जो खपत होती है वह पर कैपिटा इन्कम का द्योतक होती है। उत्तर प्रदेश में अभी केवल 88.56 यूनिट बिजली प्रति व्यक्ति खपत है। जबकि हमारी कई स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब में 360 यूनिट्स, दिल्ली में 347 यूनिट्स प्रति व्यक्ति है। हमारे यहां बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जो अभी भी बहुत पीछे हैं। मैं केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कहना चाहता हूं —मैं उड़ीसा की बात भी कहता हूं, मध्य प्रदेश की बात भी कहता हूं—जहां-जहां रीजनल इम्बैलेंसेज़ हैं, उनको भी आपको दूर करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीयता के हिसाब से यह ठीक बात नहीं है।

इसके अलावा यहां पर शिक्षा के बारे में भी कहा गया है। आज हमें आज़ादी मिले हुए 33 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी भी हम शिक्षा के क्षेत्र में समानता प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमें इस दृष्टि से देखना चाहिये कि कौन-कौन से राज्य अभी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं तथा हमें उनके शिक्षा के खर्चे में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा के विषय को केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाय, क्योंकि राज्य की सूची में होने से उनका स्तर धीरे-धीरे गिरता जा रहा है।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि बैंकों के सम्बन्ध में आपने जो नीति निर्धारित की है उस नीति के अनुसार हमारे पिछड़े हुए लोगों को, हमारे हरिजनों और आदिवासियों को, सहायता नहीं मिल रही है। जो प्रतिशत आपने हमारे मार्जिनल किसानों के लिये निर्धारित किया है, बैंकों द्वारा उसमें इतनी अड़चनें पैदा कर दी जाती हैं, जिससे उन लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। अभी मैं रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को देख रहा था उसमें दिया गया है कि तीन-चौथाई हिस्सा बड़े-बड़े काश्तकार ले गये, छोटे काश्तकारों को उसका लाभ नहीं पहुचा। मेरा अनुरोध है कि इसका समान रूप से वितरण कराने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये, तभी उन लोगों का विकास हो सकता है तथा जो सहायता आप देना चाहते हैं वह उन लोगों को पहुंच सकेगी।

रूरल रीकंस्ट्रक्शन (गांव के निर्माण) के नाम पर आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सहायता के लिए काफी रकम दे रहे हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हैं। मेरा सुझाव है कि आप कामर्स मिनिस्ट्री, इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में निश्चित तौर पर एक सैप्रेट सेल बनाइये जो इस बात को देखे कि जो पैसा आपने दिया है वह उनके हितों के लिए खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है।

गुजरात और असम में जो कुछ हो रहा है—उसके सम्बन्ध में भी कुछ कहे बिना नहीं रह सकता। वहां की समस्याओं पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होना। हमें आजाद हुए 33 वर्ष बीत चुके हैं – अभी देश के बहुत से भागों में बहुत से हरिजनों और आदिवासियों को रिकगनाइज नहीं किया गया है। 1967 में वह बिल पास हुआ था, तब से आज तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, अनेक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जातियां छुटी हुई हैं। दूसरी तरफ गुजरात में जो हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें समयबद्ध कार्यक्रम चलाना चाहिये। यदि आपको 1 प्रतिशत नौकरियां देनी हैं तो एक निश्चित समय के अन्दर दे डालिये, उनका जो भी आर्थिक उत्थान करना है, वह एक निश्चित समय के अन्दर हो जाना

चाहिये । बहुत दिनों तक अब इस स्थिति को चलाया नहीं जा सकता । संविधान के अन्दर हमें जो संरक्षण दिया गया है वह हमें मिल नहीं रहा है और दूसरी तरफ लोग ईर्ष्या और रोष से पागल हो रहे हैं । इसको 30-40 वर्षों तक न घसीटा जाय, आगामी छठी या 7वीं योजना के अन्त तक उनका विकास करके उनको भी उसी लाइन तक पहुंचा दिया जाय, जहां तक दूसरे लोग हैं, तभी उनका कल्याण हो सकता है । यही मुझे निवेदन करना था ।

श्री एन० सुन्दर राजन (शिवकाशी) : मैं अपनी पार्टी, अखिल भारतीय अन्ना द्र० मु० क० की ओर से बजट का स्वागत करता हूं । साथ ही साथ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि बहुत सारी रियायतों तथा धारक बांड योजना के कारण बजट से काला-बाजारियों तथा बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन मिलता है । दूसरे शब्दों में, सत्तारूढ़ दल वास्तव में बड़े उद्योगपतियों की मुट्ठी में है जिनके कारण सत्तारूढ़ दल का निर्वाचनों में सफलता प्राप्त करना सम्भव हो सका ।

इतनी अधिक पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के बावजूद हम देखते हैं कि 17,000 करोड़ रु० से अधिक का निवेश होने पर भी सरकारी उपक्रमों में केवल 12,000 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन हुआ ।

कुछ नेताओं ने इस बजट को एक जुआरी का बजट बताया है; परन्तु मैं उनके विचार का समर्थन नहीं करना चाहता । लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं यह बजट आम आदमी का बोझ कभी कम नहीं कर सकता तथा न ही यह आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम कर सकता है ।

अपनी पार्टी की ओर से यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार के प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, विशेषकर कैलासम आयोग की नियुक्ति के संबंध में किसी भी हस्तक्षेप की तमिलनाडु की जनता द्वारा कड़ी निन्दा की जाएगी । यदि वर्तमान सरकार गैर कांग्रेस (आई) राज्य सरकारों से सद्भाव सम्बंधी अपना वादा पूरा करना चाहती है तो यह ठीक और अच्छी बात है हमारे भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री वाई० वी० चव्हाण ने कल इस बात का ठीक-ठीक उल्लेख किया था कि इस प्रकार का हस्तक्षेप केवल 'राजनीति से प्रेरित' था । अतएव केन्द्रीय सरकार को तमिल भाषियों के दिलों में किसी प्रकार संशय उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि केन्द्र कुछ छोटी-छोटी बातों के आधार पर राज्य सरकार पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है । यदि केन्द्रीय सरकार कैलासम आयोग की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करती है तो इससे निश्चय ही यह विचार उत्पन्न होगा कि केन्द्रीय सरकार को गैर-कांग्रेस (आई) शासित राज्य सरकारों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में कोई विश्वास नहीं है । इस प्रकार के हस्तक्षेप से अन्य सभी राजनैतिक दलों के नेताओं में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं । सरकारिया आयोग का क्या हाल हुआ था ? क्या उसके निष्कर्षों को स्वीकार किया गया था ? किसी प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये ।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, सरकार को यह प्रयास करना चाहिये कि इससे बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न हों तथा 33 करोड़ व्यक्तियों में से, जो लोग अभी

भी गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे रह रहे हैं, समाज के उन कमजोर वर्गों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि न तो कोई राजनीतिक दल और न ही कोई बड़ा उद्योगपति धारक बांड योजना का लाभ उठाये। मैं अनुरोध करता हूं कि माचिस उद्योग पर से रेलवे अधिभार पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये। माचिस हमारे देश के सभी लोगों के लिए अत्यन्त आवश्यक वस्तु है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले बजट में राज्यों का हिस्सा 7,176 करोड़ रु० करने के लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वे तमिलनाडु में हमारी औद्योगिक विकास संबंधी सभी मांगों को ध्यान में रखेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है। भारत सरकार को चाहिए कि वह होसनेकल विद्युत परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार की सहमति प्राप्त करें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मुझे यह लगता है कि तमिलनाडु में सत्ताधारी दल के कुछ संसद सदस्य विश्व बैंक की सहायता से पुगलूर में लगाई जाने वाली तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल का विरोध कर रहे हैं। इसकी राजनीतिक रूप से कोई भी व्याख्या की जाए, सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहली बार विश्व बैंक ईक्विटी पूंजी लगा रहा है। इस परियोजना के पूरे किये जाने में अब और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए।

मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि कलपक्कम परमाणु संयंत्र भी जल्दी ही पूरा किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है।

आज जब आम बजट पर आगे बहस की गई थी तो सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इस पर आज सारे दिन बहस जारी रखी जाए तथा वित्त मंत्री कल जवाब देंगे।

मैंने अध्यक्ष महोदय से विचार-विमर्श किया है उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि आम बजट पर हुई आज बहस के बारे में वित्त मंत्री के जवाब, लेखानुदान मांगों (आम बजट) को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करने, एवं विनियोग (लेखानुदान) विधेयक के पुरःस्थापन, उस पर विचार किये जाने, को प्रश्न काल के एक दम बाद और औपचारिक विषयों जैसे सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर कल चर्चा की जाएगी। कल के लिए सभा की कार्यवाही तदनुसार की जाएगी।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट विकास और निर्यात को बढ़ावा देगा और इससे ग्रामीण लोगों का भी उत्थान होगा।

परन्तु मैं माननीय वित्त मत्री की इसलिए अवश्य आलोचना करूंगा कि परम्परा से बजट प्रस्तुत करते हुए विपक्ष को सरकार की नीति की आलोचना करने का अवसर दिया जाता है। परन्तु इस वर्ष वित्त मंत्री ने विपक्ष को सरकार की नीति की आलोचना करने का अवसर नहीं दिया। यह बहुत अच्छी बात है। इस वर्ष उन्होंने बहुत होशियारी से और बहुत अच्छी तरह विपक्ष को बजट की आलोचना करने के अवसर से वंचित कर दिया परन्तु मैं विपक्ष की ओर से आलोचना करता हूं और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभा में बोलते हुए श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि यह जुआरियों का बजट है। एक आदमी जुआ नहीं खेल सकता। एक से अधिक आदमी होने चाहिएं। अगर मैं श्री आर० वेंकटरामन, जार्ज फर्नान्डीस, वाजपेयी जी और इन्द्रजीत गुप्त को एक मेज पर बैठा दूं और एक ताश की गड्डी लेकर उसे फेंटू और ज्योतिर्मय बसु, मणिराम बागड़ी और श्री नाडार को ताश की गड्डी के जोकर मान लूं तो मैं शर्त लगाता हूं कि हमारे वित्त मंत्री को बिना किसी जोकर की मदद के सीक्वेंस मिल जायेगा। उनमें इतनी क्षमता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : गुलाम और बेगम का क्या होगा ?

श्री संतोष मोहन देव : गुलाम और बेगम तो आपके पास हैं। वित्त मंत्री ने यह साबित कर दिया हैं कि वे श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थ नेतृत्व में अपने दो उप मत्रियों के साथ मिलकर समाज के सभी वर्गों की नब्ज पहचान सकते हैं। उन्होंन प्रत्येक वर्ग की शिकायतें इस तरह दूर की हैं कि बजट की आलोचना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

महोदय, माननीय श्री रवीन्द्र वर्मा ने बजट पर बोलते हुए रुपये के वर्तमान मूल्य संबंधी आंकड़े दिये और सभा को यह समझाने की कोशिश की कि आयकर सीमा 8000 रुपये से 15,000 रुपये तक इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि रुपये का मूल्य घट गया है और वेतनभोगी लोगों को जो लाभ दिया जा रहा है वह रुपये के वर्तमान मूल्य की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। क्या मैं श्री वर्मा से, जो स्वयं मंत्री रह चुके हैं, यह पूछ सकता हूं कि उनके जमाने में रुपये का मूल्य क्या था और उन्होंने उस समय आय कर सीमा क्यों नहीं बढ़ाई थी। क्या उस समय उन्हें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। अब वे सरकार की आलोचना करते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त कहते हैं कि आपने ऐसे वर्ग को यह लाभ पहुंचाया है जो आवाज उठाता है। उनका कहना है कि सरकार के पास और कोई विकल्प ही नहीं है। चलिये, यदि वे कुछ श्रेय लेना चाहते हैं तो उन्हें लेने दीजिए। परन्तु मुझे यह देखकर दुख हुआ कि उन्होंने वित्त मंत्री की प्रशंसा में एक शब्द नहीं कहा। हम देखते हैं कि यह श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। जैसे कि माचिस उद्योग के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने लघु और मध्यम पैमाने के माचिस कारखानों की भलाई के लिए एक विशेष विनियम्

प्रस्तुत किया है ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके जिनके हितों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं—क्या वित्त मंत्री की प्रशंसा में कुछ कहना उनका दायित्व नहीं था ?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संबंध पूर्वोत्तर राज्यों से है और मुझे कहना होगा कि इस वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों को रेलवे और सामान्य बजट दोनों में बहुत से लाभ मिले हैं जिनके लिए मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री दोनों को अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूं । परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी धारणा बनी हुई है कि जब तक कोई आन्दोलन नहीं होता लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती । बहुत से अन्य सदस्यों ने अपने क्षेत्रों के बारे में शिकायतें की हैं जिन्हें सरकार को अपने अगले बजट में उन्हें दूर करना चाहिए । महोदय, मैं वित्त मंत्री और सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में कमजोर वर्गों के लिए बहुत सी सुविधायें दी गई हैं परन्तु मैं उप वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इस बात पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनायें कि राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से ये सुविधायें आम आदमी तक पहुंच रही हैं । यह बहुत आवश्यक है । आज सभा के शून्य काल में श्री मल्लिकार्जुन के विरुद्ध आवाज उठाई गई जो रेलगाड़ी से बिना टिकट यात्रा करने वालों की जांच करने गये थे । इस बारे में बहुत हंगामा हुआ । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे भेष बदल कर किसी बैंक में जायें । वे आम आदमी की तरह धोती या पाजामा पहन कर जायें । वे जरा बैंक प्रबंधक को कोई सहायता मांगने के लिए अर्जी दें फिर देखें कि बैंक प्रबन्धक उसका क्या करता है । तब उन्हें वस्तुस्थिति का पता चलेगा । श्रमिक संघ नेता मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करें । कमजोर वर्गों के लिए नियत सभी लाभ बैंक कर्मचारी अपने लोगों को देते हैं और इस तरह देश के कमजोर वर्गों को ये लाभ नहीं मिल पाते । जब भी कमजोर वर्ग की सहायता के लिए कोई प्रस्ताव सामने आता है तो ऐसे कर्मचारियों की कमी नहीं है जो इसमें अड़चनें डालते हैं । महोदय, सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलना चाहिए । एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो इस बात पर नजर रखे कि यह सभी बातें ठीक से लागू हो रही हैं । श्री मकवाना के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास सम्बन्धी एक समिति है । यह समिति पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई है । मैं प्रधान मत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया । उस क्षेत्र में अनेक प्रकार का कच्चा माल है जिसकी सहायता से हम यहां विभिन्न औद्योगिक एकों की स्थापना कर सकते हैं । सरकार पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुकी है । उसे लागू किया जाना चाहिए । मैं मकवाना समिति से अनुरोध करता हूं कि वे इस रिपोर्ट पर विचार करें और उनकी सिफारिशों को लागू करें । श्री बीजू पटनायक कल कह रहे थे कि वे एक अच्छे खिलाड़ी हैं और वे अपनी युवावस्था में चैंपियन थे । उनके अन्य काम रेड्डी ने भी इस बात की पुष्टि की कि वे अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने जेलों में भी प्रतियोगिता में भाग लिया जहां उनकी विजय हुई । उनके कथन के अनुसार मेरा विश्वास है कि वे अब भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं । तो फिर उन्हें दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों पर आपत्ति क्यों है ? माननीय वित्त मंत्री ने इतना दब कर यह क्यों कहा कि इन एशियाई खेलो पर व्यय धन स्थायी महत्व का होगा । महोदय मुझे मास्को में ओलंपिक खेल देखने का अवसर प्राप्त हुआ था; मैंने अपनी हॉकी टीम को अन्तिम मैच में जीतकर स्वर्ण पदक

लेते हुए देखा है। 65 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश केवल एक स्वर्ण पदक ले सका और उसे भी जब तब विभिन्न देश छीन लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतनी बातें करते हैं परन्तु आपने पश्चिम बंगाल में किये हमारे विजिट दौरे के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री सतोष मोहन देव : महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को खेलों में आगे ले जाने और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिएं। दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों से हमें यह अवसर प्राप्त होगा। इन खेल क्षेत्रों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि उनमें विश्व के अन्य उन्नत देशों की भांति सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। हाकी के क्षेत्र में हमारे पास श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं परन्तु एस्ट्रो-टर्फ के बिना हमारे खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर नहीं खेल सकते। क्योंकि हमारे देश में उपलब्ध घास के मैदान की तुलना में एस्ट्रो-टर्फ पर कार्नर किक और गोल अधिक जल्दी किया जाता है। माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हाकी के लिए ऐस्ट्रो-टर्फ उपलब्ध करायें ताकि हमारी टीम को विश्व प्रतियोगिता में खेलने के लिए तैयार किया जा सके। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि इन खेल काम्प्लैक्सों में खेल की दृष्टि से विकसित देशों की भांति सभी आधुनिक उपकरण होने चाहिएं। मेरा यह भी अनुरोध है कि ऐशियार्ड के सम्बन्ध में बनाये जाने वाले खेल काम्प्लैक्स इस प्रकार बनाये जायें कि भविष्य में हम दिल्ली में एक खेल विश्वविद्यालय बना कर अपने देश की युवा प्रतिभाओं को सामने ला सकें और अपनी आगामी खिलाड़ियों की पीढ़ी बनाने के लिए उन्हें ठीक से प्रशिक्षण दे सकें। मैं आशा करता हूं कि श्री मधु दंडवते भी मुझसे सहमत होंगे। मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा। महोदय, हम ससद सदस्य देश के विभिन्न भागों से सम्बन्ध रखते हैं। हमने एक बात देखी अपनी सभी चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद दिल्ली में सभी नागरिकों की चिकित्सा आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। देश के सभी भागों से लोग दिल्ली में चिकित्सा के लिए आते हैं परन्तु उन्हें अस्पतालों में दाखिला मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक अस्पताल में प्रतिदिन रोगियों की भीड़ रहती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या प्रत्येक अस्पताल में एक बड़ा सामुदायिक कक्ष बनाया जा सकता है ताकि जब तक मरीजों को चिकित्सा गृहों में दाखिला मिले तब तक वे इस सामुदायिक कक्ष में रह सकें। यदि आवश्यक हो तो उनके रहने के लिए उचित किराया भी लिया जा सकता है। यह बात आवश्यक है क्योंकि चिकित्सा के लिए दिल्ली आने वाले गरीब लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने की भागदौड़ में इन रोगियों का रोग बढ़ जाता है।

महोदय, मैं असम सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आन्दोलनकारी छात्रों से बातचीत करे ताकि वर्तमान ठहराव की स्थिति का अन्त हो। इसे अब और नहीं टालना चाहिए। महोदय, मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि असम में समाचार पत्रों पर लगाया गया नियंत्रण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस नियंत्रण की बहुत आलोचना हो रही है। यद्यपि आरम्भ

में यह अच्छे उद्देश्य से लगाया गया था। अब यदि इसे हटा दिया जाता है तो इससे हमें असम में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में और राज्य की ज्वलन्त समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलेगी।

मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री को यह बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं जो विपक्ष को छोड़कर सभी दलों के लिए बहुत अच्छा प्रेरणादायक बजट है।

मैं यह देख रहा हूं कि विपक्ष के लगभग सभी सदस्य अपनी-अपनी वास्तविक सीटों से उठकर विपक्षी बेंचों की पहली अथवा दूसरी पंक्ति में आकर ही बोल रहे हैं ताकि वे अपने भाषण में गति एवं बल पैदा कर सकें। फिर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस बजट की आलोचना करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। महोदय, आप एक मजदूर नेता हैं। उन्हें आपसे कुछ सीखना चाहिए। देश के लिए हमारा योगदान अधिक है तथा बेहतर ढंग से किया गया है। मैं मजदूर नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे हड़तालें करने की बजाय, जैसा कि वे बंगलौर में, बैंकों में और जीवन बीमा निगम तथा अन्य क्षेत्रों में कर रहे हैं, देश में स्वस्थ वातावरण बनायें। यदि वे कामगारों के लिए अच्छी स्थिति पैदा कर पायें, जिससे कि देश में उत्पादन बढ़ेगा, तो घाटे का बजट अगले वर्ष मुनाफे का बजट बन जायेगा और इससे देश के दलित वर्गों समेत सभी लोग संतुष्ट होंगे, जिनके लिए विपक्ष मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है।

श्री बाला साहिब बिखे पाटिल (कोपरगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आभारी हूं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आयकर में छूट दी है और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी है। सबसे बड़ी बात जो पिछले बजट में की गई थी वह यह थी कि बड़े उद्योगपति जो ट्रस्ट बनाते हैं, उन पर टैक्स लगाए गए थे। अब ओरल ट्रस्टों और दूसरे ट्रस्टों पर इन टैक्स और वैल्थ टैक्स लगाकर उनको टैक्स इवेजन चैक करने की कोशिश की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में काला धन पैदा नहीं होना चाहिए. लेकिन हो रहा है। इस ओर सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार ध्यान दे भी रही है इसके बाद भी यदि काला धन कमाने वाले सामने नहीं आते तो इसके लिए और कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। वित्त मन्त्री ने इस बारे में राज्य सभा में एक बयान भी दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बजट का देश की राजनीति से बहुत अधिक सम्बन्ध है। आज देश में दो बातों की जरूरत है। एक तो कीमतें नहीं बढ़नी चाहिएं। इस बजट से जनता में यह भावना पैदा हुई है कि कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि ऐसे नफाखोरों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्यवाही करे जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बजट के परिणाम के बारे में एक उदाहरण यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा ताल्लुक चीनी और पेपर मिलों से । बजट से पहले एक कोटेशन लिया और बजट के बाद जब वही कोटेशन लिया तो 50 लाख का कोटेशन 35-38 लाख में ही

दे दिया । यह कहा जाता है कि स्टील की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और बजट के पहले ही बढ़ा दिया गया । यह भी कहा जाता है कि बजट का नया ढांचा बन रहा है । बजट के पहले ही दाम बढ़ा दिए गए थे । इस सम्बन्ध में पब्लिक सैक्टर पर भी बहुत अटैक होता है और कहा जाता है कि वह ठीक काम नहीं कर रहा है । मैं समझता हूं कि उसका काम तो ठीक होना ही चाहिये लेकिन उसके साथ-साथ उसको और ज्यादा मजबूत करना भी जरूरी है । अगर पब्लिक सैक्टर नहीं होता तो प्राइवेट उद्योगपति पता नहीं क्या-क्या कर देते । पब्लिक सैक्टर की वजह से ही उन पर कुछ चैक लगा हुआ है । पब्लिक सैक्टर में इस्पात कारखाने हमने स्थापित किए हैं । वहां जो स्टील पैदा होता है अगर उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं तो अच्छा किया गया है । अगर स्टील के दाम समय पर नहीं बढ़ाते तो हमारा घाटा और बढ़ जाता । तेल हम विदेशों से मंगाते हैं, डीजल हम विदेशों से मंगाते हैं । वहां पर इनके दाम बढ़ा दिए गए हैं । इसकी वजह से हम को भी बढ़ाने पड़े हैं । अगर हम समय पर दामों को न बढ़ाते तो हमारा बजट का घाटा और भी बढ़ जाता । अब हमारा घाटा 1500 करोड़ का है अगर हमने दाम नहीं बढ़ाए होते तो वह 2500 करोड़ का हो सकता था । पब्लिक सैक्टर घाटे में जाता है इसका उपाय भी होना चाहिये । बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने जब स्टील के दाम बढ़ाए तो हम भी स्टील के दाम न बढ़ाएं और घाटे को पूरा करने की कोशिश न करें तो बजट का घाटा और भी बढ़ेगा । इस वास्ते आपको आगे भी समय पर दाम बढ़ाने चाहिये । आयातित वस्तु के दाम जब बढ़ जाते हैं तो आपको भी उसी समय उसके दाम बढ़ा देने चाहिये । ऐसा आपने किया तो बजट का घाटा रुक सकता है और इनफ्लेशन का जो रेट है उसको भी आप काबू में रख सकते हैं ।

उत्पादन के लिए यह अच्छा बजट है । इसमें जो इंसेंटिव दिए गए हैं वे स्वागत योग्य हैं । यह कहा जाता है कि इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा । इसको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ है । यह भी कहा गया है कि मध्यम वर्ग को आयकर में छूट दी गई है और यह मध्यम वर्ग वालों का बजट है । इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । एल० आई० सी० के जो कर्मचारी हैं या दूसरे बड़े कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं और जिनकी तनख्वाहें तीन-तीन और चार-चार हजार हैं और जो आर्गेनाइज्ड हैं, मैं समझता हूं कि वे एजीटेशनें करके और काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में भी आपको सोचना होगा । जो अनआर्गेनाइज्ड हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो छोटा किसान हैं उनकी तरफ हमको विशेष ध्यान देना होगा । इनके लिए जो बहुत ज्यादा देश के लिए कांट्रीब्यूशन कर रहे हैं कुछ काम करने की कोई कोशिश नहीं करता है, इसका मुझे खेद है ।

एक्सपोर्ट के लिए भी यह अच्छा बजट है । फ्री ट्रेड जोन से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें और भी ज्यादा वृद्धि की गुंजाइश है । चूंकि तेल से आयात पर हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है इस वास्ते हमें अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहिये । चीनी के एक्सपोर्ट पर आपने बन्दी कर दिया है—उसे हटाना चाहिए । हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि चीनी का उत्पादन चूंकि बढ़ने वाला है इस वास्ते इसके एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा हुआ है उसको हटा लेना चाहिये ।

ओनियन की पैदावार भी बहुत ज्यादा हुई है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वैगंज नहीं मिलते हैं। अगर हम इसका एक्सपोर्ट करें तो हमें 35 करोड़ से भी ज्यादा की विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त हो सकती है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। अनाज के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं लेकिन इसका एक्सपोर्ट हम नहीं करना चाहते हैं। हम किसान को रिम्युनरेटिव प्राइस देना चाहते हैं। अनाज की मौनोपौली प्रौक्योरमेंट भी हम करने नहीं जा रहे हैं। ट्रेड का नैशनलाइजेशन नहीं होता है तो ओनियन के एक्सपोर्ट के लिए हम को कोशिश करनी चाहिये। इससे छोटे किसान को फायदा होगा। उसको नहरी पानी नहीं मिलता है। ट्यूब वैल, कुएं का, लिफ्ट इरिगेशन का पानी ही उसको मिलता है। उसके हित में इसका निर्यात आवश्यक है। ओनियन अंगर भेजा नहीं जाता है समय पर तो वह सड़ जाता है और उससे किसान को घाटा होता है। उसको अगर घाटा हुआ तो अगले साल इसका उत्पादन कम होगा और किसान को भी तकलीफ होगी।

जहां तक पब्लिक सैक्टर का संबन्ध है उसमें सुधार होना चाहिये। साथ ही साथ उसमें और ज्यादा पैसा लगाना जरूरी हो तो वह भी लगाया जाना चाहिये। इस्पात उद्योग ने अच्छा काम किया है। टैक्सटाइल के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। मैं चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट तैयार हो और उनका वितरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिये हो। साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना भी पब्लिक सेक्टर में जरूरी है। ऐसा करने पर ही हम वितरण व्यवस्था में सुधार ला सकेंगे और कीमतों को नियंत्रण में रख सकेंगे। अन्यथा हम वितरण करेंगे, लेकिन फेयर प्राइस शाप्स से कनज्यूमर्ज को लाभ नहीं हो सकेगा।

कहा जाता है कि पब्लिक सैक्टर में बहुत घोटाला है, वह ठीक काम नहीं कर रहा है। हिन्दुस्तान में कितने प्राइवेट उद्योग सिक हो चुके हैं? हम यहां हाउस में सुनते हैं कि सिक मिलों का पुनर्वास होना चाहिए, उनको आर्थिक सहायता और सहूलियतें देनी चाहिए, क्योंकि उनके बन्द होने से अनएम्प्लामेंट बढ़ जायेगा। इसकी तुलना में सरकारी उद्योग का बन्द होना संभव नहीं है, इसलिए अनएम्प्लायमेंट बढ़ने का सवाल ही नहीं है। मैं समझता हूं कि केवल पब्लिक सैक्टर की क्रिटिसिज्म करने से काम नहीं चलेगा। जो प्राईवेट उद्योग ठीक नहीं चलते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जो प्राईवेट कारखानेदार मिस-एप्राप्रिएशन और घोटाला करते हैं, उनसे निपटना ही हमारा काम नहीं होना चाहिए। सरकार को उनसे उद्योगों को कब्जे में लेना चाहिए और उन लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि अगर वे ठीक काम नहीं करेंगे, तो वे इंडस्ट्रीज उनके पास रहने वाली नहीं हैं।

मैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हू। कल यहां पर जिक्र हुआ कि एक किलो चीनी पैदा करने पर कितना पैसा लगता है। आज बाजार में चीनी ऊंचे भाव पर बिक रही है। उधर किसानों को ठीक दाम नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि किसान को ऊंचे दाम मिलने चाहिए और दूसरी तरफ कहा जाता है कि अनाज और चीनी आदि कनज्यूमर गुड्ज कम दाम पर मिलने चाहिए। ये दोनों बातें एक-साथ नहीं हो सकती हैं।

यह भी कहा जाता है कि आवश्यक चीजों के दाम कम रखने के लिए गवर्नमेंट को

सर्वासिडाइज करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सवसिडाइज करेगी, तो ज्यादा टैक्स लगाने का सवाल पैदा होगा, टैक्स लगाने से प्राइस राइज होगा, प्राइस राइज से इनफ्लेशन होगा और इनफ्लेशन से गरीब लोगों को बहुत तकलीफ होगी। अगर हमने इस वीशस सर्कल से छुटकारा पाना है और पैदावार को बढ़ाना है, तो हमें चीजों को थोड़ा मंहगा भी लेना पड़े तो भी मानना पड़ेगा।

महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में सूखे क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट छोटे किसानों को लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए 25 प्रतिशत सवसिडी दे रही है और इस बारे में दो लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। मैं समझता हूं कि जो किसान ऋण लेकर लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा अपनी धरती को पानी देने का प्रयत्न करता है, उसको सवसिडी देने के बारे में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरी हो, तो दो लाख रुपये से ऊपर भी सवसिडी देनी चाहिए।

एग्रीकल्चरल पम्प आदि के लिए गोवर गैस और बायो गैस का प्रयोग करने पर 25 प्रतिशत की सवसिडी दी जा रही है। सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में डाइवर्सीफिकेशन हो और किसानों द्वारा पूंजी लगाई जाये। इसलिए उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए गोवर गैस और बायो गैस के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत सवसिडी देनी चाहिए।

अभी मिनिस्टर आफ साइंस एण्ड टेकनालोजी इस सदन के टेवल पर एडीशनल सोर्सिज आफ एनर्जी के सम्बन्ध में एक कमीशन की स्थापना के बारे में एक पेपर रखेंगे। सोलर एनर्जी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि अगर कोई किसान सोलर पम्प लगाना चाहता है, तो उसको 50% सवसिडी दी जाये। सोयर एनर्जी के सेल बनाने के लिए भी सवसिडी देनी चाहिए।

सरकार की तरफ से इण्डस्ट्री को काफी सहूलियतें दी जाती हैं। सरकार देश में फैमिली प्लानिंग को लागू करना चाहती है। इसके साथ ही वह सरकारी कारखानों और सरकारी दफ्तरों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहती है। लेकिन जो प्राईवेट उद्योगपति इन दोनों दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं, सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? जब सरकार प्राईवेट इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को सहूलियतें देती है, तो उनमें से जो लोग फैमिली प्लानिंग और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को नौकरी देने के सम्बन्ध में सोशल अकाउण्टेबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, उनको कोई सहूलियत देने से पहले सरकार को दो बार सोचना चाहिए। नहीं तो वह सरकार की सहूलियत लेंगे, अपने मकान बनायेंगे, अपने कारखाने बनायेंगे और जो हिन्दुस्तान के नौजवान बेकार और बेरोजगार हैं वे बिल्कुल बेरोजगार ही बने रहेंगे तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए।

महाराष्ट्र के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं·····

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल, आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। अभी 20 से भी अधिक माननीय सदस्यों ने बोला नहै। यदि सत्तारूढ़ दल का प्रत्येक माननीय सदस्य .0 मिनट से अधिक समय नहीं लेता, केवल तब ही मैं सभी वक्ताओं को बोलने का अवसर दे सकता हूं, अन्यथा सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य, आपके अपने कुछ साथियों, को बोलने का अवसर नहीं मिल पायेगा। इसलिए आपको सहयोग देना चाहिए, जो कि आपके अपने हित में है :

श्री बाला साहेब बिखे पाटिल : महाराष्ट्र में अभी काफी सूखा पड़ा हुआ है। अठारह जिलों में बिल्कुल डाउट हो गया है। वहां पीने के पानी की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा पैसा भी लगे तो वह सरकार को देना चाहिए। यह जो अनप्रेसिडेटेड डाउट हुआ है उसके लिए एम्प्लायमैंट गारण्टी स्कीम तो चल रही है, लेकिन पीने के पानी के लिए यहां से मदद जाना जरूरी है।

महाराष्ट्र में यह अच्छा किया है कि गवर्नर के भाषण में रेम्युनरेटिव प्राइसेज की बात कही गई है। देश के अन्दर केवल एक यही राज्य है जहां किसान के लिए बात कही गई है। वहां पर संजय गांधी निराधार-योजना और संजय गांधी स्वयं रोजगार योजना महाराष्ट्र गवर्नमैंट की ओर से चल रही है, वह बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और गरीब से गरीब लोगों की उससे मदद होती है। सारे देश में इसे लागू करने की कोशिश होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। इति।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिंगयांग कोनयक यहां नहीं हैं इसलिए श्री लक्ष्मण मलिक अपने विचार व्यक्त करें।

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : मैं वित्त मंत्री जी का उनके बजट प्रस्तावों के लिए हार्दिक स्वागत करने और उन्हें इसके लिए मुबारकबाद तथा शाबासी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह बजट दफ्तरशाही का प्रतीक नहीं है। यह जन साधारण का बजट है।

मैं उन्हें, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देकर अस्त-व्यस्त हो गई अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के साहसिक प्रयास के लिए; अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निवेश बढ़ाकर हमारी तुरत आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने; तथा सामान्य उपभोक्ता के लिए कर में वृद्धि न करने के लिए शाबासी देता हूं क्योंकि प्रतिदिन उपयोग की वस्तुओं पर कर में वृद्धि नहीं की गई है।

इस बजट को बचत को बढ़ावा देने तथा मध्यम आय वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से ही तैयार किया गया है। कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि लोगों पर आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर अतिरिक्त कर का भार न डाला गया हो। वित्त मंत्री के माध्यम से हमारी प्रिय प्रधान मंत्री का यह एक उपहार है।

विस्तार से यदि कहा जाए तो यह ज्ञात होगा कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में उत्पादन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुझे आशा है कि इस बात से सभी सहमत होंगे कि वर्तमान परिस्थिति में यही एक मात्र रास्ता है।

निगमित क्षेत्र में, सभी श्रेणी की कम्पनियों द्वारा देय आयकर पर सरचार्ज को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। बड़ी औद्योगिक यूनिटों को अपनी वित्तीय आवश्यकताएं बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। उद्योग के क्षेत्र में और अधिक निवेश हो, इसके लिए

सट्टा बाजार की शर्तों में ढील दी गई है। लघु उद्योगों के पूंजीगत निवेश को बढ़ा दिया गया है जिससे इनकी भूमिका को महत्व दिया गया है। अब लघु उद्योग की परिभाषा के अनुसार ऐसी यूनिटें जिनका पूंजीगत निवेश 20 लाख रु० है, लघु उद्योग के अन्तर्गत आते हैं। (पहले यह राशि 10 लाख रुपये थी).

अब कृषि को लीजिए। सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महत्पूर्ण भूमिका है। कृषि के लिए योजनागत व्यय में वृद्धि करने और उर्वरकों पर दी जाने वाली सहायता को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव के लिए मैं कृषि मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं।

इसके अतिरिक्त 25 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1981-82 के प्रस्तावित योजनागत व्यय का एक प्रमुख भाग कृषि के लिए दिया गया है। प्रमुख व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के व्यय में भारी वृद्धि को गई है। चालू वर्ष 1980-81 में यह राशि 1213 करोड़ रु० थी। अब इसे बढ़ाकर 1408 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, लघु सिंचाई परियोजनाओं पर 301 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 35 करोड़ रुपये अधिक है।

दूसरी बात यह है कि यह जानकर प्रसन्नता होती है कि तुरन्त राष्ट्रीय आवश्यकताओं को अपेक्षित हिस्सा मिला है। रक्षा मंत्रालय को आवश्यक प्राथमिकता दी गई है क्योंकि हमारी सीमाओं पर स्थिति सही नहीं है।

अंतिम है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर और कर नहीं लगाने का प्रस्ताव किया गया है। जन साधारण को इस कठिन समय में उपभोक्ता वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं सहन करना पड़ेगा जैसा कि हर वर्ष होता था। लीक से हटकर यह एक असाधारण बात है। मध्यम वेतन भोगी वर्ग समेत मध्यम वर्ग को आयकर में भारी छूट दी गई है। राशि की वह सीमा जहां तक कोई कर नहीं लगता बढ़ाकर कर 15,000 रुपये कर दी गई है। जन साधारण को ही मुख्य लक्ष्य बनाया गया है। सरकार ने उनका यथोचित ध्यान रखा है। यहां तक कि अपंग एवं नेत्रहीनों को भी नहीं भूला गया है। बजट ग्रामोन्मुख है। इस बजट से चिर उपेक्षित ग्रामीण जनता के हितों की वास्तव में रक्षा होगी।

मुबारकबाद आदि देने के बाद मैं गैर-विकास संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय जैसे महत्वपूर्ण विषय, जो देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। राज्यों तथा केन्द्र में इस प्रकार के व्यय में भारी वृद्धि होती जा रही है। यदि इस वृद्धि को रोका न गया तो मुझे डर है कि हो सकता है इससे हमारी समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही न डगमगा जाए। उच्च वेतन के पदों का भारी संख्या में सृजन किया जा रहा है। उनकी फिजूल-खर्ची पर कोई रोक नहीं है। शोषित एवं दलित वर्गों के मन में आशा की किरण जगाने हेतु, देश के लिए जब पाई-पाई महत्वपूर्ण हो गई है, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री इस कार्य की ओर अवश्य ही ध्यान देंगे।

यदि मैं अपने राज्य उड़ीसा के संबंध में कुछ भी नहीं कहता हूं तो यह मेरी भूल होगी। मैं जानता हूं कि पारादीप बन्दरगाह की उपेक्षा की जा रही है। वहां पर अभी तक कोई विकास

कार्य शुरू नहीं किया गया है। उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की जनता काफी समय से पारादीप बन्दरगाह के लिए वहां जहाज बनाने का कारखाना, इस्पात संयंत्र, उर्वरक परियोजना स्थापित करने और मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह का निर्माण करने की जोरदार मांग कर रहे हैं। मैं सरकार और वित्त मंत्री से इस बात का आग्रह करता हूं कि पारादीप बन्दरगाह के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उड़ीसा देश का एक निर्धन—अत्यन्त निर्धन राज्य है। वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी दूसरे राज्यों से कम है। राज्य की 88 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। उड़ीसा सड़क संचार एवं रेल संचार के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। जहां तक रेल संचार का संबंध है, उड़ीसा में प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर के लिए 13 कि० मी० रेल लाइन है। उड़ीसा में ऐसे उप-मण्डल भी हैं जो राज्य मुख्यालयों से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि वे उड़ीसा में सड़क और रेल दोनों संचार व्यवस्थाओं के विकास हेतु अधिक धन दें। जखापुरा-डेनेरी-बन्सापती रेल लाइन के शाघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए। तलचर से सम्बलपुर, कोरपुट से रेगडा और जेपुर से मलकानगिरि तक रेल लाइनों के लिए धन दिया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन पड़े हुए है। मैं आशा करता हूं कि सरकार उड़ीसा जैसे निर्धन राज्य के विकास की ओर विशेष ध्यान देगी तथा धन देगी।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत ही सुन्दर बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं। कहते हैं :

"चमन हरा हो, फिर भी नजर न आया।

तो यह चमन का दोष नहीं, यह देखने वाले की दृष्टि का दोष है।"

विरोधी दल के लोगों ने जो बातें कही हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि का दिवालाया निकल गया है और आज उनकी दुकान भी दिवालया सी नजर आ रही है, कोई भी मैदान में नजर नहीं आ रहा है।

कुछ समय पूर्व मैंने आठ-नौ देशों का दौरा किया और वहां मैंने गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया। मैंने यह देखा कि सारे संसार में अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से कोई भी देश हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता है। यदि मैं किसी बात की चर्चा करूं लेकिन उसकी व्याख्या करने के लिए आप इतना समय आप मुझे नहीं देंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, उसी से आप यह महसूस करेंगे—हमारे विरोधी पार्टी के बहुत बड़े आका, चौधरी चरण सिंह, अमरीका गए थे। वहां से लौटकर हजामत कराने के लिए उन्होंने एक हज्जाम को बुलाया तथा उनके मित्रों ने पूछा कि आपने बाल क्यों बढ़ा लिये, क्या अमरीका में हज्जाम नहीं मिला? तो उन्होंने जवाब दिया कि वहां हजामत कराने के लिए 45 डालर लिये जाते हैं। अब हजामत के लिए 45 डालर लिए जाते हैं, यह सोच कर के हमारी अर्थव्यवस्था के ठेकेदार, हमारे भूतपूर्व, जो कि भूत बनकर चले गए, मुझे उन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है जो यह सोचकर चलते हैं कि भारत में नाई पैसे कम लेता है, इसलिए भारत में बाल कटवायें। यह तो ऐसी बात हुई कि यदि मकान बनाना हो, तो यह सोचें कि मकान पर खर्च हो जाएगा, इसलिए मकान

नहीं बनाना चाहिए—तो भैया चौराहे पर बैठना पड़ा और आज वही हालत विरोधी पार्टी की हो गई है कि वह चौराहे पर बैठ गई है। जो व्यक्ति खर्चा करना न जानता हो, वह पैदा भी नहीं कर सकता। यह प्रकृति का नियम है—एक बीज की जब तक कुर्बानी नहीं की जाती, खर्च नहीं किया जाता, धरती में डाला नहीं जाता, तब तक हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। जब विरोधी पार्टियों के नेताओं का यह हाल हो तो उनकी पार्टी का क्या हाल होगा। वे लोग देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोच सकते हैं ?

हमारे माननीय सदस्य, कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता—श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कल अपने भाषण में इस बजट को "जूआ" बताया है। किसी ने इसको सपना बताया, किसी ने दिल-बहलावा बतलाया। मुझे तो अपने उन कम्यूनिस्ट मित्र पर दया आती है जिस को इतना बड़ा उद्धार, इतना बड़ा भला दिखाई नहीं दिया, जब कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इसके द्वारा 25 लाख मध्यम-वृत्ति लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंची है, लेकिन उन्होंने साथ ही कह दिया कि सरकार ने यह काम भय के कारण किया है। यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात हुई—एक दफा एक हाथी बड़ी मस्ती से जा रहा था, कुछ कुत्ते उसको देखकर भौंकने लगे। जब वह काफी आगे बढ़ गया तो उसके मन मे दया आयी, सोचा कि बेचारे भौंकते-भौंकते थक गये होंगे, उसने मुंह फेर कर उन कुत्तों की तरफ देखा और कहा कि अब तो बहुत थक गये होगे। इस पीठ पर बड़े-बड़े नक्कारे बजे हैं, तुम्हारी इस तूती की आवाज को कौन सुनता है। जिस श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ईस्ट बंगाल देश की मुक्ति के लिए काम किया, प्रीवी-पर्स को समाप्त किया, देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसको आप कहते हैं कि मध्यम-वृत्ति लोगों के भय के कारण किया ? मैं पूछना चाहता हूं क्या मध्यम-वृत्ति लोगों ने कोई आन्दोलन चला रखा था जिसके कारण उनको परेशानी थी ? बड़े-बड़े आन्दोलन चले, बड़ी-बड़ी शक्तियों के सामने हमारी नेता ने टक्कर ली, कभी नहीं घबराई, आज ये तूती-बजाने वाले, डुगडुगी बजाने वाले विरोधी पार्टियों के लोग कहते हैं कि डर के कारण 25 लाख लोगों को राहत दी गई। वे यह तो मानते हैं कि 25 लाख लोगों को राहत दी है, इस तरह की स्वीकारोक्ति के बाद भी उनका यह कह देना कि यह "जूआ" है, इस तरह की थोथी दलीलें देकर वे अपनी बात को यहां रखना चाहते हैं, परन्तु जनता अब बेवकूफ नहीं है, वह सब समझती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जो रोशनी और प्रकाश, देश को सरसब्ज बनाने की योजना, कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की है, जो बड़ी-बड़ी योजनाएं बना कर देश के सामने रखी गई हैं—ये अपना रंग लायेंगीं, प्रभाव डालेंगीं। मैं विस्तार में जाकर उनकी व्यवख्या नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं—इस देश को यदि कोई खतरा है तो विरोधी पार्टियों के लोगों से, उनकी कुचेष्टाओं से है, जो देश को बरबाद करने के लिए तुले हुए हैं। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह प्रकृति का नियम है कि किसी भी चीज को पैदा करना हो, निर्माण करना हो, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यदि बरबाद करना हो तो बरबाद करने में देर नहीं लगती है।

आज मैं जार्ज साहब से पूछना चाहता हूं जिन्होंने त्रिवेन्द्रम में कहा था कि बैंकों में जाकर छीना झपटी करो, दूसरी तरफ ये जनता पार्टी के लोग हैं। जो अब तक तीन रंग बदल चुके हैं।

आर० एस० एस० के ये आका जो बड़े सिद्धान्तवादी कहलाते हैं, इन्होंने तीन रंग बदले-जनसंघ, जनता पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। शराब वही है, लेकिन बोतल का रंग बदला है। ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं आसाम के आन्दोलन की बात करते हैं, चाहते हैं कि पैट्रोल और डीजल न आने दिया जाए। इस प्रकार की जो कुचेष्टायें हैं—यह अर्थ-व्यवस्था को बरबाद करने का प्रयास है। इनकी तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार के ठेकेदार लोग हैं जो राष्ट्र की सेवा करने का बहाना करके देश के चमन को बरबाद करना चाहते हैं, उनकी तरफ कड़ाई से कदम उठाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पैट्रोलियम मन्त्रालय को बधाई देना चाहता हूं अभी परसों उन्होंने एक चोर—अरोड़ा को अपने डिपार्टमेंट में गिरफ्तार किया क्योंकि वह विदेशी लोगों के साथ मिला हुआ था। इस तरह के जो चोर लोग बैठे हुए हैं डिपार्टमेंटों में उनको सख्ती से दबाना पड़ेगा। जो विरोधी पार्टियों के इशारे पर अराजकता लाना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्ती से काम लेना चाहिए।

अधिक विस्तार से न कहते हुए, मैं चन्द बातें और कहूंगा क्योंकि आप घंटी बजा देंगे। जो मुख्य प्वाइन्ट्स है, वे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक प्रार्थना मैं अखबारी कागज के सम्बन्ध में करूंगा। जो प्रादेशिक भाषाओं के पेपर हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। बड़े-बड़े तबंगरों के जो पेपर निकलते हैं, जिनकी कम्पनियां हैं और जिन्हें काफी एडवरटाइजमेंट्स मिल जाते हैं, उन पर तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु प्रादेशिक भाषाओं के जो पेपर हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। उनके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री बड़ी गहराई से सोचें कि उनके लिए क्या किया जा सकता है और उन पर जरूर दया-दृष्टि रखें कागज की दृष्टि से।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में साधु के भेष में शैतान बहुत बैठे हुए हैं। ट्रस्टों की जो बात कही गई है, तो उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके पास बहुत सी सम्पत्ति है। आपने काले धन को निकालने की जो योजना रखी है, उसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज धर्म के नाम पर, जनता के हितों के नाम पर कुछ लोगों ने ट्रस्टों की स्थापना की हुई है और उनके अन्दर ये शैतान बैठे हुए हैं साधू के भेष में और उनके बारे में आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज कई तबंगर लोगों ने धर्म के नाम पर और जनता के हितों के नाम पर ट्रस्ट बना कर बहुत बड़ी सम्पत्ति पैदा कर ली है और उसे लक्ष्मी पर सांप की तरह बैठे हुए हैं। ऐसे अनेक ट्रस्ट हैं, जिनमें धूर्त लोग साधू के भेष में शैतान बन कर बैठे हुए हैं, जो वहां पर चौधरी हैं और उनसे पैसा लेकर अपनी कम्पनियों में लगा देते हैं और उस ट्रस्टों को उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया है। इनके एक दो उदाहरण मैं यहां पेश करना चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा कि माननीय मन्त्री जी और भारत सरकार इस पर सोचे। आप अरबों रुपया इन ट्रस्टों से प्राप्त कर सकते हैं। जो ट्रस्ट जनहित का कोई काम नहीं कर रहे हैं उन ट्रस्टों का नाम मैं माननीय मन्त्री जी और सरकार को देना चाहता हूं। *

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

इन ट्रस्टों के जो आका हैं, अधिकारी हैं और जो प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी बने हुए हैं, उन का सम्बन्ध,*

से है।*

ये कम्पनियां इन ट्रस्टों के पैसों को लेकर दूसरी कम्पनियों में डाल देती हैं और मेरठ के अन्दर एक कम्पनी है*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कुछ नामों का उल्लेख किया है। परन्तु आपने पूर्व सूचना नहीं दी है। इसलिए मैं कार्यवाही को पढ़ूंगा। वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

आचार्य भगवान देव : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ट्रस्ट्स का नाम ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही को पढ़ूंगा।

आचार्य भगवान देव : बहुत से ट्रस्ट्स हैं, जो जनहित में नहीं हैं। आर्य समाज के ट्रस्ट हैं या धार्मिक ट्रस्ट हैं और इन ट्रस्टों के आका, इन के हैड*

जिन्होंने इन ट्रस्टों में एक पैसा दान नहीं दिया है और इन ट्रस्टों के पैसों को अपनी कम्पनियों में लगाया है और वहां पर अपने बेटों और सम्बन्धियों को बैठा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम न बताएं।

आचार्य भगवान देव : इनका जो पैसा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है शराब बनाने पर। इन ट्रस्टों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो ट्रस्ट जनहित का काम न करते हों, गुजरे हुए तीन साल के अन्दर काम ने किया हो, उन ट्रस्टों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए और उसको जब्त किया जाए। यह मैं सरकार से मांग करता हुं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बातें तो बहुत कहनी थीं लेकिन समय न होने के कारण मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जिन बातों का मैंने उल्लेख दिया है, उस पर वह ध्यान दे और पुन: मैं बधाई देता हूं हमारे वित्त मन्त्री जी को और प्रधान मन्त्री जी को। उन्होंने बहुत सूझबूझ से बजट पेश किया है और हम यह चाहते हैं कि हमारी आयु उनको लग जाए और वे राष्ट्र की खूब सेवा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्तारूढ़ दल के लगभग 20 सदस्य ऐसे हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। कुछ विपक्षी दलों ने भी समय देने के लिए कहा है। सदन की कार्यवाही छ: बजे तक चलनी है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : आप समय बढ़ा सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कितने बजे तक ?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वैंकटसुब्बैय्या): 8 बजे तक।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सदन की राय मानता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे 6 या 8 मिनट से अधिक समय न लें ताकि प्रत्येक को बोलने का अवसर मिल जाए।

*श्री उत्तम भाई एच० पटेल (वलसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री के बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं। वैसे तो बजट देश को आधुनिक युग के अनुसार प्रगति की ओर ले जाने में सक्षम है फिर भी समय की मांग है कि वित्त मन्त्री श्री वेंकटरमण जी तथा श्री मगन भाई से कहना चाहूंगा कि उन्हें इससे भी सख्त तथा प्रगतिशील समाजवादी कदम उठाने होंगे।

हमारे देश ने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि अवतारों को जन्म दिया है जिसकी संस्कृति तथा सौंदर्य सारी दुनिया को अपनी ओर बरबस खींचता है, उस महान देश के किसी आदमी को क्या हम निस्सहाय और गरीब रख सकेंगे।

देश की आबादी की इमारत को हिला देने वाली गरीबी हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए गरीब और धनवान के बीच का फासला शीघ्र कम करने के लिए कदम उठाने होंगे।

अध्यक्ष महोदय, जिसके पास धन है, उसको अपने धन की रक्षा की चिंता है, वह करोड़ों रुपयों को अरबों में बदलने के प्रयास में पड़े हैं, जबकि गरीब को अपनी रोटी की चिंता है। इन दोनों के बीच में जो गहरी खाई है, वह कब दूर होगी? मेरा विचार है कि इसके लिए हमारे बच्चों को बुनियादी स्तर से ही राष्ट्रीय शिक्षा देनी होगी और समाजवादी विचार सिखाने होंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज समाज में स्वतंत्रता के नाम पर जो स्वच्छंदता बढ़ रही है, उस पर समय रहते हुए नियंत्रण लगाना होगा।

आवश्यक चीजों के भावों में वृद्धि जनसाधारण के लिए कठिनाई पैदा कर रही है, उस पर नियत्रण पाने के लिए आपातकाल में जिस प्रकार सख्त कदम उठाये गये थे, वैसे ही सख्त कदम उठाने होंगे।

काला बाजार, भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी ने सभी क्षेत्रों में अपना विष फैलाया है। यह बढ़ कर कहां तक पहुंचेगा उसकी कल्पना करना भी कठिन है। मैं केन्द्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते ही कदम उठावे।

*गुजराती में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आज गुजरात के सागर तट पर तस्करी बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने वाली इस प्रवत्ति को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे।

अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के राक्षक को मारने के यिए हमारे वित्त मन्त्री को भीम बनना होगा। जब तक इन बेरोजगारों को काम न दे सकें तब तक उनको बेरोजगार भत्ता देने का प्रबन्ध करना होगा।

देश के खेत मजदूरों तथा गुजरात के किसानों की हालत सुधारने में यदि हम विफल रहे, तो भगवान हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। स्वराज के 33 वर्षों के बाद भी उनकी हालत अफ्रीका के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हब्शियों से भी खराब है। वह कलंक भारत देश के लिए शर्मनाक है।

उन लोगों को उतनी मजजूरी भी नहीं मिलती जिससे दो समय खाना खा सकें। न्यूनतम मजदूरी का कानून कागज पर ही है। मैं तो मानता हूं कि यदि आवश्यकता हो तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्टों को भी स्थगित करके इस धन का उपयोग इन गरीबों के लिए करना चाहिए।

भूमि सुधार के कानून को लागू करते समय बीस सूत्रीय कार्यक्रम का भी तेजी से विकास हो, उस संबंध में जोर देना होगा। इन कार्यक्रमो को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए राज्यों के बीच स्पर्द्धा होनी चाहिए। इन कार्यक्रमों के ऊपर···सम्माननीय प्रधान मन्त्री की सीधी निगरानी आवश्यक है।

अध्यक्ष महाशय, मुगल नगाड़े के कारण तथा अंग्रेजी तगारे (भवन निर्माण) के कारण इस देश का भाड़ कर गये। लेकिन हमें कहीं वेतन वृद्धि के कारण भत्ता न छोड़नी पड़े इस पर ध्यान देना होगा। हम कर्मचारियों के वेतन में लगातार वृद्धि करते ही रहे हैं। इस प्रवृत्ति का अन्त भी नहीं आ रहा है। जो हमारे लिए चिंता का कारण होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन में आमूल परिवर्तन करना होगा। प्रशासन में कर्मचारियों की इतनी बड़ी फोज' तथा उस पर इतना बड़ा खर्च होने पर इच्छित परिणाम हमारे सामने क्यों नहीं आता है ?

महात्मा गांधी की भांति हमारी प्रधान मन्त्री भी छोटी-छोटी बातों में कितनी जाग्रत हैं उनका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। रेलवे मन्त्रालय के किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र छपवाया गया। जिसमें दो कार्ड थे। दोनों कार्डों पर एक-एक ओर ही अंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखा गया था। यदि इस कार्ड को तैयार करने में थोड़ा सा विचार करके किफायत भी होती तो एक ही पत्र पर एक ओर अंग्रेजी तथा दूसरी ओर हिन्दी लिखा जा सकता था। इस प्रकार कीमती कागज की बचत भी हो सकती थी। इस आमंत्रण कार्ड पर प्रधान मन्त्री की नजर गयी जिससे उन्होंने सभी मन्त्रालयों को मितव्ययता से काम लेने के लिए आदेश दिये।

सम्माननीय, प्रधानमन्त्री देश की सतत चिंता करते हुए काम कर रही हैं। आन्तरिक, बाह्य जिम्मेदारियां होने पर भी एक योद्धा की भान्ति अड़ी हैं, कार्य कर रही हैं। उनके कार्य से प्रेरणा पाकर हमें भी कठिन काम करने होंगे। सम्माननीय मंत्रियों को तथा हम सब संसद सदस्यों को भी संयमपूर्वक जीना होगा तथा अपनी जिम्मेदारी का पवित्रता से निर्वाह करना होगा। हमें अपनी कथनी और करनी एक सी रखनी होगी।

करोड़ों लोगों ने हम पर विश्वास किया तथा इस स्थान पर बैठाया। सत्ता हाथ में आने के बाद भस्मासुर सा दिवानापन हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए।

देश में जब तक जगह-जगह पर दंगे होते रहेंगे, तब तक कोई भी सरकार अच्छे ढंग से अपना काम नहीं कर सकेगी। यदि राजनीतिक दल भी इसमें भागीदार बनते रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र सफल कैसे होगा।

मैं अब तक लोकतांत्रिक राज्य में विश्वास रखता था। किन्तु जब से इस देश के लोकतंत्र को छिन्न-भिन्न करने के लिए हिंसक प्रवत्तियों को देख रहा हूं, तब से मैं भी मानने लगा हूं कि इस परिस्थिति पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति प्रणाली ही एक मात्र हल हो सकती है।

आखिर में मैं जिस क्षेत्र (वलसार) से आता हूं, उसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा: –

इस क्षेत्र के सर्वांगी विकास के लिए कुछ विकास योजनाओं को लागू करना जरूरी है। जैसे कि–

(1) नासिक-वलसार के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे हो चुका है। उन पर शीघ्र ही अमल किया जाये।

(2) इस क्षेत्र में चीकू तथा अच्छी किस्म के आम पैदा होते हैं। उसके लिए एक कोल्ड स्टोर का निर्माण आवश्यक है।

(3) यह स्थान समुद्र के किनारे पर आया हुआ है, जिसके कारण समुद्र के पानी से अच्छी भूमि का कटाव हो रहा है, उसकी रक्षा के उपाय आवश्यक हैं।

इस क्षेत्र में आदिम जातियों की आवादी काफी ज्यादा है। फलतः पिछड़ा हुआ है। इसके विकास में केन्द्रीय सरकार को अपनी सीधी निगरानी रखनी चाहिए।

——

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों सम्बन्धी आयोग के गठन तथा मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति के गठन के बारे में सरकारी संकल्प

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों सम्बन्धी आयोग के गठन के बारे में दिनांक 12 मार्च, 1981 के सरकारी संकल्प संख्या एफ० 64/1/1/80-के ब (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2077/81]

(2) मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति के गठन के बारे में दिनांक 12 मार्च, 1981 के सरकारी संकल्प संख्या एफ० 20019/1/8-ए० डी० एम०-I (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2078/81]

सामान्य बजट, 1981-82 –(सामान्य चर्चा) –जारी

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट नए वर्ष के लिए पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इससे अच्छा बजट वर्तमान स्थिति में बनाना संभव नहीं था जबकि जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों ने तीन वर्षों में देश की अर्थ-व्यवस्था को बुरी तरह बिगाड़ दिया है । मैं यह कहना चाहती हूं कि एक लम्बे अरसे के बाद गरीब और मध्यम श्रेणी की जनता को राहत पहुंचाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं । इसके साथ ही टैक्सों का नया बोझ नहीं लादा गया है, बल्कि विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने का रास्ता खोला गया है । छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं, किन्तु मेरा आग्रह है कि कृषि और गांवों के विकास की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । इस कार्य के लिए और अधिक प्रावधान करने का मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं । 16 फरवरी की ऐतिहासिक किसान रैली ने यह साबित कर दिया है कि देश का किसान हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ है । देश का किसान और अधिक राहत की आशा करता है ।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूं कि पिछड़े हुए ग्रामीण इलाकों में तथा आदिवासी जंगली क्षेत्रों में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है और रोजगार नहीं मिलने के कारण वे शहरों की ओर भाग रहे हैं । इन खेतीहर मजदूरों को खेती के लिए जमीन दी जाए । कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना में और अधिक प्रावधान करना जरूरी है ।

मेरे क्षेत्र लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का चालीस फीसदी जूट पैदा होता है । पिछले दो वर्षों से मेरे जिले के किसानों से भारतीय पटसन निगम जूट नहीं खरीद रहा है । इस कारण दस हजार टन से अधिक जूट किसानों के पास पड़ा हुआ है और उनका पैसा फंस गया है । वहां जूट का भाव अन्य स्थानों से बीस रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा रखा गया है । मैं चाहती हूं कि सभी स्थानों पर दरें एक समान होनी चाहियें ताकि जूट मिलें जूट को खरीद सकें । साथ ही सरकार लखीमपुर खीरी जिले से जूट खरीदने का प्रबन्ध करे ।

स्वयं अपना व्यवसाय या उद्योग चलाने की इच्छा रखने वालों को बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण की सहायता मिलनी चाहिये । बैंक इस बारे में अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करते । कृषि ऋण भी लक्ष्य के अनुसार नहीं बांटा जा रहा है । सरकारी वित्त निगमों को भी स्वयं व्यवसाय करने वालों की मदद के लिए आगे आना चाहिये ।

समाज के छोटे तबकों में आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए सभी किस्म की सहकारी समितियों को हर प्रकार का उद्योग व्यवसाय चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। विशेषकर मजदूर वर्ग में सहकारिता आन्दोलन का विकास किया जाना चाहिये।

मैं विरोधी पक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगी की वे नए बजट को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें। देश के विकास के लिए सभी को मिल जुल कर कोशिश करनी चाहिये। नया बजट अमीरों का नहीं, गरीबों का बजट है। उसकी अच्छाइयों को देखा जाना चाहिये। वित्त मंत्री जी के बजट प्रस्तावों का पूरा-पूरा समर्थन किया जाना चाहिये। कुछ लोग मुद्रा के फैलाव और महंगाई की बात करते हैं। किन्तु उत्पादन को घटाने वाले आन्दोलन करते हैं। हमारी प्रधान मंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों से आर्थिक विकास में सहयोग करने की अपील की है। विरोध पक्ष से मैं प्रधान मंत्री जी के आह्वान का उत्तर देने की अपील करती हूं और अपने वित्त मंत्री जी से आगे भी इस किस्म के और किसानों को राहत पहुंचाने वाले बजट पेश करने का आग्रह करती हूं।

श्री० आर० एन० राकेश (चैल) : इस बजट का गहराई से अध्ययन किया जाए और सत्ता पक्ष की बातों को देखा जाए, तो बजट के ऊपर जो समाजवादी वुरका लगा हुआ है। यदि इस वुरके को हटा दिया जाए तो वुरके के अन्दर मात्र वस्त्रहीन पूंजीवादी बजट है जो उसको इजारेदारों, पूंजीपतियों, विदेशी कम्पनियों और विश्व बैंक के दावे में आकर बनाया गया है। ऐसा लगता है कि इस बजट में बीस प्रतिशत का प्रावधान तो पब्लिक सैक्टर के लिए किया गया है, उनको बड़ी-बड़ी रियायतें पहले ही दी गई हैं। श्री एल० के० झा को आर्थिक सुधार आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है। जो अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह बजट इजारेदारों के दबावों में आकर बनाया गया है।

बजट में हरिजनों के उद्धार की बात कही गई है और बड़े दावे के साथ कही गई है कि यह बजट हरिजन-आदिवासियों के बड़े काम का है। जबकि गुजरात में हरिजन मारे जा रहे हैं। वहां पर सरकार उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट में हरिजनों की मद में जो पैसा दिखाया गया है, क्या वह पैसा हरिजनों के लिए बेहतरीन कबरिस्तान बनाने के लिए रखा गया है। कर्नाटक में बेलगांव, बीजापुर, गुलबर्गा और धारवार तथा महाराष्ट्र में शोलापुर, कोल्हापुर और सांगली आदि ऐसे स्थान हैं, जहां प्रतिवर्ष पांच हजार से छः हजार हरिजन आदिवासी लड़कियों को एलम्मा देवी के मंदिर में देवदासी बनाया जाता है। पुजारीगण मंदिर में उनके साथ बलात्कार करते हैं फिर उन्हें बड़े-बड़े वेश्यालयों में बेचा जाता है—जब यह सरकार हरिजनों की इज्जत की, हरिजन आदिवासी बहू-बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती है, तो वह उन्हें रोटी कैसे देगी, यह सोचना पड़ेगा?

वित्त उप-मंत्री, श्री बरोट, यहां बैठे हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनका मंत्रालय शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रति कितना हमदर्द है। स्टेट बैंक आफ इंडिया में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक मेरिट लिस्ट बनी थी। मंत्री महोदय ने 13 जून, 1980 को प्रश्न संख्या 789 के उत्तर में इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि जब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स का क्वोटा पूरा नहीं होगा, तबतक इस लिस्ट को बरकरार रखा जायेगा। लेकिन

उनके इस आश्वासन के पंद्रह दिनों के अन्दर ही उस लिस्ट के गैर-शिड्यूल्ड कास्ट्स के सब लोगों को ले लिया गया और उसके बाद वह लिस्ट कैंसल कर दी गई। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि यह लिस्ट एक साल तक एग्जिस्ट करेगी। मैं और मेरे मित्र, श्री जयपाल सिंह कश्यप, मंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने लिखित जवाब दिया था कि हम इसको देख रहे हैं। उन्होंने 27 नवम्बर, 1980 को बताया कि हम उसे देख रहे हैं। तब से वह उसे देख रहे हैं। इससे पता लगता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रति वह कितने हमदर्द हैं।

जहां तक इस देश के पूंजीपतियों का सम्बन्ध है, 1947 में बिड़ला की परिसम्पत्ति 589.42 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 1978 में 1171 करोड़ रुपये हो गई। इस अवधि में टाटा की परिसम्पत्ति 641.93 करोड़ रुपये से बढ़कर 1102.11 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह अन्य इजारेदारों की परिसम्पत्ति भी बढ़ी है, जबकि गरीब और गरीब हुए हैं।

यदि इस देश की सोसायटी के आर्थिक ढांचे का विश्लेषण किया जाये, तो पता लगता है कि इस देश में एक लाख रुपये से ऊपर की हैसियत के लोग 1 परसेंट, एक लाख रुपये से 50,000 रुपये तक की हैसियत के लोग 4 परसेंट और 50,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की हैसियत के लोग 5 परसेंट हैं। इन्हीं दस परसेंट लोगों ने देश की आजादी को भोगा है।

10,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की हैसियत के लोग 10 परसेंट हैं और गरीबी की रेखा से ऊपर के लोग 30 परसेंट हैं। ये 40 परसेन्ट मध्यवर्ग के लोग हैं। सरकार की ओर से कहा जाता है कि आयकर की छूट को 12,000 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपये तक कर देने से मध्यम वर्ग को फायदा हुआ है। इस बजट की घोषणा से चौबीस घंटे पहले 12,000 रुपये की कीमत 18 000 रुपये थी और उसके चौबीस घंटे के अन्दर वह 20,000 रुपये हो गई। सरकार ने 15,000 रुपये तक की छुट दी है। तो मध्यम वर्ग को उसको एड्जस्ट करने के लिए 5,000 रुपये कहां से मिलेंगे। वास्तव में सरकार ने कोई छूट नहीं दी है, बल्कि उसने यह बजट इस सफाई से रखा है कि मध्यम वर्ग उसको समझ न पाये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बजट के द्वारा 30 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा। इस देश में 50 प्रतिशत लोग, अर्थात् 35 करोड़ लोग, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार का केवल 30 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है, तो 34.70 करोड़ लोगों के लिए इस बजट का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या उनके लिए कोई दूसरी सरकार और कोई दूसरा बजट आएगा। 25 प्रतिशत लोग अर्थात साढ़े सत्तरह करोड़ लोग ऐसे हैं जो आधा पेट खाना पाते हैं। उनका इस बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस देश में 12 प्रतिशत अर्थात 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साल में केवल तीन महीने खाना पाते हैं और नौ महीने तक सांप, छछूदर, बिच्छू, गोजर, गीदड़, गिलहरी आदि खाकर गुजारा करते हैं। बिहार के अनेक स्थानों में तथा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मझरपुर तहसील में ऐसे कई गांव हैं जहां लोग दो-दो तीन-तीन महीने पेड़ के पत्ते और घास वगैरह खाकर अपना जीवन बिताते हैं, हाय ! यह बजट इनके लिए भी गूंगा, बहरा और अन्धा है।

बजट में शिक्षा पर बड़ा जोर दिया गया है। जब प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि शिक्षा

दोषपूर्ण है तो इस शिक्षा पर इतना क्यो खर्च किया जा रहा है ? क्या इसलिए कि शिक्षा के निर्गुण रूप को तो सरकार जानती है लेकिन सगुण रूप को नहीं जानती हैं ।

इसी बजट में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अखबार वालों पर 15 प्रतिशत लेवी लगा दी गई है । अखबार एक जनसाधारण की चीज थी, अखबार के माध्यम से हम यह जान सकते थे कि देश किस दिशा में जा रहा है । यह गरीब देश है, हर आदमी के पास यहां रेडियो और ट्रांजिस्टर नहीं हैं । अखबार से ही उसको कुछ समाचार मिल पाता है । लेकिन उस पर भी आपने लेवी इसलिए लगा दी कि उनको आप अपनी धौंस में ला सकें और अपने मन की करा सकें । इस लेवी से वे लोग जो सरकार के पक्ष में हैं, जो सरकार की धौंस में आ चुके हैं वे प्रभावित नहीं होंगे, उनके ऊपर इस लेवी का कोई असर नहीं पड़ेगा । लेकिन जो गरीब अखबार वाले हैं जो सरकार की धौंस में नहीं आ पाये हैं. उनके ऊपर यह लेवी मौत मार होगी । दूसरी ओर जो सरकार के पक्ष के अखबार हैं उनको सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, और तरीकों से भी उनको बढ़ावा मिलेगा । मैं चाहता हूं कि अखबार वालों को तो कम से कम इस लेवी से मुक्त किया जाय । बार-बार अखबार की स्वतन्त्रता की बात की जाती है । मैं कहता हूं कि अखबार अपने आप स्वतन्त्र रहेंगे, लेकिन सरकार उनके ऊपर से अपने नापाक साये को हटा दे ।

इस देश में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है । उसको समाप्त करने के लिए इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है । 90 मिलियन जाब दस साल में क्रियट होने चाहिए थे, अर्थात प्रति वर्ष 9 मिलियन जाब तैयार होने चाहिए थे । लेकिन पिछली पंच वर्षीय योजना में चार मिलियन जाब ही तैयार किया गया और इस बजट में तो बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कोई चर्चा ही नहीं की गई है । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं इस दिशा में कि बजट में फिर से सुधार किया जाय जिससे कि इस देश की बेरोजगारी को दूर किया जा सके । आज दसियों करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं । दूसरे देशों में वर्किंग अवर्स कम किए गए हैं । आप भी वर्किंग अवर्स कम करिए और बाकी समय में और लोगों को रोजी रोटी देने के लिए सोचिए ।

काले धन के बारे में बड़ी चर्चा की गई है कि यह सरकार का बड़ा पुनीत काम है । इस सरकार ने काले धन को सफेद करने का जरूर बड़ा पुनीत कार्य शुरू किया है । परन्तु यह सरकार जो काले धन की औलाद है क्या बल्दियत बदल कर विश्वसनीयता प्राप्त कर सकेगी ? इन शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं ।

श्री लक्ष्मण कर्मा (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1981-82 का जो बजट प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं । यह बजट जन-सामान्य के लिए राहत का बजट है । इस देश में पहली बार कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने और देहाती क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय विकास बैंकों की स्थापना करने तथा जीवन बीमा निगम के नियमों में परिवर्तन करने की जो बात कही गई है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यह समाजवादी बजट है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यह एक अच्छा कदम है । हमारे वित्त मन्त्री जी ने ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम दिया है उससे देहाती क्षेत्रों में काफी विद्युतीकरण हो सकेगा और कमजोर वर्गों को

उससे लाभ होगा। कमजोर वर्गों के लिए और हरिजनों और आदिवासियों के लिए इसमें बहुत काफी ध्यान दिया गया है। 10 करोड़ की जो योजना हरिजनों के लिए और 176 करोड़ का जो प्रावधान आदिवासियों के लिए रखा गया है इससे उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन उनको और विशेष सुविधा देने की आवश्यकता है। रिजर्वेशन देने के बाद भी हरिजन आदिवासी आज बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। उनको ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। हरिजन आदिवासियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सुविधा प्रदान की जा रही है उसमें और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। हरिजन आदिवासियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जब स्कूलों में अच्छी व्यवस्था होगी तभी वे पढ़ सकेंगे और नौकरियों के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे। आज हरिजन आदिवासियों के बच्चे नौकरी के लिए इण्टरव्यू में जाते हैं फिर भी जो उनका रिजर्वेशन का कोटा है वह पूरा नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि वे देहातों मे पढ़ाई करके शहर के बच्चों के साथ आई. ए. एस. तथा अन्य सेवाओं में काम्पिटीशन में मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मेरा सुझाव है कि उनके लिए अलग से कोचिंग क्लासेज की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे भी दूसरों के साथ बराबरी में आ सकें। आज गांवों में शिक्षा का मीडियम हिन्दी है जबकि शहरों में अंग्रेजी हैं। यही कारण है कि कांपिटीशन में शहरों के बच्चे आ जाते हैं और गांवों में हरिजन आदिवासियों के बच्चे चूंकि हिन्दी में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसलिए देहातों में भी इंगलिश माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर अनिवार्य रूप से हरिजन आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तभी कांपिटीशन में वे दूसरों की बराबरी करने में समर्थ हो सकेंगे।

इस बजट के द्वारा पहली बार गरीब मध्यम वर्ग को राहत देने की योजना बनाई गई है। 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार तक की आमदनी को आयकर से छूट दी गई है। इसके द्वारा लाखों लोगों को राहत मिल सकेगी। इस प्रकार साधारण लोगों को पहली बार इस बजट के द्वारा राहत दी जा रही है।

मैं कुछ मध्य प्रदेश के बारे में भी बतलाना चाहता हू। मध्य प्रदेश इस देश का हार्ट है। अगर हार्ट ही कमजोर होगा तो शरीर किस प्रकार से मजबूत हो सकेगा। मध्य प्रदेश में हरिजन आदिवासी अधिक सख्या में रहते हैं। वहां बस्तर का क्षेत्र एक आदिवासी जिला है जोकि सबसे पिछड़ा हुआ है। वहां पर 80 प्रतिशत से अधिक आदिवासी रहते हैं। वहां पर लोहे और मैंगनीज की खदानें हैं। वन सम्पदा भी वहां पर प्रचुर मात्रा में है। परन्तु वहां की खनिज सम्पदा का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वहां पर जब तक वन एव खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग नहीं खोले जायेंगे तब तक वहां के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो सकेंगे और न ही वे ऊपर उठने में समर्थ हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसे जिले हैं जिनका विकास बहुत कम होता है। वहां पर आवागमन के साधन बहुत कम हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो कालेज वगैरह हैं वह शहरी क्षेत्रों में ही हैं, देहातों में नहीं हैं। इसके कारण गांव के बच्चों को शहरों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए देहातों में भी कालेज खोले जाने चाहिएं जिससे कि देहाती बच्चों को भी शिक्षा का लाभ मिल सके।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों का शोषण अधिक होता है। इसका कारण यह है कि वहां पर ठेकेदारी प्रथा प्रचलित है। शराब के ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों का अधिकतर शोषण होता है। इसलिए इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, इस काम को पब्लिक सेक्टर में किया जाना चाहिए और कानून बनाकर उन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। हरिजन आदिवासियों के लिए सरकार जो कर रही है और रिजर्वेशन देकर जो सुविधा बढ़ाई है वह प्रशंसनीय है। इन्दिरा जी ने हरिजन आदिवासियों की ओर विशेष ध्यान देकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

बस्तर जिला आवागमन की सुविधाओं से बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर 1971-72 में एक रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था—दिल्ली-राजहरा से जगदलपुर को जोड़ने के लिए—जो कि 234 किलो मीटर की लाइन है, उसको पूरा करने के लिए रेलवे बजट में शामिल करना चाहिए, लेकिन रेल मंत्री महोदय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के बजट में व्यवस्था बहुत कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को सुविधा हो सके और उद्योग खुल सकें, इसलिए इस लाइन को भी लेना चाहिए था।

वहां पर उद्योग न खुलने का एक कारण यह है कि वहां पर रेलवे की सुविधा और आवागमन की सुविधा नहीं है। इसलिए वहां पर वन-सम्पदा होते हुए भी लोग वहां पर उद्योग लगाने के लिए नहीं जाते हैं। मध्य प्रदेश के पिछड़ा होने का एक कारण यह है कि वहां की आदिवासी जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह शिक्षित नहीं है। इन सबको देखते हुए, जो केन्द्रीय सहायता मध्य प्रदेश सरकार को दी जाती है, उसको भी बढ़ाना चाहिए।

बस्तर जिला तीन राज्यों की सीमा रेखाओं से मिला हुआ है—आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा - इसके साथ एक समस्या यह भी है कि नक्सलवादी लोग वहां पर घुस गए हैं, जो कि आदिवासियों के जनजीवन की लूटमार करते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए भी शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। सीमा रेखाओं पर विशेष पुलिस फोर्स रखनी चाहिए और उनकी देख-रेख के लिए कड़े कानून बनाने चाहिएं, तभी वहां के हरिजन-आदिवासियों की सुरक्षा हो सकती है।

बस्तर जिले में वन-सम्पदा बहुत है, वहां जंगल हैं, लेकिन उनको काटकर वहां की सरकार ने फाइन लगाने की योजना बनाई है। साल के जंगल को काटकर फाइन लगाने की योजना बहुत ही हानिकारक है, जिसकी वजह से वहां का जन जीवन भयभीत है मैं चाहता हूं कि इस योजना को समाप्त करना चाहिए। वहां के लोगों का जीवन वहां की वन-सम्पदा पर आधारित हैं, जंगलों से वहां सुविधायें प्राप्त होती हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आदिवासियों को बचाना है, तो जंगलों को बचाना पड़ेगा। नए जंगल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पुराने जंगल हैं, उनको प्रीजर्व करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं मध्य प्रदेश शासन ने जो जंगल काटने की योजना बनाई है उसको खत्म कर देना चाहिए और जो पुराने जंगल हैं, उनको बचाकर रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बजट पर बोलने के लिए समय दिया।

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जनवरी, 1980 में जब इस सरकार ने कार्यभार सम्भाला था, उस वक्त सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.5 प्रतिशत की मिलावट आ गई थी और मूल्यों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। आधारभूत ढांचे की उपेक्षा और दुर्व्यवस्था के कारण विद्युत, कोयला और रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी बिगड़ती हुई स्थिति को और आगे बिगड़ने से रोकने में, अर्थ व्यवस्था में एक बार पुनः सुधार और सुस्थिरता लाने में, हमारे वित्त मंत्री जी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो सफलता प्राप्त की है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

श्रीमन्, ऐसी खराब हालत में केवल 271 करोड़ रु० का अतिरिक्त कर लगाकर और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राहतें प्रदान करके, जैसे मध्यम वर्ग आय-कर दाताओं के 25 लाख लोगों को कर में छूट दी गई है और दूसरे और क्षेत्रों में सुधार के उपाय किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, हरिजन और जन-जाति तथा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, सुधार के लिए, धन की व्यवस्था की गई है, उद्योगों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, इन सबके करते हुए भी माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल 1539 करोड़ रुपये के घाटे का बजट, जबकि वर्तमान हालत को देखते हुए इस वर्ष बहुत बड़े घाटे की आशंका थी, बहुत कर लगाये जाने की आशंका थी, जिस कुशलता और विश्वास के साथ पेश किया, उसके लिये वे हमारी भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हैं।

सन् 1980-81 वर्ष में कृषि क्षेत्र में अच्छे कार्य निष्पादन की वजह से जो अच्छे काम हुए उनके कारण सन 1980-81 में कृषि का रिकार्ड उत्पादन हुआ, जो 1320 करोड़ टन होने जा रहा है। यद्यपि उद्योगों में उतना सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उनमें भी अब सुधार चल पड़ा है और यह आशा है कि 1981-82 में सकल राष्ट्रीय-उत्पाद में साढ़े छः प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। हमारा भारत गांवों में रहता है, जहां 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि के ऊपर अपनी आजीविका के लिए आधारित है। इसलिये वहा की खुशहाली कृषि के विकास और उसके आधुनिकीकरण पर निर्भर करती है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कृषि के उत्पादन की दर समूची राज-व्यवस्था की दर को निर्धारित करती है। इस दृष्टि से कृषि के शोध के लिये, उसकी उन्नति के लिये, विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इस वर्ष की आयोजना में 1047 करोड़ रुपये का प्रावधान पिछले वर्ष के 925 करोड़ रुपये के स्थान पर रखा गया है तथा यह व्यवस्था की गई है कि 1981-82 में 25 लाख हेक्टेयर जमीन को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा गांवों के विद्युतिकरण के कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 22 हजार गांवों को शामिल किया गया है तथा साढ़े चार लाख पम्प-सैटों को विद्युत देने की व्यवस्था की गई है। जिन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उनमें पीने के पानी की व्यवस्था की

जायेगी, ऐसे 36 हजार गांवों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की है कि सरकारी राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जायेगी जिसके द्वारा शीर्ष स्तर पर गांवों के लोगों को ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जायेगा तथा 25 अन्य बैंक देहातों में स्थापित किये जायेंगे।

यह सब होते हुए भी एक बात की तरफ ध्यान देना होगा—तिलहन और दलहन की आज देश में बहुत कमी है, उनकी उपज को बढ़ाने के लिये खास तौर से व्यवस्था होनी चाहिये और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों की खोज से यह सम्भव हो सका है कि आलू, जो अब तक केवल रबी में पैदा होता था, अब गरमी और रबी दोनों में पैदा हो सकेगा, बल्कि गरमी में उसकी पैदावार रबी के मुकाबले ज्यादा होना सिद्ध हुआ है। गर्मी में जो आलू पैदा किया जाता है, उसमें रोग लगने की भी गुंजाइश कम है। इसी तरह से तिलहन की व्यवस्था करना जरूरी है। मुझे इस बात की खुशी है कि इन्दिरा जी ने कतिपय मुख्य मंत्रियों को इस बात की हिदायत की है कि मूंगफली की पैदावार बढ़ाने के लिए खास तौर से व्यवस्था की जाए और यह भी संभव हो रहा है कि मूंगफली भी नर्मी में और रबी में, दोनों में पैदा हो सकती है और यह बात भी मालूम हुई है कि मूंगफली की पैदावार के लिए उतने पानी की जरूरत नहीं होती है जितना कि धान की पैदावार के लिए। इसलिए गर्मी में मूंगफली पैदा की जाए तो एक हैक्टेयर में धान के लिए जितने पानी की जरूरत है, उतना पानी तीन हैक्टेयर में मूंगफली पैदा करने के लिए काफी होगा। इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और आशा बंधती है कि तिलहन की पैदावार की तरफ खास तौर से ध्यान है और उसके लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं और इन्दिरा जी का भी उसकी तरफ खास तौर से ध्यान है। इसलिए लोगों को पूरा विश्वास है कि जो तिलहनों की कमी हमारे बीच में है, उसको जल्दी पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी।

इन सब बातों के साथ-साथ कृषि के विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। उन व्यवस्थाओं के अलावा एक बात की और जरूरत है जिससे कि कृषि की पैदावार और बढ़ सके। वह यह है कि किसानों के दिलों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन सचमुच में उनके राहत का काम करता है। एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन का जो रूप इस समय है, उससे किसानों में उसके प्रति विश्वास नहीं रह गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके रूप को आप बदलें और उसमें कृषि वैज्ञानिक रखे जाएं, ऐसे लोग उसमें रखे जाएं, जो गांवों की स्थिति से अवगत हों। इससे किसानों का फिर से उस पर विश्वास हो जाएगा। उसके द्वारा जो कृषि उपज के दाम मुकर्रर होते हैं, उनको मुकर्रर करने में भी आसानी होगी और वह ज्यादा न्यायपूर्ण ढंग से कृषि उपज के दामों को तय कर सकेगा। जितना मेहनत करके, जितना परिश्रम करके किसान अनाज पैदा करता है, उसके सही दाम उसको मिल सकेंगे और जितनी आशा हम उससे करते हैं कि वह पैदावार और बढ़ा दे, उस पैदावार को बढ़ाने में वह जरूर सफल होगा। यह भी जरूरी है कि जो पैदावार 1980-81 में हुई है, उसमें जो वृद्धि हुई है, उसको स्थिर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और कोशिश की जाए ताकि पैदावार में वृद्धि होती रहे।

गांवों में किसानों के अतिरिक्त खेतिहर मजदूर, हरिजन, दस्तकार और जनजातियों के लोग भी हैं, उनके सुधार के लिए भी इस बजट में काफी व्यवस्था की गई है और इससे आशा है कि उनको आगे बढ़ने में काफी आसानी होगी और उनको प्रोत्साहन मिलेगा।

गांवों में एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 1981-82 में 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कुछ उधर के लोगों का यह ख्याल है कि शायद यह व्यवस्था पिछले साल के मुकाबले में कम की गई है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, तो यह व्यवस्था कम नहीं की गई है। 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था केन्द्र की तरफ से है और इतनी ही रकम की व्यवस्था राज्यों की ओर से की जाएगी। इस तरह से कुल 380 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो जाएगी। पिछले साल 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी लेकिन उस साल सिर्फ एक ही स्कीम थी। इस बजट में दूसरी स्कीमें भी शुरू की गई हैं। जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसके लिये 198 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, उससे यह आशा की जाती है कि तीन लाख परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया जा सकेगा।

श्रीमान् जी, हरिजनों के लिए, या हरिजन जनजातियों के लिए इसके अतिरिक्त भी जो व्यवस्था की गई है, वह सचमुच आगे बढ़ाने में काफी सहायक होगी। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हरिजनों के लिए संरक्षण का कायम रखना बहुत जरूरी है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को समझती है और उन पर अडिग है और किसी तरह से भी उसके बारे में समझौता नहीं करना चाहती है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि गुजरात में कुछ लोगों ने इस संरक्षण के खिलाफ आन्दोलन छेड़ रखा है और वह आन्दोलन हिंसात्मक हो गया है। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग उसको हवा भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसको हवा देना देश के खिलाफ काम करना है और देश का जो कमजोर वर्ग है, उस वर्ग के हित के खिलाफ काम करना है। इसमें तो सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए कि यह जो व्यवस्था हरिजनों के संरक्षण के लिए की गयी है वह कायम रहे। कोई भी आदमी इसकी मुखालिफत न करे। मैं समझता हूं कि जो लोग इस आन्दोलन के पीछे हैं और इसको हिंसात्मक रूप दिये हुए हैं, वे अपने कदम को पीछे हटायेंगे और जो एक जरूरी चीज है उसमें वे जो बाधा पैदा किये हुए हैं, वह बाधा वे पैदा नहीं करेंगे।

इसी तरह से हरिजनों के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी हमारे देश में काफी संख्या में रहते हैं। 1952 में राष्ट्रपति ने एक कमीशन उसके संबंध में नियुक्त किया था जिसकी रिपोर्ट 1955 में आयी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस कमीशन की रिपोर्ट पर, उसकी सिफारिशों पर जिसकी अध्यक्षता एक गांधीवादी काका कालेलकर ने की थी, काम नहीं किया गया और उन सिफारिशों को माना नहीं गया। यह सौभाग्य की बात है कि एक दूसरा कमीशन श्री मण्डल जी की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ। उस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट अब दे दी है। अब मैं सरकार से, वित्त मंत्री के द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो रिपोर्ट आयी है, जिसके बारे में कहा जाता है उसमें वे दोष नहीं हैं जो दोष पिछली रिपोर्ट में थे, उस पर सरकार को विचार करके जल्दी ही उसकी सिफारिशों को मंजूर करना चाहिए और इस सदन में और राज्य सभा में ले आना चाहिए ताकि उन पर विचार करके कार्यवाही की जा सके। जिससे

कि इस वर्ग को भी प्रोत्साहन मिले। मैं समझता हूं कि इन्दिरा जी को इस मामले में काफी दिलचस्पी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में विपक्ष भी आपका समर्थन कर रहा है - केवल इसी बार विपक्ष ने आपका समर्थन किया है।

श्री जयराम वर्मा : इन्दिरा जी को पिछड़े वर्ग के लोगों से काफी हमदर्दी है और वे समझती हैं कि उनके लिए और उनके सुधार के लिए कुछ किया जाना आवश्यक है. नहीं तो उनकी हालत और खराब हो जायेगी।

मैं यह कह सकता हूं कि पिछड़े वर्गों में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी कि हरिजनों से भी सचमुच हालत खराब है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा। यह एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी जनसंख्या, मैं समझता हूं, इस देश में 50 फीसदी से कम नहीं होगी। यह 50 फीसदी से ज्यादा ही होनी और 50 फीसदी समाज को उपेक्षित रखना ठीक नहीं होगा। यह समाज देश का एक बहुत बड़ा अंग है। उसको भी ऐसे साधन मिलें जिससे कि वह भी दूसरों के समकक्ष हो सके और समकक्ष हो करके इस देश की सेवा पूरी शक्ति के साथ कर सके।

श्रीमान् जी, समाज में तरह-तरह के दोष मौजूद हैं। जातिवाद का जो जहर फैला हुआ है, उस जातिवाद के जहर को तभी दूर किया जा सकता है जबकि विभिन्न वर्गों के लोग समकक्ष हो जाएं।

सब एक स्तर पर आ जाएं। जब एक स्तर पर आ जाएंगे तो किसी भी जाति को इस बात की आवश्यकता नहीं होगी कि वह कोई विशेष सुविधा मांगे। न किसी जाति को अपमान मिलेगा, न विशेष सम्मान मिलेगा, किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं रहेगी। इसलिए यह जो एक जहर फैला हुआ है, इस जहर को दूर करने के लिए इन विभिन्न वर्गों के स्तर को करीब-करीब एकसा करना होगा, तभी यह जहर दूर होगा, नहीं तो नहीं। यह जहर समाजवाद का सबसे बडा दुश्मन है। अगर समाजवाद स्थापित होना है तो इस जातिवाद के जहर को समाप्त करना होगा। इसके लिए रास्ता निकालना होगा और मैं समझता हूं कि इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि जो असमानता है, उस असमानता को दूर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बजट में जनसंख्या के अनुरूप प्रदेशों के लिए धन प्रावधान न करने की वजह से उनके विकास में असमानता आ गई है। इस असमानता को दूर करना जरूरी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, किसी के लिए भी जनसंख्या के अनुरूप व्यय की व्यवस्था नहीं की गई है और इसलिए ये पिछड़ गए हैं। उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन प्रदेशों का आमतौर पर ध्यान रखा जाए और बजट में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे उनका पिछड़ापन जल्दी ही दूर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय वित्त मंत्री महोदय को उनके विश्वास के लिए और उनके कौशल के लिए, जिससे उन्होंने यह बजट पेश किया है, बधाई देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने यह बजट पेश किया है, उससे

जनता के मन में वह विश्वास जिससे उन्होंने इन्दिराजी को सत्ता सौंपी है, और दृढ़ हो जाएगा।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा) : जनावे सद्र, मैं आपका मशकूर हूं कि निर्धारित समय निकलने के बाद भी आपने सामान्य बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। हालिया बजट जो सदन में पेश किया गया है इस पर दो दिनों से तन्कीद और ताईद का सिलसिला जारी है। वाइक्तदार जमात की तरफ से ताईद होती रही है और हिज्ब मुखालिफ की तरफ से तन्कीद होती है। लेकिन इसका फैसला कैसे हो कि यह बजट निहायत ही उम्दा और आइडियल बजट है। इसका फैसला तो कोई तीसरा आदमी ही कर सकता है। मैं 27, 28 फरवरी तथा पहली, दूसरी मार्च को दुमका, भागलपुर गया था। वार लायब्रेरियों में और कालेजों और स्कूलों में गया और बहुत से बुद्धिजीवियों से मिला। उन लोगों ने कहा कि बाकयी यह बजट जो सदन में 1981-82 का पेश हुआ है यह आइडियल बजट है। सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी और मैं उन सारी मुबारकबादियों को इक्ट्ठा करके लाया हूं और इस बात का इन्तजार था कि मैं उनको पेश करूं जिसको आज मैं पेश कर रहा हूं। बजट की बहस में एक बात देखने में आई है कि चाहे कितनी ही अच्छी बात की जाती हो, लेकिन फिर भी मुखालिफ पार्टी के लोग उसकी मुखालिफत करते हैं। बहरहाल, बजट भाषण देखने के बाद मुझे पता चला कि बजट भाषण में सारी चीजों की, पैदावार में वृद्धि बताई गई है और इसमें अन्देशा जाहिर किया गया है कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी हमारे बजट को बदनुमा कर सकती है, गड़बड़ा सकती है, हमारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक सकती है। हमारा थाना धेरैया जिसमें पहले 80,000 की आबादी थी वह 1970-1971 में बढ़कर 95,000 हुई। वहां काफी नसबंदियां हुई हैं, फैमिली प्लानिंग का काम वहां बहुत अच्छा चला। सब इससे मुत्तफिक थे। किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था। लेकिन इस बार 1980-81 में जो मरदुम शुमारी हुई है उसमें वहां की आबादी 1 लाख 20 हजार तक पहुंच गई है। जब मंसूबा हम चलाते हैं, नसबंदियां हम करते हैं तो उसके बावजूद भी आबादी क्यों बढ़ रही है, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस नसबन्दी की चार किस्में हैं। एक तो वे लोग हैं जो वासलाहियत हैं और जिनके लड़का, लड़की हो सकता है उनकी नसबंदी कर दी गई है। इनकी तादाद चार या पांच आना है। दूसरे उन लोगों की कर दी गई है जिनमें सलाहियत ही नहीं थी। तीसरे वे हैं जिनको निशान लगाकर छोड़ दिया गया और चौथे वे हैं जिनके निशान भी नहीं लगाया गया है। लाखों लाख रुपया इस तरह से नसबंदी के काम में बरबाद हुआ है। जिस वक्त यह प्लान नहीं थी उस वक्त तो आबादी कम बढ़ी लेकिन इस प्लान के बाद पच्चीस हजार आबादी बढ़ी है। इससे मुझे लगता है कि या तो मंसूबा ठीक तरह से नहीं चल रहा है और अगर ठीक तरह से चल रहा है तो मैं यही कहूंगा कि खुदा उतनी हमारी कोशिशों के बाद भी नहीं चाहता है कि आबादी कम हो बल्कि चाहता है कि आबादी बढ़ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की रजामन्दी इसमें नहीं है। हम लोगों को इससे सबक लेना चाहिए।

"मामिन दाबतिन अलल्लाहु रिजकुहा" खुदा कहता है कि रोजी देने का जिम्मेदार मैं हूं। हो सकता है कि वह बिगड़ और गुस्सा हो गया हो। नसबन्दियां भी होती हैं लेकिन फिर भी

आबादी घटती नहीं है बढ़ती चली जा रही है तो यह उसी की ही मर्जी है। मैं इस सिलसिले में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह एक ऐसा मंसूबा है जिसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है, मुखालिफ तक को भी नहीं है। सब मानते हैं कि नसबन्दी ऐसे लोगों की की जाए जो वासलाहियत हों, जो बच्चा पैदा कर सकते हों। विजनाजायज तरीके से पैसा खर्च न किया जाए।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आजाद देश में रुपया देकर नसबंदी न की जाए बल्कि यह वालैंटरी और रजाबन्दी से हो।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि नसबंदी करके उसको छोड़ न दिया जाए बल्कि दो तीन रोज तक उसको वैड पर रखा जाए और उसका इलाज किया जाए। तभी यह मंसूबा कामयाब हो सकता है।

हमारे बजट को जो चीज नुक्सान पहुंचा सकती है वह ला एंड आर्डर की खराबी है। सारा रुपया सरकार देती है लेकिन ला एंड आर्डर पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है तो हमारे बजट को यह चीज बदनुमा कर सकती है, अमली जामा पहनाने से हमको रोक सकती है। मैं अपने जिले भागलपुर की बात करता हूं। मेरे जिले में आज से पहले बहुत डकैतियां होती थीं, आंखे फोड़े जाने के मामले को लेकर यह जिला बड़ा मशहूर हो चुका है। 25 जुलाई, 1980 को मैंने एक लिस्ट पेश की थी जिसमें डकैतियों का उल्लेख था, जहां डकैतियां हुई थीं सैंकड़ों डकैतियों की वह लिस्ट थी। फिर यकायक डकैतियां रुकीं और यह दो तीन महीने तक बन्द रहीं। मालुम यह हुआ कि चाहे पुलिस ने या अव्वाम ने डकैतों की आंखें निकाली हों उसकी वजह से उन पर रोक लगी और डकैतियों का सिलसिला बन्द हुआ। मगर जब यह मामला फटा, कुछ पुलिस अफसर मुअत्तल किये गए, अधिकारियों को सजा दी गई और जिनकी आंखें निकाली गयी थीं उनको इमदाद और इनाम दिया गया तो आज यह हाल है कि सरे शाम राह चलना मुश्किल हो गया है। 6-7 बजे शाम को दुकानें बन्द हो जाती हैं, रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। आज सारे लोगों की निगाहें महंगाई पर नहीं हैं, बल्कि इस बात से परेशान हैं कि डकैतियों से किस तरह से अपनी इज्जत वे आबरू बचायें। यह डकैतियां अमीरों के यहां ही नहीं बल्कि जिसके यहां दो मन चावल और एक मन गेहूं भी है उसके यहां भी डकैती होती है और जराईम पेशा लोग नाजाईज और गलत हथियार लेकर घूमते रहते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। पुलिस चुप होकर बैठ गई है, पुलिस का मनोबल गिर चुका है और डकैतों का मनोबल ऊपर उठ गया है। आज शरीफों की जिन्दगी दूभर हो गयी है। इस तरफ सरकार ध्यान दे और जराईम पेशा के कानून में सुधार लाए।

बिजली की कमी की वजह से पावरलूम और हैंडलूम की सनतों को काफी धक्का पहुंचा है। जनता राज्य में और हमारे राज्य में भी पावरलूम नहीं चले। सूत की कीमत बढ़ गई और जितने कर्जे सरकार ने दिये थे सब बेकार बुनकर खा गये। बिहार में बुनकरों की 1100 कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं जिनमें लगभग 10 लाख बुनकर शामिल हैं। आज वह सारे के सारे परेशान हैं, उनकी कुर्की और जब्ती हो रही है। उन्होंने हमारे द्वारा दर्खास्तें उद्योग मंत्री और प्रधान मंत्री को दी हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। 10-10 लाख बुनकरों का यह हाल

है तो देश का क्या हाल होगा । इसलिये जिनके पास जमीन तक नहीं है उन बुनकरों के कर्जे माफ कर दिये जायें ।

हमारे क्षेत्र में वांसकूपी, जयन्ती, कोलिवरी, मधुपुर, करीव सन्थाल परगना में है जो अंग्रेजों के समय में चलती थी और वहां के लोग सुखी थे। मगर आज वह कोलियरी बन्द है। सारा सामान कोयला निकालने का वहां मौजूद है, उसके निगरा भी मौजूद हैं, उनको तनख्वाह भी दी जाती है, मगर काम नहीं हो रहा है । मैं चाहता हूं कि उस कोलियरी को खोल दिया जाए ताकि उस आदिवासी क्षेत्र में लोगों को काम मिले और कोयला आसानी से मिल सके ।

चौथी वात यह है कि राज महललमटिया प्रोजेक्ट में जहां सुपर थर्मल पावर स्टेशन वनने जा रहा है, जिसके लिये हजारों एकड़ जमीन ऐक्वायर की जायेगी । मगर अभी. तक कोई संसद सदस्यों की कमेटी नहीं बनाई गई है जिसकी वजह से हालत यह है कि यूनियनबाजी चल रही है। कम्युनिस्टों तथा कांग्रेसियों की, झारखंड मुक्ती मोर्चा की, इन सब की अलग-अलग यूनियनें हैं जिनकी वजह से जमीन ऐक्वायर नहीं हो पा रही है । जब तक जमीन ऐक्वायर नहीं होगी तव तक सुपर थर्मल पावर स्टेशन कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिये वहां एक एडवाइजरी कमेटी वनायी जाये और उसके जरिये जमीन ऐक्वायर की जाए, ओर वहां के कर्मचारियों और मजदूरों की वहाली हो और सारा इन्तजाम किया जाये । यह सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। मंदार हिल जो वांसी से लेकर बैजनाथधाम तक 55 मील की दूरी है, जिसके वारे में मैंने सवाल किया था और मुझे जवाब भी दिया गया था कि सारा काम उसका पूरा हो चुका है, अव इसमें सिर्फ रुपया देना वाकी है । मगर अफसोस है कि इस वार भी वजट में रुपया नही दिया गया है । हमारे क्षेत्र में कहीं रेलगाड़ी नहीं है । यह 55 मील की रेल लाइन अगर पूरी हो जाती है तो वैजनाथधाम का लिंक कलकत्ते से हो जाएगा ।

वस मुझे इतना ही कहना था । आपने मुझे वक्त दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इन लफ्ज़ों के साथ वजट की ताईद करता हूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वजट वहुत संतुलित प्रस्तुत किया गया है, जिससे मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, इसलिये इसका मैं स्वागत और समर्थन करता हूं ।

इस वजट से वचत की भी बहुत वड़ी संभावना है और इन्वैस्टमैंट भी काफी होगा जिससे हमारे देश की औद्योगिक प्रगति काफी तेजी से हो सकेगी ।

मैं खास तौर से कुछ वातें निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है इसलिये विशेष रूप से उसमें न जाकर एक प्वाइन्ट पर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा । रीजनल इम्वैलेन्सेज जो हमारे देश में है इनके सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त हैं और उसमें भारत सरकार ने 2 प्रतिशत से भी कम पैसा पब्लिक सैक्टर में इन्वैस्ट किया है । इससे इसकी जो प्रगति होनी चाहिये, वह नहीं हुई है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जहां प्राकृतिक साधन, मिनरल्स वहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं, कोपर, जिंक आदि अनेक प्रकार की चीजें हैं । इनके संवंध में अभी तक भी किसी प्रकार की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है।

अभी थोड़े दिन पहले अगूचा में जिंक का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है जिसको कहते हैं कि एशिया में बहुत बड़ा भंडार यह है। वहां पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगी यानी जिंक स्मैल्टर प्लान नहीं लगा। अगर इस को अन्य स्थानों पर लगाया जायेगा तो वह एक बड़ी दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति होगी। इसलिये वित्त मंत्री इस बात का ध्यान करें कि यह जो इतना बड़ा एरिया है और इतने बड़े डिपाजिट्स राजस्थान में हैं, निश्चित रूप से अगूचा में एक प्लान्ट लगाना चाहिये जिसमें 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ-साथ औद्योगिक दृष्टि से भी काफी पनपने की संभावना है।

इसके अलावा भीलवाड़ा में माइका का बहुत बड़ा काम है। बिहार के बाद अगर दूसरा नम्बर आता है तो भीलवाड़ा का आता है. यहां माइका का इतना बड़ा भंडार है, उत्पादन है जिसमे करोड़ों रुपया फारेन-एक्सचेंज का मिलता है। इसका जो कूड़ा-करकट और कचरा रह जाता है, उसका भी बहुत विशाल भंडार यहां है। अब नये तरीके से माइका के वेस्ट का पेपर बनाने के कारखाने एक दो जगह स्वीकृत हुए हैं। एक बिहार में स्वीकृत हुआ है, इसलिये मैं चाहता हूं कि जब इतना बड़ा भंडार माइका के वेस्ट का भीलवाड़ा में है तो निश्चित रूप से माइका के पेपर बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित होना चाहिये ताकि उसके जरिये सैकड़ों लोगों को रोजगार, धंधा मिल सके और जो सैकड़ों वर्षों से माइका का वेस्ट पड़ा हुआ है, उसका भी उपयोग हो सके जिससे फारेन-एक्सचेंज में काफी सहायता मिल सकेगी। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिये।

राजस्थान में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और मध्य प्रदेश का नीमच और मन्दसौर डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट कन्टीन्युएशन में हैं। इनमें चूने के पत्थर का विशाल भंडार है। अभी आपने 2 सीमेंट फैक्टरी भीलवाड़ा और चित्तौड़ में खोलने की स्वीकृति दी है, मगर यहां इतना बड़ा भंडार है कि अगर 10-15 सीमेंट फैक्टरी भी लगाई जायें तो उनके लिये पर्याप्त मात्रा में यहां चूने का पत्थर मौजूद है। इसलिये सीमेंट की कमी को देखते हुए अगर ज्यादा पैमाने पर वहां कारखाने लगाये जायेंगे तो उससे हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ मिलने और उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार व धन्धा भी मिल सकेगा और औद्योगिक दृष्टि से भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं।

सरकार ने एल० आई० सी० को पांच जोन्ज में बांटने का जो फैसला किया है, वह एक बड़ा स्वागत-योग्य कदम है। उसमें बड़े घपले थे। वह एक बहुत विशाल यूनिट बन गया था। इसलिए उसको पांच टुकड़ों में बांटने से व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन एक और संस्था है, जिसमें इससे भी ज्यादा घपले हैं, और वह है प्राविडेंट फंड की संस्था। मालिकों द्वारा मजदूरों से करोड़ों रुपये वसूल किये जाते हैं और वे उस रकम को डकार जाते हैं, खा जाते हैं। वह रकम सरकार के खजाने में जमा नहीं होती है। जितना पैसा मजदूरों से वसूल होता है। इस दोनों प्रकार के पैसे को अपने पास रख कर इंडस्ट्रियलिस्ट्स आज तक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं।

हमने कई दफा पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया है। मजदूरों को दस-दस बरस तक रसीद नहीं मिलती है। प्राविडेंट फंड कमिश्नर ने बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर लाखों रुपये का जुर्माना भी किया, लेकिन न तो वह जुर्माना और न प्राविडेंट फंड का पैसा जमा किया जाता है। जब

कारखाने में मजदूर की नौकरी खत्म होती है, तो उसके पास रसीद न होने की वजह से उसको प्राविडेंट फंड का पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। विभाग द्वारा इस बारे में कोई सतर्कता नहीं बरती जाती है। अगर इस संस्था को तीन, चार या पांच जोन्ज में बांट दिया जाये, तो इसकी व्यवस्था सुचारु रूप से चलेगी, मजदूरों का पैसा सुरक्षित हो जायेगा, उनकी कठिनाई दूर हो जायेगी और बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो करोड़ों रुपये खा रहे हैं, सरकार के पास जाने से उनका सही उपयोग हो सकेगा।

हम लोग राजस्थान कैनाल के बारे में बार-बार निवेदन करते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी जाती है। उसके लिए पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। वह काम दस वरस में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन वह बीस वरस में भी नहीं हो पाया है। अभी उसका पहला फेज ही खत्म हुआ है और दूसरा फेज चल रहा है। जिस स्कीम के द्वारा अधिक अन्न उपजा कर हम सारे देश के लोगों को खिलाना चाहते हैं, वह अभी तक ठंडी पड़ी हुई है। भारत सरकार उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है इसलिए वह स्कीम रेंगते-रेंगते चल रही है। यह एक बहुत बड़ी नैशनल प्राजेक्ट है, जिससे लाखों एकड़ जमीन सिंचित होगी। इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान करके इसे तेजी से पूरा करना चाहिए।

हमारे यहां जो बांध बने हुए हैं, उनकी नहरें और पानी निकलने के अन्य स्रोत बिल्कुल कच्चे हैं। इसलिए आधा पानी वेस्ट हो जाता है। अगर नहरों को पक्का करें, तो निश्चित रूप से एक ही वर्ष में इरिगेशन दुगनी हो जायेगी और उससे हमारी पैदावार में बहुत वृद्धि होगी। मेरे जिले में खारी, सरेरी, अरवड़ और मेज, ये चार मीडियम साइज के बांध हैं। अगर उनकी नहरों को पक्का कर दिया जाये, तो हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।

जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है, वहां डी० पी० ए० पी० चलाया जाता है। मेरे जिले के एक तरफ अजमेर है और दूसरी तरफ उदयपुर है। उन दोनों में यह प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच स्थित भीलवाड़ा को छोड़ दिया गया है। वहां हर दूसरे साल अकाल पड़ता है। डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत सहायता न मिलने के कारण इस जिले के लोगों को काफी कष्ट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले को भी डी० पी० ए० पी० में लिया जाये, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके और उनकी कठिनाइयां दूर हो सकें।

पब्लिक सैक्टर में कई जगह बड़े घोटाले हैं। मैंने पार्लियामेंट में कई दफा यह सवाल उठाया है कि 1978 में कापर प्राजेक्ट, खेतड़ी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मिली-भगत करके वहां पर निकले कापर के परसेंटेज को कम बताया, जिसकी वजह से 21 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। एक प्रश्न के उत्तर में पार्लियामेंट में बताया गया कि एक कमेटी द्वारा उसकी जांच हो रही है। जांच कब तक होगी ? किस प्रकार की व्यवस्था होगी ? तीन वर्ष तो पूरे हो चुके। तीन वर्ष के अन्दर इस घोटाले की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी जो जनता पार्टी के समय का है। जनता पार्टी के मिनिस्टर से लेकर वहां के जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और जितने अधिकारी लोग हैं वे सब उसमें इन्वाल्व्ड हैं। इतने बड़े घोटाले के सम्बंध में भी अगर भारत सरकार कोई ऐक्शन नहीं लेती और उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती तो निश्चित तरीके से मैं यह कह सकता हूं कि पब्लिक

सैक्टर कभी पनप नहीं सकता है। इस प्रकार के सफेद हाथी आपने वहां बैठा रखे हैं जो मनमानी करते हैं और पुराने जमाने के बादशाहों से भी ज्यादा ठाट-बाट से वह आज रहते हैं। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ निश्चित तरीके से काम किया जाना चाहिए।

आपने कोयले और लोहे की कीमत बढ़ा दी। इसलिए कोयले और लोहे से थोड़े दिन आपको फायदा दिखेगा। मगर पैसे बढ़ाने के बजाय अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हमारा ठीक होता तो निश्चित तरीके से इस पब्लिक सैक्टर के जरिए से हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते थे। की—इंडस्ट्रीज को आपने पब्लिक सैक्टर में लिया है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इस प्रकार के कारखानों को अगर हम ठीक प्रकार से चलाते हैं तो देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन उस लाभ से आज हम वंचित हैं।

पब्लिक सैक्टर में जो स्टील के कारखाने हैं उनमें तो नुकसान है पर जो उनके एजेन्ट हैं वे आज लखपति और करोड़पति बन गए हैं। वह इसलिए कि उनकी मैनेजमेंट के साथ मिलीभगत है, इसलिए सस्ते दामों पर स्टील प्राप्त करके उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करते हैं और अपने आपको धनाढ्य बनाने की बराबर कोशिश करते हैं। सरकार को इन सारी बातों पर निगाह रखनी चाहिए। अगर आप निगाह रखेंगे तो निश्चित तरीके से हमारे पब्लिक सैक्टर कभी भी नुकसान नहीं दे सकते। इतने बड़े विशाल पैमाने पर आपने इसमें रुपया लगाया है। 15 हजार करोड़ रुपया कोई कम नहीं है। इसके ब्याज से आप इस सारे देश को रोशन बना सकते थे, इसको आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद भी कभी चार सौ करोड़ रुपये का नुकसान, कभी पांच सौ करोड़ रुपये का नुकसान इसमें हो रहा है। जबकि आपकी मोनोपली है, आपके सिवाय उस प्रकार के काम में और कोई काम नहीं कर सकता, उस हालत में भी अगर पब्लिक सैक्टर हमें नुकसान देता है तो निश्चित तरीके से यह हमारी कमजोरी और हमारी कमी है जिसके कारण हमें यह नुकसान हो रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में तवज्जह देना चाहिए। अच्छे, योग्य और ईमानदार लोगों को वहां बैठाना चाहिए न कि ऐसे लोगों को जिन्होंने आज वहां एक तमाशा बना रखा है। पब्लिक सैक्टर में जितने लोग बैठे हैं, आज किस तरीके से उनकी मिलीभगत है वह मैं बताता हूं। इधर तो मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग मजदूरों में घुसे हुए हैं और इधर उन्हीं से मिले हुए लोग मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। इनकी मिलीभगत की वजह से रोज हड़तालें होती हैं, रोज काम बन्द होता है, जिससे नुकसान पब्लिक सैक्टर को हो रहा है, इसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते। इस तौर-तरीके की व्यवस्था चल रही है और यहां पर दूसरे लोग जो सरकार से सहानुभूति रखते हैं, जो सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं उस प्रकार के जो ट्रेड यूनियन में काम करने वाले लोग हैं उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता, उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिलता। उनकी व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए उनको विक्टिमाइज किया जाता है। इन सारी बातों को निश्चित तरीके से देखा जाना चाहिए, तभी जाकर आपका पब्लिक सैक्टर पनप सकता है।

इसी तरह से आपका रोडवेज और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। कौन सी स्टेट में आपके रोडवेज और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फायदे में हैं। तमाम के तमाम नुकसान में चल रहे हैं। करोड़ों रुपये का

घाटा सब जगह है जबकि आपकी मोनोपली है। मोनोपली होने के बाद में यह हालत है। अगर प्राइवेट सैक्टर में यह होते तो करोड़ों रुपये का फायदा निश्चित तरीके से वह इस रोडवेज और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जरिए उठा सकता था। मगर आपकी मोनोपली होते हुए भी आप सब जगह करोड़ों रुपये का नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए इन व्यवस्थाओं को ठीक किया जाना चाहिए, इनको मजबूत किया जाना चाहिए। जो लीकेज है उसको बन्द किया जाना चाहिए तब जाकर हमारी सारी व्यवस्था ठीक होगी।

डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप कितनी ही कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल नहीं सकेगी जब तक कि आप कोआपरेटिक्स को गांवों के अन्दर मजबूत नहीं करेंगे। कोआपरेटिव्ज को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं? उनको आप पैसा दीजिए ताकि वे एसैंशियल आर्टिकल्स खरीद कर सप्लाई कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कोआपरेटिव सैक्टर चल नहीं सकता। उनके पास एक छदाम भी नहीं है। एसैंशियल आर्टिकल्स को खरीदने के लिए, कैसे वह सार्वजनिक वितरण का काम कर सकेंगे। इसलिए कम से कम 5 सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था उनके लिए कीजिए। अगर सारे देश में एसैंशियल कमोडिटीज ठीक प्रकार से लोगों को सप्लाई करना चाहते हैं तब जाकर हम इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं।

में एक निवेदन आप से यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर नर्मदा के पानी का बंटवारा होना चाहिए था और पहले जो ऐग्रीमेंट हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच में उस समय हमको यह कहा गया था कि 5 लाख फुट पानी आपको दिया जायगा। उसके बाद में कराड़ा बांध उन्होंने बना लिया। गुजरात ने तो अपना काम कर लिया, सारा पानी ले लिया। जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए था वह हिस्सा आज तक नहीं मिला। उसके हिस्से में झगड़ा डाल दिया जिससे कि बाड़मेर और जालौर, दो जिले सिंचित हो सकते थे। इस प्रकार से उनको वंचित कर दिया गया। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके संबंध में दोबारा गौर किया जाए और नर्मदा का जो पानी राजस्थान को मिलना चाहिए वह उसको मिले। राजस्थान के पिछड़े हुए डेजर्ट एरिया—बाड़मेर और जालौर को पानी जरूर मिलना चाहिए ताकि वहां की व्यवस्था ठीक हो सके।

थीन डैम के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन उसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों का ही हिस्सा होना चाहिए। राजस्थान को उसमें से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है जोकि उचित नहीं है। आज भी राजस्थान पावर के मामले में बहुत पीछे है। वहां पर पीने के पानी को पहुंचाने के लिए भी बिजली नहीं मिल पाती है और कारखाने बन्द हो रहे हैं। खेती के लिए 40 परसेन्ट से कम बिजली मिलती है। केवल 5-6 घंटे बिजली मिलती है और वह भी रुक-रुक कर। इसलिए थीन डैम के पानी और बिजली में राजस्थान को उसका ड्यू शेयर मिलना ही चाहिए।

बैंकों के सम्बन्ध में भी मेरा एक निवेदन है। गांवों में जो आपने बैंक खोले हैं वहां पर एक मैनेजर रखा है जोकि इधर-उधर गांवों में जाता नहीं है और गरीबों को ऋण देता नहीं है

जिससे लोगों को बहुत तकलीफ है । इसलिए उन बैंकों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि दूर के स्थानों के गरीब लोगों को भी पैसा मिल सके ।

प्रोहिबिशन के संबंध में भी मुझे कुछ निवेदन करना है । प्रोहिबिशन के माध्यम से स एक आदर्श स्थापित करना चाहती थी लेकिन वह तो हुआ नहीं अलबत्ता घर-घर में शराब लगी है । इस योजना के कारण विभिन्न राज्यों को कम से कम दो हजार करोड़ रुपये का नु उठाना पड़ा है । इसके बावजूद जिस आदर्श को लेकर यह निर्णय लिया गया था उसकी ' होकर उल्टे घर-घर में शराब बन रही है । दूसरी ओर स्टेट्स की फाइनेन्सेज को घाटा हो अन्य योजनायें भी लागू नहीं हो पा रही हैं । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं इस पर पुन: होना चाहिए । मैं प्रोहिबिशन के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जब घर-घर में शराब बनती हो लोग शराब पीकर मरते हों तो उसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए और स्टेट्स के लि पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए ।

मैं अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने यू० पी०, हरियाणा तथा प्रदेशों के लिए अनेक कारखानों की व्यवस्था कर दी परन्तु राजस्थान को यूं ही छोड़ । राजस्थान को भी एक खाद का कारखाना मिलना चाहिए । मैं आशा करता हूं इन बात आप स्वीकार करेंगे और पिछड़ेपन के कारण राजस्थान में जो रीजनल इम्बैलेन्स है उस करने तथा उसको आगे बढ़ाने में निश्चित तरीके से योगदान देंगे । इन शब्दों के साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : सर्व प्रथम मैं प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री व वर्ष उत्पादन को प्रधानता देने वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं । बजट उद्देश में एक समान स्तर का समाज स्थापित करना हो तथा सभी वर्गों में असमानता दूर होना चाहिए । इस दृष्टि से हमारे वित्त मन्त्री ने जो बजट पेश किया है वह ऐतिहासिक है आने वाले समय में एक नये भारत का निर्माण करेगा ।

मैं सदन के सामने कृषि तथा लघु उद्योगों के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं । उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं । अनेक सिंचाई बांध बना हैं । किन्तु उनका उचित उपयोग नहीं किया गया है । इस दृष्टि से मैं सरकार से और अधिक नीकी स्कूल खोलने का प्रस्ताव करूंगा, क्योंकि कृषि अब एक सामान्य परम्परावादी तरीके की जाती वरन् अब अधिक वैज्ञानिक तरीके से की जाती है । किसानों को जल, कीट निवेश तथा मिट्टी परीक्षण के उपयोग करने की जानकारी नहीं है । ऐसी बहुत सी ब जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए । हर तालुका में एक तकनीकी स्कूल होना चाहिए कृषि से सम्बन्धित विषय जैसे डेरी फार्म, मुर्गी पालन, सुअर पालन, रेशम के कीड़े मधुमक्खी पालन तथा ऐसे अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए । इससे न ग्रामीण भारत की आर्थिक दशा में सुधार होगा वरन् इससे बेरोजगारी की समस्या भी सुल इसके बजाय कि सामान्य शिक्षा प्रदान की जाये तथा सफेदपोश व्यक्तियों को तैयार किय हमें तकनीकी स्कूल स्थापित करने चाहिए । यदि ऐसे तकनीकी स्कूल स्थापित किये ज

शुष्क कृषि करने वाले किसानों को पूरे वर्ष कार्य मिलेगा। इस समय उसे साल में केवल दो महीने कार्य करना होता है—एक महीना तो फसल बोने के समय और एक महीना फसल के काटने के समय। बाकी समय उसका व्यर्थ जाता है। यदि हमारे यहां ऐसे तकनीकी स्कूल हों तो हम ग्रामीण लोगों को पूरे साल के लिए काम की व्यवस्था कर सकते हैं।

लघु उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में इस सदन में, इस सदन के बाहर तथा अनेक शैक्षिक परिषदों में चर्चा की जा चुकी है किन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण युवकों को पहले उचित प्रशिक्षण दिया जाये और तब उनके लिए उद्योग स्थापित किये जाएँ। अन्यथा स्वैच्छिक रूप से बहुत थोड़े व्यक्ति आएंगे और वे भी धनी वर्ग के होंगे और वे सरकार द्वारा निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों को दिये गये लाभों को स्वयं प्राप्त कर लेंगे तथा उन्हें उन लाभों से वंचित कर देंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों तथा आदिवासियों के शिक्षित युवकों को लघु उद्योगों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और तब उनके लिए उद्योग स्थापित करने चाहिये। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये वे उत्पादन आरम्भ नहीं कर सकेंगे।

मेरे इस प्रस्ताव के आधार पर एक विशेष विभाग खोला जाना चाहिए जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा आदिवासियों के स्नातकों का ध्यान रखे, उन्हें एक या दो वर्ष प्रशिक्षण दे तथा तब उनके लिए लघु उद्योग स्थापित कराएं। इससे अन्य वर्गों को नौकरी मिलने में सहायता मिलेगी और वे देश के उत्पादन को बढ़ाएंगे।

कृषि के सम्बन्ध में हम नदी, नाले तथा अन्य स्रोत से प्राप्त पानी का उपयोग करते हैं। किन्तु भूमिगत जल का उपयोग नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का विचार है कि भूमि के अन्दर बहुत अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है। हमारे पास कुएं खोदने के लिये पर्याप्त रिंग और मशीनें नहीं हैं। सिंचाई की बात तो क्या लोगों को पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इजराइल जैसा छोटा सा देश ने वृक्षों की जड़ों को सींचने के लिए भूमिगत जल छिड़कने की प्रणाली आरम्भ की है। इसके लिये विकसित देशों से सीखना चाहिए। पहले उन देशों ने अपने कृषि का विकास किया क्योंकि इससे उत्पादन कच्चा माल तथा नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं तथा लोग सन्तुष्ट रहते हैं।

हमारे यहां ग्राम क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में असमानता बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए हमें सामानान्तर नगर स्थापित करने होंगे तथा बड़े नगरों में लाइसेन्स देना बन्द करना होगा। इसके विपरीत नगर बढ़ते जा रहे हैं तथा गांव कम होते जा रहे हैं। मैंने पिछले 15 वर्षों में देखा है कि गांवों में मकान जीर्ण-शीर्ण होते जा रहे हैं तथा नगरों में बहु मंजिले भवन बनते जा रहे हैं। नेहरू जी कहते थे कि जब तक हमारे ग्रामों का विकास नहीं होगा हमारी अर्थव्यवस्था का भी विकास नहीं होगा। क्योंकि हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मैं नहीं कहता कि सरकार ने उनकी उपेक्षा की है। मेरा विचार है कि सरकार ने बजट में उसके लिए पर्याप्त धन राशि आवंटित की है। किन्तु इस देश के ग्रामीण विकास के लिए यह धन राशि पर्याप्त नहीं है। मैं सरकार को ग्रामों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की

शाखाएं खोलने के लिए धन्यवाद देता हूं। किन्तु बैंकों की शाखाएं खोलने से पहले हमें कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। अनुभव से पता चलता है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंक मैनेजर तथा सफेदपोश व्यक्ति समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग की कठिनाइयों को नहीं समझते हैं। मैंने यह स्वयं देखा है और अनुभव किया है। जब तक उन पर जोर नहीं डाला जाता वे धनराशि नहीं देते हैं। इसलिए अधिकारियों के विशेष दल स्थापित किये जाने चाहिये जिससे वे इस बात की जांच करें कि वह धन उन्हीं को दिया जाय जिनके लिए वह निर्धारित है। इस प्रकार ऐसी एजेंसियां स्थापित हो रही है जिनसे भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब लोग वास्तव में उनकी कठिनाइयों को समझेंगे तथा इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है।

योजनाएं बनाई जाती हैं और हमें इससे प्रसन्नता भी होती है। किन्तु योजना पर कार्य भी होना चाहिए। यदि उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता तो बेकार हो जाएंगीं।

मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में चाहे वह लघु उद्योग हो, अथवा कृषि हो मध्यवर्ग द्वारा उसका दोहन किया जा रहा है। जिससे वे धनी होते जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादों के विपणन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उचित विपणन प्रबन्ध होने पर ही उचित मूल्य प्राप्त हो सकता हैं और आर्थिक स्थिति में स्वयमेव सुधार होगा। इसलिए हमें विपणन सुविधाओं के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

जापान में जब हीरोशिमा तथा नागासाकी को बम से उड़ा दिया गया था तथा पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था। किन्तु अब वे अपने उत्पादों को संसार के प्रत्येक भाग में भेजते हैं। अमरीका के एक बड़े उद्योगपति का कहना है कि "जापान हमें युद्ध में परास्त नहीं कर सका, अब वे इस स्थिति में हैं कि वे हमें खरीद सकते हैं। जापान अब इस स्थिति में है क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं तथा 14-15 घन्टे प्रति दिन काम करते हैं।" हमें वैसे ही चरित्र का विकास करना है तथा मेहनत द्वारा कड़ी महेनत करने का गुण पैदा करना है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा वे तालाबन्दी तथा हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दें तथा उनमें अनुशासन लागू करें। अन्यथा हम अधिक उत्पादन नहीं कर सकेंगे तथा यदि उत्पादन वृद्धि नहीं की जाती तो मुद्रास्फीति हमारी अर्थ-व्यवस्था को खराब करेगा।

जहां तक मुद्रास्फीति का सम्बन्ध है विपक्ष के हमारे मित्र केवल आलोचना के लिए हमारी आलोचना करते हैं। हम रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं किन्तु केवल दोष निकालने के लिए की गई आलोचना को पसन्द नहीं करते। वे केवल छिद्रावेषी हैं। यद्यपि वे सख्या में केवल दो हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा उन्हें रचनात्मक होना चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश : आप उसे भी पसन्द नहीं करते।

श्री एस० बी० सिदनाल : यदि कोई रचनात्मक सुझाव होता है तो हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं किन्तु छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए। आप में से केवल दो यहां उपस्थित हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री सिदनाल का भाषण रिकार्ड किया जायेगा । (व्यवधान)*

श्री एस० बी० सिदनाल : एक और बात जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह है कि आगामी दस वर्षों में खाद्यान्न की कमी होगी । इसलिए वन रोपण के कार्य को गंभीरता से किया जाना चाहिए । तथा और अधिक संख्या में गोबर-गैस संयंत्र स्थापित किये जाने चाहिए तथा उसके लिए दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि की जानी चाहिए । इससे बिजली की बचत होगी । इसका ईंधन के रूप में तथा खाद्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है । इससे और अधिक खाद्य पैदा करने में सहायता मिलेगी तथा इसका बिजली के स्थान पर उपयोग किया जा सकेगा । इससे किसानों को भी बहुत सहायता मिलेगी । यदि गोबर-गैस संयन्त्रों की स्थापना का कार्य और गंभीरता से नहीं किया जाता तो आगामी दस वर्षों में हमें बिजली की कमी अनुभव होगी तथा हमारे पास ईंधन के लिए तथा भवन निर्माण के लिए लकड़ी की कमी अनुभव होगी । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह वन-रोपण के लिए दस वर्षीय योजना तैयार करे । प्रत्येक राज्य को अरक्षित वनों के लिए क्षेत्र निर्धारित कर देने चाहिए । इस परियोजना पर किया गया व्यय बहुत अच्छा पूंजी निवेश होगा । यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगामी समय में इसकी कमी हो जायेगी ।

मुझे सरकारी क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं है यद्यपि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है । इसके सम्बन्ध में बहुत भ्रष्टाचार तथा पक्षपात की बात कही जाती है । जैसा कि हारोल्ड लास्की तथा डिकी ने कहा है "लोकतंत्र में यह बातें अनिवार्य हैं । इनको पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है किन्तु उसे कम किया जा सकता है ।" सरकारी क्षेत्र में राजस्व की चोरी को शीघ्र कार्यवाही करके रोका जाना चाहिए तथा उसे अनुशासित किया जाना चाहिए । अन्यथा आगामी समय मे बहुत कठिनाइयां बढ़ जायेंगी ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । हम अपने को देश के सर्वोत्तम व्यक्ति होने का दावा करते हैं किन्तु हम अपने भाईयों के विकास में अपने को शामिल नहीं करना चाहते । हमारी परम्परा यह है कि हम कुत्ते तथा बिल्लियों से तो प्यार करते हैं किन्तु मानव से नहीं । किन्तु हमें अपने समाज को प्रबुद्ध करना होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग यदि आगे आते हैं तो समाज के धनी वर्ग अथवा अग्रणी वर्ग को उनकी आर्थिक अथवा शैक्षिक स्थिति में, जिसकी भी आवश्यकता हो, सुधार करने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए । केवल कानून बनाने से इस देश की अथवा संसार के किसी देश की स्थिति म सुधार नहीं होगा । यदि लोग इसमें गंभीरता से रुचि नहीं लेते तो वे उन्नति नहीं कर सकेंगे । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयता को प्रधानता देनी होगी क्योंकि राष्ट्रीयता आचरण तथा व्यक्तित्व से ऊपर की वस्तु है । राष्ट्रीयता तथा व्यक्तित्व के बीच निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं आना चाहिए तभी यह महान देश का आगामी समय में उज्ज्वल भविष्य हो सकता है ।

उत्तरी अक्षांश के देशों में जहां 6 मास से अधिक समय तक सूर्य दिखाई नहीं देता तो वहां

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

के लोग मकानों में सब्जियां तथा अन्य फसल पैदा करते हैं, सुअर पालते हैं, उन्हें काटते हैं तथा खाते हैं। लोग आलसी हैं या जो भी हैं।

अन्त में, जीवन बीमा निगम का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और इसके लिए मैं सरकार और वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं अधिक समय नहीं बोलना चहाता क्योंकि मेरे सभी साथी काफी समय ले चुके हैं। फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वन-रोपण, गोबर-गैस संयंत्रों, कृषि प्रशिक्षण केन्द्रों और भेड़ पालन, मुर्गी पालन, डेरी फार्मिग, मधु-मक्खी-पालन, सूअर-पालन और रेशम-उत्पादन आदि कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों के बारे में गम्भीरता-पूर्वक विचार करे। ग्रामोद्योग का विकास किया जाना चाहिए।

अन्त में, महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बड़े शहरों के लिए कोई लाइसेंस न दे। उन्हें सभी शहरों और ताल्लुकों का समान विकास करना चाहिए। वर्ना अगर हम बड़े शहरों में अधिक उद्योग लगाते हैं तो पानी, बिजली और अन्य बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। हमें गावों में जाकर उनका विकास करना चाहिए। गांवों में उद्योगों का विकास करने के लिए हमें रेल यातायात और सड़क यातायात में तालमेल बैठाना होगा। इसलिए रेल यातायात और सड़क यातायात में तालमेल सुनिश्चित करना होगा।

अपने राज्य के बारे में, मैं वित्त मन्त्री को धन्यवाद नहीं देता क्योंकि हमें होसपट संयंत्र और रेल संपर्क नहीं दिया गया है। हमें बहुत सी अच्छी लाइनों से वंचित रखा गया है जैसे करवार-हुबली लाइन और कर्नाटक की कुछ अन्य लाइनें जो उत्तरी कर्नाटक का आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप ही बदल देतीं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह होसपट सयत्र के बारे में कुछ वादा करे जिसमें हमारे लोगों की रुचि है और जिससे हमारे राज्य की बराबर प्रगति होगी। दक्षिण में आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक ऐसा प्रदेश है जिसके बल पर इन्दिरा कांग्रेस फल फूल रही है। मैं किसी तरह के पक्षपात के लिये अनुरोध नहीं कर रहा हूं। परन्तु हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, पिछले अनेक वर्षों से जिससे हमें वंचित रखा गया है और हम अपने लोगों से कहते आए हैं कि चूंकि हमारी प्रिय प्रधान मन्त्री ने इसकी नींव रखी है इस-लिए वह हमें मिलेगा।

अन्त में, मैं उस ओर बैठे हुए मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे नये भारत के निर्माण में हमारी सहायता करें।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में मुझे यह कहना है कि धरती के लोगों ने आसमान की कल्पना करके बजट बनाया है जिसमें केवल उद्योगपतियों, मिल-मालिकों, बड़े-बड़े व्यापारियों और मध्यम वर्ग में भी कुछ ऐसे वर्ग के लोगों के जोकि बड़े वर्ग की सीमा में आते हैं, के हित की बात की गयी है। इस देश के करोड़ों किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। इनकम-टैक्स की जो भी रिलीफ आपने दी है, उसका मंहगाई पर, जैसा कि मेरे साथियों ने बताया,

कोई असर पड़ने वाला नहीं है । इस बजट में इस देश के करोड़ों, करोड़ों और गरीब वर्ग के लोगों के वास्ते कोई चीज नहीं है जिससे कि उनका हित होने वाला हो । आप पूरे बजट को उठाकर देख लें, आप कहीं भी ऐसी चीज नहीं पायेंगे जिससे कि गरीब वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिल सके, सस्ती शिक्षा मिल सके, उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं है । कुछ लाख लोगों की बात सोचकर के करोड़ों लोगों के बारे में सोचना केवल कल्पनामात्र है । इस बजट की आप तारीफ करते हैं और इसलिए तारीफ करते हैं कि यह आपकी मजबूरी है । नही तो इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है ?

मैं उस पर इस समय नहीं जाना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इस समय देश की कैसी हालत हो गयी है उसको आप सोच लें, नहीं तो आपका राज खत्म हो जाएगा । आज फूलनदेवी मल्हा का राज है, डाकू मलखान सिंह का राज है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है । आज लड़कियों को उठाकर जेलों से ले जाया जा रहा है, बसों से ले जाया जा रहा है । डाकू लोग ले जा रहे हैं । लोग गांव-गांव में मारे जा रहे हैं । एक तरफ रात को डाकुओं का डर होता है और दिन में पुलिस के डाकुओं का डर होता है । चारों तरफ गांव-गांव और छोटे-छोटे कस्बों में अराजकता फैली हुई है, कानून और व्यवस्था बिगड़ गयी है, लोगों का जीवन दूभर हो गया है ।

इसे हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा क्योंकि हमारे बजट का प्रभाव केवल रोजी-रोटी, कपड़े और मकान तक ही सीमित नहीं है, उसके साथ जीवन-मरण का प्रश्न भी है, कानून और व्यवस्था का भी प्रश्न है । हमें उसके जीवन को सुरक्षा भी देनी है, उसके गांव को भी सुरक्षित रखना है । उसको बिजली, भोजन, चीनी, मिट्टी का तेल पहुंचे या न पहुंचे, वे यह बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन रात में या दिन में किस वक्त डाकू आजायेंगे, लूट करेंगे, बेइज्जत करेंगे, माता और बहिनों की अस्मत लूटेंगे और दूसरी तरफ आपकी पुलिस ने भी वही काम करना शुरू कर दिया है, वह भी आपके हाथ से निकल गयी है, वह भी डाकुओं से साजिश करती है, यह बात कैसे बर्दाश्त की जायेगी ?

पिछले दिनों की घटनाएं आप उठाकर देखिए कि किस तरह से हमारे बड़े-बड़े शक्तिशाली लोग डाकुओं से मिले हुए थे और उनकी रक्षा करते थे और कहते थे कि इस गैंग को मार देना, इस गैंग को मत मारना, इसका घिराव करना लेकिन उसे निकल जाने देना, लेकिन दूसरे गैंग को जाल में फांसने को कहते थे । अब तक जातिवाद ने राजनीति में ही प्रवेश किया था लेकिन आज जातिवाद डाकुओं तक में प्रवेश कर गया है । इस देश का क्या होगा, इसको बड़ी गम्भीरता से हम को सोचना होगा ।

आप बात करते हैं कि देश के गरीबों के लिए आपने बजट बनाया है । आप उनको रोजगार देने की बात सोच रहे हैं । इस देश के जो असली रहने वाले हैं, जो बैठकर के चाक चलाते हैं, कुम्हार लोग आपके लिए बर्तन और कुल्हड़ तैयार करते हैं, पान लगाने वाला तम्बोली आप लोगों के लिए पान लगाकर देता है, नाई जोकि बाल बनाता है, जिसकी कि एक माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, क्या कभी आपने उनकी समस्याओं के बारे में सोचा है ? क्या आपने

जो तेली तेल निकालता है, अपना कोल्हू और बैल चला कर, इस देश का लोहार और बढ़ई आपके खेत का सामान, बैलगाड़ी आदि बनाकर देता है, आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें बना कर देता है, उसके लिए इस बजट में क्या है? उन करोड़ों-करोड़ों गरीब लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है जो गांवों में पाये जाते हैं जिनका कि परसेन्टेज काफी अच्छा है। वे लोग आज भी उपेक्षित हैं। आपके बजट में सुनार, लोहार, माली, दर्जी, धनुक, मछुआरे, नाविक के लिए कुछ नहीं है। आप इस देश के करोड़ों लोगों की उपेक्षा करके यह बजट बनायेंगे तो वह हवाई बजट कहलायेगा, इसको देहात का बजट कैसे कहा जायेगा।

आप बड़ी-बड़ी छूटें दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खाद्य का उत्पादन बढ़ाएंग। उत्तर-प्रदेश में 7 घंटे किसानों को बिजली दी जा रही है, यह कहा जाता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर सिर्फ साढ़े तीन घंटे ही बिजली मिल पाती है। किसान फावड़ा लेकर खेत में जाता है, थोड़ी देर इन्जन चलता है और बिजली चली जाती है। इस प्रकार से वहां पर मुश्किल से ढाई तीन घंटे बिजली मिल रही है। इसी प्रकार डीजल नहीं मिलता है, डीजल की लाइनें लगती हैं, लोगों की दुर्दशा हो रही है, इस ओर आप बड़ी गम्भीरता से सोचिये। अगर किसान की फसल नष्ट होती है तो आपकी पूरी अर्थ-व्यवस्था इस पर निर्भर है। आपके बिजली मन्त्री कहते हैं कि बिजली देने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आपके एक्जीक्यूटिव आफिसर कहते हैं कि हम बिजली नहीं देंगे। खम्बे गड़ चुके हैं, कर्जा वसूल करना शुरू कर दिया है, लोगों की कुड़कियां हो रही हैं, लेकिन बिजली नहीं पहुंच रही है। कुड़की के वारंट आ रहे हैं। मैं उत्तर-प्रदेश के अपने क्षेत्र जिला बदायूं, बरेली की बात कर रहा हूं। सैकड़ों ऐसे किसान हैं, जिनके यहां पर कनेक्शन नहीं पहुंचे और कुड़की के वारंट भेजे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो बड़े-बड़े कारखाने वाले हैं, जो बिजली की चोरी भी करते हैं और लाखों के बिजली के बिल जिनके ऊपर बकाया हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कहा गया कि किसानों को खाद चाहिए। खाद के ट्रकों के ट्रक बदायूं जिले के लिए बुलवाए गए, लेकिन सब के सब जातिवाद के आधार पर बांट दिए गये। बड़े-बड़े किसानों को दिए गए, छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। जातिवाद के आधार पर ट्रक अलाट किये गये। एक क्षेत्र में 30 ट्रक और दूसरे में 200 ट्रक अलाट किए गए। बहुत से ट्रकों को ब्लैक में बेच दिया गया। इस बारे में सैकड़ों किसानों ने शिकायतें भी कीं, इस बारे में आप वहां के जिलाधीश से पूछ सकते हैं, लेकिन उस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यदि इस देश में खाद्य समस्या का समाधान करना है तो वाटर-क्राप्स की ओर ध्यान देना होगा। मछली, सिंघाड़ा, कमलगट्टा आदि उत्पादन और इनका उत्पादन करने वाले मल्लाह, मछियारों आदि के विकास की ओर ध्यान देना होगा, इन्हें अधिक से अधिक राहत देनी होगी। आपने इन्हें नौकरियों में स्थान नहीं दिया है। अभी वर्मा जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था। इनकी हालत अनुसूचित जाति के लोगों से भी ज्यादा बदतर है। न तो इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है, न जनजाति में रखा गया है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं, एक दलेरा जाति है, ये न तो अनुसूचित जाति, जनजाति में हैं, न अपर क्लास में

हैं, इनका कहीं पता नहीं है। इस प्रकार से उसको कैसे उन्नति के अवसर मिल पाएंगे। ये लोग बीच में अटके हुए हैं। हमारे देश में 60 प्रतिशत बैकवर्ड लोग हैं। मण्डल-कमीशन की रिपोर्ट तैयार है, आप उसे जल्दी से जल्दी छपवाइए और सदन में प्रस्तुत कीजिए। उसे जल्दी से लागू करवाइए, आपके बजट का 5 पैसा भी उस पर खर्च नहीं होगा। 60 प्रतिशत लोगों को रिजर्वेशन मिलने पर उन लोगों में एक विश्वास जागेगा। जो लोग हजारों साल से उपेक्षित रहे हैं, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जिनका शोषण हुआ है, उनको अवश्य ही राहत मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं राजनीति से उठकर कहना चाहूंगा कि हम लोग चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों, असेंबली में हों या कौंसल के मेंबर हों, नौकरशाही हमसे खेल खेलती है। यह नौकरशाही जनता से खेल खेलती है। यदि आपको जनता के प्रतिनिधियों का सम्मान रखना है तो इसके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। आज हर जगह नौकरशाही हावी है। इसको दूर करने के लिए जन प्रतिनिधियों को कुछ सेंसर करने के अधिकार दिए जाएं, जिससे वह इन नौकरशाहों को काबू में रख सके। उसे अधिकार होना चाहिये कि वह उनकी रिपोर्ट सरकार तक भेज सके, जनता की परेशानियां जिलाधिकारियों को बता सके। एक रजिस्टर मेंटेन कर सके जिसके अनुसार वह महीने-दो महीने में एक बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, उनको राय दे सके, उनके काम को सेंशर कर सके, यह अधिकार उनको होना चाहिए।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं माननीय प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री को यह बजट सभा में प्रस्तुत करने के लिये बधाई देना चाहूंगा। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा और केवल महत्वपूर्ण बातों की ही चर्चा करूंगा।

महोदय, किसी देश की विदेशी मुद्रा उसकी आर्थिक स्थिति की सूचक होती है। इस प्रतिमान के अनुसार हमारी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है और जब तक इसे सुधारने के लिये कुछ नहीं किया जाता तब तक हम बिल्कुल प्रगति नहीं कर सकते। कोरिया, तइवान, जापान और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों ने कच्चे माल की कमी के बावजूद अपनी निर्यात स्थिति में सुधार कर लिया है। हमें उनके कदमों पर चलना चाहिये और अपने उद्योग को निर्यात के अनुकूल बनाने के लिये उसका विकास करना चाहिए। जब तक हम यह नहीं करते तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। निर्यात में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए।

अनुशासन प्रगति का सोपान है। सरकार को युवा लोगों में अनुशासन की भावना भरने के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो कम से कम राष्ट्रीय केडेट कोर को सभी युवकों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

*कन्नड़ में दिए गए मूल भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारी लम्बी तटवर्ती सीमा है, परन्तु हमने अपनी समुद्री सम्पदा को विकसित करने या उसका लाभ उठाने के लिये उपाय नहीं किये हैं। विदेशी जलपोत हमारे समुद्र में मछली पकड़ते हैं परन्तु हमारे गरीब मछेरे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास समुद्र में जाने के लिये मछली पकड़ने की नावें अथवा जलपोत नहीं है। मछुआरों को जल-पोत दिलाने के लिये बजट में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।

समुद्र से भूक्षरण को रोकने के लिए उपाय किये जाने चाहिए। इसे रोकने के लिये बाँधों का निर्माण किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को मालपे मत्स्य ग्रहण पत्तन परियोजना के बारे में शीघ्र निर्णय करना चाहिए। इस परियोजना पर 2 करोड़ रुपये की लागत का अनु-मान लगाया गया है जिसे कर्नाटक सरकार ने अग्रेषित कर दिया है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को यह परियोजना पूरी करने के लिए धनराशि देनी चाहिए और इसके पूरा हो जाने पर बंगलौर के मुख्य बन्दरगाह का काम पूरा हो जाने पर इन दोनों बन्दरगाहों के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, इस वर्ष के बजट में कर्नाटक के लिए एक भी रेलवे लाइन शामिल नहीं है। जहां तक कर्नाटक में रेल संचार व्यवस्था का सम्बन्ध है, केवल कोंकण प्रदेश के लिए कोई सम्पर्क लाइन नहीं है। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तमिलनाडु के लिए एक नई लाइन की मंजूरी दी गई है परन्तु कर्नाटक की उपेक्षा की गई है। मंगलौर-मालपे लाइन का काम हाथ में लिया जाना चाहिए। चाहे काम को चरणवार ही पूरा किया जाए। यदि इस स्थान पर रेल यातायात की सुविधा हो जाए तो इससे बंदुर में उपलब्ध वोक्साइड अयस्क के यातायात में आसानी हों जाएगी। फिलहाल बोक्साइट अयस्क का सड़क से परिवहन किया जाता है। बांदूर को कारबार से भी जोड़ना चाहिए।

बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बैंक सुविधाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पातीं। पहले एक अवसर पर, माननीय मंत्री ने आम आदमी के लिए बैंक ऋण के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त करने का वायदा किया था। मैं आशा करता हूं कि उनका वायदा जल्दी ही पूरा होगा।

कर्नाटक में स्टेट बैंक का एक सर्किल कार्यालय होना चाहिए जिससे बैंक का काम विकेन्द्रित होगा और ऋण मंजूरी का काम शीघ्र पूरा हो सकेगा। यदि जीवन बीमा निगम को सुचारु कार्यकरण के लिए पांच निगमों में बांटा जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक की प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक कार्यालय क्यों न खोले जा सकें। देश के आम आदमी को अधिक रुपये जमा करने के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक संख्या में शाखाएं खोली जा सकती हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह मंगलौर इस्पात संयंत्र की मंजूरी दे जिसके कारण कुछ समय से अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है; बिंदुर के लिए एक अन्य अल्यूमीनियम संयंत्र की मंजूरी दी जानी चाहिए, जहां बड़ी मात्रा में ओक्साइड के भंडार हैं। जैसा कि कर्नाटक सरकार ने सुझाव दिया है, तटवर्ती संयंत्र भी लगाया जाना चाहिए।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम, जिसकी जिम्मेदारी गेहूं और चावल की सप्लाई करना है. अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। वह संतोषजनक मात्रा में अनाज सप्लाई नहीं कर रहा है। हमारे देश में विचित्र विडम्बना है; हम अन्तरिक्ष में जाने की सोच रहे हैं मगर हम लोगों को अच्छा अनाज भी नहीं दे सकते। भारतीय खाद्य निगम को साफ सुथरा गेहूं और चावल सप्लाई करना चाहिए। भण्डारण और उतारने-चढ़ाने की उचित व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए।

हमारे देश के सामने केवल ऊर्जा की ही समस्या नहीं है। सरकार को इन असंख्य समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक तरीका यह हो सकता है कि समस्याओं को व्यवहार्य हल का सुझाव देने वाले के लिए एक लाख रुपये का पुरस्कार रखा जाए। मुझे विश्वास है कि वैज्ञानिक इस दिशा में आगे आयेंगे और इस देश की कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बजट में ऐसे पुरस्कारों की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको ही धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे कुछ अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप यहां रहें और सत्ताधारी दल के वक्ता को सुनें।

श्री ए० के० राय : आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैं एकमात्र श्रोता हूं जिसे बोलने की कोई इच्छा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो यहां हमेशा होते हैं—मुझे मालूम है।

श्री मगन भाई बरोट : मैं तो यहां बैठने के लिए विवश हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जहां तक बजट का सवाल है इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा सभी मित्रों ने की है, लेकिन अगर बजट को देखा जाये तो यह केवल एक अंक-गणित का मायाजाल है, इसको हम मृग-मरीचिका कह सकते हैं। इससे 25 लाख लोगों के आय-कर की छूट होती है और कुछ लाख लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन करोड़ों-करोड़ों जन-मानस के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। यह केवल वही अंक-गणित है जिसे मोटी किताब के रूप में अंकों के मायाजाल को इस तरह घुमाया गया है जो देखने में लगता है अनुरक्षण है या रखरखाव का क्रम है। जिस तरह से अमरीका में आइजनहावर जब प्रेजीडेंट हुए थे तो लोगों ने कहा था कि विद्-आउट प्रेजीडेंट भी अमरीका चल सकता है, इसलिये इस बजट के बगैर भी देश चल सकता है। यह कह सकते हैं कि यह ब्यूरोक्रेसी का बजट है, यह केवल वेतन पाने वाले लोगों की सुविधा के लिए है, उसी प्रकार की व्यवस्था इसमें है। लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, 70-72 प्रतिशत लोग हैं उनके लिए कोई खास बात इसमें नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी उन्हें ऊपर उठाने के लिए आपके पास क्या हल है। उसके बारे में कहिए। हमें भी जानकारी मिलेगी।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सजैश्चन भी मैं दूंगा, अगर आप मुझे समय देंगे। लेकिन क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं देंगे, इसलिए मैं उसी को ख्याल में रखकर सारी बातें कहना चाहता हूं।

यह बजट केवल उसी तरह का है जैसे भौंकते हुए कुत्ते को दो रोटी फेंक देते हैं। उस प्रकार की कुछ व्यवस्था तो इसमें हुई है, लेकिन देश के विकास या आम जनता जो गरीबी की रेखा से नीचे है, उसके लिए इसमें कुछ नहीं है।

उधर के बहुत लोग कह गये कि यह बहुत अच्छा बजट है लेकिन संसद जो देश की सर्वोच्च संस्था है, इसके एयरकंडीशन्ड वातावरण में बैठकर उधर के लोग कह गये कि यह बहुत अच्छा है, यहां बैठकर जब तक नजर उनकी घूमती रहती है तो यह अच्छा लगता है, लेकिन घाटा पहले से डबल हो गया है। यह घाटे का बजट है और बाहर जाने से आम जनता हम लोगों के पीछे झाड़ू लेकर पड़ती है।

आज महगाई ने सुरसा की तरह अपना बदन बढ़ा दिया है और गरीब तबके के लोग हनुमान की तरह उसके मुंह में जाकर समा रहे हैं। इस तरह की स्थिति सारे देश में हो रही है। चीनी के बारे में यहां सब बोलते हैं कि जनता पार्टी के शासन में वह अदृश्य हो गई। जनता पार्टी का शासन तो 27 महीने चला लेकिन कांग्रेस (आई) का शासनकाल तो पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, उसके शासन में ही यह हो रहा है। इन्होंने कहा कि समाजवाद का ढांचा बनायेंगे, कभी हरित क्रान्ति और कभी सफेद क्रान्ति की बात करते हैं और पता नहीं कौन-कौन क्रांति की ये बात करते हैं, जापानी तरीके की बात करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी देश का जो कायाकल्प होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है।

राजनेताओं का चरित्र आज भी बहुत ही गिरा हुआ है। इसमें हम सभी दोषी हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई नहीं सोचता, समाजवाद की बात करते हैं, इण्डीविजुअलिज्म फर्स्ट। वैस्टेड इन्टरेस्ट वाले लोगों की तरफ जो लगाव है, उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं इसलिए हम जनता को समाज के एक स्तर पर स्वयं नहीं ला पाते हैं। वेस्टिड इन्ट्रेस्ट के लोग और सरकार के साथ चिपके हुए चमचे ही सब कुछ हज्म कर जाते हैं, जिसके कारण आज देश की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। कोई नहीं कह सकता है कि यह बजट जन-हितकारी है। इससे कुछ लाख लोगों का हित भले ही होता हो, लेकिन यह देश के करोड़ों लोगों के लिए हितकर नहीं है।

जहां तक मूल्य-वृद्धि का सम्बन्ध है, जनता सरकार के समय चीनी का दाम 2-60 रुपये किलो था, जबकि आज वह 6-10 रुपए किलो है। चीनी दस पंद्रह रुपये किलो भी बिक चुकी है। कड़ुवे तेल का दाम सात आठ रुपए से ज्यादा नहीं था, लेकिन आज वह 18 से 20 रुपए तक है। लोहे, कोयले और सीमेंट का दाम दुगुना हो गया है। हर चीज का दाम बढ़ा है। इस सदन में—इस ताप-नियंत्रित स्थान में—तो यह कहना ठीक लगता है कि यह बजट बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर लोग गाली देते हैं। यदि सरकार अच्छा काम करे, तो विरोधी दल खत्म हो सकते

हैं। लेकिन अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, तो परिणाम उसी को भुगतना पड़ेगा। जिस दल का शासन केवल दो वर्ष तक रहा, उसको सब गड़बड़ियों का दोषी या बलिदान का बकरा नहीं बनाया जा सकता है।

प्राइस को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर स्टेट में प्राइस नियंत्रण बोर्ड बनाए, जिसमें किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योगों के दो-दो प्रतिनिधि, आंकड़ों के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि रखे जायें। यह काम केवल बड़े आई. ए. एस. अफसरों के सुपुर्द करने से कोई लाभ नहीं होगा, जिनको गांवों की स्थिति का पता नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि किसानों के सामने कितनी कठिनाइयां हैं और उत्पादकों, कारीगरों और निचले स्तर के लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है।

आज सारे देश में बिजली की भयंकर कमी है। मेरा सुझाव है कि हर स्टेट में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया जाये। किसानों, उद्योगपतियों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और इंजीनियरों के प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों को उसमें रखा जाये। वे लोग सारी स्थिति पर नजर रखें और समय-समय पर दोषों को दूर करने के लिए कदम उठायें। आज यह काम ऐसे लोगों को दिया जाता है, जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े होते हैं, जिनको आम जनता से मिलने का अवसर नहीं मिलता है, जिनका सम्पर्क केवल पांच-दस परसेंट अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ रहता है और जो केवल अखबार और कागज पढ़कर ही अपना अभिमत बनाते हैं। इस तरह समूचे समाज का कायाकल्प नहीं हो सकता है।

अगर सरकार सब लोगों को काम देना चाहती है और सारी जनता की तरक्की करना चाहती है, तो देश का औद्योगीकरण उसका पहला काम होना चाहिए। आज इण्डस्ट्रीज बड़े-बड़े शहरों में सीमित हैं, जिसके कारण गांव अविकसित हैं और पिछड़े क्षेत्र पिछड़े हुए रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम दो कारखाने लगाये जायें। इससे उस क्षेत्र का काया-कल्प होगा, वहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, उन्हें नई तकनीकी का ज्ञान होगा, नियोजन के नये आयाम मिलेंगे और साथ ही क्षेत्रीय असमानता, रिजनल इमबैलेंस खत्म होगा।

इसके साथ ही उद्योगों का श्रमीकरण भी होना चाहिए। हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम भी हैं और निजी क्षेत्र के उपक्रम भी हैं, मगर सार्वजनिक क्षेत्र – सरकारी क्षेत्र के सब उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। केवल प्राइवेट सेक्टर के लाभ में चल रहे हैं इसलिए कि उसके नियोजक और श्रमिक दोनों के बीच में एक तादात्म्य सम्बन्ध किसी न किसी तरह बना रहता है। जहा तक पब्लिक सैक्टर की बात है उसके अन्दर सरकार और कर्मचारी किसी को उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं रहता। इसलिए जरूरी है कि मजदूरों को पब्लिक सैक्टर में, समाजवादी व्यवस्था के अन्दर जिसको पब्लिक सैक्टर कहा जाता है उसमें उनको एक हिस्सा दिया जाय, उनको प्रबन्ध और व्यवस्था में सहयोगी बनाया जाय। जब फैक्ट्री घाटे में चलेगी तो मजदूरों को घाटा भुगतना पड़ेगा क्योंकि उसकी हिस्सेदारी हो जायगी। उसके पसीने का मूल्यांकन हो, पूंजी का मूल्यांकन हो। लाखों श्रमिकों के बल पर यह देश चल रहा है। मैं कहता

हूं कि जब तक ये लाखों श्रमिक लोग खड़े हैं तब तक देश खड़ा है। अगर यह श्रमिक गिर जाएगा तो देश खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि इन्हीं के बल पर ये नई-नई बिल्डिगें, रोड्स, बड़ी-बड़ी नहरें और कारखाने बन रहे हैं। इसलिए श्रमिकों के श्रम की प्रतिष्ठा करनी होगी। डिगनिटी आफ लेबर को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। आज 25 लाख लोग पब्लिक सैक्टर के हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार ने कानून बनाए हैं। मेरा यह कहना है कि जितना मूल्य बढ़ता है, मूल्य सूचकांक के साथ वेतनमान को जो देना चाहिए। अगर मूल्य-सूचकांक के साथ वेतनमान नहीं बढ़ा तो निश्चित रूप से हड़ताल होगी, सौदेबाजी होगी, नाना प्रकार की कार्यवाही श्रमिक लोग करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि उन लोगों को सहभागी बनाया जाए, उद्योगों का श्रमिकीकरण किया जाये तो यह देश के लिए कल्याणकारी हो सकता है। जब देश के निर्माण के कार्यों में लाखों करोड़ों मजदूर लगे हुए हैं तो श्रमिको का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

अब एक बात मैं अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। रेल उप-मंत्री श्री मल्लिकार्जुन जी बैठे हुए हैं। इन्हीं का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा क्षेत्र बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वह चार जिले पड़ते हैं जहां कि एक रेल लाइन के लिए वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं— गिरिडीह, हजारी बाग, रांची और संथाल परगना। यह सब लोग जानते हैं कि वहां कोयला, लोहा, अभ्रक और नाना प्रकार के खनिज, कितने ही तरह के द्रव और ठोस पदार्थ उपलब्ध हैं जिसके लिए ठोस यातायात की व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं हो सकी। उस क्षेत्र की जनता से बार-बार कहा। अभी हाल ही में बजट में हमने देखा, उसमें बराबर रूट चेंज करते रहते हैं। लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा ढंग है कि कभी इधर सर्वेक्षण करा दो, कभी वैकल्पिक करो, इस तरह से करते-करते 32 वर्ष गुजर गए। तो उसमें गिरिडीह से कोडरमा, कोडरमा से हजारीबाग टाउन, हजारीबाग से रांची, यह 220 किलोमीटर का एक रेल पथ होगा जिसमें 30 स्टेशन बनेंगे, 30 नये नगर बनेंगे, तीसों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें बहुत वैकल्पिक लाभ होगा। हमारे रेल उप मंत्री ने एक पत्र हमें दिया था। और हमारे निवर्तमान रेल मंत्री त्रिपाठी जी ने मुझे पत्र दिया था अभी जैसा कि बजट में जोड़ दिये थे, गिरिडीह से हजारीबाग रोड, हजारीबाग रोड से हजारीबाग और हजारीबाग में रांची, इन सबकी वैकल्पिक जांच कर रहे हैं। वह केवल जनरल में है और उसमें 12 लाख रुपये का सर्वेक्षण का कार्यक्रम बजट में जोड़े हैं। यह कितने अपव्यय की बात है क्योंकि 75-76 में उसका सर्वेक्षण हो चुका है और वह मुझे बता चुके हैं, मंत्री जी के पत्र का नम्बर भी मेरे पास है – उसमें 1975 में उन्होंने बता दिया कि एकोनामिकली वायबल नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार के वर्तमान मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्र और भूतपूर्व मुख्य मंत्री कर्पूरी ठाकुर, दोनों मुख्य मंत्रियों ने रेकमेंड किया कि उसका वैकल्पिक जो है गिरिडीह-जमुवार, धनवार और कोडरमा होते हुए इस रेलवे लाइन को बनाया जाय ताकि इस देश का विकास हो सके। इसलिए इस तरह का सुधार करना चाहिए। हमारे रेल मंत्री केदार पांडेय जी ने भी कहा कि छोटा नागपुर में भी एक रेलवे लाइन बनानी है। (व्यवधान)···बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो भोजपुर और बलिया, इन जिलों के बीच में पांच लाख किसान रहते हैं उनमें कौरव पाण्डव की लड़ाई हो रही है। गंगा और घाघरा नदी की धारा बदलते रहने से 50 मील लम्बा और 10 मील चौड़ा यह एक बलुहाई क्षेत्र है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का समय पूरा हो चुका है। मैंने तो आपको अलग से समय दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं समाप्त कर रहा हूं।

दो फरवरी से बक्सर के एस० डी० ओ० के यहां किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं, 100 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 500 लोग 107 के अन्तर्गत आ चुके हैं। उन किसानों की एक ही मांग है कि बिहार उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 की धारा 32 के अनुसार जो बिहार सरकार ने 144 गांवों के नाम उत्तर प्रदेश सरकार को दिए और भू-अभिलेख के कागजात दिए उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को तुरन्त ही मान्यता देकर मालगुजारी रसीद इश्यु कर देनी चाहिए ताकि कोई झंझट न हो।

इस समय गेहूं की फसल लगी हुई है, वहां पर गोली बारी सब कुछ होता है, भयंकर लड़ाई उनमें चलती है, इसकी ओर सरकार और गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिए और वहां पर फसल काटने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस झगड़े में काना नहीं चाहता हूं, जैसा कि हमारे अपोजीशन के भाइयों ने कहा कि यह बजट जो है वह आम लोगों के लिए नहीं है क्योंकि इसको कोई भी नहीं मान सकता। हकीकत जो है वह आपके सामने है। यह जो बजट पेश किया गवा है, मैं समझता हूं बेहतरीन बजट है। गरीबों के लिए और खुसूसी के तौर पर ट्राइबल, शेड्यूल्ड कास्ट्स और जो वीकर-सेक्शन्स हैं उनके लिए यह बजट एक अहमियत रखता है। यह बजट, इन्दिरा जी के पावर में आने के बाद, मैं समझता हूं जो उन्होंने अपने लोगों के साथ वायदा किया था, उसको पूरा करने की तरफ पहला कदम है। मैं पहला कदम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो बजट पेश किया गया था वह तो, जनता पार्टी के जमाने में वे जो घर को बिगाड़ बैठे, पिलर्स को हिला बैठे, उसको दोबारा ठीक करने के लिए था और यह बजट पहला इस सेन्स में कि जो इन्दिरा जी ने एलेक्टोरेट के साथ वायदा किया था उसको पूरा करने की तरफ एक अहम स्टेप है।

मैं फीगर्स में जाना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो 17,478 करोड़ की रकम आपने सेन्टर, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए मखसूस की है उसमें से सेन्टर के लिए 8,619 करोड़ है और बाकी 8,807 करोड़ स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ी रकम है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, वैसे आपने स्टेट्स और सेंटर के लिए ध्यान रखा है, लेकिन इसके इम्पलीमेंटेशन के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। खास करके जो फिजिकल एचीवमेंट हैं, उनको एचीव करने की जरूरत है। महज पैसा देना हो काफी नहीं होता है, उनके इम्प्लीमेटेशन की ओर आपको ध्यान देना होगा। खास करके उन स्टेट्स के लिए जहां कांग्रेस (आई) की हकूमत नहीं है, मिसाल के तौर पर वैस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है और जम्मू-काश्मीर है—इन स्टेट्स को जो हकूमत हैं. वे सेंटर पर तरह-तरह के दबाव डालकर और तरह-तरह की ब्लैक-मेलिंग करके यह कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा

रकम वसूल की जाए और वह भी उन स्टेट्स को कॉस्ट पर जहां कांग्रेस (आई) की हकूमत हैं। तो देखना यह है कि उनमें से किस हद तक फिजिकल एचीवमेंट की तरफ यह रकम खर्च की जा रही है। जहां तक मेरी स्टेट का तालुक है, मुझे इल्म है कि वहां पर जो फण्ड्स सैन्टर से हासिल किया जा रहा है, वह नान-प्रोडक्टिव स्कीम पर डाइवर्ट किया जा रहा है। नान-प्रोडक्टिव स्कीम पर इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है कि उसमें ज्यादा करप्शन के चांसेज़ हैं और उसमें गुंजाइश होती है। मिसाल के तौर पर जैसे बिजली है, प्रोडक्सन साइड पर है, एग्रीकल्चर है या दूसरी-तीसरी ऐसी स्कीमें हैं, जिन पर खर्च नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसको लगा रहे हैं मकान बनाने पर, अफसरों के लिए बंगला बनाने में ऐसे कामों पर खर्च होता है, जिसमें ज्यादातर करप्शन होता है और अफसरों तथा मिनिस्टरों की जेब में चले जाते हैं। इसके लिए आपको देखना है कि इसको कैसे चैक किया जाए।

मेरी तजवीज यह है कि आपको एजेंसी कायम करनी चाहिए जिससे कि हर स्टेट में यह देखा जा सके कि वाकई जिस मकसद के लिए, जिस स्कीम के लिए आपने पैसा सैंक्शन किया है, वह उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।

दूसरा सजैशन मेरा यह है कि किसी को भी एक हैड से दूसरे हैड में एप्रोपोएट करने को इजाजत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको स्ट्रीक्टली इन्स्ट्रक्शन देनी चाहिए, खास करके नान-प्रोडक्टिव स्कीम की तरफ एप्रोप्रोएट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, जिसको खास तौर पर करप्शन के लिए डाईवर्ट किया जा रहा है।

तीसरी बात यह है कि खास करके जो कांग्रेस (आई) स्टेट्स हैं, वहां पर ओवर-ड्राफ्ट भी ज्यादा हो रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि कोई ओवर-ड्राफ्ट करता है, तो स्ट्रीक्टली उनके नैस्ट बजट में से किसी कन्सैशन के बगैर उस राशि को आपको डिडक्ट करना चाहिए। इससे यह जो आपका 1800 करोड़ रु० का घाटा है, डैफिसिट है, उसको पूरा किया जा सकता है।

अब मैं आपका ध्यान सिविल-एविएशन-डिपार्टमैंट की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपको पता ही है कि हमारे कुछ इलाके पिछड़े हैं और जहां पर साल में सात महीने सड़क बन्द रहती है। जिसकी वजह से हमारे यहां हवाई जहाज के अतिरिक्त आने-जाने का कोई साधन नहीं है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, दूसरी दुनिया के साथ हवाई जहाज के अलावा और कोई लिंक नहीं है। वैसे हम आपके बहुत मशकूर हैं—आपने जनवरी, 1979 में हमारे यहां एअर-सर्विस शुरू कर दी थी, लेकिन उसके किराये इतने ज्यादा हैं जो हमारे लोगों के बरदाश्त के बाहर है। यह ठीक है कि आपने रिटर्न-टिकट का कन्सेशन दिया है, लेकिन उसमें आपने कुछ ऐसी टाइप-लिमिट रख दी है कि तीन दिन के अन्दर अगर कोई आये तो वह उस कन्सेशन को अवेल नहीं कर सकता है—यह नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात—जनवरी, 1979 में जब आपने एअर-सर्विस शुरू की, उस वक्त फयूअल के प्राइस काफी बढ़ चुके थे, आपने उस वक्त जो किराया तय किया, उसमें 1979 की आयल-प्राइस और 50 परसेन्ट आक्यूमैन्सी को मद्देनजर रखकर किया था। उस वक्त यह कहा गया था कि 50 परसेन्ट से ज्यादा पैसेन्जर्स नहीं आयेंगे, साथ ही हाई-आल्टीचूड पर पूरी लोड-कैपेसिटी नहीं ले जा सकते। इसलिये उस किराये को हायर-साइड में रखा गया था, लेकिन आपके दूसरे स्टेट्स

पर जो किराये थे वे वही थे जो 1974 में फिक्स किये गये थे, तेल में दाम बढ़ने के साथ-साथ उनको नहीं बढ़ाया गया था। उसके बाद मई, 1979 में आपने आल-आवर-इण्डिया 35 परसेन्ट किराया बढ़ाया, चूंकि आपने 1974 से किरायों को रिवाइज नहीं किया था। इसके आधार पर आपने हमारे किराये को भी बढ़ा दिया, हालांकि उसको पहले ही बहुत कर रखा था। उसके बाद फिर तीसरी बार फयूअल-सरचार्ज 25 परसेन्ट बढ़ाकर आपने किरायों को रिवाइज किया, चोथी बार फिर आपने 5 परसेन्ट सरचार्ज लगाया—इन सब का नतीजा यह हो रहा है कि हम को दूसरे रूट्स के मुकाबले डबल किराया देना पड़ रहा है। जो रिटर्न-फेअर कन्सेशन आप दे रहे हैं, वह भी इस वक्त सही कैलकुलेशन की जाए तो हायर-साइड पर है। आक्यूपैन्सी रेशो यह है कि जहाज में जगह नहीं मिलती है। हमारा यह खास मसला है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

एक दूसरा मसला यह है कि श्रीनगर से लेह के दरमियान 30 मिनट की फलाइट है, जो दिल्ली से चण्डीगढ़ के लिए भी है, लेकिन दिल्ली से चण्डीगढ़ की 30 मिनट की फलाइट का किराया 188 रुपये है जब कि श्रीनगर से लेह की 30 मिनट की फलाइट का किराया 358 रुपये हैं—इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं...

श्री पी० नामग्याल : मैंने आपसे यही अर्ज किया है प्राडिक्टव से नान-प्राडक्टिव स्कीम्ज में री-एप्रोप्रियेशन नहीं होना चाहिए, दूसरे बैंकों से भी ओवर-ड्राफ्ट ले लिया जाता है उस पर रोक लगायी जानी चाहिए, ताकि बजट डेफिसिट का जो गैप है वह किसी हद तक पूरा किया जा सके, तीसरी बात मैंने लेह की एअर-सर्विस के बारे में अर्ज कर दी हैं --इन बातों पर गौर किया जाना चाहिए।

आखिर मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि आपने जो बजट पेश किया है यह खास तौर पर गरीबों के लिए है, उसके बाद मिडिल-क्लास के लिए हैं और हमारे मुल्क की ओवर-आल इकानामिक कण्डीशन के लिए, मैं समझता हूं इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। आप इसके बारे में नगर विमानन की अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा के समय बोल सकते हैं। वैसे भी, वित्त मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। आप विनियोग विधेयक पर भी बोल सकते हैं।

ओवरआल हमारे मुल्क की एकोनोमिक कंडिशन्स के लिए, मैं समझता हूं, इससे अच्छा और कोई बजट नहीं हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

8.26 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 13 मार्च, 1981/22 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।